राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] तेरहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का बाईसवां दिवस [संख्या : 12

गुरुवार,

14 मार्च, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल।

बिलाड़ा में 'प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान 2012' में प्रदत्त प्रमाण-पत्रों की वैधता

252. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 'प्रशासन-गांवों-के-संग-अभियान 2012' में विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा (पंचायत समिति बिलाड़ा/लूणी/मण्डोर) में ग्राम पंचायतवार कुल कितनी शिकायतें एवं प्रस्ताव प्राप्त हुए? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त शिकायतें एवं प्रस्ताव किन-किन विभागों से सम्बंधित हैं तथा उनमें से कितनी समस्याओं का निस्तारण कर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि 'प्रशासन-गांवों-के-संग' अभियान में जारी किये गये मूल निवास/जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति) की वैधता 6 माह तक ही है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी नहीं। वर्ष 2012 में 'प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान' का आयोजन नहीं हुआ है।

(2) वर्ष 2012 में 'प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान' का आयोजन नहीं हुआ है।

(3) जी नहीं।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, इसमें वर्ष 2012-13 की जगह 2012 लिख गया और इसके कारण ही आपने कहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो अभी हाल में 2012-13 में प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान चला था, उसमें आपके पास कितनी शिकायतें पंजीकृत हुईं और उनमें से कितनी का निस्तारण कर दिया गया?

आपने प्रश्न के खण्ड तीन में बताया- 'जी नहीं', लेकिन हकीकत में गांवों के अन्दर जो मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होता है उसकी अवधि 6 महीने है। इसके बाद कहीं पर भी जाते हैं तो इनको कहते हैं कि आपका प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में बना हुआ जाति प्रमाण पत्र है, यह वैलिड नहीं है, वापस बनवाकर लाओ, 6 महीने तक ही इसकी वैधता है। आपने लिखा- 'जी नहीं।' तो कोई आप ऐसा बता सकते हैं जिसमें यह हमेशा के लिये वैलिड रहेगा? जाति और मूल निवास तो बदलेगा नहीं। इसलिये आप पहले तो मुझे यह बता दें, 2012-13 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितनी का निस्तारण हुआ है?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वर्ष 2012 का ही प्रश्न पूछा था, 2013 का प्रश्न में कोई उल्लेख नहीं है, न ही 2012-13 का पूछा। फिर भी अगर आपकी अनुमति हो तो 2013 में प्रशासन-गांवों-के-संग शिविर का आयोजन हुआ उसके बारे में जानकारी दे दूं?

प्रश्न के खण्ड-तीन में मैंने 'जी नहीं' कहा हैं, इन्होंने कहा कि 6 महीने तक ही अनुसूचित जाति/जनजाति का जो प्रमाण पत्र है वह मान्य होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मूल निवास प्रमाण पत्र आजीवन वैध हैं। इसलिये आपका यह सोचना, यह कहना बिलकुल गलत है।

अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष वर्ग की जाति का प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जायेगा, परन्तु क्रिमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा, जब क्रिमीलेयर का होगा तो एक वर्ष तक का, क्योंकि उसके बाद में आय बदल जाती है। तो वह उस हिसाब से प्रमाण-पत्र है। एक बार क्रिमीलेयर नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे विधि सम्मत सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र को ही मान लिया जाता है। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जाता है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था, मेरा पहला स्पेसिफिक प्रश्न था कि 2012-13 में कितनी शिकायतें बिलाड़ा तहसील की आपके पास दर्ज हुईं और उनमें से कितनों का निस्तारण हुआ?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने 2012-13 नहीं, केवल 2012 का पूछा है। उसी पर सीमित रहें।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): हां, तो वह 2012 के बाद...

श्री अध्यक्ष: 2012 के बाद नहीं, आपने स्पेसिफिक पूछा है, अभियान 2012 में प्रदत्त प्रमाण पत्रों की वैधता।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): नहीं, इसमें 2012-13 मिस्प्रिंट हो गये साहब।

श्री अध्यक्ष: 2013 के लिये बाध्य नहीं कर सकता मैं कि जवाब दें। जवाब देने के लिये तो 2012 पर ही बाध्य कर सकता हूं मैं, 2013 पर नहीं।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): वह ठीक है..

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उन्होंने मान लिया कि 2012-13 नहीं लिखा। यह 2012 का मतलब, उनकी भावना यह थी, 2012-13 लिखना चाहिये था जो नहीं लिखा; आपने उसका फायदा उठाया और ना-ना लिखा, वह भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं; इसमें कोई दो राय नहीं, आपका उत्तर टू-दी-पाइन्ट उसके अनुसार है लेकिन भावनाओं को भी समझकर उसका जवाब...

श्री अध्यक्ष: इन्होंने फायदा नहीं उठाया है। फायदा नहीं उठाया है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मान लिया, 2013 का नहीं पूछा है...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैंने फायदा नहीं उठाया है। जैसा कि मैंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया, अगर आपकी अनुमति हो तो वर्ष 2013 में प्रशासन-गांवों-के-संग शिविर का आयोजन हुआ, उसके बारे में मैं जानकारी दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: बता दीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): राज्य में प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान आयोजित हुआ जिसकी प्रगति के बारे में जानकारी दे दूं। वर्ष 2012 में नहीं हुआ। प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान 2013 में निम्नांकित 21 विभागों के कार्य सम्मिलित किये गये। उन सारे विभागों की जानकारी देने की तो जरूरत नहीं है।

अब विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में, जोधपुर जिले की बिलाड़ा सम्पूर्ण पंचायत समिति की 38 पंचायतें हैं और मण्डोर पंचायत समिति की कुल 25 ग्राम पंचायतों में से 7 ग्राम पंचायतें आपके क्षेत्र में आती हैं; लूणी पंचायत

(श्री हेमाराम चौधरी)

समिति की 39 ग्राम पंचायत समितियों में से 6 ग्राम पंचायतें आपके क्षेत्र में आती हैं। इस प्रकार, कुल 52 ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं आपके क्षेत्र में, जिनमें से प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान 2013 में 39 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किये जा चुके हैं। बिलाड़ा पंचायत समिति की 21 ग्राम पंचायतें, मण्डोर की 7 ग्राम पंचायतें और लूणी की 1 ग्राम पंचायत, कुल 39 ग्राम पंचायतें हैं। बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र की शेष 12 ग्राम पंचायतों में द्वितीय चरण जो होगा, प्रशासन-गांवों-के-संग शिविर, उनमें उसका आयोजन होगा।

विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान 2013 के तहत कुल 1271 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 1,166 शिकायतों का निस्तारण किया गया है तथा 105 निस्तारण शेष हैं तथा कुल 2,611 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से 2,466 का निस्तारण किया गया तथा 145 निस्तारण शेष हैं। साथ ही 27,393 विविध आवेदन, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, नामान्तरण खोलना, तस्दीक करना, गैर-खातेदारी से खातेदारी अधिकार देना, कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन, नवीन पास बुक जारी करना, पुरानी पास बुक को आदिनांक करना, सह खातेदारों की कृषि जोतों का विभाजन, राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती, राजस्व रिकार्ड की कृषकों को नकल प्रदान करना, रास्तों का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज, आदि प्राप्त हुए जिनमें से 27,347 का निस्तारण किया गया तथा 46 प्रकरण निस्तारण से शेष हैं। इस प्रकार, बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कुल 31,275 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से 30,979 निस्तारित किये गये तथा 296 प्रकरण निस्तारण होने से शेष हैं, जो प्रक्रियाधीन हैं, जिनका विवरण भी आप कहेंगे तो मैं डिटेल में दे सकता हूं।

विधान सभा क्षेत्र में 11 विभागों के खास करके प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में प्राप्त हुए, शिकायत, वगैरह जो भी, उनका विवरण भी मैं विभागवार आपको दे सकता हूं। जैसे राजस्व- 19,885 प्राप्त हुए जिनमें से 19,773 का निस्तारण हुआ तथा शेष 112 रहे; सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग- 1,684 प्राप्त हुए, निस्तारित हुए 1,666, शेष 17 रहे; ऊर्जा विभाग- प्राप्त हुए 1190, निस्तारित हुए 1,154, शेष 36 रहे; सहकारिता विभाग- प्राप्त हुए 2,057, निस्तारित 2,057 हुए, शेष जीरो; महिला एवं बाल विकास विभाग- प्राप्त हुए 16, निस्तारित 16 हुए; जल संसाधन- प्राप्त हुए 4, 4 निस्तारित; सैनिक कल्याण विभाग- प्राप्त 6, 6 निस्तारित; ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग- 6,007 प्राप्त हुए जिनमें से 5,903 निस्तारित हुए, 104 शेष रहे;

(श्री हेमाराम चौधरी)

खान विभाग- 63 प्राप्त हुए, 45 का निस्तारण हो गया, 18 शेष रहे; पी एच ई डी- 355 प्राप्त हुए, 346 निस्तारित हो गये, 9 शेष रहे; वन- 8 प्राप्त हुए, 8 ही निस्तारित हुए। इस प्रकार, कुल योग मैंने आपको पूर्व में बता दिया।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि 46 और 105 जिनका निस्तारण नहीं हुआ तो 46 और 105 में कितने ऐसे राज्य स्तर के प्रकरण थे जो आपके पास यहां राज्य स्तर तक पहुंचे हैं? जैसे कोई स्कूल मैदान का था, गोचर का था और उनकी जगह आपके अधिकार क्षेत्र का था, तो ऐसे प्रकरण 46 और 105 हैं। इनमें से आपके यहां कितने पहुंचे हैं? जिला कलक्टर की मार्फत आप तक कितने प्रकरण पहुंचे हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): निस्तारण से जो शेष रहे लम्बित प्रकरण हैं, इनके बारे में आप कहें तो...

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मेरा तो सिर्फ इतना ही है कि आप तक कितने पहुंचे? जो राज्य स्तर लेवल पर तय करने थे, वे प्रकरण आपके पास 151 बच गये। 151 में से ऐसे कितने प्रकरण हैं जो राज्य सरकार के पास पहुंच चुके हैं, जिनका निस्तारण उसके स्तर पर होना है?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के पास अभी तक, यह प्रथम चरण हुआ है, दूसरा चरण बाकी है, उसके बाद में राज्य सरकार के स्तर से जिनका भी निर्णय होना है, वह प्रस्ताव हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। वह तो अभी प्राप्त होंगे, इसके बाद में, तब उस पर विचार किया जायेगा...(व्यवधान)...एक मिनट, आप बोलने तो दो ना।

दूसरे, ज्यादातर राजस्व विभाग के प्रकरण जो प्रक्रियाधीन हैं, उसमें जिन प्रकरणों के निस्तारण लम्बित हैं, उनमें भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की परिधि में होने से मूल प्रस्ताव शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के माध्यम से जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को भिजवाये गये। ये ज्यादातर जोधपुर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित होने से, उसकी परिधि में यह भूमि आ जाने की वजह से इनका निस्तारण प्रशासन गांवों के संग शिविर के दौरान हो नहीं सका। इसलिए ये प्रकरण जे डी ए को भेज दिये गये हैं और इनका निस्तारण जे डी ए से होगा।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, जे डी ए की पेरिफरी के अन्दर मेरी कम से कम 13 पंचायतें आयी हुई हैं, उन 13 पंचायतों का 1 भी

(श्री अर्जुन लाल)

पट्टा नहीं बना। सिर्फ इसलिए कि उनकी पूरी जमीन जो रेवेन्यू की थी, वह जे डी ए के नाम हो गयी। आज उन्हें स्कूल का पट्टा बनाना है, स्कूल का कोई कमरा बनाना है तो उसके लिए वह पट्टा तक नहीं बना सकते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वे जितने भी प्रकरण हैं उनको आप कब तक, जो जे डी ए की पेरिफेरी में 13 पंचायतें आयी हुई हैं, उनके प्रकरण कब तक निस्तारित कर दोगे?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): वह मैंने आपको बता दिया ना, सारे प्रकरण जे डी ए को भेज दिये हैं, उसका निस्तारण जे डी ए को करना है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): उन्होंने बता दिया कि ये राज्य सरकार के स्तर के मामले हैं, यह हम नहीं कर पायेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): नहीं, नहीं, राज्य सरकार के स्तर के नहीं, जे डी ए के स्तर के हैं।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): जिला कलक्टर ने आपको पूछा है; जिला कलक्टर ने आपको भेज दिये सब।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): जे डी ए के स्तर के हैं।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मंत्री महोदय, आपके पास ये प्रकरण पहुंच चुके हैं। ये कब तक आप निस्तारित कर दोगे?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): हमारे यहां पहुंचने का सवाल ही नहीं है, राजस्व विभाग से सम्बन्धित ही नहीं है; राजस्व का मामला ही नहीं रहा, जे डी ए का मामला है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): राजस्व का मामला है। जे डी ए की पेरिफेरी के अन्दर जो गांव दे दिये हैं, उनकी सारी शक्तियां आपने जे डी ए को दे दी हैं। अब वे सरपंच किस काम के हैं? उनके पास कोई काम नहीं है। पट्टा बनाना उनके हाथ में नहीं है। किसी को स्कूल या आंगनबाड़ी बनानी होती है तो जे डी ए के पास उनको घूमना पड़ता है और एन ओ सी लेनी पड़ती है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): वह तो जे डी ए को हमने भेज दिये हैं और अब जे डी ए ही करेगा; हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पावर में नहीं रहा। जब जे डी ए एक्ट बना, जोधपुर डवलपमेंट अथारिटी एक्ट जबसे बना, उसके बाद में जो गांव जे डी ए की परिधि में आ गये, उनकी अब जो भी गवर्नमेंट लैण्ड है या दूसरी है, उसका सब जे डी ए ही करेगी। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री अजय सिंह (डेगाना): जे डी ए कितने समय में करेगा, आप यह तो बता सकते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यह तो जे डी ए जवाब दे सकता है, मैं कैसे कह सकता हूं।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): जब जे डी ए के अन्तर्गत आती हैं तो वहां सरपंचों का चुनाव ही क्यों होता है? फिर वे सरपंच किस काम के?

श्री अध्यक्ष: आपको मैंने अलाउ किया है क्या? आपको प्रश्न के लिए अलाउ किया है क्या? बिना इजाजत के मैं अलाउ नहीं करता।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): दोनों का शामिल है, पेरिफेरी में भोपालगढ़, बिलाड़ा, लूणी लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: शामिल नहीं है। प्रश्नकर्ता आप अकेले हैं।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): जोधपुर तहसील में, हमारे दोनों के बीच में, भोपालगढ़ और बिलाड़ा के बीच में ...

श्री अध्यक्ष: अब आपके दोनों के बीच में क्या है, उससे मुझे क्या मतलब है? मुझे तो प्रश्न से मतलब है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): हम दोनों एक ही गांव के हैं, दोनों खारिया के ही हैं; एक ही गांव के हैं हम दोनों एम एल ए।

इसलिए आपसे निवेदन है कि यह पेरिफेरी का जो क्राइटेरिया जे डी ए के अन्दर लगा रखा है, राज्य सरकार उसको खतम करे ताकि वहां के जो सरपंच हैं, जन-प्रतिनिधि जो चुने हुए हैं; पेरिफेरी के अन्दर जितने भी गांव आ रहे हैं, उनका विकास कार्य ठप्प पड़ा है। उनको निपटाने के लिए या तो नियमों में परिवर्तन करायें। मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं, इनसे निवेदन है कि जितनी भी जे डी ए की पेरिफेरी में ग्राम पंचायतें हैं ...

श्री अध्यक्ष: आपकी बात आ गयी ध्यान में।

अगला प्रश्न। श्री अजय सिंह।

ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों के हस्तान्तरण/नामान्तरण की सुविधा

253. श्री अजय सिंह (डेगाना): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों द्वारा जारी पट्टों के मामलों में

(श्री अजय सिंह)

तत्पश्चात् पुन: हस्तान्तरण होने पर उन मामलों में ग्राम पंचायतों द्वारा हस्तान्तरण प्रमाण पत्र व नामान्तरण जारी नहीं किया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ऐसे मामलों में स्थानीय निकायों जैसे आवासन मंडल/जयपुर विकास प्राधिकरण, आदि की तरह हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, जब पंचायतें जाना ही नहीं चाहती हैं तो उनको क्यों लेते हैं?

श्री अध्यक्ष: आप तो विराजो।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): जब पंचायतें जाना ही नहीं चाहती हैं, गांव वाले जाना नहीं चाहते, तो क्यों लेते हैं?

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): अच्छी बात कह रहे हैं, आप बोलो।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): मुख्य मंत्रीजी से मिले रलावता में जाकर...

श्री अध्यक्ष: यह बिलाड़ा का मामला है।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): बिलाड़ा का नहीं, यह पूरे राजस्थान का मामला है। सबको पेरिफेरी में डाल रहे हैं, कोई नहीं जाना चाहता है पेरिफेरी में। पेरिफेरी में कोई गांव जाना नहीं चाहता है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): इसका फैसला करना पड़ेगा।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): आप हमें क्यों भेज रहे हो पेरिफेरी में?

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): बात सुनो, वास्तव में सही बात कही है,...

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): यह सबकी पीड़ा है, हर एम एल ए की पीड़ा है, पब्लिक की पीड़ा है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सदन की ही है।

पंचायती राज मंत्री (श्री महेन्द्र जीत सिंह): (1) जी हां। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

(2) जी नहीं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं होने की वजह से अभी ऐसा कोई विचार प्रक्रियाधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, मंत्रीजी, आपको ध्यान है, आप किधर से आ रहे हो? माननीय विधायक बोल रहे हैं, आसन यहां है और आप बीच में से क्रास कर रहे हो। आपको नियमों की जानकारी नहीं है क्या?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, इनकी एब्सेन्ट हो गयी है, प्रजेन्ट कराने के चक्कर में हैं।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अपने जवाब में बताया है कि एक्ट में प्रावधान नहीं है, वह तो मुझे भी जानकारी है लेकिन यह इतना जन हित से जुडा हुआ मुद्दा है। जब पंचायत से किसी व्यक्ति ने पट्टा प्राप्त कर लिया और वह उसको रजिस्ट्री के द्वारा बेचना चाहता है या उसने बेच दिया है, उसके बाद में जब वह ग्राम पंचायत के पास जाता है तो ग्राम पंचायत उसके नाम पर हस्तान्तरण पत्र जारी नहीं करती है। वह भी स्थानीय निकाय है। जबकि दूसरे स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम हैं, नगर पालिकायें हैं, जे डी ए है, आवासन मण्डल है, वे जब एक बार कोई भी रजिस्ट्री करा देता है या वसीयत के द्वारा कोई भी भूखण्ड का निस्तारण कर देता है तो उसके आधार पर उसको हस्तान्तरण पत्र जारी करते हैं।

आप पहले तो यह बतायें कि आप नियमों में बदलाव करने का क्यों नहीं सोच रहे हैं? जबकि गांवों के अन्दर यह बड़ी समस्या है। यदि 4 बेटे हैं और किसी पिता ने 1 के नाम पर वसीयत कर दी है, उसकी मृत्यु के बाद में वह ग्राम पंचायत के पास में जाता है कि इस पट्टे में 4 नाम हैं, अब इसमें मेरे नाम ही हस्तान्तरण पत्र आप जारी करें, फिर भी ग्राम पंचायत कहती है कि हमारे नियमों में नहीं है। गांवों के अन्दर आपका ट्रांजेक्शन बिलकुल रुक गया है। ना तो उनके पास में कोई रिकार्ड रहता है, ना ही आपको फिर कोई मुद्रांक शुल्क देगा। जब शहरों में आपने इस तरह का कर रखा है तो मेरा निवेदन है कि आप एक्ट में इस तरह का प्रावधान करिये ताकि लोगों को लाभ मिले।

अभी भी जो प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान आपने चलाया, इसमें इसी तरह के मुद्दे ज्यादा थे। ग्राम पंचायतों के पास इस कारण से कोई रिकार्ड ही अवेलेबल नहीं है। वह रिकार्ड किसलिए रखेगा? आप तो सिर्फ जो पुश्तैनी

(श्री अजय सिंह)

आदमी रह रहा है, पैतृक सम्पत्ति, उसका पट्टा दे रहे हो या किसान जो खेत में रह रहा है, उसका पट्टा दे रहे हो। उसके तो वैसे ही नियमों में प्रावधान हैं, कर देंगे।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, इसमें व्यावहारिक तो है ही; बहुत दिक्कत किसानों को, इसको हम अलग से एग्जामिन कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसमें संशोधन करके करें। लेकिन एक दिक्कत जरूर आ रही है कि हम जो पट्टे दे रहे हैं, वे नि:शुल्क दे रहे हैं। अगर उसमें हम पाबंदी नहीं रखेंगे तो यह सेल होते जायेंगे और बाद में जाकर के दिक्कत आयेगी। इसलिए हम इसमें कोई न कोई कानून में परिवर्तन करके इस तरह का कानून बनायें कि इसमें हर व्यक्ति को जो पट्टे हम नि:शुल्क दे रहे हैं, इसको सेल नहीं कर पाये और बाद में जाकर के नामान्तरण का भी हम इसमें कोई न कोई प्रावधान करेंगे।

श्री अजय सिंह (डेगाना): जो नि:शुल्क पट्टे आप दे रहे हैं, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, वारिस के नाम भी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको समय नहीं दिया है मैंने, मूल प्रश्नकर्ता को दिया है, आप विराजें।

श्री अजय सिंह (डेगाना): अध्यक्ष महोदय, मैं नि:शुल्क के लिये नहीं कह रहा हूं। जिसने क्रय किया है, जिसने मुद्रांक शुल्क दिया है, स्टेट की ड्यूटी अदा की है और उसका भी आप नहीं कर रहे हो। वसीयत के द्वारा उसका यह हक है, उसका राइट है एक्ट में कि विल के द्वारा वह अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, जैसा कि स्थानीय निकायों में हैं, जे डी ए, आवासन मण्डल में, इसी तरह से इसमें बनायें।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम इसको एग्जामिन करा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसमें कुछ निर्णय करेंगे।

श्री अध्यक्ष: ठीक। श्री बाबूसिंह राठौड़।

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में व्याख्याताओं का भर्ती प्रकरण

254. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में शिक्षकों/व्याख्याता/सहायक व्याख्याता के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आयोजित की गयी है? यदि हां, तो किन-किन पदों पर व कब-कब तथा कितने अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भर्ती प्रक्रिया में शिक्षकों/व्याख्याता/सहायक व्याख्याता का चयन किया गया है? यदि हां, तो चयनित शिक्षकों/व्याख्याताओं की योग्यता क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का प्रकरण प्रकाश में आया है? यदि हां, तो किस प्रकार की अनियमितता पायी गयी और कौन दोषी पाये गये?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम विरुद्ध शिक्षकों/व्याख्याता/सहायक व्याख्याता व अन्य पदों पर आरक्षण रोस्टर प्रणाली अपनाने, अयोग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित करने हेतु पत्र भेजे गये? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों/व्याख्याता/सहायक व्याख्याता की भर्ती प्रक्रिया में शैक्षणिक व अन्य योग्यता में बदलाव हेतु अध्यादेश जारी किया गया था? यदि हां, तो उक्त अध्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर पुन: नये सिरे से प्रक्रिया प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (डा. दयाराम परमार): (1) जी हां। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरने हेतु चयन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है:-

(डा. दयाराम परमार)

पद	विज्ञापन संख्या	आवेदन की अंतिम तिथि	आवेदन पत्रों की संख्या
प्रोफेसर	72/2011-12	23.01.2012	132
एसोसिएट प्रोफेसर	73/2011-12	24.01.2012	304
असिस्टेंट प्रोफेसर	74/2011-12	25.01.2012	4,495

इन विज्ञापित पदों के लिए साक्षात्कार दिनांक 23.12.2012 से 12.02.2013 के मध्य आयोजित किये गये।

(2) जी हां। शिक्षकों की योग्यताएं विश्वविद्यालय के अध्यादेश 317 व 317(4) के अनुसार रखी गई हैं जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' के रूप में संलग्न कर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार लोक प्रशासन विभाग के आचार्य पद के एक मामले में एक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में न बुलाये जाने का प्रकरण मिला है। रिकार्ड का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश उस अभ्यर्थी का आवेदन पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के आवेदन पत्रों के साथ जुड़ गया था। यह तथ्य जानकारी में आने पर साक्षात्कार का परिणाम घोषित नहीं किया गया।

(4) शिक्षकों के रोस्टर का अनुमोदन महामहिम कुलाधिपति के कार्यालय एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी निर्देशों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा अनुमोदन करने के पश्चात् तदानुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया अपनायी गई है।

आचार्य, सह आचार्य के पदों के लिये सभी आवेदनकर्ताओं को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया, जबकि सहायक आचार्य के पदों के लिए शार्ट-लिस्टिंग के आधार पर साक्षात्कार के लिये बुलाया गया है। ये नियुक्तियां माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन की गई हैं। जिन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया, वे बिन्दु संख्या 2 में अंकित योग्यताओं की पूर्ति करते थे।

(5) जी हां। अध्यादेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। शैक्षणिक योग्यता के अन्तर सम्बन्धित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

(6) चूंकि सभी नियुक्तियां माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन की गई हैं, अत: इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार किया जा सकेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, आप बड़ी गम्भीरता से सुनिये, क्या यह सही है कि ये नियुक्तियां यू जी सी रेग्यूलेशन एक्ट 2009 (गजट आफ इण्डिया जुलाई 11, 2009 के) मानदण्डों के अनुसार की गई है व विज्ञप्ति यू जी सी के मानदण्डों के अनुसार निकाली गई है? यदि हां, तो स्पष्ट करें। यदि नहीं, तो क्यों? एक बात तो यह।

क्या यह सही है कि आवेदन लेने की अंतिम तिथि 25.1.2012 को योग्यता, पात्रता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी, ऋषभ गहलोत, प्रवीण गहलोत, मनीष वडेरा, रजनीकांत त्रिवेदी, रमेश चौहान, आशीष माथुर, मनीष वडेरा, हेमलता जोशी, मोहित जीनगर, मीनाक्षी बोराणा, ललित सिंह झाला, सुनील आसोपा, भरत कुमार मीणा, शरद बिस्सा, राजेन्द्र सिंह खींची का सलेक्शन किया जाकर नियुक्ति दी गई है? यदि हां, तो स्पष्ट करें व किन नियमों में? क्या अन्तिम तिथि तक योग्यता, पात्रता नहीं रखने वालों के आवेदन निरस्त नहीं किये गये? यदि हां, तो क्यों? स्पष्ट करें। विज्ञप्ति में योग्यता पात्रता क्या रखी गई? इसको भी स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: रुक जाओ एक बार, वरना फिर सारे प्रश्नों का जवाब नहीं आ पायेगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): एक और पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: बाद में पूछ लेना, इनका जवाब आ जाने दीजिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): एक और पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: इनका जवाब आ जाने दो, फिर पूछ लेना।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): बाद में और पूछूंगा। एक और पूछ लूं, तीन पूछ लूं?

खण्ड 2 के अनुसार क्या यह सही है कि यू जी सी के मानदण्डों में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा शिथिलता दी गई? यदि हां, तो यू जी सी के मानदण्डों को किन नियमों में बदला गया? साथ ही यह भी स्पष्ट करें।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एसोसिएट प्रोफेसर के लिये जो काबिलियत चाहिये, नम्बर एक, स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक, उच्च शैक्षणिक अभिलेख के साथ; दूसरा, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा राज्य द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी; नम्बर तीन, ऐसे प्रार्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पहले यू जी सी का तो बताओ, मेरा पहला प्रश्न यू जी सी का है।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): मैं यू जी सी का ही बोल रहा हूं; यू जी सी के मानदण्डों में तय किये गये, वही बोल रहा हूं।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेग्यूलेशन 2009 के अनुसार पीएच डी की उपाधि प्राप्त की है, उन्हें नेट, स्लेट और सेट परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की गई है। ये यू जी सी के मानदण्ड हैं।

अब विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएच डी हेतु प्रवेश ले लिया अथवा उन्हें पीएच डी उपाधि प्रदान कर दी गई अथवा जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेग्यूलेशन एक्ट 2009 के अनुसार पीएच डी की उपाधि प्रदान की है, इन सभी को नेट, स्लेट और सेट परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की गई है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरा सवाल था कि आपकी जो अंतिम तिथि थी उसके बाद कितने लोगों ने योग्यता प्राप्त की, अंतिम तिथि 25 जनवरी, 2012 और उसके बाद ये यू जी सी की योग्यता प्राप्त करने वालों को नियुक्ति दी गई। जब योग्यता ही नहीं रखते थे तो उनके आवेदन निरस्त क्यों नहीं किये गये?

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी विज्ञप्ति जारी की जाती है, उसमें टर्म्स एण्ड कंडिशंस होती हैं, उन टर्म्स एण्ड कंडिशंस के आधार पर विज्ञप्ति में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बाद में लाकर जोड़ दिया, अंतिम तिथि बढ़ गई; अंतिम तिथि घटाई-बढ़ाई जा सकती है, किसी भी विज्ञप्ति में, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साक्षात्कार में कोई तिथि नहीं बढ़ाई गई और जो उपाधि जिनकी थी, जिनकी योग्यता थी, यूनिवर्सिटी की जो शर्तें हैं, वे और यू जी सी की जो शर्तें हैं, वे दोनों मैंने निवेदन कर दीं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यही पूछा है कि आपकी जो विज्ञप्ति निकली है, उसमें योग्यता, पात्रता क्या थी? और योग्यता, पात्रता के अनुसार कितने लोग उस समय एलिजिबल नहीं थे?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पात्रता का सवाल है ...(व्यवधान) मैं बैठा हूं न। जवाब तो कोई भी मंत्री दे सकता है। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप अपने डिपार्टमेंट का भी देंगे तो भी बहुत है। (व्यवधान) मंत्रीजी खुद सक्षम हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): हल्ला मत करो, बहुत गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक योग्यता का सवाल है, माननीय सदस्य ने पूछा कि योग्यता क्या थी; पी जी में 55 प्रतिशत मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और उसका गुड एकेडमिक कैरियर होना चाहिए। गुड एकेडमिक कैरियर से मतलब यह है कि टैंथ में, ट्वेल्थ में और ग्रेजुएशन में उसके किस तरह के मार्क्स हैं। तो उसका फार्मूला बना हुआ है बाकायदा।

इसी के साथ-साथ नेट, स्लेट और सेट, इन तीनों में वह एक किसी में भी एक में पास होना चाहिए; या छूट जो 2009 के रेग्यूलेशन में दी गई है वह यह दी थी कि उसने पीएच डी कर ली हो, यह योग्यता थी।

मोटे तौर पर दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनियमितता की जो बात कही है आपने कि अनियमितता हुई, यदि अनियमितता हुई है तो बाकायदा सारा का सारा मामला कोर्ट के विचाराधीन है या सब-जुडिस है। इसलिए जो कुछ फैसला होगा, वहां से होगा। क्या दिक्कत है इसमें? (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अनियमिताएं ये करें ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके दो सवाल हैं। जिस दिन एप्लिकेशन की लास्ट तारीख थी 25.1.2012, उस दिन यू जी सी के मानदण्डों में योग्यता होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये मानदण्ड उस दिन जिस दिन उसकी एप्लिकेशन की लास्ट तारीख थी 25.1.2012, उस दिन जिन्होंने पूरी नहीं की और उसके बाद जो योग्यता अर्जित करके उनका सलेक्शन हुआ, जिसकी लिस्ट उन्होंने पढ़ी, क्या यह किसी का अधिकार है कि मेरे को एप्लिकेशन 25 को देनी है, मैं यह क्वालिफाइड हूं, जो आपने मान्यता मेरे से मांगी है उसके अनुसार मैं हूं, उसके बाद योग्यता अर्जित करने वाला व्यक्ति इस इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो सकता है कि नहीं? यह बता दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

बात आपने अभी यहां उठाई है, इसको अनियमितताएं मानते हुए, है, तो ये सारी की सारी अनियमितताएं हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो है, मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इन सब पर फैसले वहीं होंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है कि हाई कोर्ट क्या फैसला करेगा, क्या नहीं करेगा, यह तो उसका काम है, यूनिवर्सिटी को जो काम करना था और इसके पहले डी बी ने...

श्री अध्यक्ष: ये गलत सही का नहीं पूछ रहे, वह तो कोर्ट फैसला करेगा, ये कह रहे हैं कि इस बार जो किया गया है, वह किया जा सकता था क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हां, मतलब यह है कि योग्यता, 25.1.2012 के दिन जिन लोगों ने योग्यता अर्जित नहीं की थी उनके प्रार्थना पत्र को भी कंसिडर करते हुए क्या उनको आपने सलेक्ट कर लिया था? एक।

क्या डी बी ने सितम्बर, 2012 में इसी प्रकार के केस में फैसला देते हुए इस बात के लिए अपना जजमेंट दिया था कि ये जो यू जी सी के मापदण्ड हैं, इन मापदण्डों के बाहर हटकर के किसी भी प्रकार का सलेक्शन हुआ है तो वह वेलिड नहीं है और उसको खारिज किया है?

जब आपके पास ये चीजें सामने मौजूद थीं और आपने उसके बाद भी नियम को तोड़कर जो सलेक्शन किया है, इसका मतलब यह तो प्रूव हो गया। हाई कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वह तो बाद की बात है, जो अधिकार आपको उस तारीख के दिन उपलब्ध नहीं था, उसका दुरुपयोग जिस व्यक्ति ने करके, इन नियमों को तोड़कर इंटरव्यू में बुलाया, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? यह बताइए।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, वही सब-जुडिस है; उनको बुलाने का अधिकार था, यानी योग्यता थी या नहीं थी, वही सब-जुडिस है। फैसला वहीं से होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने स्वयं ने, अभी अपने प्रश्न के जवाब में बोला कि कुछ लोगों ने जुलाई में पीएच डी की, कुछ लोगों की एप्लिकेशन का तो दिन था जनवरी 25 का और आपने उनके नाम पर, अभी अपने प्रश्न के जवाब में बताया कि जुलाई में उन्होंने पीएच डी की, इसमें आप अभी बोले थे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): नहीं, मैंने नहीं बताया; मेरे प्रश्न में पीएच डी कब की है, यह मसला ही नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है कि सब-जुडिस का मामला मैं नहीं पूछ रहा हूं, यह तो कोर्ट फैसला करेगी, जिस दिन आएगा, अपन स्वीकार करेंगे, उसमें अपने को कुछ नहीं, सवाल यह है कि जिस दिन उसको, फार्म को, अंतिम तारीख थी, उस दिन नार्म्स उसने क्लीयर नहीं किये थे, वह उस डिग्री का पात्र नहीं था, उसने उस डिग्री को बाद में जोड़कर के और जोड़ा ही नहीं, अंतिम दिन, जिस दिन इंटरव्यू था, उस दिन की डिग्री को भी जोड़ते हुए और उन लोगों का सलेक्शन हुआ, जिसकी लिस्ट इन्होंने पढ़ी। कोर्ट तो फैसला करेगा, हम और आप जो प्रशासन चलाते हैं और विभाग चलाते हैं और यू जी सी के मापदण्ड से चलाते हैं, क्या यह हमको अधिकार है कि हम उसकी जिस दिन की क्वालिफिकेशन की डेट थी, उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन को जोड़ सकते हैं? उस फार्म को क्लीयर कर सकते हैं क्या? आपने दुबारा विज्ञप्ति निकाल कर फिर से अपना अमेंडमेंट किया हो कि इसके बाद हम इस क्वालिफिकेशन के लोगों को फिर से प्रार्थना पत्र के लिए अलाउ करते हैं, ऐसी कोई विज्ञप्ति है या वही लास्ट विज्ञप्ति है, जिस विज्ञप्ति में आपने उसकी क्वालिफिकेशन निर्धारित की, उसकी डेट निर्धारित की? उसको फिर आपने बुलाकर, क्वालिफिकेशन नई जोड़कर के, उनको एलिजिबल बनाकर आपने इस सलेक्शन लिस्ट में सलेक्ट किया है क्या?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में ओल्ड रेग्यूलेशंस, यानी कि 2009 के पहले के जो रेग्यूलेशंस थे, उनमें जिन्होंने पीएच डी कर ली, यानी 2009 के रेग्यूलेशन के बाद अगर किसी ने पीएच डी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, इसकी छूट की कंसेंट गवर्नर साहब, चांसलर साहब से ले रखी थी और उसी के मार्फत यह काम हुआ है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं इस सवाल को पूछ ही नहीं रहा हूं कि उन्होंने कंसेंट ली या नहीं ली। मैं तो अभी उस 25.1.2012 जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपकी अंतिम तारीख थी, एप्लिकेशन लेने की, जो आपके डिपार्टमेंट ने ली, क्या उस दिन वह जो आवेदक था, वह अपनी योग्यता को फुलफिल कर रहा था? आपने उसकी योग्यता बाद में फुलफिल करा कर क्या उसमें उसको एंटर किया? और एंटर करवाकर उसको सलेक्ट भी कर लिया क्या?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): असल में, यह जो टोटल डिस्प्यूट उठाया जा रहा है ...(व्यवधान) यह जो टोटल कंफ्यूजन किया जा रहा है, यह सारा का सारा इसलिए किया जा रहा है कि वहां की जो यूनिवर्सिटी के लोग एप्लिकेंट थे, वे यह चाहते थे कि यूनिवर्सिटी की टोटल स्ट्रेंथ का रिजर्वेशन 16/12/21/1 के हिसाब से हो, जब कि 196 पोस्ट थीं, उसके हिसाब से रिजर्वेशन होना था। तो यह सारा का सारा प्रपंच तो वहां से चालू हुआ है। जो कुछ है, फैसला कोर्ट कर देगी, उसमें क्या दिक्कत है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्यों कर देगी? गलती तो आप करो...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कोर्ट तो जो फैसला करेगी, वह करेगी, कोर्ट का निर्णय तो सर्वोपरि है लेकिन हम क्या, हम में से...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वही करेंगे; जो कोर्ट फैसला करेगी, हम उसी को मानेंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह सब अपने बड़े-बड़े रिश्तेदारों के बच्चों को सलेक्ट करा लिया, जो यूनिवर्सिटी में लोग रहते हैं, जो वहां न्यायाधीश हैं, वह और जो हम राजनेता हैं, उनके बच्चों की क्वालिफिकेशन न होने के बाद भी सलेक्शन लिस्ट में निकाला। तब लोगों ने इसके खिलाफ अपनी बात को उठाया और यह प्रूव हो गया कि वास्तव में यह बड़े-बड़े लोगों ने बैकडोर एंट्री करके यह जो सलेक्शन किया है, इसके कारण से लोगों का हित प्रभावित हुआ है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 1998 में जब टिबरीवाल साहब चांसलर थे और डी ओ पी के आर्डर से यह फैसला हुआ था।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभी +++, उनके +++ ...(व्यवधान) +++ की नियुक्तियां हुईं ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिस तरीके से कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, यह सारा का सारा रिजर्वेशन का है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कोई कंफ्यूजन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रमेश चन्द मीणा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी का भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ××× (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री ओम जोशी (फलौदी): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री ओम जोशी (फलौदी): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री ओम जोशी (फलौदी): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: अगर आपको कोई बात कहनी है तो वैल में आकर इस तरह हल्ले-गुल्ले में कुछ नहीं सुनेगा। कुछ अंकित नहीं हो रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: आप अपने सारे माननीय सदस्यों को कहो कि वे अपने स्थान पर जायें। (व्यवधान) या तो आप इनको अपने स्थानों पर भेजो... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर गये)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष बोलना चाह रहे हैं, आपसे पहले नेता प्रतिपक्ष बोलना चाह रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इसमें जो विज्ञापन जारी हुआ, उस विज्ञापन के कालम नम्बर-8 में स्पष्ट था कि इन मापदण्डों को जो पूरा नहीं करता है, उनकी एप्लिकेशन अपने आप निरस्त हो जायेगी। वह निरस्त तो नहीं की...

श्री अध्यक्ष: इन्होंने तो जवाब दे दिया कि मैटर सब-जुडिस है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, सब-जुडिस कोई इलाज नहीं है इसका। आप चोरी करो और फिर कहो कि हमको कोर्ट सज़ा दे देगी, तब हम चोर माने जायेंगे। आपको तो पुलिस वाले पकड़कर ले आये और गिरफ्तार करके आपके खिलाफ चालान पेश कर दिया। अब सज़ा कोर्ट से मिलेगी कि नहीं मिलेगी... (व्यवधान)

(अध्यक्ष पीठ से इशारे से अंकित नहीं करने के निर्देश दिये गये)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

श्री रामकेश (संसदीय सचिव): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री ओम जोशी (फलौदी): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री रामकेश (संसदीय सचिव): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री रामकेश (संसदीय सचिव): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री रामकेश (संसदीय सचिव): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): ×××

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर जोर-जोर से बोला जाना)

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री रामकेश (संसदीय सचिव): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री ओम जोशी (फलौदी): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

(12.00 बजे)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

(मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। प्रश्न काल समाप्त। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

(श्री रणवीर पहलवान, माननीय सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: आसन पावं पर है, माननीय सदस्य। कोई अंकित नहीं होगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं की बेवजह वी.सी.आर. भर किसानों को बेइज्जत कर जुर्माना वसूले जाने के सम्बन्ध में।
2. डा. जसवन्त सिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में मांढण से महतावास सड़क बिलकुल टूटी हुई होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर के बढ़ते भू-जल के स्तर से आमजन में व्याप्त भय के सम्बन्ध में।
4. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में महिलाओं एवं नाबालिग बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार तथा उनके गायब होने की बढ़ती संख्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. श्री फूलचन्द भिण्डा एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के एक भी सरकारी कृषि कालेज में पी.जी. कक्षाएं नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से राज्य में निराश्रित बालकों के साथ हो रहे अन्याय के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

7. श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा, सदस्य की ओर से कस्बा चाकसू जिला जयपुर के मकानों में आई दरारों के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र नदबई की पंचायत समिति सेवर के ग्राम धांधोली में स्वीकृत 33/11 के.वी.जी.एस.एस. को शीघ्र चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जिला बूंदी के 11 राजस्व गांवों को कोटा नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री शंकर सिंह, सदस्य की ओर से ब्यावर, जिला अजमेर में स्वाइन फ्लू से हुई मौतों के परिवारजन को राहत प्रदान करने तथा परिवारों के सभी सदस्यों की मेडिकल जांच करवाने के सम्बन्ध में... (व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पांव पर है, आप बाहर चले जायें, बाहर जायें आप। माननीय सदस्य, आसन पांव पर है, कृपया बाहर जायें, कृपया बाहर जायें। कृपया शांति रखें।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा, श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), श्री अशोक डोगरा एवं श्री शंकर सिंह रावत को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री विजय बंसल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के ग्राम गोलपुरा के कतिपय आराजीयात को पुन: गोलपुरा की आबादी में दर्ज करने के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्या की ओर से अजमेर के गांधी नगर

(श्री अध्यक्ष)

पहाड़गंज में 1952 में पाकिस्तानी विस्थापितों को दिए 164 आवासों के लोगों को अजमेर नगर निगम द्वारा मालिकाना हक नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री प्रभुलाल सैनी, सदस्य की ओर से कोटा बैराज के वर्षाकालीन अधिशेष पानी का समुचित उपयोग कर बीसलपुर बांध में डालने की योजना बनाने के सम्बन्ध में।

4. श्री संतोष कुमार सहारण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के गंग कैनाल क्षेत्र में सी ए डी द्वारा बनाये जा रहे खालों के निर्माण के सम्बन्ध में।

5. श्री सुखराम नेतड़िया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में जुलाई, 2012 तक कम वर्षा के कारण 80 प्रतिशत फसल के खराबे का उचित फसल बीमा का क्लेम नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री रमेश चन्द मीणा, सदस्य की ओर से राज्य के उचित मूल्य विक्रेताओं को पर्याप्त मानदेय/कमीशन देने के सम्बन्ध में।

7. श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सदस्य की ओर से ऐलोपैथिक चिकित्सकों की भांति आयुष चिकित्सकों को भी समयबद्ध पदोन्नति देने के सम्बन्ध में।

8. श्री छोटू सिंह भाटी, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर में बारानी भूमि आबंटन पर रोक हटाकर भूमि का आबंटन व नियमन की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

9. श्री नवल किशोर मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

10. श्री प्रेमचन्द नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के 40-50 गांवों के किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट परियोजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

11. श्री बनवारी लाल सिंघल, सदस्य की ओर से अलवर शहर के सामान्य चिकित्सालय में मरीजों के अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए सैटेलाइट अस्पताल की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

12. श्री सूरजभान धानका, सदस्य की ओर से धानका समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा। कृपया शांति रखें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

चाकसू कस्बे के मकानों में दरार के प्रकरण

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर मैं बोलना चाह रही हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाकसू विधान सभा क्षेत्र में जो नगर में मकान स्थित हैं, चाकसू एक तरह से पहाड़ी पर बसा हुआ है और पहाड़ी पर बसे अधिकांश जो चाकसूवासी हैं, उनके वहां पर काफी, सौ-दौ सौ साल पुराने मकान बने हुए हैं। अभी कुछ महीने पहले की बात है, भारी वर्षा के कारण या फिर किसी और कारण से अधिकांश मकानों में दरार आ गई...

(12.05 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और दरार भी इतनी कि एक-एक, दो-दो फीट, पूरा का पूरा मकान दो हिस्सों में बंट गया। यहां तक कि जो रोड है चाकसू की, जो पहाड़ी पर बसा हुआ है, नगर वार्ड नम्बर 9, 8, 12 और 15, इन सभी वार्डों के मकानों में बीच में से दरार आ गई और रोड के बीच में से भी दरार आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयंकर भूकंप आया हो। वहां पर जे ईएन (पी एच ई डी), जे ईएन (पी डब्ल्यू डी), नगरपालिका ई ओ, सबने जांच की है लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि यह दरार मकानों में किस कारण से आ रही है। रोड के दोनों साइड जो मकान हैं वे दोनों साइडों से झुक रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई भयंकर भूकंप आकर ये तबाह हो जाएंगे।

चाकसू का इतिहास भी है, पुराने लोग कहते हैं कि चाकसू तीन बार पलट चुकी है, जो पुराने लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और अभी भी वहां पर जो मकान हैं वे उलटे निकलते हैं, जब भी खुदाई होती है; वहां की जमीन पर जब भी खुदाई होती हैं तो वे उलटे निकलते हैं। छत की जगह पहले बरामदा और ये निकलते थे खुदाई के टाइम पर। वहां पर जो अवशेष मिल हैं, चूल्हे हैं, बर्तन हैं, सब उलटे निकले हैं। तो यह एक चाकसू का इतिहास है।

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

इसलिए यह गम्भीर विषय है कि इन मकानों में जो दरारें इतने सालों में आई हैं वे क्यों आई हैं? मैंने कलक्टर साहब को भी सूचित किया, जयपुर से टीम भी गई, भूगर्भ विशेषज्ञ जो हैं वे भी जाकर के पता करके आये लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल रहा है कि यह जो मकानों में दरारें आई हैं, क्षतिग्रस्त जो मकान हैं, वे किस कारण से हैं। वहां का जो एस डी एम है, दस बाद भी उन्होंने यह आकर नहीं सम्भाला कि इन मकानों में दरारें क्यों आ रही हैं और इसकी हम सरकार को सूचना दें। मेरे वहां जाने के बाद सब टीमें आईं और उनका निरीक्षण किया गया; पानी का, मिट्टी का और जो सब जांच है वह ली गई लेकिन अभी तक कारण का पता नहीं चल रहा है।

मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूं कि वहां पर जो क्षतिग्रस्त मकान हैं, उन लोगों के वहां पर तीन-तीन मंज़िला मकान बने हुए हैं आधे-आधे टुकड़ों में बंटे हुए हैं। उन मकानों को आप एक बार जाकर के देखें और वहां पर रहने वालों को देखें, कभी भी उनकी जन-हानि हो सकती है। वहां पर जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं..

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें आप।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): उनको या तो वहां से हटाया जाए, अगर वहां की भूमि इस योग्य नहीं है, वहां पर मकान नहीं बन सकते तो उनको अलग कहीं और जगह जमीन देकर के वहां पर मकान दिया जाए।

दूसरा, इसका एक और कारण है कि वहां का जो एस डी एम है, इतना भ्रष्ट है...

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें आप। यह भ्रष्टाचार का मामला तो अलग से रखिए आप, आप मकान की दरार पर बात करें।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): बोला ही क्या है अभी? एस डी एम देखता ही नहीं है वहां जाकर कि लोग क्या कर रहे हैं। बिलकुल परेशान हो रहे हैं एस डी एम के रवैये से।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): तो मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार उनको मुआवजा दे या उनके रहने के लिए अलग से जमीन दे और जो भी कुछ उनकी सहायता हो सके, वह दी जाए क्योंकि उनके मकान कभी भी गिर सकते हैं। यहां तक कि वहां जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें भी दरार आ गई थी और वह बिल्डिंग भी एक तरफ से झुक गई थी।

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

तो मेरा मानना है कि एस डी एम को तुरन्त हटाया जाए और वहां ऐसा एस डी एम लगाया जाए जो चाकसू की जनता की रक्षा और जन माल की हानि को देख सके और उनकी व्यवस्था कर सके।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)।

नदबई के ग्राम धांधोली में स्वीकृत जी एस एस को चालू नहीं किया जाना

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-50 के अन्तर्गत धांधोली पंचायत समिति सेवर (भरतपुर) स्वीकृत 33/11 के.वी.जी.एस.एस. को शीघ्र चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई के धांधोली गांव में वित्तीय वर्ष 2009-10 में यह जी एस एस स्वीकृत किया गया था। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि धांधोली में 33 के.वी. जी.एस.एस. स्वीकृत किया गया था जिसका वर्क आर्डर मार्च, 2011 में दिया गया। इस जी एस एस से कई गांवों को बिजली मिलती है, धांधोली, धोल, महुआ, टाडा, हबीबपुर भगदारी, तेराब्राह्मण, रूपवास के तहसील गांव सेना बसेरी तक कई अन्य गांव शामिल हैं।

मैं यह जानकारी लेना चाहती हूं, जो मेरे को जानकारी मिली है, उपाध्यक्ष महोदय, विभाग और ठेकेदार के बीच में आपस में खींचतान होने की वजह से जहां जी एस एस पर तीन किलोमीटर तार खींचने थे वहां केवल 925 मीटर खींचे गये हैं। इस आपसी झगड़े में यह जी एस एस अधरझूल में रह गया।

मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि माननीय मंत्री महोदय से कहें, मेरा आरोप है कि विभाग या ठेकेदार के बीच में जिन्होंने घपलेबाजी की है, उनके खिलाफ में एफ.आई.आर. लाज की जाए और इस जी.एस.एस. को शीघ्र ही चालू कराया जाए जिससे लोग लाभान्वित हों। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, सुन लीजिये।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नदबई से आने वाली माननीय सदस्या ने जो कहा है कि 33 केवी जी एस एस डिले हो रहा है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आज ही मैं अधिकारियों को आदेश

(डा. जितेन्द्र सिंह)

देता हूं कि अतिशीघ्र ही इसको पूरा करें और कोई प्रोब्लम हो, उसको एक्सपेडाइट करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2012-13 हो गया, यानी दो साल हो गये सरकार का, यही काम पूरा नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये।

माननीय श्री अशोकजी डोगरा।

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा कोटा नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित बूंदी के कतिपय ग्राम

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा एक पत्र बूंदी कलक्टर को लिखा गया जिसका क्रमांक प7/डीटीपी/2010/7 व दिनांक 9 फरवरी, 2010 है, इसमें इन्होंने लिखा है, कोटा नगरीय क्षेत्र में जिला बूंदी के राजस्व ग्राम फलां-फलां को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में। इसमें यह बताया कि ''...द्वारा बूंदी जिले के राजस्व ग्राम जाखमूंड, गोविन्दपुर, बाबड़ी, भोपतपुरा, सवर, सिन्ता, तीरथ, मेहराना, विनायका कोटा के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये गये हैं जिसकी प्रति संलग्न कर आपको प्रस्तुत की जा रही है। बूंदी जिले के उक्त गांव कोटा नगर के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्र में नगरीय विकास से सम्बन्धित समस्त कार्य यथा भूमि रूपान्तरण, भूमि नियमन, भूमि समर्पण, भू-उपयोग परिवर्तन, आदि नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा ही सम्पादित किये जाने हैं। अत: सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देशित करावें।'' इसके बाद एक आदेश 23 अगस्त, 2010 को दिया गया जिसमें तीन गांव बलोप, तुलसी, रामपुरिया और बढ़ा दिये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि बूंदी तो वैसे ही छोटा जिला है और कोटा यू आई टी को यदि अपना एरिया बढ़ाना था तो उनके पास बहुत जगह है, बारां रोड पर चले जाते, रावतभाटा रोड पर, झालावाड़ रोड पर।

मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न लगाया था जिसके उत्तर में सरकार ने मुझे बताया है, मैंने इसमें यह पूछा था कि आपने ग्राम पंचायतों और जिला कलक्टर से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया है क्या? इसमें इन्होंने माना है कि जी हां; उक्त ग्रामों को सम्मिलित किये जाने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं जिला कलक्टर से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिये गये हैं। उक्त राजस्व ग्रामों

(श्री अशोक डोगरा)

को सम्मिलित करते हुए मास्टर प्लान का अभी अंतिम प्रकाशन भी नहीं हुआ है। अभी प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान चला तो वहां कोई भी काम नहीं हुआ। सरपंचों ने आबादी क्षेत्र विस्तार की एप्लिकेशन लगाई; आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूलों के लिए जमीन आबंटन की मांग की; सबको खारिज कर दिया। गैर-खातेदारों को खातेदारी अधिकार देने थे वे नहीं दिये, यह कहा कि यह यू आई टी करेगी।

ऐसा है, साहब, इसमें मेन मामला क्या है कि आठ हजार बीघा जमीन ऐसी आ रही है कि जहां पर वर्षों से, पीढ़ियों से काश्तकार उन पर खेती कर रहे हैं लेकिन उनको खातेदारी अधिकार नहीं दिये। अब यू आई टी इसको ले लेगी उनसे और उनको मुआवजा भी नहीं मिलेगा और बूंदी जिले की करीब आठ हजार बीघा जमीन भी कम हो जाएगी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ राजस्थान में कि एक यू आई टी दूसरे जिले की सीमा में जाकर के गांवों को अधिगृहीत कर ले। वहां के लोगों से नहीं पूछा, वहां की ग्राम पंचायत से नहीं पूछा, वहां के जिला कलक्टर को पता नहीं।

इसके पीछे मेन जो मामला है, वह क्या है, इसमें मैं तो सरकार पर यह आरोप लगा रहा हूं कि इन्होंने भूमाफियों के साथ मिलकर, सरकार के नुमाइन्दों ने पहले तो जमीनों के सौदे कर लिये सस्ते में, उसके बाद ये आदेश ले आए ताकि यह यू आई टी उसका डवलपमेंट करेगी तो जमीनों के रेट बढ़ेंगे। तो इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है पूरी तरह से।

मेरा आपसे निवेदन है कि इन गांवों को, जो कि बूंदी जिले के गांव हैं, इनको बूंदी जिले में ही रहने दिये जाएं, ये कोटा यू आई टी के अण्डर में नहीं जाएं। इससे वहां के हजारों काश्तकार परेशान हो रहे हैं और उनको भारी दिक्कत आने वाली है। अभी जो प्रशासन-गांवों-के-संग चला, उसमें भी कोई काम नहीं हुए। मेरा आपसे निवेदन है कि जो पहले आपने नोटिफिकेशन किया, उसको निरस्त, उपाध्यक्ष महोदय, ये मंत्रीजी यहीं बैठे हैं, उस नोटिफिकेशन को निरस्त करावें और इन राजस्व गांवों को बूंदी जिले में ही रखा जाए।

मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्रीजी से इसका जवाब दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री शंकर सिंह जी रावत।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, आप भी उसी जिले से आते हैं, लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर आ

(श्री अशोक डोगरा)

रहे हैं, दुनिया भर के नाटक हो रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसका जवाब तो दिलवायें।

ब्यावर में स्वाइन फ्लू से मृत व्यक्तियों के परिवार की मेडिकल जांच व उन्हें राहत

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला अजमेर में ब्यावर में स्वाइन फ्लू इस प्रकार से फैल रहा है कि बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है। श्री हरिसिह फौजी पुत्र श्री किशनसिंह रावत, उम्र 60 साल, निवासी अमरपुरा तहसील ब्यावर, दिनांक 6 मार्च, 2013 को अजमेर के मित्तल अस्पताल में स्वाइन फ्लू से उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना भी चार दिन पहले सदन को दी लेकिन उस क्षेत्र में न तो कोई टीमें जा रही हैं, न कोई इलाज हो रहा है। इनकी दिनांक 12 मार्च को शाम सात बजे मृत्यु हो गई। इसी प्रकार, मरीज स्वाइन फ्लू की बीमारी से मर रहे हैं जिनमें से श्रीमती संतोष पत्नी श्याम सिह रावत, उम्र 28 साल, ब्यावर; श्रीमती राईसा पत्नी शाहबुद्दीन, मुसलमान, उम्र 56 वर्ष, ब्यावर; श्रीमती नर्बदा देवी पत्नी बाबूलाल लोहार, रावत, उम्र-40 साल, ब्यावर; श्री पारसमल प्रजापत, उम्र 48 वर्ष, मंगल मिस्त्री के पास, ब्यावर; श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री रामविलास, उम्र 48 वर्ष, नींदरी नेदातान, ब्यावर; श्रीमती हेमन्त भाटी पुत्र श्री लालचन्द माली, उम्र 29 वर्ष, ब्यावर;...

श्री उपाध्यक्ष: ये तो आप संख्या बताइये, डिटेल पढ़ोगे तो फिर तो...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ये, साहब, स्थगन प्रस्ताव में दिया हुआ है, संख्या नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: स्थगन का मतलब यह नहीं है, पढ़ना।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): संख्या इसलिए कि मरे हुए के नाम तो ले पायें, साहब। यहां इतने लोग मरे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप बता दीजिये, 19 आदमियों के साथ हुआ है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): श्रीमती चंचल पत्नी राकेश, उम्र 25 वर्ष; श्री मनोज शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा, उम्र 42 वर्ष; नेंसी, आर.के. एकलेश 70 वर्ष; श्रीमती सविता, 70 वर्ष; सूरजमल पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा, 73 वर्ष; श्रीमती अंशु पत्नी श्री नीरज मिश्रा, 35 वर्ष; पवन ओझा, प्रमोद ओझा, 35 वर्ष; श्रीमती कनकू पत्नी श्री ओम प्रकाश, उम्र 47 वर्ष...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: उम्र छोड़िये, आपने नाम पढ़ दिया। आपको बोलना नहीं है क्या? आप उसको बंद करिये, नहीं तो अगला नाम पुकार दूंगा मैं। आप अपनी बात कहें। इनका संक्षिप्त नाम दे दो, नंदलाल, अंशु; ये सारा आप उम्र और ये पढ़ रहे हो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ये सांवा केकड़ी के रहने वाले हैं। आप मरने वालों के नाम भी, उपाध्यक्ष महोदय, नहीं पढ़ने दे रहे हैं। श्रीमती कनकू पत्नी श्री ओम प्रकाश, ये सांवा केकड़ी के रहने वाले हैं, हमारे सचेतक भी हैं वहां से लेकिन ये बोलने का, नाम तक नहीं ले रहे हैं; मैं उनके गांव के मरने वालों का नाम ले रहा हूं। श्रीमती सीमा पत्नी मोहन लाल; श्रीमती शमा पत्नी नारायण, उम्र-60 वर्ष, राजगढ़ नसीराबाद के; श्री नन्द लाल, बीरम दास; श्रीमती अंजु, रवि, उम्र-26 वर्ष, सुभाष नगर।

इस प्रकार, अजमेर के मित्तल अस्पताल में, प्राइवेट जो अस्पताल है, ये ग्रामीण क्षेत्र की जनता की जेब कतरने का और लूट-खसोट करने का अड्डा बना हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, गांव की भोली-भाली जनता से, किन-किन मरीज से कितना-कितना रुपया इलाज के नाम पर बटोरा जाता है। मरीज मरने के बाद दो-दो दिन तक ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रावत साहब, ये 295 नहीं है। अपने इन्फोर्मेशन दी है, 50 का मामला है, आपको केवल दो मिनट बोलने की इजाजत दी है; दस मिनट हो गये। आप अपनी बात कहिये। इस कागज को छोड़िये, नीचे रखिये। आप अपनी बात जो कहनी हो, सरकार के ध्यान में लानी हो, सदन के ध्यान में लानी हो, लाइये, बस।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसी पर मंजूरी ली है।

श्री उपाध्यक्ष: पर 295 नहीं है, 295 में पढ़ दीजिये पूरा आप।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मैंने इस पूरे स्थगन की अध्यक्ष महोदय से परमिशन ली है।

श्री उपाध्यक्ष: अध्यक्ष महोदय से ली है, तो मैं दूसरा नाम पुकारता हूं, अब आप बात नहीं कहोगे तो। आप लम्बा कर रहे हो। इसका कोई मतलब नहीं है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ...(व्यवधान) वहां स्वाइन फ्लू इस प्रकार से फैल रहा है और इस सरकार की नींद नहीं खुल रही है। गूंगी और बहरी

(श्री शंकर सिंह)

सरकार को चेताने के लिए मेरी बात कह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि चार दिन से इस प्रकार की मौतें हो रही हैं 19 मौतें हो चुकी हैं लेकिन अभी तक यहां से कोई भी स्वास्थ्य विभाग का दल वहां जांच के लिए नहीं गया है और क्षेत्र में भयंकर रूप से बीमारी फैल रही है। यहां स्वास्थ्य मंत्रीजी भी नहीं हैं, हम हमारी बात सुनायें तो किसको सुनायें? आप जो बात कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय त्रिवेदी जी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मंत्रीजी बैठे हैं, तो मंत्रीजी से भी निवेदन है कि आप जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, अब आप विराजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): वहां क्षेत्र में टीम कब भेजोगे? 19 लोग मरे हैं, इनमें माली भी शामिल हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से भी कह रहा हूं कि यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजें और लोगों का इलाज कराएं।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए।

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं। श्री विजय बंसल। केवल श्री विजय बंसल।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं, मैं तो इनको ही सबसे पहले सदन के माध्यम से उलाहना देना चाहता हूं क्योंकि जिस पेशेंट की दुर्भाग्य से मौत हुई है, उसके बारे में 11 तारीख को इन्होंने सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। उस समय हमने इनको आश्वस्त किया था कि आप उनको हमारे अस्पताल जे एल एन में लेकर आ जाओ, ये लेकर नहीं आएं। 13 तारीख को उसी में डैथ हुई है, 6 तारीख से वहां हरिसिंह जी एडमिट थे।

यह जो कह रहे हैं कि कमेटी कब जाएगी, हमने आज भी चैक किया है, पूरे गांव में घर-घर में हमारी टीम सर्वे कर रही है। हरिसिंह जी के पूरे परिवार की जांच हमारी टीम के सदस्यों ने कर ली है।

इन्होंने कहा था कि वह गरीब आदमी है, क्या सरकार उसका मुफ्त इलाज कराएगी? हमने आश्वस्त किया था कि आप उनको लेकर जाएं।

सिर्फ राजनीति करने के लिए सदन का ध्यान बार-बार आकर्षित

(डा. राजकुमार शर्मा)

करना, मैं इस बात की निंदा करता हूं। अगर आप गम्भीर थे तो उस पेशेंट को आप जे एल एन में लेकर जाते और अगर हम वहां पर इलाज नहीं करते तो आप हमें कोई भी बात कह सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय विजय बंसल। केवल विजय बंसल।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय विजय बसंल, आप बोलिए, केवल आपका अंकित होगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

भरतपुर के ग्राम गोलपुरा के कतिपय आराजीयात को पुन: गोलपुरा की आबादी में दर्ज किया जाना

श्री विजय बंसल (भरतपुर): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में ग्राम गोलपुरा रियासतकालीन समय से बसा हुआ है। इस ग्राम की आबादी गत खसरा नम्बरान 521, 756, 741 में बसी हुई थी जिसके हाल खसरा नम्बरान 990, 1130, 1135, 1238, 1239, 1242, 1243, 1244, 1245, 990/1443 हैं। इन नम्बरान में से कुछ नम्बरान गलत रूप से कुछ व्यक्तियों को आबंटन कर दिये गये व कुछ नम्बरान सिवाय चक दर्ज करते हुए नगर सुधार न्यास, भरतपुर के नाम दर्ज होने से ग्रामवासी जो आजादी पूर्व से अपने मकान बनाकर रह रहे हैं, उनके हितों के साथ कुठाराघात हो रहा है व उनके नाम से प्रशासन-शहरों-के-साथ अभियान में पट्टे मिलने में परेशानी आ रही है।

अत: माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त आराजीयात को पुन: गोलपुरा की आबादी में दर्ज कराने की कृपा करावें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती अनिताजी भदेल, 295 ।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मेरे पास कापी ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: अब इस समय का समायोजन कहां पर होगा?

अजमेर में पाकिस्तानी विस्थापितों को नगर निगम द्वारा मालिकाना हक नहीं दिया जाना

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्रीमती अनिता भदेल)

अजमेर के पहाड़गंज स्थित गांधीनगर क्षेत्र की कालोनी के निवासियों को आज दिनांक तक पट्टा नहीं दिये जाने के बाबत प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख द्वारा निवेदन करना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, 1947 में भारत-पाक विभाजन के बाद जटिया समाज के ये परिवार पाकिस्तान से पलायन कर सन् 1952 में शरणार्थी बन अजमेर आ गये थे। इन्हीं के साथ आये लोगों में कुछेक ने ब्यावर में रहना पसंद किया था। पुनर्वास विभाग ने उस समय इन परिवारों को बसाने की अपनी योजना के तहत ब्यावर व अजमेर में कालोनी स्थापित कर सस्ती दरों पर इन्हें भवन आबंटित किये थे। पहाड़गंज के गांधीनगर क्षेत्र में स्थित इनकी बस्ती '164 क्वाटरों' के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि पुनर्वास विभाग ने 22,240 वर्ग गज जमीन पर 164 क्वाटरों का निर्माण कराया था। पुनर्वास विभाग द्वारा उस समय इन शरणार्थी परिवारों से जमीन की कीमत 1 रुपए प्रति वर्ग गज लेने का निर्णय किया था। परन्तु सन 1952 से आज तक, 45 वर्ष बीत जाने के बावजूद इन क्वाटरों में निवास कर रहे लोगों की जमीन का पंजीकरण आज दिनांक तक नहीं हो पाया है क्योंकि जमीन के पंजीयन को लेकर नगर परिषद् और इन परिवारों के बीच विवाद कायम है 45 वर्षों के इस समय में इन परिवारों ने सदस्यों की बढ़ोतरी के साथ-साथ पुनर्वास विभाग द्वारा आबंटित निर्धारित 52 वर्ग गज जमीन से अधिक जमीन पर कब्जे कर मकान बना लिए हैं। परिषद् निर्धारित 52 वर्ग गज जमीन का कानूनी हक तो उन्हें देने को तैयार है परन्तु 52 वर्ग गज से अधिक भूमि, जो कि इन परिवारों के कब्जे में है, उस पर कानूनी हक नहीं देना चाहती, जबकि नगर निगम द्वारा पूर्व में ही इन क्वाटरों में से कुछ का नियमन निर्धारित जमीन व कब्जेशुदा जमीन सहित 1 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से किया जा चुका है। नगर निगम द्वारा जिन मकानों का नियमन किया गया है, उनमें किशनलाल की 90 वर्ग गज, परसराम की 122 वर्ग गज तथा मूलचन्द की 126 वर्ग गज जमीन पर बने मकान शामिल हैं।

नगर निगम द्वारा एक ही कालोनी में परिवारों के बीच नियमन को लेकर किये गये भेदभाव से अधिकांश भवन मालिक जमीनों का कानूनी हक नहीं प्राप्त कर पाए हैं, जिससे उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

अत: माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त मामले का

(श्रीमती अनिता भदेल)

शीघ्रातिशीघ्र समाधान कर, एक रुपए वर्ग गज में उपरोक्त परिवारों को उनके क्वाटरों का मालिकाना हक दिया जाए ताकि लम्बे समय से चली आ रही समस्या का समाधान किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री प्रभुलालजी सैनी। आप सदन के सामने तो पढ़ रहे हो लेकिन समझ में कुछ कम आ रहा है। मेरा ही ज्ञानवर्धन कर देते।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): आपके समझ में थोड़ी देर बाद आयेगा। आप इसको सुनोगे तो समझ में आयेगा, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने पढ़ लिया है। प्रभुलालजी में अपन से कम दिमाग नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं तो इनके दिमाग का क़ायल हूं, ये बुद्धिजीवी हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): अब आपकी समझ में नहीं आए तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपके क्षेत्र में आया ही इसलिए हूं कि कुछ समझदार बनूं।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): क्षेत्र आपका और मेरा दोनों का है, मैं दोनों का पढ़ूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब बताओ आप, यह दोस्ती रखना चाहते हैं तो मैं दुश्मनी कैसे करूं?

कोटा बैराज के वर्षाकालीन अधिशेष पानी का बीसलपुर बांध में उपयोग

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोटा बैराज के वर्षाकालीन अधिशेष पानी का समुचित उपयोग कर दीर्घकालीन योजना बनाकर बीसलपुर बांध में डालने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि कोटा बैराज का 10,192 मिलियन क्यूसेक मीटर अधिशेष पानी जून से अक्टूबर की अवधि में (यदि दस वर्षों के आंकड़ों को ध्यान से

(श्री प्रभुलाल सैनी)

देखें, तो) व्यर्थ में बह जाता है, जबकि दूसरी ओर हम देखें तो बूंदी एवं टौंक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अमानक पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। यदि हम सी पी एच ई ई ओ (सेंट्रल पब्लिक हैल्थ एन्वायर्नमेंट एवं इंजीनियरिंग आर्गेनाइजेशन) के आंकडे देखें तो चौंकाने वाले पाए गए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आजादी के 65 वर्षों के बाद भी फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, टी डी एस तथा खारा पानी पीने को मिल रहा है जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में प्रदत्त अधिकारों का खुला उल्लंघन है जिसमें राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह आम जन को शुद्ध जल एवं हवा उपलब्ध करायेगी।

यदि हम पानी उपलब्धता का गहनता से विचार करते हैं तो 2004-05 में 530 एम क्यू एम अर्थात् 49 टी एम सी, 2008-09 में 584 एम क्यू एम अर्थात् 21 टी एम सी, 2012-13 में 360 एम क्यू एम अर्थात् 12.60 टी एम सी पानी अधिशेष होने पर गेट खोलकर व्यर्थ में नदी-नालों में बहा दिया जाता है। उक्त व्यर्थ बह जाने वाले पानी की उपयोगिता को दृष्टिगत रखकर सरकार अधिशेष पानी को बीसलपुर में डालने की योजना को शीघ्र क्रियान्वित करें क्योंकि बूंदी जिले तथा विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की ग्राम पंचायतों यथा पेच की बावडी, सतुर, चतरगंज, हिण्डौली, खिणया, थाना, बसोली, मेडी, बडोदिया, बूंदी का गोथड़ा सहित दो दर्जन से अधिक ग्रामों को गर्मी के समय टैंकरों से जलापूर्ति की जाती है जिसमें करोड़ों रुपए सरकार के हर वर्ष व्यय होते हैं। यदि उक्त दीर्घकालीन योजना, डी पी आर तत्काल बनवाई जाकर बीसलपुर बांध में पाइपलाइन द्वारा डाला जाता है तो देवली तहसील सहित क्षेत्र में जहां 12 पी पी एम तक फ्लोराइड-युक्त पानी है, को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है तथा बीसलपुर परियोजना से जयपुर को 2021 तक 11.2 टी एम सी तथा अजमेर को पांच टी एम सी पानी का आरक्षण है, वह लगातार उपलब्ध होता रहेगा व राज्य सरकार द्वारा बजट 2013-14 में घोषित नवीन क्षेत्र यथा ब्यावर एवं नागौर, आदि को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सम्भव हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष: मेज कौनसी है जिसका पानी जयपुर आ रहा है? मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं लेकिन मेज कौनसी है जिसका पानी जयपुर आ रहा है?

माननीय श्री संतोष कुमारजी सहारण।

सादुलशहर में सी ए डी द्वारा बनाये जा रहे खालों का निर्माण

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के गंग कैनाल क्षेत्र में सी ए डी द्वारा बनाए जा रहे खालों के निर्माण में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले भुगतान व असल में होने वाले खर्चों के सम्बन्ध में निवेदन है।

क्षेत्र में गंग कैनाल एरिया में सी ए डी द्वारा खालों का निर्माण किया जा रहा है, उनकी लागत प्रति हैक्टेयर निर्धारित मूल्य से ज्यादा आ रही है। इस बढ़े हुए खर्चे को मीट-आउट करने के लिए लागत कीमत को फौरी तौर पर बढ़ाया जावे। जब तक लागत कीमत केन्द्र से नहीं बढ़ती है, तब तक राजस्थान सरकार उस पैसे का इंतजाम करे जिससे किसानों ने जो लम्बे समय से अपना अंशदान जमा कर रखा है, उनको राहत मिल सके व खालों का निर्माण पूरा हो सके।

इसमें मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सी ए डी के खालों को बनाने में किसान का अंशदान 10 प्रतिशत है। उसमें मेरा अनुरोध है कि यह 10 प्रतिशत का अंशदान किसान से नकद ना लेकर, समय निर्धारित कर आबियाने के साथ जोड़ कर वसूल किया जावे। इसके साथ-साथ में सी ए डी मंत्रीजी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भाखड़ा क्षेत्र में भी गंग कैनाल की तर्ज पर सी ए डी पक्के खालों का निर्माण करे।

वैसे, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसका निराकरण कर दिया, उसके लिए इनका आभार। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: लिखा है, जो ही पढ़ सकते हैं ना।

माननीय श्री सुखाराम जी नेतड़िया

मेड़ता में 80 प्रतिशत खराबे का फसल बीमा का अदेय क्लेम

श्री सुखाराम नेतड़िया (मेड़ता): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत उठाये जाने वाले लोक महत्व के विशेष उल्लेख बाबत मेरा निवेदन है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में वर्ष 2012 में खरीफ फसल हेतु किसानों का फसल बीमा किया गया था एवं बीमा क्लेम तैयार करने हेतु क्षेत्र में दो जगह, दो ग्रामों, चावण्डिया कलां और रिंया श्यामदास में मौसम यंत्र लगाये गये। मेड़ता क्षेत्र एवं लगभग पूरे जिले में 31 जुलाई, 2012 तक बिलकुल

(श्री सुखाराम नेतड़िया)

ही वर्षा नहीं हुई, उसके बाद वर्षा हुई, परन्तु कोई भी फसल उत्पादन नहीं हुआ। राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी में 80 प्रतिशत से अधिक खराबा दर्ज किया गया एवं अन्य एजेंसी ने भी उत्पादन शून्य माना परन्तु बीमा कम्पनी द्वारा ना जाने कौनसे मापदण्ड के आधार पर बीमा क्लेम मात्र 213 रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से दिया, जो ऊंट के मुंह में जीरा मात्र है। 31 जुलाई 2012 तक 25 मिमी. से कम वर्षा होने पर 1000 रुपये प्रति हैक्टेयर का बीमा क्लेम दिया जाना चाहिए था परन्तु बीमा कम्पनी ने ना जाने किसे आधार मानकर मात्र 213 रुपये प्रति हैक्टेयर का क्लेम देकर गरीब किसान के साथ खिलवाड़ किया है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में किसानों को किसान क्रेडिट योजना के तहत फसलों का बीमा करवाया गया और उन्हें ऋण भी दिया गया लेकिन बारिश में देरी होने तथा फसल बुवाई का समय निकल जाने के कारण किसानों का फसल उत्पादन में भारी नुकसान हुआ है। अत: फसल उत्पादन न होने के कारण किसान उस ऋण को चुकाने में भी असमर्थ हो गए हैं तथा उस पर ब्याज तो कैसे दे पायेंगे?

अत: मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि किसानों के हितों के लिए ऋण नहीं, तो कम से कम ब्याज माफ करवाने का आदेश करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रमेश चन्द जी मीणा।

राज्य के उचित मूल्य विक्रताओं को पर्याप्त मानदेय/कमीशन

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया 295 के तहत राजस्थान में उचित मूल्य विक्रेताओं को पर्याप्त मानदेय/कमीशन देने हेतु मेरा निवेदन है।

उपरोक्त विषय में उल्लेख है कि सम्पूर्ण राजस्थान में 30 हजार से अधिक उचित मूल्य विक्रेता है। राशन की दुकान हेतु गोदाम के लिए जगह की व्यवस्था उनको स्वयं करनी होती है। इस व्यवस्था के लिए प्रत्येक राशन विक्रेता को कम से कम 4,000 रुपये प्रति माह गोदाम का किराया देना होता है। इसके साथ-साथ में, राशन वितरण के समय एक सहायक रखना होता है जिसकी प्रतिदिन मजदूरी 200 से 300 रुपये होती है। सरकार द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार 8 दिन राशन वितरण की मजदूरी 1,600 से 2,400 रुपये

(श्री रमेश चन्द मीणा)

होती है। इसके साथ-साथ, चीनी को थोक सहकारी समिति से खुदरा उचित मूल्य विक्रेता के स्थान तक पहुंचाने का किराया लगभग 100 रुपये प्रति क्विण्टल वहन करना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्येक खुदरा उचित मूल्य विक्रेता को कम से कम 7,000 रुपये खर्च वहन करना होता है। इन परिस्थितियों में राजस्थान में उचित मूल्य विक्रेताओं को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, ईमानदारी से काम करने में अत्यन्त कठिनाई हो रही है। अत: इन समस्याओं के समाधान हेतु गम्भीर एवं सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे कि राशन विक्रेताओं के साथ न्याय हो।

इसके साथ-साथ यह भी ध्यान में आता है कि छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में उचित मूल्य राशन विक्रेताओं को 8,000 रुपये से अधिक प्रति माह मानदेय/कमीशन दिया जाता है।

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण हेतु चलाई जा रहीं विभिन्न योजनाओं के सही एवं प्रभावी अमल हेतु उचित मूल्य राशन विक्रेताओं को पर्याप्त मात्रा में मानदेय देना आवश्यक है। इनके द्वारा दिये गये समय एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 20 हजार रुपये प्रति माह का मानदेय मंजूर किया जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रतापसिंह जी खाचरियावास।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री छोटू सिंह जी भाटी।

जैसलमेर में बारानी भूमि का आबंटन व नियमन

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

सरकार द्वारा समय-समय पर यह घोषणा की जाती है कि किसानों के हित के लिए सरकार कृषि भूमि के नियमन के लिए कृत संकल्प है। प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान हो अथवा अन्य कार्यक्रम, इसकी घोषणा बार-बार की जाती है। मान्यवर, राजस्व मंत्री हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले में पांच साल में नियमन के कितने प्रकरण हुए? आंकड़े बता दें। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।

मैं मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि कृपा करके राजस्व विभाग द्वारा अभियानों के लिए प्रकाशित किताब में से बार-बार लिखे गये 'नियमन' शब्द को हटा दो क्योंकि यह केवल सरकार के असत्य दावे हैं। खुलकर क्यों नहीं

(श्री छोटू सिंह भाटी)

कहते कि हम आबंटन और नियमन करना नहीं चाहते? क्योंकि सरकार जैसलमेर जिले की जमीन को केवल कंपनियों को बेचना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मोहनलाल जी गुप्ता, आप या तो विराजिए सीट पर; पहली बात तो वहां बैठिये, खड़े-खड़े बात नहीं करते।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): सरकार के लिए पैसा पहले है, किसान और मजदूर बाद में। एक तरफ सरकार यह बार-बार दोहराती है कि यह किसानों की सरकार है, दूसरी तरफ किसानों को असत्य वादों से बरगला रही है। पूरे राजस्थान में जैसलमेर जिले को छोड़कर कुछ भी हुआ हो, लेकिन जैसलमेर जिले के बारानी गांव के एक भी व्यक्ति को सरकार कृषि भूमि आबंटन और नियमन नहीं देने के लिए दृढ़ संकल्प किये हुए है। इस सरकार के आते ही जिले में बारानी भूमि आबंटन पर रोक लगाकर बारानी भूमि के लिए लिये हुए आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया। जिले की जनता को 1975 के बाद आज तक बारानी भूमि का आबंटन नहीं किया गया है।

महोदय, मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि जिले में बारानी भूमि आबंटन पर रोक हटाकर बारानी भूमि का आबंटन व नियमन की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नवलकिशोर मीणा (बामनवास) ।

बामनवास में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

श्री नवल किशोर (बामनवास): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग पिछले काफी वर्षों से की जा रही है। बामनवास उपखण्ड सवाई माधोपुर जिले का सबसे पिछड़ा उप खण्ड है, जिसमें 130 राजस्व गांव शामिल हैं। यहां के बालक/बालिकाएं पढ़ाई में होनहार हैं। इस क्षेत्र के लोग अत्यधिक गरीब एवं पिछड़े होते हुए भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में प्रयासरत रहते हैं। सम्पन्न लोग तो अपने बच्चों को किसी भी तरह दूर भेजकर उच्च शिक्षा दिला देते हैं लेकिन गरीब किसान गरीबी के कारण अपने बालकों को उच्च शिक्षा हेतु दूरदराज के कालेजों में नहीं भेज पाते। ऐसे बालक/बालिकाओं की संख्या यहां बहुत ज्यादा है जो माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और उनका भविष्य खराब हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी बालिकाओं को हो रही है,

(श्री नवल किशोर)

उनके उच्च शिक्षा प्राप्त करने के सपने पूरे नहीं हो पाते एवं अवयस्क अवस्था में ही शादी के लिए मजबूर होना पड़ता है।

मेरा जिला सवाई माधोपुर व विधान सभा क्षेत्र बामनवास पिछड़े क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं। भारत सरकार पिछड़ों के उत्थान के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है; गरीब, पिछड़ों व बी.पी.एल. के उत्थान के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी भी अति संवेदनशील हैं; अत: कालेज खुलेगा, इसके लिए हमारी जनता आश्वस्त है।

मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में एक राजकीय महाविद्यालय खोला जावे ताकि मेरे क्षेत्र के बालक-बालिकाएं भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें एवं अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री प्रेमचन्दजी नागर (पीपल्दा) ।

पीपल्दा के किसानों की समस्या के मद्देनजर लिफ्ट परियोजना स्वीकृत किया जाना

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में ग्राम नौनेरा, पंचायत समिति इटावा एवं ख्यावदा, बगावदा, पंचायत समिति सुल्तानपुर में लिफ्ट परियोजना स्वीकृति के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ होने के पश्चात् भी क्षेत्र के करीब 40-50 गांव ऐसे हैं जिनको पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध नहीं है। महोदय, मैंने कई बार माननीय मंत्री महोदय एवं विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क किया, विभाग द्वारा सर्वे करवाया गया जिसमें लिखा गया है कि ''There is a deep pool in Chambal river near village Chambal Deepri. As per a preliminary survey, sufficient water remains available in this pool throughout the year. So the required water from the pool will be available as per demand.'' महोदय, एक तरफ तो जल संसाधन विभाग हमें बता रहा है कि पानी की उपलब्धता नहीं है, दूसरी तरफ इसी विभाग की सर्वे रिपोर्ट इस बात को दर्शाती है कि अथाह पानी है।

अत:, महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे क्षेत्र के 40-50

(श्री प्रेमचन्द नागर)

गांवों के किसानों की समस्या को मध्यनजर रखते हुए लिफ्ट परियोजना स्वीकृत कराने का श्रम करें ताकि मेरे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री बनवारीलाल सिंघल, (अलवर शहर)।

(अनुपस्थित)।

माननीय श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़)।

धानका समाज को जारी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र पर अघोषित रोक

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत लेख है कि संवैधानिक प्रक्रिया संविधान आदेश (अनुसूचित जनजाति) संशोधित राजपत्र संख्या बीसी/12016/34, दिनांक 05 सितम्बर, 1976, क्रमांक 4 पर धानका जाति को पूरे राजस्थान में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया, जो राजस्थान में 27 जुलाई, 1977 से प्रभावित हुआ। तभी से धानका जाति के प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के बनते आ रहे हैं। परन्तु 13 जुलाई, 2010 को भारत सरकार, जनजाति मंत्रालय से किसी साजिश के तहत एक असंवैधानिक व तथ्यहीन पत्र आया, जिसके बिना परीक्षण किये ही पूरे राजस्थान में धानका जाति के एस.टी. प्रमाण पत्र बनाने पर अघोषित रोक लगा दी, जिससे लाखों व्यक्तियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। साथ ही, असंवैधानिक कार्यवाही कर संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि धानका जनजाति को उपरोक्त तिथि से मिल रहे आरक्षण को, जो कि पार्लियामेंटरी प्रक्रिया से गुजर कर महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद राजपत्र बनता है, क्या कोई भी अधिकारी इतना सक्षम है जो बिना संवैधानिक प्रक्रिया अपनाये तथ्यहीन पत्र लिखकर परिवर्तन कर सकता है?

मेरा इस प्रस्ताव के माध्यम से राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि 13 जुलाई, 2010 के भारत सरकार, जनजाति मंत्रालय से आये गैर-संवैधानिक पत्र का परीक्षण करवाकर शीघ्रातिशीघ्र धानका समाज को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करवाकर न्याय दिलावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची। श्री अब्दुल सगीर खां।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

चम्बल सैंड पर प्रतिबंध

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिले के अन्दर और विशेष रूप से धौलपुर शहर में विधान सभा क्षेत्र से चम्बल नदी निकलती है। चम्बल नदी के रेता को 2002-03 में प्रतिबंधित किया गया, वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन के लिये अधिनियम के अन्तर्गत इसे प्रतिबंधित किया गया। 2005 में पीटिशन आई, 2007 के अन्दर भी पीटिशंस डिविजन बेंच में आईं।

उपाध्यक्ष महोदय, रेता धौलपुर के विकास के लिये बहुत अनिवार्य है। कितनी ही बार प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और हमने कहा है कि जब आप जयपुर के लिये, जब कोई बनास नदी की बात आती है, वहां रेता का स्टे लगता है, मुख्य मंत्रीजी खुद दिलचस्पी लेकर उसको वैकेट करवाते हैं। लेकिन धौलपुर के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, जहां से चम्बल नदी निकल रही है, वहां से रेता अवैध रूप से खनन हो रहा है। किस तरह से हो रहा है, मध्य प्रदेश, ब्रिज के बाद में मध्य प्रदेश लगता है, वहां से परमिट लेकर, वही चम्बल का रेता धौलपुर के अन्दर महंगा बेचा जा रहा है। प्रतिबंध केवल कागजों में है। अब मध्य प्रदेश के माध्यम से वही रेता धौलपुर में अवैध रूप से आता है। महोदय, उसी के बारे में कई बार यहां पर हमने बात उठाई। एक बार तो महेन्द्र सिंह, वहां का कांस्टेबल, इसी रेता के चक्कर में, यह जो यह माफिया हैं रेताओं के, उन्होंने इसको जान से मार दिया, पुलिस के कांस्टेबल को।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जब से इस पर प्रतिबंध लगा है, कितने ही लोग, कई समाज, खास तौर से, विशेष रूप से, गरीब समाज, गुर्जर समाज, इस कार्य को करते थे, अब वे बेरोजगार हो गये; बेकारी हो गयी; लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा; विकास कार्य ठप पड़े हैं। अब किसी तरह की कोई फैक्टरी बननी है, किसी तरह के मकान बनने हैं तो हम लोग अभी निर्भर हैं कि बाहर से जो रेता ब्लैक में आता है, उसको खरीदकर हम लोगों को अपने मकान बनाने पड़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई बार सर्वे किया है और कई ऐसे स्थान हैं जहां पर घड़ियाल नहीं हैं और यह राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि राजाखेड़ा क्षेत्र के अन्दर भी 1-2 पाइण्ट इस तरह के हैं जहां पर प्रजनन नहीं होता है, जहां पर घडियाल अण्डे नहीं देते हैं और उससे

(श्री अब्दुल सगीर खां)

किसी भी प्रकार से उनके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यह राज्य सरकार सोई हुई है। राज्य सरकार को ऐसे विधान सभा क्षेत्रों की चिंता नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं। अगर वे बात उठाते हैं तो उस बात को सुनने की माननीय मुख्य मंत्रीजी जहमत नहीं करते। मैं आपको कहना चाहता हूं और यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिए, मेरी यह भावना इस पंक्ति में है कि-

'इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा,

यह हाल है, तो कौन अदालत में जाएगा?'

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): हम आपकी अदालत में हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी इसका सर्वे कराएं और पता लगाएं कि वे कौन से क्षेत्र हैं जहां से रेता ली जा सकती है। क्या दुश्मनी है गुर्जर समाज से और वहां के गरीब समाज से जिनको बेरोजगार कर दिया गया? जो आज क्राइम बढ़ रहे हैं, वहां पर इस तरह से जो क्राइम बढ़ रहे हैं उसका कारण यही है कि वहां गरीबी है, गुरबत है, बेरोजगारी है और जो रोजगार था उस रोजगार को भी छीन लिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मुख्य मंत्रीजी इसका सर्वे कराएं और धौलपुर के अन्दर लोगों को रोजगार मिले।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कथन सत्य नहीं है कि हम जान-बूझकर बी.जे.पी. के जहां से विधायक हैं, वहां पर इस तरह की बात करते हैं। 2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्देश पारित किया गया, जिसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने स्पष्ट अंकित किया है कि- ''No mining operation shall be allowed within hundred meters of the chambal river bank.'' 1983 की जिस अधिसूचना की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं और बार-बार यह कह रहे हैं कि एम.पी. से अवैध बजरी का निर्गम राजस्थान में हो रहा है, मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी देना चाहूंगा कि पार्वती नदी जो वहां पर धौलपुर में बहती है, हमने माइनिंग, बजरी का उनको ठेका दे रखा है और निश्चित रूप से,

(श्री राजेन्द्र पारीक)

क्योंकि जो उद्देश्य है, खास तौर से हाई कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर और अधिसूचना की वजह से, उसमें भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन महीने की छूट हम बराबर देते हैं। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): नहीं मिल रही है; मंत्रीजी, नहीं मिल रही है। सरासर असत्य है। सरासर असत्य है।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने जवाब दिया है...(व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): एक भी दिन नहीं खोला जाता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सगीर खां साहब, आप जवाब आने दें; बात आपके हित में है, आप जवाब आने दें।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मैं मंत्रीजी को याद दिला रहा हूं, मंत्रीजी को याद दिला रहा हूं कि मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने माना है कि ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का अंकित हो। आप जवाब आने दीजिए। हर बात के बीच-बीच में डिस्कस नहीं करें। उसके बाद कोई बात हो तो कहें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अक्टूबर से दिसम्बर माह तक इन तीन महीनों में जिस टाइम प्रजनन कार्य नहीं होता है और जहां पर नदी का बहाव कम होता है, वहां पर हम विभाग के द्वारा माइनिंग अलाऊ करते हैं। लेकिन अधिसूचना और माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश है, उसके पीछे मकसद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही है कि वहां पर जो क्रॉकोडाइल का प्रजनन होता है, वह प्रजनन खराब नहीं हो; यही एक मात्र उद्देश्य है।

मुसीबत यह है कि जब भी हम कोई रिप्लाई देना चाहते हैं तो रिप्लाई सुनने के बजाए जोर-जोर से बोलकर केवल यह साबित करना चाहते हैं कि हम उनकी कही हुई बात पर तवज्जोह नहीं देते या जवाब नहीं देते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप पूरी बात तो सुन लीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि यही परम्परा है कि मंत्री कोई जवाब देने खड़ा हो और इस तरह से आवाज करके नहीं सुनना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जो व्यवस्था खराब हो रही है, उनका कहना यही है, वह ठीक हो जाएगी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): वैसे पर्ची पर जवाब देना कोई बहुत जरूरी नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष: यह आपने ही दिया है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य की शंकाएं जो हैं, माननीय सदस्य वहां से जन-प्रतिनिधि हैं, मैं भी जन-प्रतिनिधि हूं, जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां की कोई चिंता होती है, उनकी भी चिंता है वह वाजिब है लेकिन कोई ऐसी प्राब्लम है और उनको कोई ऐसा लगता है तो मैं उनके साथ बैठकर बात करने को तैयार हूं। लेकिन मैंने आपसे जो स्पष्ट निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश और अधिसूचना का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वहां पर जो क्राकोडाइल का प्रजनन हो रहा है, वह बाधित नहीं हो। इसके बावजूद भी पार्वती नदी वहां पर है। और कोई प्राब्लम उनको है तो वे व्यक्तिशः मिलकर अपनी बात को बता सकते हैं। मैं उनकी भावनाओं के अनुरूप ही, वे जन प्रतिनिधि हैं, उनकी भावनाओं का आदर करता हूं...

श्री उपाध्यक्ष: इनको और अधिकारियों को बैठाकर कोई सोल्यूशन निकालिए, बार-बार यह मामला आता है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): कोई दिक्कत नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: सारा देख लीजिए आप। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को सीधा सा सुझाव आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि आपने परमिशन दे दी और परमिशन के बाद वह फोरेस्ट में अटकी हुई है, तो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सगीर खां साहब, विराजिए।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): तीन महीने कभी भी नहीं खुलती, न

(श्री अब्दुल सगीर खां)

अक्टूबर में, न नवम्बर में और न दिसम्बर में। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): आज हम कोई बात कहते हैं तो आप नाराजगी की बात कहते हो। हम भी अपनी बात कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह मंत्रीजी ने कह दिया कि बैठकर और अधिकारियों को बुलाकर बात करेंगे। (व्यवधान) आप सुनिए। माननीय मंत्रीजी, अधिकारियों के साथ बैठकर कोई सोल्यूशन निकलता है तो निकालिये। (व्यवधान) जन हित में जो भी निकलता है वह करने को तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अभिषेक जी मटोरिया।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं। आप कहिए, आप कहो तो सही। (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट हमको भी दी जाए। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहले नाम है।

श्री उपाध्यक्ष: हां, माननीय पेमाराम जी।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बात को तो सुन ही नहीं रहे। एक मिनट।

श्री पेमाराम (धोद): नहीं, आप तो सरकार में बैठे हो; हमारी सुनो, आप तो बैठिए।

श्री उपाध्यक्ष: केवल पेमारामजी। आप बोलिए। केवल पेमारामजी (धोद)।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। वे

(श्री उपाध्यक्ष)

सरकार के मंत्री हैं, उनको पूछना ही नहीं चाहिए। (व्यवधान) आपस में डिस्कसन नहीं करना चाहिए। बैठिए आप। (व्यवधान) क्वेश्चन नहीं करना चाहिए।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): यह आपके मेम्बर को कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: त्रुटि हो जाती है उनसे। त्रुटि किसी से भी हो सकती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): आपके कहने से थोड़े ही खोलेंगे? जो जिले की चिंता की बात है, उस हिसाब से करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने ध्यान रखा है, आप चिंता मत करो, आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कृपया सुनिए।

विभिन्न प्रकार के अग्निकांडों में मुआवजा राशि का प्रावधान

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में एक ऐसा विषय लाना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: फिर वही बात, उत्तेजना वाला नहीं, ध्यान में लाने वाला होना चाहिए; ध्यान में लाने वाला।

श्री पेमाराम (धोद): हां, ध्यान में लाना चाहता हूं। हम ग्रामीण क्षेत्रों से चुनाव जीतकर आते हैं और ग्रामीण इलाकों में अमूमन खेती करने वाले किसान हैं। कई दफा अग्निकांड हो जाता है और उसके कई कारण हैं, जैसे बिजली की लाइन जा रही है, बिजली के तार भिड़ने से; हाई-पावर टेंशन लाइन से; कभी-कभी आंधी-तूफान आता है, कच्चे मकानों में जो आग जलाकर खाना बनाते हैं, उसके उड़ने से; कई कारण हैं, अग्निकांड हो जाता है, वोल्टेज भी कारण है इसमें। कभी-कभी जब फसल की कटाई करते हैं तो ट्रैक्टर और थ्रेशर में जब गंड़ासी लगाते हैं तो उनकी चिंगारी से भी अग्निकांड हो जाता है। अग्निकांड होकर सब कुछ चौपट हो जाता है, उससे भारी नुकसान होता है। हमारे जिले का मुझे उदाहरण के तौर पर कहना है कि पशु-धन भी जल गया,

(श्री पेमाराम)

भेड़-बकरियां भी जल गईं और आज से दो-तीन साल पहले दांतारामगढ़ में इंसान भी बाहर नहीं निकल पाया, एक छोटा बच्चा बाहर नहीं निकल पाया। अभी चार महीने पहले सीकर जिले के हमारे लक्ष्मणगढ़ इलाके में एक वृद्ध आदमी बाहर नहीं निकल पाया, आग ने घेर लिया और वह जिंदा जल गया। इसलिए भारी नुकसान भी होता है। फसल भी जल जाती है और जिनके कच्चे मकान हैं, वे घर भी जल जाते हैं; बिस्तर जल जाते हैं; फसल चौपट हो जाती है; पशु-धन चला जाता है; इंसान भी चला जाता है।

तो उसके सवाल को लेकर मेरा निवेदन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा, यह कोई बहस का विषय नहीं है। हमारे बीच में मंत्रीजी भी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि एक तो अग्निकांड के जो मापदंड हैं वे पुराने हैं। क्योंकि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबकी तो बढ़ जाती है महंगाई के हिसाब से, एम.पी., एम.एल.ए., कर्मचारी, सबका महंगाई लगाकर वेतनमान में बढ़ोतरी होती है पर इनके जो मापदंड हैं, वे पता नहीं, कब बने थे, आज भी वे मापदंड ज्यों के त्यों ही हैं। मेरा इसमें निवेदन है कि सरकार उन मापदंडों को बदलने के लिए जो भी कार्यवाही हो, वह कार्यवाही करे तो शायद बेहतर रहेगा, शायद ठीक रहेगा।

दूसरा मेरा इसमें एक सुझाव और है कि राजस्थान में ऐसा कोई फंड बने, क्योंकि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि राज्य सरकार का फण्ड नहीं होगा तो भैंस, ऊंट, इंसान, वे जलने के बाद भी राज्य सरकार की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिल पाती है।

एक और सुझाव है ... (व्यवधान)

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: आपकी जानकारी के लिये बता दूं, नैचुरल कैलेमिटी के लिये फण्ड होता है। इसलिये आप तो जो बात हो, वह कहो और अपना सजेशन दो।

श्री पेमाराम (धोद): इसके अलावा, एक सुझाव और है कि एम पी और एम एल ए भी उनके घर में जाते हैं, लेकिन वे कुछ दे नहीं पाते हैं। जैसे उसका कच्चा मकान है, उसमें सब कुछ जल गया, बिस्तर जल गया, पशुधन जल गया, वहां गांव भी इकट्ठा होता है, एम.एल.ए., एम.पी. भी जाता है तो गांव के लोग भी कहते हैं कि कोई इमदाद करो। ऐसा जो अग्नि पीड़ित है,

(श्री पेमाराम)

जिसका कच्चा घर भी जल गया, या तो सरकार व्यवस्था करे, उसके दो पक्के मकान बनाने के लिये, या एक पक्का मकान बनाने के लिये कोई अनुदान स्वीकार करे, या फिर एम एल ए, एम पी के कोटे पर जो राइडर लगा हुआ है, जो पाबन्दी लगा रखी है, सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके यदि ऐसा कोई अग्निकांड होता है, तो तहसीलदार की या कलक्टर की रिपोर्ट करवाकर एम.पी., एम.एल.ए. कोटा भी उसमें अलाउ करे तो मैं समझता हूं कि यह शानदार होगा। मेरा निवेदन है, पंचायत राज मंत्रीजी बैठे हैं, एम.पी., एम.एल.ए. कोटे के बारे में तो ये विचार करेंगे; नहीं करेंगे तो मत करो, यह समस्या कोई मेरी नहीं, पूरे राजस्थान की समस्या है। पूरे राजस्थान के इलाकों में वाकई में यह है। अग्निकांड हो जाता है, उसमें भारी नुकसान भी हो जाता है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: डा. साहब, क्यों? क्या बात है? यह तो इनका मामला है। (व्यवधान) आप समर्थन करते हो इसका?

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): इसका समर्थन ही हो सकता है। सरकार व्यवस्था करे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री अभिषेक मटोरिया।

मंदिर माफी भूमि (डोली भूमि) की जमाबंदी में पुजारियों के नाम की बहाली

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो वर्तमान में अराजकीय मंदिर हैं, उनकी सेवा-अर्चना-पूजा सैकड़ों वर्षों से विभिन्न जातियों द्वारा की जाती रही है और यह कोई एक जाति, सम्प्रदाय की बात नहीं। यथा स्वामी, संत, बैरागी, वैष्णव, रांकावत, धन्नवासी, गुसांई, गोस्वामी, नाथबाबा, सेवक, श्रीमाली, पाराशर, पुरोहित, ब्राह्मण, राजपूत, कुल मिलाकर सम्पूर्ण राजस्थान में ऐसे परिवारों की संख्या 10 लाख है। ये सारे के सारे कोई व्यापारी या अधिकारी ना होकर, राजस्थान के कृषक वर्ग से, अपने बुजुर्गों की कृषि भूमि से ही भरण-पोषण करते आ रहे हैं और स्टेट टाइम से ही इनका भू-राजस्व माफ था और इनका नाम भी रिकार्ड में अंकित था। इसके बाद जब तक ये लोग सेवा करते रहे और इनका नाम

(श्री अभिषेक मटोरिया)

रिकार्ड में रहा, जागीर रिजम्प्शन एक्ट, 1952 की धारा 9 के तहत इनको यह अधिकार प्रदत्त है संविधान में कि ये उस जमीन के हकदार होकर, उस जमीन की देखरेख और सारी जिम्मेवारी इनके अधीन थी। उसके बाद वर्ष 1991 में किसी व्यक्ति की शिकायत पर उस समय की सरकार को यह प्रतीत हुआ कि शायद कुछ लोग इन माफी-भूमियों का, हम इन्हें डोली भूमि के नाम से भी जानते हैं, शायद बेचान ना कर दें, अत: राज्य सरकार ने 31.12.1991 को एक परिपत्र जारी कर सम्पूर्ण राजस्थान के पुजारियों का नाम जमाबन्दी से हटा दिया। विरोध स्वरूप कई धरने-प्रदर्शन भी हुए परन्तु वह आदेश तब तक जारी हो चुका था। जबकि न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का राजस्व अधिनियम के तहत अगर आप रिकार्ड से नाम हटवाना चाहते हो तो उसको सुनवाई का अधिकार दिया जाता है। सुनवाई के पश्चात् नाम हटवाना या नहीं हटवाना, यह तहसीलदार या सरकार का कार्य है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुजारियों के लिये ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप क्या चाहते हो, वह सजेस्ट कर दो। यह तो पर्ची है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी तो एक लाइन ही बोली है। पर्ची पर दो मिनट का भी समय नहीं मिलेगा? दो मिनट भी नहीं हुए।

श्री उपाध्यक्ष: आपका पता नहीं है, टाइम देखिये, दस मिनट हो गये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): दस मिनट हो गये!

आपकी आज्ञानुसार, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा, गत तीन वर्षों से सम्पूर्ण पुजारी परिवार 17.12.2010 और उसके बाद मई, 2012 को राजस्थान के 27 जिलों और 185 तहसीलों पर लगातार धरने-प्रदर्शन करते आ रहे हैं और अपनी मांगों के लिये मुख्य मंत्री के समक्ष भी प्रस्तुत हुए; प्रमुख शासन सचिव और देवस्थान विभाग के यहां भी गुहार लगाई परन्तु सुनवाई न होने पर अब उद्योग मैदान पर 5-3-2013 से ये सारे के सारे पांच हजार की संख्या में प्रतिदिन धरना दे रहे हैं।

अत:, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन लोगों की वंशानुगत भूमि और इनके खातेदारी अधिकार राज्य सरकार इनको जल्दी से जल्दी दिलवाये और इस बाबत निर्णय करे। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राधेश्याम गंगानगर। (व्यवधान) केवल राधेश्याम गंगानगर। यह बहस का मामला नहीं है। राधेश्याम गंगानगर केवल। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: राधेश्याम जी, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल राधेश्याम जी गंगानगर। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। बाबूसिंह जी, उनको विराजने के लिये कहूं क्या? वे कुछ बोल रहे हैं, उनकी सद्‌भावना है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यह मैटर सब-जुडिस है। हाई कोर्ट में यह मैटर पेंडिंग है; वहां रिट लगी हुई है। इसलिये जब तक उसका निस्तारण नहीं होगा, मैटर सब-जुडिस है सरकार के पास में।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हनुमान जी, आपकी पर्ची है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये तो सही। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल हनुमान जी का ...(व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): ×××

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल हनुमान बेनीवाल। (व्यवधान) आप सदन को हाईजैक करना चाहते हो। आप विराजिये। हनुमान बेनीवाल। उस व्यक्ति को आप बोलने नहीं देना चाहते हो? क्या बात करते हो? हर पाइंट पर आप गवर्नमेंट को आदेश देना चाहते हो। गवर्नमेंट में मंत्रीजी की यह सहृदयता है कि बिना आसन के कहे, बिना आपके कहे इन्होंने जवाब देना चाहा। यह हर पाइंट पर नहीं होता है, फिर भी उन्होंने जवाब दिया। आप एक-एक क्वेश्चन पूछें, सारे पूछेंगे। सदन को हाइजैक करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, वह आसन को भी नहीं है।

माननीय हनुमान बेनीवाल।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: 1991 में कौनसी सरकार थी? कोई एग्जामिन करेंगे? आप सुनिये, आप बैठिये। अपनी पार्टी के प्रति भावना रखिये। हनुमान बेनीवाल। आप पाइंट को समझिये। दस बात दूसरे करेंगे अभी। सदन में शांतिपूर्ण वातावरण रहना चाहिये। बोलिये, हनुमान जी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, नोहर से आने वाले माननीय विधायक ने जो पर्ची के माध्यम से प्रदेश के पुजारियों की और उन काश्तकारों की, जिनको खातेदारी राइट्स राजस्थान सरकार ने दे दिये थे, यह राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 193 के तहत हजारों परिवारों पर संकट आ गया है, क्योंकि राजस्थान के अन्दर ज्यादातर भू-भाग पर अकाल पड़ता है और सारी जमीनें सिंचित भी नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये, हनुमान जी, मंत्रीजी ने सदन को और आपको जो बताया है, उसमें कोई विशेष बात हो तो पूछ लो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अलग से ही तो बता रहा हूं। 15 जून, 1965 का राजस्व विभाग का आदेश, जिसमें वंशानुगत पुजारी, मौलवी, खाती और अन्य को यह खातेदारी राइट दिये और 1981 के अन्दर रेवेन्यू (ग्रुप-4) के द्वारा गैर-खातेदारी पुजारियों को खातेदारी राइट्स दिये और 13.12.1991 का जो

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सर्कुलर था, उसके तहत राजस्थान सरकार ने इनके खातेदारी राइट्स खत्म कर दिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज न तो ये सरकारी योजनाओं का लाभ अपनी जमीन पर ले सकते हैं और इनको जमीन का हक भी जो भूमाफिया, गांवों के बड़े-बड़े लोग हैं, वे इनकी जमीन भी जबरदस्ती जोत लेते हैं। इनको खातेदारी राइट्स के मामले में मंत्रीजी ने बताया कि मामला सब-जुडिस है, लेकिन अभी पिछले साल ही दूदू के अन्दर सरकार के एक मंत्री ने पुजारी सम्मेलन में कहा था कि खातेदारी राइट्स दिये जायेंगे।

आज 10 दिन से ये लोग अपना सारा काम-काज छोड़कर बैठे हैं। आपको पता हो, उपाध्यक्ष महोदय, एक दिन के धरने के अन्दर कितना खर्चा लगता है? यहां टैंट की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, खाने की कैसे व्यवस्था कर रहे हैं। हजारों बाबा लोग हैं। जब कल आपने उनकी गौ-पालकों की बात सुनी, उनकी मीटिंग की...

श्री उपाध्यक्ष: वह बात नहीं, केवल यहां तक ही। मंत्रीजी ने जो बताया ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह आज दसवां दिन हो गया और सरकार इस ओर बिलकुल ही ध्यान नहीं दे रही है। अब मुझे लग रहा है कि सरकार फिर वकीलों और सरपंचों की तरह इनको भी आशीर्वाद देना चाहती है। वह भी बता दो, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिए आप। माननीय श्री राधेश्याम जी गंगानगर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): या लाठी मार कर फिर सुनेगी। आप मंत्रीजी से कहलवायें, उपाध्यक्ष महोदय। यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है तो सरकार हाई कोर्ट के अन्दर अपना क्या पक्ष रख रही है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हाई कोर्ट का मामला यहां नहीं रखा जा सकता।

श्री राधेश्याम जी गंगानगर। अन्य किसी का अंकित नहीं होगा।

श्रीगंगानगर के बाइपास का जीर्णोद्धार

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर का बाइपास जो 18 वर्ष पहले बना था, वह जर्जर हो गया और रोजाना वहां

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसान मर रहे हैं और मजदूर मर रहे हैं। यह मामला कई बार उठ चुका है। पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के बार्डर पर है, आर्मी बिग्रेड के तीन-तीन हैड-क्वार्टर हैं, वहां बड़ा भारी ट्रैफिक रहता है। वह बाइपास खराब होने के कारण सारा ट्रैफिक शहर से होकर जाता है, शहर में ओवरब्रिज नहीं है, ओवरब्रिज की दो बार बजट में घोषणा हो चुकी लेकिन उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा गम्भीर इश्यू है। पूरे 28 साल के अन्दर बाइपास जो पंजाब, हरियाणा, बीकानेर, जयपुर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ को आपस में, करणपुर और पदमपुर को, मिलाता है, वह जर्जर हालत में है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): कृपया आपके माध्यम से मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। आप सरकार से जवाब दिलाओ। मैंने कई बार यह मामला उठाया है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय तो अभी यहां हैं नहीं, तो कम से कम दूसरा कोई और मंत्री खड़ा होकर यह कह दे कि हम इसको शीघ्र बनायेंगे और जल्दी ही इसका सुधार कर देंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़। थोड़ा संभल के, आपकी भाषा और उत्तेजना से आसन को भी डर लगता है।

सूचना

आल राजस्थान राशन डीलर एसोसिएशन का प्रदर्शन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज आल राजस्थान डीलर एसोसिएशन के तत्वावधान में राजस्थान के 25 हजार डीलरों के प्रतिनिधि हजारों की संख्या में यहां प्रदर्शन करने आ रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें वर्तमान में तीन रुपये और साढ़े तीन रुपये जो कमीशन दिया जाता है, उसमें सहायकों का वेतन और दुकान का किराया, सारा मिलाकर उनकी जो पूरी अर्थव्यवस्था है, वह पूरी नहीं बैठती है, क्योंकि कई प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं। इसके साथ-साथ उनका यह भी आरोप है कि पूरे विभाग में इंस्पेक्टर राज है, नीचे से लेकर ऊपर तक रिश्वत देने के लिए मजबूर हैं।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, इनको खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निगम का कर्मचारी घोषित करने की उनकी मांग है। वे यह भी चाहते हैं कि उनको छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मानदेय दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: सरकार के ध्यान में आ गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आज वे इतनी बड़ी संख्या में आये हैं, कल वे हड़ताल पर जाएंगे। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनको बुलाकर वार्ता करें, उनकी न्यायसंगत बातों को मानें। विशेष तौर पर उनका यह कहना कि विभाग में चौथ-वसूली है जिससे तंग आकर हम राजस्थान की विधान सभा का दरवाजा खटखटा रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई और हो नहीं सकती। मंत्री महोदय को इस बारे में उनसे बात करनी चाहिए।

मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, मैं जो कह रहा हूं, यह बात गलत है तो आप बता दें।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान विधान सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री सी एल प्रेमी, सदस्य, विधान सभा, श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल, जिला बूंदी के पुन: संचालन के सम्बन्ध में सहकारिता मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री सी एल प्रेमी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बूंदी की केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल का पुन: संचालन

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 131 के तहत आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 1998 में मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में केशव सहकारी शुगर मिल बन्द हो गयी थी।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री लोगों को आपस में वार्तालाप करके सदन की कार्यवाही में विघ्न नहीं डालना चाहिए।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): इस मिल का संचालन सहकारिता विभाग के द्वारा किया गया है। इस मिल के बन्द होने के बाद कर्मचारियों को चिकित्सा...

श्री उपाध्यक्ष: सी एल प्रेमीजी, आपने ध्यानाकर्षण कर दिया। अब मंत्रीजी बोलेंगे, फिर आप पूछना स्पष्टीकरण के लिए, यदि कोई बात हो तो।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, केशोरायपाटन से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान केशोरायपाटन की मिल की तरफ आकर्षित किया है। मैं तथ्यात्मक रिपोर्ट आपके माध्यम से माननीय सदस्य को देना चाह रहा हूं।

राजस्थान राज्य के सहकारी क्षेत्र में श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल लि., जिला बूंदी की स्थापना 15.11.1965 में हुई थी। इसमें राज्य सरकार तथा अन्य व्यक्तिगत सदस्यों की क्रमश: 655.88 लाख रुपये एवं 127.23 लाख रुपये हिस्सा राशि के रूप में रकम लगी हुई है। केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल पर विभिन्न स्रोतों यथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सहकारी संस्थाओं, सहकारी सुदृढ़ीकरण कोष, आदि का कुल रुपये 1,150.3 लाख ऋण बकाया है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों, पार्टियों के बकाया सहित 31.03.2011 को 56.24 करोड़ रुपये की देनदारियां थीं।

अलाभकारी सार्वजनिक उपकरणों का संचालन बन्द किये जाने के परिप्रेक्ष्य में स्वर्गीय श्री मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में गठित समिति ने अभिशंसा की थी कि इस उपक्रम की वित्तीय स्थिति, प्लान्ट की अनार्थिक स्थापित क्षमता, मिल क्षेत्र में अपर्याप्त मात्रा में गन्ने की उपलब्धता व वित्तीय संस्थाओं से वांछित सहायता प्राप्त होने की संभावना नगण्य होने, इत्यादि कारणों से मिल को चलाया जाना लाभकारी नहीं है। अत: इस मिल को बन्द किया जाकर उसका निस्तारण किया जाना चाहिए।

उक्त अनुशंसा के सम्बन्ध में फरवरी, 1998 में विभाग द्वारा एक मंत्रिमण्डलीय ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जिसमें गन्ने की सिंचाई व्यवस्था में वृद्धि करने, उन्नत किस्म के गन्ने की खेती करने, सड़कों का विकास, आदि करने का सुझाव दिया गया, जिसका मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 56/98 दिनांक 15.04.1998 के द्वारा अनुमोदन किया गया।

दिनांक 01.09.2000 को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक ली गई। केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल को बन्द किया जाकर अवसायन में लाया जाए; इसकी चल-अचल सम्पत्तियों का विक्रय किया जाए। साथ ही यह भी अभिशंसा की गई, उपरोक्त कार्यवाही के साथ-साथ मंत्रिमण्डलीय ज्ञापन तैयार किया गया जिसमें मिल के लाभकारी संचालन नहीं होने के कारण उल्लेखित करते हुए स्पष्ट किया गया कि मिल अपने स्थापन काल से संचित हानि में चल रही है और वर्ष 2000 तक 1,642.4 लाख रुपये तक की हानि हो चुकी है। वर्षवार हानि का विवरण है।

(श्री परसादीलाल)

मिल के उक्त प्रकार से लगातार संचित हानि में रहने के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:-

केशोरायपाटन स्थापित शुगर मिल में चीनी प्लान्ट में आर्थिक दृष्टि से उचित गन्ना पिराई क्षमता कम से कम 25 हजार क्विन्टल प्रतिदिन वांछनीय है। इसकी तुलना में इस मिल की अधिकतम पिराई क्षमता केवल 12,500 क्विन्टल प्रतिदिन होना मिल के घाटे में होने का प्रमुख कारण रहा है। मिल के हानि में रहने का अन्य कारण प्लान्ट की उक्त सीमित क्षमता के लिए उत्तम किस्म का गन्ना जिसमें चीनी की निर्धारित मात्रा उपलब्ध होकर क्षेत्र में पैदा नहीं होना भी रहा है। इसके अलावा, गन्ने की फसल के लिए समुचित एवं सामूहिक सिंचाई की व्यवस्था का अभाव व गन्ना उत्पादन व बुवाई क्षेत्र में आ रही गिरावट भी हानि का एक महत्वपूर्ण कारण है। वित्तीय संसाधनों का अभाव, कार्यशील पूंजी के समय पर उपलब्ध न होना तथा आवश्यकता से अधिक श्रम शक्ति का नियोजन भी घाटे के प्रमुख कारण हैं।

मिल में व्याप्त रुग्णता के उपरोक्त कारणों तथा गम्भीर वित्तीय स्थिति के कारण मिल को बन्द करने का ही विकल्प उपयुक्त माना गया था। केशोरायपाटन शुगर मिल के अलाभकारी संचालन की समस्या के सम्बन्ध में एक कमेटी बनायी गई, उसमें मिल को बन्द करने का निर्णय लिया सरकार ने।

मिल के कर्मचारियों का जो बकाया था, जिसकी माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम को यह जमीन हमने दे दी जो उससे पैसा आया, कर्मचारियों का करीब 56 करोड़ बाकी था, जो सारी देनदारियां थीं वह हमने उनकी दे दीं।

हमने वहां के सांसद और जन-प्रतिनिधियों के कहने पर इसको एक प्राइवेट कम्पनी को भी देने के लिए सर्वे करवाया। सरकार किसी को भी मिल को देने के लिए तैयार है लेकिन सरकार इस मिल को नहीं चलायेगी और न हमारा कोआपरेटिव डिपार्टमेंट इसको चलायेगा। हमने एक सर्वे करवाया था, प्राइवेट सेक्टर में, उन्होंने कहा कि इस मिल का चलाने के लिए 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। सरकार तो इसमें अपने संसाधन लगायेगी नहीं, अगर कोई प्राइवेट पार्टी आयेगी तो सरकार उसका देने के लिए तैयार है। उसमें किसी तरह की सरकार की ओर से कोई मनाही नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय प्रेमी जी।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस मिल की जमीन 458 बीघा ऊर्जा विभाग को दे दी गयी, उसके बाद भी 132 बीघा जमीन इसकी बाकी है और आपने जो 56 करोड़ रुपये दिये, अभी भी उनके खाते में, कोआपरेटिव शुगर मिल के खाते में 20 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं।

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि यह 132 बीघा जमीन पड़ी है और पूरा प्लांट पड़ा हुआ है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्डिंग वहां है, तो मेरा निवेदन है कि क्या आप किसी निजी संस्था से या कोआपरेटिव के माध्यम से इसको पुन: चलाना चाहते हैं या नहीं?

मेरा आपसे निवेदन है कि क्योंकि वह पूरा एरिया है, पहले गन्ना बहुत अच्छा होता था, किसान बहुत मजबूत थे, आज यह स्थिति है कि पानी वहां होने के बावजूद भी यह मिल नहीं चल रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे आप चलायें या सरकार चलाये, इसको चलाने में आपको क्या दिक्कत है? मुझे यह बताएं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी दी, सरकार और सहकारी विभाग इस मिल का संचालन किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। मैंने माननीय सदस्य को जानकारी दी कि इसके संचालन के लिए हमने जो सर्वे कराया, उसमें 100 करोड़ रुपये इसमें लगायें तभी यह मिल चलेगी, सारी मशीनरी चेंज हो। इतना गन्ना उत्पादन वहां नहीं है इलाके में, जितनी गन्ने की पिराई इसके चाहिए उतने गन्ने का उत्पादन इस इलाके में नहीं होता। मिल चार महीने चलती है, चार महीने में भी इसको पूरी क्षमता का गन्ना नहीं मिले, उपाध्यक्ष महोदय, मिल जब घाटे में जायेगी तो चलेगी नहीं।

इसलिए सारा सर्वे हमने कराया है। माननीय सांसद महोदय ने, माननीय विधायक जी ने, हम जन-प्रतिनिधि ने, कई बार इस चीज का किया। हम आपको फिर आश्वस्त करते हैं कि कोई प्राइवेट कम्पनी अगर इसको चलाना चाहे तो हम इसको जिस दिन आप चाहोगे, उस दिन उसको चाबी दे देंगे और नहीं तो 130 बीघा या जो भी जमीन है, हम दे देंगे, वे चलायें। इलाके के किसानों का कोई भला होता है, उसके लिए हमारी तरफ से कोई मना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय प्रेमी जी, और कोई विशेष? प्रेमी जी, साफ है, आपकी भावना की मंत्रीजी कद्र कर रहे हैं; यह कह रहे हैं, अफरमेटिव भाषा बोल रहे हैं ये तो कि नहीं चलायेंगे। अब आप इनको कोई सजेशन हो तो दीजिए।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): मेरा यह निवेदन है कि उसके जो कर्मचारी थे, कुछ तो उनको ग्रामीण विकास में कर दिया गया, कुछ को चिकित्सा में कर दिया; जो बाकी बचे हैं, वे कुछ तो परमानेंट हो गये, ग्रामीण विकास वाले परमानेंट हो गये और बाकी चिकित्सा विभाग में और दूसरे विभागों में हैं उनको आपके द्वारा परमानेंट किया जायेगा या नहीं किया जायेगा? यह बताएं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सारे कर्मचारियों को, चार को छोड़ कर सब को हमने समायोजित कर दिया है। बाकी जिन मजदूरों का पेमेंट था, वह पेमेंट भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने पैसे का, एक-एक पैसे का वहां कर दिया। किसी का कोई पैसा हमारे विभाग की तरफ बाकी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: और फिर कोई होगा तो आप बता देना, देख लेंगे।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा प्रचेता पद पर कार्यरत महिलाओं को राज्य कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य लाभ देने के सम्बन्ध में महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री बाबूसिंह राठौड़।

प्रचेता पद पर कार्यरत महिलाओं को नियमित राज्य कर्मी का दर्जा

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत, महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रचेता पद पर कार्यरत महिलाएं सरकारी सेवा में होते हुए भी लाभ से वंचित हैं, इन्हें सरकारी सुविधाएं व सरकारी सेवा में नियमित करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री) (महिला एवं बाल विकास मंत्री के स्थान पर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में ध्यान

(श्री परसादीलाल)

आकर्षित किया। मेरे पास जो विभाग की तथ्यात्मक जानकारी है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को दूंगा।

जिला महिला विकास अभिकरणों में प्रचेताओं के चयन का प्रावधान राजस्थान सिविल सेवा महिला विकास परियोजना निदेशकों, परियोजना अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों का विशेष चयन एवं सेवा की शर्तें नियम 1984 की अनुसूची एक में वर्णित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रचेताओं के चयन हेतु उप-नियम 10 (बी) में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया हुआ है। विशेष चयन नियम के उप-नियम-7 के तहत प्रचेताओं को प्रतिनियुक्ति संविदा के आधार पर तीन वर्ष के लिए रखे जाने का प्रावधान है जिसकी आगे अवधि अधिकतम तीन वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

वर्ष 1984-85 से 1994-95 की अवधि में चयनित प्रचेताओं में से 33 प्रचेताएं निरन्तर सेवा में रही थीं। महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश दिनांक 2.2.1999 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन प्रचेताओं की नियुक्ति वर्ष 1992 या इसके पश्चात् प्रतिनियुक्ति संविदा, सीधी भर्ती, किसी भी प्रकार से की गयी है, उनकी नियुक्ति को 6 वर्ष पूरे हो गये हों तो ऐसी प्रचेताओं को तुरन्त कार्यमुक्त करें और जिनकी नियुक्ति 1992 से पूर्व की है, उन प्रचेताओं के लिए प्रकरण निदेशालयों को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसका कारण, वर्ष 1992 के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के नियम तैयार करने का कार्य प्रक्रियाधीन रहा। महिला विकास के कार्यों में प्रचेताओं के कार्य अनुभव को ध्यान में रखते हुए विभाग ने महिला एवं बाल विकास सेवा नियमों में सीधी भर्ती की प्रचेताओं को 'द्वाकरा' योजनान्तर्गत मुख्य सेविकाओं के पद पर सीधी भर्ती से करने का प्रावधान रखा गया है। इस प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए सीधी भर्ती की प्रचेताओं की सेवाएं विभाग ने यथावत जारी रखी।

इसी बीच द्वाकरा योजना का समापन होने से मुख्य सेविकाओं के पद दिनांक 1.3.2000 को समाप्त हो जाने के कारण उक्त प्रावधान का एग्जिक्यूशन नहीं हुआ। वर्तमान में ये प्रचेताएं अस्थायी आधार पर विभिन्न जिला विकास अभिकरणों में कार्यरत हैं। जिला महिला विकास अभिकरण एक रजिस्टर्ड सोसायटी है, राजकीय विभाग नहीं है। जिला महिला विकास अभिकरण में प्रचेता का पद राजकीय सेवा का पद नहीं होकर जिला महिला विकास अभिकरण का पद है।

(श्री परसादीलाल)

महिला एवं बाल विकास विभाग ने उक्त प्रचेताओं को कार्मिक विभाग की अधिसूचना पार्ट, दिनांक 8.7.2009 के अन्तर्गत नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाया था परन्तु उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत इन 33 प्रचेताओं का नियमितीकरण करवाया जाना सम्भव नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बाबूसिंह जी, आपको कोई स्पष्टीकरण मांगना हो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जब प्रचेताओं की भर्ती की गयी तब उन्हें वेतन श्रृंखला दी गयी थी, क्या गैर-सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा वेतन श्रृंखला दिये जाने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो वेतन श्रृंखला यथा 1140-20-1430-1640-2050-2270 के क्या मायने हैं?

दूसरा, आपने अभी 'द्वाकरा' योजना का जिक्र किया, 'द्वाकरा' योजना अन्तर्गत मुख्य सेविकाओं के पद समाप्त होने पर उन्हें ए.सी.डी.पी.ओ., सी.डी.पी.ओ. बना दिया गया तो क्यों नहीं प्रचेताओं को भी यह लाभ उक्त प्रावधान के क्रियान्वयन नहीं होने पर पेज दो, पैरा एक, दिया गया?

साथ ही, 2008 महिला विकास सेवा नियमों का संकलन नये सिरे से किया गया था तो क्यों नहीं प्रचेताओं के लिए 1992 से पूर्व के लिए भी सेवा नियमों में विशेष प्रावधान किया गया? ध्यान रहे कि विशेष नियमों के तहत इन महिला विकास सेवा नियम 2008 में कार्यक्रम निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक, एस.एस.जी. का चयन कर नियमित किया गया, जबकि यह चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग से न होकर एन.जी.ओ. के माध्यम से किया गया।

विशेष परिस्थितियों व प्रचेताओं की मानसिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति व विभाग में किये गये महिला विकास के विशेष कार्य, जब राजस्थान में महिलाओं की स्थिति शोचनीय थी, तब विपरीत परिस्थितियों में जोधपुर के कठिन इलाके में इन्होंने काम किया।

साथ ही, आपने अभी जो फरमाया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने उक्त प्रचेताओं को कार्मिक विभाग की अधिसूचना प.5(2)/कार्मिक पार्ट दिनांक 8.9.2000 के अन्तर्गत नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाये गये। आपने इनको नियमित करने के लिए प्रस्ताव भेजे और जब

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

इनका नियमितीकरण होना सम्भव नहीं हुआ तो उसके पश्चात् जिला महिला विकास अभिकरणों में कार्यरत डा. प्रेमलता, प्रचेता तथा अन्य कार्मिकों ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एकल पीठ सिविल याचिका संख्या 2542/2005 दायर की थी, जिसमें याचियों ने सिविल कर्मचारी घोषित कर सभी पारिणामिक लाभ जैसे पेन्शन, ग्रेच्युटी, लीव एन्कैशमेंट, कम्यूटेशन, स्कूल, पदोन्नति देने का अनुरोध किया हुआ है और यह फैसला भी इनके पक्ष में आ गया है। पहले आप इनको नियमित करना चाहते थे, फिर यह अपील हुई, उसमें भी फैसला इनके पक्ष में आया। आप इनको नियमित करना चाहते थे और फैसला इनके पक्ष में आ गया तो विभाग इनके विरुद्ध वापस न्यायालय में चला गया।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपके द्वारा 327/2010 याचिका दायर की गयी है, इनको नियमित करके अगर आप अपनी याचिका वापस ले लेते हैं तो इसका समाधान हो जायेगा और वर्षों से जो काम कर रही हैं, उनका भला हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सी एस की चेयरमैनशिप में इस मामले को रेफर किया है। उसके बाद हमारा विभाग भी चाहता है कि नियमितिकरण हो इनका। वित्त विभाग को हम इसको दुबारा एक बार भेजेंगे।

हाई कोर्ट का एकल पीठ का जो निर्णय आया है, उसकी डी बी में अभी अपील विचाराधीन है, डी बी में अभी अपील कर रखी है और डी बी का कोई निर्णय आएगा, या उसको हम देखेंगे, लॉ डिपार्टमैंट से राय लेकर जो भी हम कर सकते हैं, वह निश्चित रूप से करेंगे।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): फैसला तो अपने आप ही आएगा...

श्री उपाध्यक्ष: वह कोर्ट में है और कोर्ट के बाद में कुछ नहीं।

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-12(4) के अन्तर्गत लोकायुक्त, राजस्थान का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): यह ध्यानाकर्षण में मंत्री महोदय को अवसर मिलता है; अभी तो कोई प्रश्न आया नहीं, पहली बार ध्यानाकर्षण आया है। महिला एवं बाल विकास की राज्य मंत्री कर लेतीं इसमें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बाबूसिंहजी, माननीय राठौड़ साहब, यह क्या है? (व्यवधान) अनुरोध है आपसे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, मैं डांटता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी डांट ये कितनी मानते हैं, हम तो देखते रहते हैं यहां से। (01.04.2010 से 31.3.2011) मय स्पष्टीकारक ज्ञापन एवं 27वां वार्षिक प्रतिवेदन (01.04.2011 से 31.3.2012) मय स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

लोकायुक्त राजस्थान का 26 व 27वां वार्षिक प्रतिवेदन व स्पष्टीकारक ज्ञापन

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-12(4) के अन्तर्गत लोकायुक्त, राजस्थान का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन (01.04.2010 से 31.3.2011) मय स्पष्टीकारक ज्ञापन एवं 27वां वार्षिक प्रतिवेदन (01.04.2011 से 31.3.2012) मय स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप कोटा के हैं, सीट पर बैठकर बोलते हैं, अनुशासित रहिए।

डा. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104(4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2010-11 के लेखों की आडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2010-11 के लेखों की आडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104(4) के अन्तर्गत राजस्थान

(डा. जितेन्द्र सिंह)

विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2010-11 के लेखों की आडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा तीन याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

याचिका

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं।

शेरगढ़ में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(1) बजट भाषण 2013-14 में की गई घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करवाने बाबत, एवं

शेरगढ़ में पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने एवं पशु उप केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाने बाबत

(2) बजट भाषण 2013-14 में की गई घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने एवं पशु उप केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाने बाबत, एवं

शेरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नति

(3) बजट भाषण 2013-14 में की गई घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं।

विराट नगर के ग्राम बागावास चौरासी के माध्यमिक विद्यालय की क्रमोन्नति

(1) विराट नगर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बागावास चौरासी के माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करवाने बाबत, एवं

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

विराट नगर के ग्राम भाखरी में पशु चिकित्सालय

(2) विराट नगर विधान सभा क्षेत्र के गांव भाखरी में पशु चिकित्सालय खोलने बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), सदस्या, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

नदबई में बाइपास आर ओ बी का निर्माण

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कस्बा नदबई (भरतपुर) में बाइपास आर ओ बी निर्माण करवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डा. राजकुमार शर्मा, प्रभारी मंत्री, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 – शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 145,32,45,51,000/- (अक्षरे एक सौ पैंतालीस अरब, बत्तीस करोड़, पैंतालीस लाख, इक्यावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रति वर्ष शिक्षा पर अरबों रुपये का बजट पारित करते हैं, इस आशा से कि राज्य में शिक्षा का स्तर सुधरेगा; हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी; शत-प्रतिशत साक्षरता के जो हमारे लक्ष्य हैं उनकी ओर हम आगे बढ़ेंगे; अच्छे योग्य शिक्षक नियुक्त होंगे; पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां होंगी; तकनीकी दक्ष बनकर युवा राज्य के आर्थिक विकास में सहभागी बनेंगे; पर हो क्या रहा है, मैं इस विषय पर अपनी बात कहने से पहले एक बात कहूंगा कि इस विषय पर चर्चा राजनीति से ऊपर उठकर करनी चाहिए। आपने क्या किया, हमने क्या किया, इसमें यदि उलझते रहेंगे तो वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं होगा। आज धरातल पर जो वास्तविक स्थिति है उस पर चर्चा यदि केन्द्रित रखेंगे तो निश्चित रूप से हम शिक्षा के मंदिरों के साथ कुछ काम कर सकेंगे, कुछ समाज का भला कर सकेंगे, कुछ देश का भला कर सकेंगे। वास्तव में आज शिक्षा में पूरी तरह अराजकता का वातावरण है, अव्यवस्था फैली हुई है, नियुक्तियों में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे नौनिहाल कैसे बनेंगे, किस तरह का स्तर गिर रहा है, यदि इस पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से इस बजट की चर्चा सार्थक होगी।

मैं सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान को लूंगा। हमारी एस एस ए योजना 3,999.08 करोड़ की है; व्यय कितना हुआ गत महीने तक 64.75 प्रतिशत। बाकी क्या सारा एक महीने में हो जाएगा? निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी मानिटरिंग में कमी है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

हमारी सरकार जोर-जोर से कहती है, बालिका शिक्षा का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, एम पी जी एल, उस पर राज्य सरकार को 4.53 करोड़ देने थे; लेकिन दिया कितना, शून्य; एक पैसा भी आपने नहीं दिया। फिर आप कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की चर्चा करेंगे, उसमें 20.87 करोड़ राज्य सरकार को देने थे; आपने आज तक दिया, शून्य। क्या हम बच्चियों की शिक्षा के प्रति गम्भीर हैं? निश्चित रूप से लगता है, कहीं गम्भीरता आयी नहीं। केन्द्र का जो अंश आया, उसमें से हमने कुछ खर्च कर दिया और राज्य का अंश हमने शून्य देकर आज शिक्षा के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है।

हम स्कूलों की हालत की चर्चा करेंगे तो राजस्थान के अन्दर 78 हजार 793 सरकारी स्कूल हैं, उनमें 1,401 स्कूलों में तो एक भी कमरा नहीं है। ऐसे स्कूल चल रहे हैं कागजों पे! समझ में नहीं आता, इतनी सारी योजनाएं बनती हैं, केन्द्र से पैसा आता है लेकिन आज भी 1,401 स्कूलों में एक भी कमरा नहीं! और 1,996 स्कूलों में केवल एक कमरा है। हम प्राइमरी स्कूल भले ही चलाते हों, क्या पांच कक्षाओं के विद्यार्थी एक ही कमरे में बैठेंगे? और तो और 23,818 स्कूलों में केवल दो कमरे हैं और 34 हजार 641 स्कूलों में तीन कमरें हैं। जब हम आर टी ई की चर्चा करेंगे, हर स्कूल में 5 कमरे होने चाहिये। योजना पूरी होने जा रही है और आज 58 हजार टोटल मिलाकर स्कूलों में तो कमरों की कमी है। कहीं भी है, हर साल वह पैसा आता है, कहां बनते हैं, कुछ पता नहीं लगता कि आखिर कमरे बन कहां रहे हैं। फिर बच्चे स्कूल आयेंगे कैसे?

हमने कहा, स्कूल में शौचालय बनायेंगे; शौचालयों की कई स्कीम्स भी आयीं लेकिन आज जो टायलेट्स की स्थिति है, जो छात्र, ब्वायज स्कूलों की हालत है, 21,324 ब्वायज स्कूलों में एक भी टायलेट नहीं है और 50,973 स्कूलों में केवल एक टायलेट है। यह स्थिति है हमारी, आज 64 साल के बाद हमारी स्थिति यह है। छात्राओं के टायलेट्स की तो चर्चा यहां हो चुकी है, 2,909 बच्चियों के स्कूल में आज भी टायलेट्स नहीं हैं और 69,421 स्कूलों में केवल एक टायलेट है। इसके कारण से 46 हजार से अधिक छात्राओं ने अपना स्कूल छोड़ दिया। तो यह स्थिति है। हम बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हैं, छात्राओं का नामांकन बढ़ाना चाहते हैं और स्कूलों में यदि हम टायलेट्स तक की व्यवस्था नहीं कर सकते तो फिर हम क्या शिक्षा का वातावरण बनाना चाह

(श्री वासुदेव देवनानी)

रहे हैं, जिसके कारण कोई भी गांव का परिवार, कस्बों का परिवार अपनी बच्ची को स्कूल भेजेगा? इस कारण स्कूल नहीं जाते। यह स्थिति बनी है।

स्कूलों में इस व्यवस्था के बाद पढ़ाने के लिये अध्यापक चाहिये। आपके इन स्कूलों की मैं चर्चा करूंगा तो शायद आपको आश्चर्य होगा, जिसकी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि सारे स्कूलों में अध्यापक हैं, आज 55 स्कूलों में तो एक भी अध्यापक नहीं है और 15,744 स्कूलों में केवल एक अध्यापक है; माननीय शिक्षा मंत्रीजी, जरा इन आंकड़ों को आप चैक करिये, 24,272 स्कूलों में 2 टीचर हैं। शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठे-बैठे नहीं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): शिक्षा के अधिकार में यह तय था कि हर स्कूल में कम से कम 5 कमरे होंगे, 5 अध्यापक होंगे। शिक्षा का अधिकार 2009 से चल रहा है, चौथा साल चल रहा है, हमने उसके प्रति कितनी गम्भीरता बरती? इसकी घोषणाएं तो हुईं माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषणों में, 1,17,321 कुल अध्यापकों की घोषणा हुई और हमने नियुक्तियां कीं केवल 34 हजार। पैसा भी कहीं न कहीं, कुछ परसेंटेज भी केन्द्र सरकार से मिल रहा है, जरा राज्य सरकार अपना अंश क्यों नहीं दे रही है? अध्यापकों की नियुक्ति नहीं।

लाइब्रेरी की बड़ी बजट में घोषणाएं हुईं कि हम लाइब्रेरी बनायेंगे, आज भी 2010-11 तक 54.6 प्रतिशत में लाइब्रेरी नहीं और 2012-13 की जो स्थिति है, 57.5 प्रतिशत स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है। यह संख्या कैसे बढ़ी? नये-नये स्कूल खोलें, कोई व्यवस्था नहीं। हमने वाहवाही लूटी कि स्कूल खोल दिये लेकिन उन स्कूलों में लाइब्रेरी तक की भी व्यवस्थाएं नहीं हैं।

बाउंडरी वाल की घोषणा हो गयी थी बाउंडरीवाल करेंगे, आज सुनकर आश्चर्य होगा कि 2012-13 में 53.2 प्रतिशत स्कूलों की बाउंडरीवाल भी नहीं है। कहां जाता है शिक्षा का बजट?

प्ले ग्राउण्ड की बात करेंगे, 56.9 प्रतिशत स्कूलों में रैम्प नहीं हैं और 46.3 परसेंट स्कूलों में प्ले ग्राउण्ड नहीं हैं। यह तो स्कूलों की स्थिति है।

इस कारण से नामांकन, हम बड़े-बड़े अभियान चलाते हैं, प्रवेश अभियान, फिर उन अभियानों की जो दुर्गति होती है, अन्त में जाकर परीक्षा

(श्री वासुदेव देवनानी)

देने वाले कितने विद्यार्थियों का नाम रजिस्टर में लिखेंगे अपनी पोस्ट बचाने के लिये कि हमारे यहां सौ विद्यार्थी हैं, चलो 3 पोस्ट सैंक्शन हो गयीं लेकिन आकलन तो यह होगा कि वर्ष के अन्त में कितने विद्यार्थी वास्तव में परीक्षा में बैठते हैं।

अपने आठवीं तक तो परीक्षा वैसे ही समाप्त हो गयी। उसके आधार पर अभी आपकी सरकार ने कई अधिकारियों को भेजा, कुछ जगह कलक्टर भी गये, कुछ जगह दूसरे अधिकारी भी गये; आपने भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, मेरे आठवीं के बच्चे को दो गुणा दो, दो गुणा आठ भी नहीं आता; पांचवीं का विद्यार्थी आज हिन्दी में लिख नहीं सकता, पढ़ना और आगे तो बात और रही। यह तो पहली कक्षा में ही सिखाया जाता है, ए बी सी डी, या अ ब स लेकिन पांचवीं के बच्चों को आज अपना नाम लिखना भी नहीं आता। आपने पास करके छठी में भेज दिया और उसको अपना नाम लिखना नहीं आता। हमारे पास अध्यापकों की कमी है, जहां अध्यापक हैं, यह स्थिति है। कहीं इस पर मानिटरिंग हुई क्या? कहीं इस पर गम्भीरता बरती क्या? कभी सोचा कि इस स्थिति को हम कैसे सुधारें? क्या सामूहिक रूप से, मैं तो कहता हूं, इसमें बी जे पी-कांग्रेस को छोड़ करके, कहीं कोई शिक्षाविदों से, शिक्षा-शास्त्रियों के साथ जो चाहे बी जे पी के होंगे, किसी और दल के होंगे, बैठकर चर्चा की होती कि हम मिलकर आज किस प्रकार से स्कूलों का शैक्षिक स्तर बढ़ा सकते हैं। आज आठवीं के बच्चे की स्थिति यह है, वह नवीं में जाकर क्या करेगा? इस स्थिति से सब चिंतित हैं। हमने घोषणा कर दी, आठवीं तक व्यवस्था नहीं होगी। देखिये, इस पर कहीं न कहीं पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यदि राजस्थान के अन्दर हम आर टी ई को सही ढंग से लागू करना चाहते हैं तो इसके लिये चाहे जितना बजट खर्च करना पड़े, उसकी व्यवस्था करें। कम से कम एक स्कूल में कमरे तो हों, एक स्कूल में अध्यापक तो हों, एक स्कूल में टायलेट तो हों, कम से कम इतनी व्यवस्था तो करो। आखिर अध्यापक को हम अच्छी तनख्वाह भी देते हैं, उससे जरा हम काम तो लें।

हमने डी ई ओ बनाये, डी ई ओ के पदों के बारे में कभी सोचा नहीं। पहले तो एक डी ई ओ रहता था, उसके पास 90, 100, 150, 200 स्कूल रहते थे। आज उसके पास कई प्रकार के ऐसे-ऐसे काम हो गये और आज ढाई हजार स्कूलों के आस-पास एक डी ई ओ देखता है। कोई भी व्यक्ति ढाई हजार स्कूलों की मानिटरिंग कर सकता है? तो कभी डी ई ओ के पद बढ़ाने का हमने विचार

(श्री वासुदेव देवनानी)

किया? उससे केवल आप रिपोर्ट लेते रहो, कागज आपको अपने आफिस से बनाकर भेजता रहेगा, आप उसको फाइल करते रहो और यह शिक्षा का स्तर वैसा का वैसा बना रहेगा। हम विधान सभा में चर्चा भी करेंगे, मैं कुछ बोलूंगा, उस पर सामने वाले भी कुछ बोलेंगे; वे अपनी सराहना करेंगे, हमने यह कर दिया, आपने यह नहीं किया; आप भी मंत्री थे, यह नहीं हुआ; ये चर्चाएं की जा सकती हैं लेकिन इनसे किसी भी तरह मेरे बच्चे का शैक्षिक स्तर सुधरने वाला नहीं है। इस पर जरा विचार करिये; शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे।

फिर सरकारी स्कूलों के साथ हमें बहुत बड़ा सहयोग प्राइवेट स्कूलों से भी मिलता है। आज हर शहर, कस्बे और गांव में हैं लेकिन उन प्राइवेट स्कूलों के साथ हमने न्याय किया क्या? आज प्राइवेट स्कूलों को आर टी ई के अन्तर्गत हमने कहा कि 25 परसेंट आपको गरीब बच्चों को प्रवेश देना होगा, बहुत अच्छी बात है, कितने स्कूल दे पा रहे हैं? और जिन स्कूलों ने दिया भी, उन स्कूलों का पुनर्भरण हम 2 साल से नहीं कर पा रहे हैं। उन स्कूलों से क्या अपेक्षा करेंगे? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? नहीं है, तो फिर कंडिशन क्यों लगाते हो? यदि कंडिशन लगायी तो वे आपको बिल भेजते हैं, पुनर्भरण की वे आपसे बात करते हैं तो पुनर्भरण तो करिये।

फिर हमने मान्यता के लिये ऐसे-ऐसे नियम लागू कर दिये, क्या उन नियमों का पालन हो सकता है? क्या आपके सरकारी स्कूलों में हैं? सबसे पहले किसी भी निजी शिक्षण संस्था पर आप कोई नियम लागू करते हैं, उसे मनवाना चाहते हैं तो पहले अपने सरकारी स्कूलों में उन मान्यता के नियमों को लागू करिये, उदाहरण प्रस्तुत करिये, तब तो आपका कोई हक बनता है लेकिन एक तो वे आपको शिक्षा में सहयोग करें और उन पर इस प्रकार से मान्यता के नियम लागू करते जाएं और फीस बढ़ाते जाएं; वह तो बच्चों से निकलेगी, गरीब बच्चों से, वह अपने घर से तो मालिक नहीं देगा। हम आखिर उस पर क्यों..., बार-बार आया कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने बुलाया है, विचार कर रहे हैं, उनका कुछ आया है, उसमें रियायतें देंगे, आज मेरे शहर का एक स्कूल है, बहुत पुराना है, उसको कह देंगे, इतने एकड़ जमीन चाहिये; उसको कहेंगे, खेल का मैदान चाहिये; वह कहां से लायेगा? आखिर कहीं न कहीं उसके बारे में सम्पूर्णता के साथ चिन्तन करना पड़ेगा। उन स्कूलों के क्या कोई सार्वजनिक प्लेसेज हैं, जिनको उस स्कूल के लिये हम खेल के मैदान के बारे में अनुमति दे सकें?

(श्री वासुदेव देवनानी)

देखिये, यहां ए सी कमरों में बैठकर हमारे अधिकारी यदि योजना बना लेते हैं और उन योजनाओं को नीचे केवल सर्कुलर के माध्यम से भेज दिया जाता है तो उससे शिक्षा की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। उससे कुछ बड़े स्कूल बन्द हो जायेंगे, वह आपके माथे आयेंगे। उन प्राइवेट स्कूलों की जो कुछ मांगें हैं, हमने बात की होगी लेकिन आज भी वे आन्दोलनरत हैं। उनके नियमों पर विचार करिये।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी, ऐसे स्कूल जो आ रहे हैं उनमें फीस कई गुणा बढ़ाता जा रहा है, कभी लेट फीस के नाम से, कभी किस नाम से। क्या यह कमाई का स्रोत है शिक्षा का? शिक्षा तो सोशल वेलफेयर है और उसको हम केवल कमाई का स्रोत मान रहे हैं। कमाई का स्रोत तो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बना दिया। हमने टैट की परीक्षा ली और टैट की परीक्षा में केवल एक साल का मैंने मांगा, दूसरे साल का, अभी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, एक साल के अन्दर हमने 34 करोड़ रुपये कमाये और खर्च हुए 17 करोड़। क्या हमारे उस गरीब बच्चे की आधी फीस नहीं कर सकते थे? क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसीलिये है कि बोर्ड का चेयरमैन अपनी कुर्सी बचाने के लिये 1 करोड़ रुपये मुख्य मंत्री सहायता कोष में दे दे? क्या उससे जयपुर में वह 25 करोड़ का भवन बनवाए? इसके लिये हमारे गरीब बच्चों से फीस ली जाती है जो बेरोजगार हैं? यह स्थिति आज पैदा हुई है। चाहे टैट की परीक्षा हो, चाहे अन्य परीक्षाएं हों, केवल कमाई के स्रोत न बनाइए। जरा गरीब बच्चों पर रहम कीजिये। उन गरीब बच्चों से 600 की जगह, 1,000 की जगह यदि 500 रुपये फीस लेंगे तो गरीब मां-बाप आपको दुआ देंगे। आपके कोष में कम आयेगा, मुख्य मंत्री सहायता कोष में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 1 करोड़ नहीं आयेगा; तत्कालीन जो अध्यक्ष दुबारा बनना चाह रहे थे, इस आधार पर वह नहीं बना; वह एक अलग विषय है लेकिन इस प्रकार, केवल सत्ताधीशों की चापलूसी के लिए, कम से कम इन गरीब बच्चों की जेब पर डाका ना डाला जाये। इस पर जरा गम्भीरता से विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बहुत अजीब है, रातों-रात तय होता है कि मेरे बच्चों का स्तर बढ़ाने के लिए एन सी ई आर टी की पुस्तकें लागू करेंगे। आपने एन सी ई आर टी की पुस्तकें लागू कर दीं। 2 साल के अन्दर ही यह कैसा अंतर ज्ञान में आया कि मेरे गांव के बच्चे एन सी ई आर टी की पुस्तकें नहीं समझ सकते, हम दुबारा लिखवायेंगे। बोर्ड 60 साल से

(श्री वासुदेव देवनानी)

पुस्तकें लिखवा रहा था, रातों-रात आपका ज्ञान बदला और फिर 2 साल के अन्दर आपके मन ने कुछ और कह दिया। इन तुगलकी नियमों को क्यों लागू कर रहे हो? कहीं गम्भीरता से शिक्षाविदों से बातचीत तो करते। मेरे गांव का बच्चा, जो राजस्थान के परिवेश में जन्म लेता है, उसके अन्तर्गत पढ़ना चाहता है, उसको आपने एन सी ई आर टी की पुस्तकें बिना सोचे-समझे, तुरन्त लागू कर दीं। लागू कर दिया तो फिर बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब उसको दुबारा लिखवाया जा रहा है। इससे पता नहीं, कितने करोड़ों रुपयों का खर्चा हुआ होगा, कितना अपव्यय हुआ होगा, इसकी गणना करना शायद कठिन है। यह स्थिति बनी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बच्चियों को वर्षों से हम गार्गी पुरस्कार दे रहे हैं, बच्चियों को बढ़ायें, इस बार जो गार्गी पुरस्कार दिये गये, जो उसके प्रमाण पत्र दिये गये, उसमें से गार्गी का नाम गायब है। ऐसी क्या स्थिति है? क्या दोषी अधिकारी को सज़ा दी? क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की? नहीं। यहां तक कि कोटा में जिनको गार्गी पुरस्कार का आपने चैक दिया, 356 चैक बाउंस हुए हैं। यह उस बालिका के साथ आप न्याय कर रहे हो। जरा आप ध्यान तो दो। आपके खाते में बालिका फाउंडेशन का पैसा है, आपने चैक दिया है और वह चैक वहां पर बाउंस हो जाये। यह हम सरकार में बैठे हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बाउंस, मुकदमा दर्ज कराओ।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हम काहे के लिए करें?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मुकदमा दर्ज कराना चाहिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): होना चाहिए। कहीं न कहीं आप विचार तो करिये। गार्गी के नाम से पुरस्कार और गार्गी का नाम गायब! क्या कर रहे हो आप इतने वर्षों तक? यह आपकी सारी स्थिति बनी है।

श्री उपाध्यक्ष: आप भूमिका बना रहे हैं या मेन भाषण दे रहे हैं?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हैं?

श्री उपाध्यक्ष: भूमिका बना रहे हैं या मुख्य भाषण दे रहे हैं?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): दोनों ही चल रहे हैं। पहला हूं, इसलिए मुझे पूरा समय मिले।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अभी तक आपको राष्ट्र निर्माण की चिंता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: यही क्लियर कर रहा था।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो चिंता होनी चाहिए कि राष्ट्र का निर्माण ऐसे स्कूलों से होगा तो कैसे पार पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष: मैं देख रहा हूं कि कौन सदस्य सबसे ज्यादा चिंता करता है इस सदन में।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप स्वयं तो कर लो।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): सबसे ज्यादा चिंता मैं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपका ध्यान रख रहा हूं पूरा, बिलकुल सामने इसीलिए कुर्सी लगायी है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): कनिष्ठ कृषि अध्यापक आपने लगाये, 18 वर्ष से काम कर रहे हैं, 11वीं, 12वीं को पढ़ा रहे हैं और उनका आज तक प्रमोशन नहीं, डी पी सी नहीं; बार-बार मांग करते हैं। मेरे एक प्रश्न का उत्तर आता है कि प्रक्रियाधीन है, यह तो तय करो कि किसी की डी पी सी कितने वर्ष तक प्रक्रियाधीन रहेगी, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। यह प्रक्रिया है क्या? जरा उनके साथ न्याय करो। इसलिए कृषि में विद्यार्थियों की संख्या भी कम होती जा रही है। कृषि प्रधान राजस्थान है और कृषि शिक्षा की हालत आज यह हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ स्कूल शिक्षा की 2 बातों की ओर आपका ध्यानाकर्षित करूंगा। शिक्षा मंत्रीजी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विश्वसनीयता जो पूरे भारत में प्रमुख रही है, पिछले कुछ वर्षों में घटी है। सवाई माधोपुर का जो संग्रहण केन्द्र था उसकी घटना आयी। उसकी आपने क्या जांच करायी? जांच सदन में नहीं आयी। वहां पर रद्दी बेची गयी, उसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ; खरीद हुई, उसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ; प्रश्न पत्र किस प्रकार आउट-आफ-कोर्स के आ रहे हैं। जरा कुछ विचार करिये।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ विद्यार्थियों ने कापी दिखाने के लिए पैसे जमा कराये तो उनमें से अधिकांश विद्यार्थियों के नम्बर बढ़े हैं। यह कैसी विश्वसनीयता? 5 अंक के 50 हो रहे हैं, 15 अंक के 35 हो रहे हैं, कहीं 68 हो रहे हैं, कहीं 80 हो रहे हैं। यह जो नम्बर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं कापियां जांचने में हमें और गम्भीरता बरतने की जरूरत है। यदि हम गम्भीरता बरतेंगे तो बच्चे जो आज परीक्षा दे रहे हैं, उनके साथ न्याय होगा।

(श्री वासुदेव देवनानी)

मैं बच्चों के लिए न्याय मांग रहा हूं, मेरा उसमें कोई राजनीतिक हित नहीं है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, बोर्ड की परीक्षा के आधार पर आपने कुछ नियुक्तियां भी ऐसी तय कीं जिनमें 12वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां मिलेंगी, 12वीं का परिणाम तो सही आये, यह तो कम से कम व्यवस्था हो। आज अगर वास्तव में आपका अंतर्मन गवाही दे तो पिछले जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके 3 वर्षों के कार्यकाल की आप ईमानदारी के साथ जांच करवायेंगे और आप स्वयं ही जज बनिये, स्वयं ही उसके बारे में निर्णय करिये और स्वयं ही उसके बारे में निर्णय सदन को बतायेंगे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब आएं उच्च शिक्षा पर। राजस्थान के अन्दर कई कालेज हैं, आपने 4 वर्षों के अन्दर 1 भी पद सृजित किया क्या? आर पी एस सी को अर्थना भेजी क्या? हमारे समय जो 957 पदों की अर्थना थी, वह पहले 456, फिर 457 पूरी हुई। अभी भी इस बजट में हमें आशा थी कि कम से कम जाते-जाते कुछ पदों को सृजित तो करवाते। आज 600 से अधिक पद कालेजों के अन्दर खाली हैं। यह स्थिति हुई। प्राचार्य जो कि एक महत्वपूर्ण पद होता है, अजमेर राजस्थान की एक शैक्षणिक नगरी है, वहां 2 साल से प्रिंसिपल, पीजी कालेज में नहीं है। कम से कम आप उसकी तो चिंता करते, एक प्रिंसिपल तो लाते डी पी सी करवाने के बाद। लेकिन प्रिंसिपल नहीं, वाइस-प्रिंसिपल एक लगा है, उसको कार्यवाहक बना दिया। ऐसा एक उदाहरण है अजमेर का, इसलिए मुझे जानकारी है, बाकी पता नहीं, राजस्थान में कितने स्थानों की यह हालत होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हम केवल ट्रांसफर्स में अपनी ताकत लगाते हैं। पिछले 2 वर्षों में जो ट्रांसफर्स हुए, जहां विषय नहीं, वहां अध्यापक भेज दिया; 700-700 किलोमीटर दूर भेज दिये। कम से कम शिक्षा के साथ न्याय तो करो। मेरी आपसे मांग है कि आप इस पर पुनर्विचार करिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए पिछले दिनों 'रुक्टा' की तरफ से प्रदर्शन भी हुआ, आपसे भी लोग मिले, उन्होंने आपके सामने कुछ बातें रखीं। आपको उन्होंने स्पष्ट लिखा है, मैं तो केवल जो नियम हैं आपके, उनको ही पढ़ रहा हूं; भारत सरकार के गजट दिनांक 18.09.2010 में छपे यू जी सी रेग्यूलेशन

(श्री वासुदेव देवनानी)

2010 के अपेंडिक्स 1 में एम एच आर डी के पत्र संख्या ए23-2006 ए यू 2/यू 1 में दिनांक 31.12.2008 के बिन्दु संख्या ए 1 में उल्लेख है "There shall be only three designations in respect of teachers in Universities and Colleges, namely, Assistant Professors, Associate Professors and Professors." उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 ए के उपबिन्दु संख्या 1 नाइन्थ एण्ड टेंथ में स्पष्ट उल्लेखित है, "….Lecturers already in service in the pre-revised scale of Rs. 8000-13500, shall be redesignated as Assistant Professors with the said AGP of Rs. 6000."

श्री उपाध्यक्ष: माननीय देवनानी जी, आपको बोलते हुए करीब 20 मिनट हो गये हैं, इसलिए यह रेफर करने के बजाय अपनी बात कहियेगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): समय लिया हुआ है। आपने पहले को पौन-पौन घंटा भी दिया है, आप पूछ लें। मैंने तो 20 मिनट ही लिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: हां, 20 मिनट लिये हैं आपने। आखिरी में इनका नाम भी है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): "…..Lecturers (Selection Grade) who have completed 3 years in the current pay scale of Rs. 12000-18300 on 1.1.2006 shall be placed in Pay Band of Rs. 37400-67000 with AGP pay of Rs. 9000 and shall be re-designated as Associate Professors." क्या हुआ? वे मांग कर रहे हैं। आपका हींग लगे न फिटकरी, आपका एक पैसा लग नहीं रहा है, यू जी सी कह रही है, आपके पास आर्डर हैं, भारत सरकार के गजट में है, फिर भी हम उनको नहीं देकर के उनमें कुंठा पैदा कर रहे हैं। दूसरा बिन्दु उन्होंने महत्वपूर्ण उठाया, 14.08.2012 का है, उसके अन्तर्गत ये सारे दिये हुए हैं।

फिर उनका एरियर था यू जी सी का, आपने 60 परसेंट पेमेंट किया, बहुत अच्छा किया, आपने वादा किया था कि हम उनको अगले 3 वर्षों में 40 परसेंट अमाउंट का पेमेंट कर देंगे, " ..the rest 40% amount shall be paid in the next financial year subject to the condition that the necessary amendments in the relevant service rules as required by the UGC Regulations are made." यह 2009 का है, अब आप 3 साल से क्या कर रहे हैं? आप उनको 40 परसेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके पास पैसा नहीं है तो कह दो कि खजाना खाली है। नहीं, यह भी नहीं कहेंगे और पैसा भी नहीं देंगे। ये जो अध्यापक हैं, कालेज के अध्यापक हैं, गजटेड आफिसर्स हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

आपके द्वारा किये गये जो वायदे हैं, मैं उनकी याद दिला रहा हूं, आप उन वायदों को तो पूरा करें जो बजट में करते हैं। मैं 2 बिन्दुओं की ओर ध्यानाकर्षित करता हूं। गत बजट में आपने उदयपुर में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी, क्या आपने शुरू कर दी? अभी तक शुरू नहीं हुई।

(14.00 बजे)

शुरू करने को क्या कहेंगे, जमीन? शुरू करने को क्या कहेंगे, भवन बना? क्या कितना पैसा लगाया? कोई फैकल्टी नियुक्त हुई? कुछ तो, शुरूआत को क्या कहते हैं? जोधपुर, सुमेरपुर, पाली में आपने एग्रीकल्चर कालेजेज की बात की, क्या कालेजेज शुरू हो गये? क्या उनमें विषय शुरू हो गये? मेरा यह कहना है कि घोषणा इतनी करो जितनी को आप क्रियान्वित कर सको। इसलिए केवल घोषणा करके, इससे आम जनता में असंतोष होता है और अपनी भी छवि अच्छी नहीं बनती।

इसके अलावा, आपने कई यूनिवर्सिटीज की, मैं उनकी चर्चा नहीं करता, उनमें वाइस-चांसलर की नियुक्ति के लिए 10 वर्ष का प्रोफेसर का अनुभव चाहिये। आपने ये जो अभी यूनिवर्सिटीज, बृज विश्वविद्यालय, डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, मत्स्य विश्वविद्यालय, इनके जो वाइस-चांसलर हैं, क्या इनको प्रोफेसर का 10 साल का अनुभव है? हमारे समय जब संस्कृत विश्वविद्यालय का वाइस-चांसलर राजस्थान में नहीं मिला तो हम बाहर से लाये थे। कम से कम आप योग्यता के साथ तो समझौता मत करो; यह तो एक न्यूनतम योग्यता है, जिसको आपको कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा। हम नये कालेज खोल रहे हैं लेकिन उनके लिए पद सृजित नहीं करते। हम नियुक्तियां जो विश्वविद्यालयों में कर रहे हैं, सवेरे जोधपुर विश्वविद्यालय में जो हुआ, उसको रिपीट नहीं करता; जोधपुर विश्वविद्यालय में हमने जो नियुक्तियां की हैं, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, इसके आदेश या जजमेंट को कोई चुनौती नहीं हो सकती। 2 अप्रैल, 2011 का एक जजमेंट है जिसमें साफ लिखा है कि यू जी सी के जो मानदण्ड हैं, कोई भी शक्ति उनमें संशोधन नहीं कर सकती। दूसरा उसका जजमेंट है, कापी चाहिये तो मंत्री महोदय, आप तक पहुंचवा दूंगा, दूसरा उसमें है, लास्ट डेट तक उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का है, मैं फालतू बात नहीं कर रहा, जरा उसकी भी पालना करिये।

श्री उपाध्यक्ष: बात समाप्त करें, देवनानीजी। मंत्रीजी का रास्ता यहां होकर जाता है, आप सीधी बात कर रहे हो; शोर्ट कट नहीं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं जो भी बात कह रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं।

यह केवल जोधपुर विश्वविद्यालय का मुद्दा नहीं है, अभी कोटा विश्वविद्यालय में नियुक्तियां हुई...

श्री उपाध्यक्ष: 25 मिनट हो गये आपको।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): कोटा विश्वविद्यालय में जो वाइस-चांसलर हैं उनका बच्चा और उनकी बहू, दोनों को नियुक्ति मिल गई। उसमें एक नियम होता है, एक पोस्ट के अगेंस्ट में 10 लेंगे, 20 को बुलाना चाहिए था, 22 को बुला लिया क्योंकि उनका नम्बर 22वां था और उसको फिजिकल डिस्एबिलिटी के लिए लिया। पहले क्या एडवर्टाइजमेंट नहीं किया? उसको दे दिया, उसको देने के बाद उसकी बहू को दे दिया। बाकी विस्तार से मैं इतना ज्यादा नहीं लूंगा।

सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, सब नियुक्तियों में जो हालात हैं, वे इस तरह के ही बने हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सचेतक से पूछ लें, मैंने समय लिया है, मेरे दो विषय बाकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सचेतक जी से गाइड नहीं होता आसन।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आसन नहीं होता। मेरा पूरा समय, मैं मेरी पूरी बात तो कहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक आपने जितनों को ओपनिंग दी है, बाकी सबको समय दिया है।

अजमेर यूनिवर्सिटी में हालात बहुत बुरे हैं, छात्रों की संख्या 2 वर्ष पूर्व तक 2,500 थी, आज घटकर 900 हो गई। क्या हम विश्वविद्यालय चला रहे हैं? वहां का उद्यमिता विभाग, चूंकि हमारी पूर्व मुख्य मंत्री ने शुरू किया लेकिन उसमें आज हालत बदतर बना रखी है। प्राइवेट कालेजों की क्या स्थिति है, उस पर मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता, उनकी हालत बुरी है, खुलेआम लूट है वहां। यू जी सी के नोर्म्स के अनुसार अध्यापक नहीं हैं, कोई भवन नहीं है। हम धड़ाधड़ वाहवाही लूटने के लिये कालेजेज को मान्यता देते जा रहे हैं लेकिन उस पर कम से कम मानिटरिंग तो करिये।

(श्री वासुदेव देवनानी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में आता हूं टेक्निकल एजुकेशन पर। कल टेक्निकल एजुकेशन पर एक प्रश्न लगा था, उस तकनीकी शिक्षा के अन्दर इतना बड़ा पुलिन्दा उत्तर में आया था। यह प्रश्न नहीं लगा, शायद प्रश्न लगता तो हाउस के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होता। नियुक्तियों के अन्दर खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, ट्रांसफर में हो रहा है, आप जांच करवा लीजिये। पिछली बार जितने ट्रांसफर्स हुए, 85 प्रतिशत निरस्त किये गये। आपने किये क्यों थे? यदि 85 प्रतिशत आपके द्वारा किये गये ट्रांसफर्स को रद्द करना पड़े, इसका मतलब, कहीं न कहीं बू आती है। पहले ट्रांसफर करो, फिर उसमें जो व्यवस्था होती है, वह करके वापस ले आओ। इस तरह का भ्रष्टाचार तो न कभी देखा, न कभी सोचा।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): वह पता है आपको। (व्यवधान) आपके टाइम में होता था।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हुए हैं, ये तो कागज हैं। हाउस की कमेटी बना दो, किसके ट्रांसफर किसके समय कितने कैंसिल हुए। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आपको आपत्ति हो तो जांच करवा लो।

श्री उपाध्यक्ष: इनको बोलने दो, माननीय सदस्य। माननीय देवनानीजी, आप एजुकेशन मिनिस्टर रहे हो, उनका पेन नहीं चल रहा है, इसका मतलब आप सजेशन नहीं दे पा रहे हो। उनका पेन नहीं चल रहा है, देखो हाथ उनका।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय निर्धारित है, इतना एक-एक घण्टा समय दे दिया, पूरा एक-एक घण्टा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रथम वक्ता को 30 मिनट हो गये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपने प्राइवेट आई टी आई शुरू किये। इन आई टी आई को एक दिन तो आदेश निकालते हो कि आज से किराये के भवनों में चलना बंद हो जायेंगे, फिर कोई हेराफेरी होती है, तीन दिन, पांच दिन के बाद वापस फिर आदेश निकालते हैं, आपका एक साल और बढ़ा दिया जाता है, फिर एक साल बढ़ गया; फिर आदेश निकालते हैं कि आपका आई टी आई बंद कर देंगे, फिर एक आदेश निकलता है, पांच दिन बाद फिर वापस शुरू कर देते हैं। यह क्या है? आखिर यूं कहीं न कहीं सारा लेन-देन प्राइवेट में क्या हो रहा है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जरा इसका तो कहीं विचार करें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

मैं पालीटेक्निक में रहा हूं, इसलिए पालीटेक्निक एजुकेशन के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल एक प्रश्न में था, क्या किसी भी टेक्निकल एजुकेशन के अन्दर 29 जनवरी तक एडमिशन होता है? आपके सरकारी एडमिशन जून-जुलाई में शुरू हुए और 29 जनवरी तक ये क्यों हुए? इसका कारण यह था, प्राइवेट जो पालीटेक्निक थे, उन्होंने आवेदन किया अक्टूबर-नवम्बर तक, सबकी लास्ट डेट निकल चुकी थी। उसके बाद उनकी आपने जांच करवाई और जांच की जो रिपोर्ट आई, कल उसका पुलिन्दा था, उस जांच रिपोर्ट में साफ लिखा है, ए आई सी टी ई के मानदण्डों के अनुसार उनके पास साधन नहीं हैं, उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास भवन नहीं है, फिर भी टेम्परेरी परमिशन दी जाती है और उनको 29 जनवरी तक दे दी और मई में उसके एग्जाम हो गये। चार महीने के अन्दर कितने वर्किंग डेज हुए? क्या ए आई सी टी ई के कोई नियम हैं, क्या बोर्ड आफ टेक्निकल एजुकेशन के कोई नियम हैं या कहीं डाइरेक्टोरेट में कहीं कुछ नियम हैं कि मिनिमम इतने दिन पढ़ाई होने के बाद विद्यार्थी एग्जाम देगा? लेकिन खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं।

यह स्थिति है कि हम केवल वाहवाही लूटने कि 179 पालीटेक्निक हो गये, 179 पालीटेक्निक तो हो गये लेकिन उनकी स्थिति क्या है? यह केवल एक साल का नहीं है, 2010 में यह हुआ, 2011 में आपने दिसम्बर तक एडमिशन दिये, कहीं न कहीं जून, जुलाई, अगस्त तक होंगे लेकिन आप केवल निजी पालीटेक्निक को बढ़ावा देने के लिए और निजी पालीटेक्निक को, मैं आपको कहता हूं कि आज यह स्थिति हो गई कि दो-दो कमरों में तकनीकी शिक्षा शुरू हो गई। वहां अध्यापक नहीं, वहां पर प्रिंसिपल नहीं, वहां लैब में इक्विपमेंट नहीं, आपके द्वारा 2011-12 और 2012-13 के अन्दर, जो मेरे पास पुलिन्दा आया है, जिसमें जांच आपके अधिकारियों ने की है, उन्होंने साफ लिखा है कि इसको 3 साल चले हुए हो गये, 2 साल चले हुए हो गये, इनके पास आज भी, कुछ के पास तो किराये के भवनों में चल रहे हैं, कुछ के पास आज भी इक्विपमेंट नहीं हैं, कुछ के पास स्टाफ नहीं है। इस स्थिति में आप कौन से तकनीकी दक्ष लोगों को तैयार कर रहे हैं? यदि ऐसे तकनीकी दक्ष लोग तैयार करेंगे तो इण्डस्ट्री को कौन से लोग मिलेंगे? क्या उनको नौकरियां मिलेगी? आज हमें राजस्थान के विकास में तकनीकी दक्ष लोगों की आवश्यकता है लेकिन उनके संसाधनों पर, उन पर कुछ नियंत्रण, हम उनके ऊपर कुछ

(श्री वासुदेव देवनानी)

मानिटरिंग करें। हमने उनको परमिशन तो दे दी पर पिछले साल उन्होंने किया क्या, आपने कोई कंडिशन लगाई; पिछले साल उन्होंने क्या? किया, जरा आपका भी दोष कम है, आपके डाइरेक्टोरेट में स्टाफ नहीं है, बोर्ड में स्टाफ नहीं है। पहले उनका विस्तार और स्ट्रेंथनिंग आप करें।

आज कापियां कहां आकर बन रही हैं और परीक्षाओं के जो परिणाम आ रहे हैं, उस परिणामों पर भी तो हम गौर करें। इन्टेलिजेंट लड़का है, वह अपने आपको जब फेल पाता है तो उसके मन पर जो बरसती है, जरा उसकी कल्पना करें। जब वह 1 हजार रुपये देकर कापी वहां पर दिखवाता है, उसका जो परिणाम बदलता है; ऐसे कितने बच्चे होंगे जो 1 हजार रुपये देकर अपनी कापियां दिखवाएंगे? तो यह सारी रिपोर्ट है।

चूंकि अजमेर से हूं, इसलिए दो-तीन बातें अजमेर की हैं। अजमेर के इंजीनियरिंग कालेज में जो नियुक्तियां हुई हैं, मैं माननीय मंत्रीजी को कहूंगा कि जरा उन नियुक्तियों को देख तो लें कि क्या हुआ है, क्या-क्या खेल हुआ है, किन-किन की किस-किस तरह से नियुक्तियां हुई हैं। बाद में जब ज्यादा हुआ तो आपके प्रमुख शासन सचिव ने वहां बाकी नियुक्तियों पर बैन लगाया है। यह स्थिति आ गई। कम से कम मानिटरिंग तो करो। आपने कहीं देखा तक नहीं। उसकी राजस्थान सरकार से स्वीकृति नहीं, वित्त विभाग से स्वीकृति नहीं; स्वायत्तशासी होंगे लेकिन स्वायत्तशासी का मतलब यह नहीं है कि प्रिंसिपल जो चाहे, जैसा चाहे वैसा करे। आपका भी तो, सरकार का भी नियंत्रण होगा, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर एक शैक्षिक नगरी है राजस्थान के अन्दर लेकिन उस नगरी के साथ जितना अन्याय हो रहा है, कारण यह है कि वहां से बी जे पी के दोनों विधायक हैं वहां पर। आपने सात-सात नये विश्वविद्यालय शुरू किये, क्या आपने एक भी विश्वविद्यालय अजमेर को दिया? आखिर अजमेर संभाग में एक विश्वविद्यालय है, बाकी संभाग में कहीं दो हैं, कहीं तीन हैं, कहीं चार हैं, कहीं पांच हैं। क्या जोधपुर और जयपुर को आप दिये जायेंगे? क्या अजमेर एक भी दूसरे विश्वविद्यालय लायक नहीं है? सारी व्यवस्था है, आपने कह दिया कि हमारे वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, वह तो पहले हमारे समय ही उसमें आ गया लेकिन आपने जो सात नये विश्वविद्यालय और खोले हैं, मैंने यह नहीं कहा कि अमुक दो, एक विश्वविद्यालय तो अजमेर को दो।

अजमेर में अभी 53 स्कूल ऐसे हैं जिनके अन्दर अपने भवन नहीं हैं

(श्री वासुदेव देवनानी)

और उसके कारण से उनके मकान किराये के हैं, जर्जर हैं। मकान मालिक द्वारा उनको रिपेयर कराने की अनुमति नहीं, किराये का आप पैसा भी दोगे तो नहीं कर पाएंगे। क्या उन मकान मालिकों को आप उसको वापस अधिसूचना जारी करके, क्या सरकार अपने हाथ में लेगी? स्कूल बचेंगे नहीं तो उन स्कूलों को बाहर भेज दोगे, बच्चे और बच्चियां इतनी दूर पढ़ने के लिए तो नहीं जाएंगे। यह अजमेर की विशेष आपकी समस्या है, इसका आप समाधान करिए।

आज अजमेर के अन्दर शिक्षा की, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, उसको जो जान-बूझकर नेग्लेक्ट किया जा रहा है, कृपा करके उसमें राजनीति न करके उस शिक्षण नगरी को शिक्षण नगरी का दर्जा आप बनाए रखें; उसके लिए जो आवश्यकता है, आप उसको देते रहें।

एक अंतिम बिन्दु, जो माननीय शिक्षा मंत्रीजी से जुड़ा हुआ है, आपने संस्कृत में दो हजार अध्यापकों की नियुक्ति की घोषणा की, वे संस्कृत स्कूल में जाएंगे लेकिन जो सामान्य स्कूलों में संस्कृत विषय है, वहां संस्कृत पढ़ाने वाला कोई नहीं है। आपने उर्दू के लिए दो हजार पद किये है, करिए पर, चाहे वह तीसरी भाषा है, जो सामान्य स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए भी अध्यापकों की नियुक्ति करें, नहीं तो बच्चों को संस्कृत नहीं आएगी। सब कोई संस्कृत स्कूल में नहीं जाएंगे।

इसीलिए आज चाहे संस्कृत शिक्षा हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे प्राइमरी और सैकण्डरी एजुकेशन हो, उसकी जरा मानिटरिंग तो करिए। सैकण्डरी एजुकेशन का तो आश्चर्य कर दिया आपने कि आपको आज से दो साल पहले ढाई सौ करोड़ रुपये माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मिले...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद देवनानी जी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...आपने केवल 50 करोड़ खर्च किये; अगली बार आपको साढ़े 7 सौ करोड़ मिले, आपने खर्चा शून्य किया; ...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): केन्द्र सरकार ने 2012-13 के अन्दर शून्य कर दिया। तो कृपा करके...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय महेन्द्रजी चौधरी। बस, समाप्त करिए, विराजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप इन बातों को ध्यान में रख कर शिक्षण स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ कदम उठायें, यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: आपसे मेरा अनुरोध है, माननीय सदस्य बहुत हैं, 5-7 मिनट जो भी लेना चाहें, जल्दी करें।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के विषय पर सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय पूर्व सरकार के शिक्षा मंत्री रहे और अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी काफी कुछ बातें सदन में कहीं और यह कहा कि सत्ता पक्ष के लोग सराहना करेंगे और हम लोग आलोचना करेंगे, क्योंकि हमारा फर्ज भी है। जिस प्रकार इन्होंने अपनी बात कही, उसका जवाब तो मैं अभी दूंगा लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा में आज का जो सब्जेक्ट है शिक्षा और हम लोग सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा जैसे विषय पर, पूर्व में 1998 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, अशोक गहलोत जी मुख्य मंत्री बने तो उनके मन में यह बात आई कि गरीब आदमी जो ढाणी में रहता है, गांव में रहता है, उसका बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा है, उसको किस प्रकार से स्कूल भेजा जा सकता है और उसी के तहत में, हिन्दुस्तान के महान प्रधानमंत्री रहे हुए, राजीव गांधीजी के नाम से, जिन्होंने इस देश के 18 साल के मतदाता को वोट डालने का अधिकार दिया था, राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गईं। राजीव गांधी पाठशालाएं खोलने के बाद में वह ढाणी और गांव का लड़का, वह मजदूर का लड़का, वह किसान का लड़का, जो अभी स्कूल नहीं जाता था, स्कूल जाने लग गया; वे 5 लाख बच्चे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे, उन राजीव गांधी पाठशालाओं के अन्दर स्कूल में जाने लगे।

जो भी सरकार बनती है, हर सरकार अपने कार्यकाल के अन्दर शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने की कोशिश करती है, ऊपर उठाने की कोशिश करती है; सरकारी स्कूलों में नामांकन किस प्रकार बढ़े, इस बात का सरकार विशेष रूप से ध्यान रखती है। सरकारी स्कूलों को प्रोत्साहन मिले, सरकारी स्कूलों का नाम हो, राजस्थान स्टेट का नाम हो, शिक्षा जगत में उसका नाम हो, ऐसा

(श्री महेन्द्र चौधरी)

सरकार के मुखिया की ओर सरकार के मुख्य मंत्रीजी और उनके साथ-साथ में शिक्षा मंत्रीजी की विशेष रूप से जवाबदेही रहती है। उसी के तहत में आज जो बजट पेश किया गया है, उस बजट के अन्दर, शिक्षा के अन्दर, आपने देखा, अभी बजट के अन्दर डिबेट हुई, उसके अन्दर भी शिक्षा का जिक्र हुआ और आज शिक्षा का अलग से विषय है तो उसमें भी जिक्र हो रहा है।

आज शिक्षा के इस जगत में हम गांवों में जाते हैं, देखते हैं, जहां पर स्कूल नहीं हैं वहां पर एक हजार स्कूलें खुली हैं, जहां पर अभी भी मांग आ रही है। हम गांव में जाते हैं, वहां कहते हैं, स्कूल हमारी बंद हो गई नामांकन की वजह से। उसको पुन: चालू करवाने के लिए हो, चाहे नई स्कूल खुलवाने के लिए हो, एक-एक विधान सभा क्षेत्र में 5-5 स्कूल नई खोली जाएंगी; एक हजार नई मिडिल स्कूल, प्राइमरी से मिडिल क्रमोन्नत होंगी; एक हजार माध्यमिक, मिडिल से माध्यमिक में क्रमोन्नत होंगी और 6 सौ स्कूल जो हैं, वे माध्यमिक से सीनियर हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत होंगी।

मैं, माननीय, एक सुझाव भी देता हूं और एक मांग भी रखता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और शिक्षा मंत्रीजी से कि आज जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की संख्या जो 6 सौ है, उसको थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करें ताकि लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर, शिक्षा के अन्दर हर तहसील स्तर पर जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय खोले जाएंगे, और ज्यादा खोले जाएं, इस प्रकार की मेरी मांग है।

सरकार ने नियुक्तियां दी हैं, थर्ड ग्रेड में 20 हजार, सैकण्ड ग्रेड में 10 हजार, शारीरिक शिक्षकों की 5 हजार और उसके साथ-साथ, व्याख्याता, कनिष्ठ लिपिक और वरिष्ठ लिपिक की नियुक्तियां होंगी।

इस सरकार ने पूर्व के बजट में भी और इस बजट में भी बालिका

(14.15 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

शिक्षा को बढ़ावा दिया है। आज हमारे प्रदेश की बालिका जो पांचवीं स्कूल में पढ़ती है, अगर उस गांव में आठवीं स्कूल नहीं होती है, उसको दूसरी स्कूल में जाने में हिचक रहती है। इसलिए स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है ताकि बच्चियां ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में अपनी पंचायत के अन्दर, अपने गांव के

(श्री महेन्द्र चौधरी)

अन्दर पढ़ सकें। यह बालिका शिक्षा को बढ़ावा है, इस कांग्रेस की सरकार के द्वारा। किस प्रकार बालिकाओं का नामांकन ज्यादा से ज्यादा स्कूल में हो, उसके लिए आठवीं क्लास की बच्ची को, आठवीं क्लास से उत्तीर्ण कर जो नवीं क्लास में बच्ची आ रही है, उसको साइकिल वितरित की जा रही है, सभी बच्चियों को साइकिल वितरित करने का सरकार ने फैसला लिया है। उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, जिसके अन्दर पहले 5 रुपये उपस्थिति दी जाती थी, उसको बढ़ाकर इस बजट में 20 रुपये उपस्थिति कर दिया।

राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना, इस योजना में दसवीं और बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण, मेरिट में प्रथम आने वाली छात्राओं को 10-10 हजार रुपये, आठवीं परीक्षा में विद्यालय में प्रथम आने वाली को लैपटाप और इस बजट में आठवीं में दूसरे से लेकर ग्यारहवें स्थान तक आने वाली छात्राओं को टेबलेट पीसी, यानी 6 हजार रुपये का टेबलेट पीसी दिया जाएगा।

11 राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे, उच्च शिक्षा के अन्दर। तृतीय श्रेणी के अन्दर 41 हजार का जो विज्ञापन निकला, उसके अन्दर 33,116 की भर्ती होगी और 2009 से 2012-13 तक 50,572 पद व्याख्याताओं के, सैकण्ड ग्रेड के और शारीरिक शिक्षकों के भर चुके हैं। बाकी, विभागीय पदोन्नति जो वर्षों से रुकी हुई थी, इस कांग्रेस सरकार के अन्दर 1,321 डी पी सी, इसमें 32 हजार से अधिक अधिकारी और कर्मचारी, शिक्षक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। यह इस सरकार की विशेष रूप से उपलब्धि है। 2002 से 2011 के बीच में क्रमोन्नत विद्यालयों में कनिष्ठ लिपिक और वरिष्ठ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 7-7 हजार पद सृजित किये गये हैं।

हम बार बार मांग करते थे, इस सदन के अन्दर भी, और साथी भी मांग करते थे कि यह जो विद्यार्थी मित्र, जो गांव में लगे हुए हैं, ढाणी में लगे हुए हैं, चाहे विद्यार्थी मित्र हों, चाहे लोक जुम्बिश के हों, चाहे शिक्षा कर्मी हों, चाहे पैरा टीचर्स हों, चाहे प्रबोधक हों, ये ग्रामीण क्षेत्रों से उठ कर आए हुए हैं, लड़के, लड़कियां हैं, इनके ऊपर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। सरकार ने निश्चित रूप से शैक्षणिक सहायकों के लिए जो 40 हजार पद सृजित किये हैं, उसके लिए भी मैं सरकार को इस माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

47 सौ व्याख्याताओं की भर्ती हो रही है, अंग्रेजी के 12 सौ, हिन्दी के 15 सौ और अन्य विषयों के दो हजार; अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भी शिक्षा के मामले में एक हजार उर्दू के व्याख्याता और एक हजार उर्दू के वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती होगी। अल्पसंख्यक के भी और चयनित जो अल्पसंख्यक के हैं, तृतीय भाषा के रूप में उर्दू के अध्ययन का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

कला एवं संस्कृति के अन्दर राज्य के साहित्यकारों का एक लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित होगा और उसके साथ-साथ, प्रदेश में समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और संरक्षण के लिए स्मारकों के पुनरुद्धार एवं मरम्मत के लिए 5 करोड़ का प्रावधान भी रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन के अन्दर शिक्षा के सब्जेक्ट के ऊपर पूर्व वक्ता ने, पूर्व माननीय सदस्य ने कई बातें कहीं। मैं पूर्व सरकार के कार्यकाल की कोई आलोचना नहीं करता लेकिन हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, सरकार के सदस्य के रूप में मैं यहां बोल रहा हूं, हम सरकार को कोई काम या हमारी सरकार के अन्दर किसी प्रकार के कोई सुझाव हों तो उसको भी हम देते हैं और माननीय सदस्यों से भी यह कहते हैं कि आप भी मुख्य मंत्रीजी को सुझाव बताओ, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे लेकिन जिस प्रकार इन्होंने सरकार के ऊपर कई आरोप लगाये, कई प्रकार की बातें सदन के अन्दर कहीं, इस सरकार के अन्दर यह नहीं हुआ, इस सरकार के अन्दर वह नहीं हुआ, कई प्रकार की बातें कहीं; यह इनका अधिकार है, इनका मौलिक अधिकार है क्योंकि प्रजातंत्र के अन्दर इनको विपक्ष के अन्दर बैठने का मौका दिया है, अब इनकी पूर्ववर्ती जो सरकार है, उस सरकार में भी शिक्षा के अन्दर क्या-क्या हुआ, यह भी हम थोड़ा इनको बताना चाहेंगे, क्योंकि इनकी जो चेतना है, उस चेतना को जाग्रत करना, जगाना इस सदन में बहुत आवश्यक है। आज हमारी कुछ कमी है तो उसको हम निश्चित रूप से सुधारेंगे। लेकिन उस पूर्ववर्ती सरकार के अन्दर, पिछले पांच साल के कार्यकाल के अन्दर 4-4 शिक्षा मंत्री बने, पहले कटारियाजी बने, फिर तिवाड़ीजी बने, फिर देवनानीजी बने, फिर बाबूलाल जी वर्मा बने, चार-चार मंत्रियों ने शिक्षा का जो बंटाधार किया, शिक्षा में जिस-जिस प्रकार से जो कार्य किया, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। आप बैठ जाओ। (व्यवधान) आपकी बातें मैं जब अच्छी तरह सुन रहा था, तो आपके बारे में भी मैं बता दूं। (व्यवधान) हां, कालीचरण जी सराफ

(श्री महेन्द्र चौधरी)

भी थे; हां, एक ही बात है, कोई खास बात नहीं है। आप लोगों ने यह महात्मा गांधीजी, जहां पर हम यह शपथ लेते हैं जब हम यहां जीतकर आते हैं, पाठ्यक्रम में उन महात्मा गांधीजी के खिलाफ भी टिप्पणियां कर दीं। बच्चों को जो विषय हम पढ़ाते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होता है, पाठ्यक्रम में महात्मा गांधी के खिलाफ आपने टिप्पणियां कर दीं, हिन्दू-मुसलमान के खिलाफ आप लोगों ने पाठ्यक्रम में टिप्पणियां कर दीं। क्या-क्या हुआ, आप लोगों को अच्छी तरह ध्यान है।

2008 में आप लोगों ने, जब आपकी सरकार जा रही थी, जब आप लोग सत्ता से जाने वाले थे, आपने वाहवाही लूटने के लिए स्कूलें क्रमोन्नत कर दीं, पट्टिकाएं लगा दीं, पांचवीं से आठवीं कर दीं, आठवीं से दसवीं कर दीं, दसवीं से 12वीं कर दीं लेकिन शिक्षक भर्ती आप लोगों ने नहीं की। शिक्षक भर्ती नहीं करने की वजह से, आपने अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए प्रयास जरूर किये हैं लेकिन उन बच्चों के साथ आपने बड़ा खिलवाड़ किया है। जहां पर साइंस का टीचर नहीं था, गणित का टीचर नहीं था, उन बच्चों ने आप लोगों को बद्दुआ दी। जब हम सत्ता में आये और गांवों के अन्दर गये, सब्जेक्ट की मांग हुई। भले ही इन्होंने स्कूल खोल दिये हों किन्तु टीचर नहीं लगाये। आप लोग खुद सोच लो अपनी आत्मा में कि आप लोगों ने कितना अच्छा कार्य किया है।

आप लोगों ने एक भला काम जरूर कर दिया, जब सरकार में आये तो राजीव गांधीजी का नाम आपको अच्छा नहीं लगा। राजीव गांधीजी जरूर कांग्रेस पार्टी के थे, वे आज हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन भारत के प्रधान मंत्री थे। आपके नेताओं के नाम से अगर कोई भी संस्था संचालित हो रही हो तो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने उनको नहीं मिटाया है, लेकिन आप लोगों ने राजीव गांधीजी का नाम मिटा दिया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय के रूप में नाम लिखकर राजीव गांधीजी का नाम मिटा दिया। राजीव गांधीजी का नाम आप लोगों के मिटाने से नहीं मिटता है। आप लोगों ने जो कर्म किया, उसका 2008 में जब परिणाम आया तो वापस उसी जनता ने कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनाई।

आप लोगों ने शिक्षा जगत में क्या किया? आपकी मुख्य मंत्रीजी ने बजट के अन्दर घोषणा की कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में एक कन्या महाविद्यालय खोला जायेगा, आपने खोल दिया कन्या

(श्री महेन्द्र चौधरी)

महाविद्यालय? हर जिले में आपके कन्या महाविद्यालय हैं? यह आपके घोषणा पत्र में है, यह लिखा हुआ है। अगर मैं कहीं असत्य बोल रहा हूं, आप में से कोई भी बात बता दे, मैं आपको उसके लिए प्रूफ देने को तैयार हूं, कोई इस प्रकार की बात हो तो।

आप लोगों ने क्या-क्या किया ट्रांसफर के मामले में। ट्रांसफर के आरोप इस प्रकार आप लगाते हो, क्या कर दिये, बदल दिये; आप लोगों के ऊपर आरोप कितने लगे थे? आप लोगों के चार-चार मंत्रियों के ऊपर किस-किस प्रकार के आरोप लगे थे, यह आप लोगों से खुद से छिपा हुआ नहीं है। यह मैं सदन में इस बात को बार-बार नहीं कहना चाहता।

स्कूल के शिक्षकों की बात आई, आप लोगों के समय में तीन बच्चों पर एक शिक्षक, यह आपके उस कार्यकाल के अन्दर था। आपने पांच साल में एक प्रमोशन नहीं किया, पूरे पांच साल के अन्दर एक प्रमोशन आप लोगों ने नहीं किया। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अन्दर प्रिंसिपल नहीं होता था। अब आप समझ लो कि जिसके घर का मालिक नहीं होता है, उसका क्या होता है। आप लोगों के टाइम के अन्दर ताले लग गये, रास्ते जाम हो जाते थे। शुरू के साल में आप लोगों ने क्या-क्या किया जो आप लोगों के टाइम में ताले लगे, वह आप लोगों को पता है। नई भर्तियां नहीं कीं। जो नई भर्तियां आप लोगों के टाइम में हुईं, वे राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं हुईं, वे सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्र सरकार के पैसों से हुई थीं। यह आपके समय की बात है।

इसके अलावा, आप लोगों ने प्राइवेट संस्थाओं को ज्यादा सहयोग किया। यह आप लोगों की सोच थी कि प्राइवेट संस्थाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है। एक-एक कमरे में आप लोगों ने लॉ कालेज खोल दिये। मैं खुद लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, लॉ कालेज का मैं प्रेसिडेंट रहा हुआ हूं, लॉ की मैं परिभाषा जानता हूं। एक कमरे में लॉ कालेज! आप लोगों ने किस प्रकार से छात्रों के साथ खिलवाड़ किया, यह आप जान सकते हैं।

इसके अलावा, छात्र और युवा छात्राओं के साथ उस सरकार ने क्या किया? छात्राएं, जो उस सरकार में न्याय मांगने गई थीं, उस सरकार ने छात्राओं पर लाठीचार्ज किया, बेरहमी से पीटा।

छात्रसंघ के चुनाव आप लोगों ने बंद करा दिये। आज हम यूनिवर्सिटी

(श्री महेन्द्र चौधरी)

के आठ प्रेसिडेंट यहां पर जीतकर इस सदन के अन्दर आये हैं। मैं खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हुआ हूं, मेरे अलावा अन्य और साथी यहां पर प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, कालेजों के प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं। हमारी पहचान हुई है उस छात्र से। आज हम भले ही इस राजस्थान की विधान सभा में एक विधायक के रूप में बोल रहे हों, लेकिन हमारी पहचान उस छात्र नेता से है, आज हम कहीं पर भी जाते हैं। 25,000 छात्र हर वर्ष पढ़ाई करके राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज के अन्दर राजस्थान की यूनिवर्सिटी का नाम रहा है। हम जब चुनाव लड़ते हैं तो हमारी पहचान हुई और उस पहचान के नाते आज इस सदन में पहुंचे हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जब आपकी सरकार आई, कालेज के अन्दर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर छात्रसंघ के चुनाव बंद करा दिये। युवा छात्रों का आप लोगों ने गला घोंटा। जो आगे बढ़ना चाहते थे, उनको रोकने का काम आप लोगों ने किया।

उसके अलावा, स्कूल जहां होगा, वहां शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, यह लिखा हुआ है लेकिन आप लोगों के समय में शराब की अधिकांश दुकानें स्कूल के पास में होती थीं बार-बार यह आवाज उठती थी, बार-बार हल्ला होता था लेकिन आप लोगों ने इसके ऊपर भी बिलकुल ध्यान नहीं दिया।

आप लोग एक लाख लोगों को रोजगार देने की बात करते थे, काहे का रोजगार आप लोगों ने दिया, यह भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह ध्यान है।

इसके अलावा, अभी पूर्व माननीय सदस्य सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कह रहे थे, सर्व शिक्षा अभियान के अन्दर आप लोगों ने कितना इतिहास रचा है, आज आप लोग कहीं पर भी देख लो। आज यह सरकार चाहे बच्ची को स्कूटी दे रही हो, चाहे साइकिल दे रही हो, कम्पनी से आई हुई सीधी देती है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, स्कूल बैग, भगवा रंग कर दिया; एक तरफ मुख्य मंत्रीजी का फोटो छपवा दिया, एक तरफ शिक्षा मंत्रीजी का फोटो छपवा दिया। यह आपके टाइम के अन्दर हुआ है। उसमें भी आप लोगों के ऊपर चार्ज लगे हैं, करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार का लीपापोती का आरोप लगा है।

मिड-डे मील में सरकार ने एक करोड़ बच्चों की उपस्थिति दिखाकर केन्द्रीय पूल से गेहूं उठा लिया, यह मैं रिकार्डेड बात बता रहा हूं आपकी सरकार

(श्री महेन्द्र चौधरी)

की, एक करोड़ बच्चों की उपस्थिति दिखाकर केन्द्रीय पूल से जब आप लोगों ने गेहूं उठा लिया, जबकि सरकारी आंकड़ों में बच्चों की संख्या 52 लाख थी। अब आप अंदाज लगा लें, वह 48 लाख बच्चे कहां चले गये? या तो वे स्कूल छोड़कर चले गये या आपका जो शैक्षणिक स्तर था, घटिया स्तर था, जो बच्चे वहां से स्कूल छोड़कर चले गये या गेहूं आपने कहीं गायब कर दिया। ये आपके कार्यकाल की बातें हैं, शिक्षा के कार्यकाल की बातें हैं।

इसके अलावा, कितना आप लोगों के टाइम के अन्दर हुआ, आप लोगों ने इतिहास रच दिया, आप लोगों की सरकार को यह जनता भूल नहीं सकेगी, चाहे किसी भी माध्यम में आ जायें। शैक्षणिक के माध्यम में नसीराबाद केन्द्रीय विद्यालय में यौन शोषण कांड, यह कौन से कार्यकाल में हुआ था? यह आपके कार्यकाल में हुआ था। कोटपूतली में स्थित बी.एड. कालेज की तमाम छात्राओं के साथ यौन शोषण हुआ, वह कौन से कार्यकाल में हुआ था? वह आपके कार्यकाल में हुआ था। नागौर में स्कूली छात्राओं के साथ में यौन शोषण कांड हुआ, वह कौन से कार्यकाल में हुआ? वह आपके कार्यकाल में हुआ था।

इसके अलावा, सरकारी स्कूलों की कमी के कारण, चाहे पाली हो, चाहे बूंदी हो, चाहे जालौर हो, वहां पर स्कूलों में ताले ठोक दिये हैं। ये पूर्व मंत्री महोदय हों, चाहे हमारे साथी हों, रावत साहब जो आते हैं, जवाजा पंचायत समिति, ब्यावर में पूरी की पूरी पंचायत समिति के साथ में उसके ताले ठोक दिये और एक दिन के अन्दर पूरे राजस्थान में 80 स्कूलों में ताले ठोके। यहां तक कि आपके पूर्व शिक्षा मंत्री, बाबूलाल जी वर्मा के खुद के विधान सभा क्षेत्र में उनको कमरे के अन्दर बंद कर दिया। यह आपके शिक्षा मंत्रीजी का उस समय में भी हाल हुआ था। ताले लगा दिये थे आपकी जवाजा पंचायत समिति...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ये सारी पंचायत समिति में नहीं लगे हैं ताले, एक स्कूल में लगे थे, एक स्कूल में।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): चाहे एक स्कूल में ताले लगे, लेकिन लगे तो थे ना? कोई बात नहीं, लगे तो थे।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आप लोग क्यों +++ रहे हो, कोई समझ में नहीं आता है। ये महेन्द्र जी बोल रहे हैं, उनको सुनो। जहां गलत होता है,

(श्री शंकर सिंह)

उसको सुधार करने की बात कही है। यह पंचायत समिति, आप लोग क्यों +++ रहे हो? परेशान हो रहे हो बिना मतलब। (व्यवधान)

श्री सभापति: ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजो। आप विराजो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): महेन्द्र जी की बात कह रहा हूं, बीच में इसलिए बोल रहा हूं, गलत बोल गये थे, इसलिए बोला।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय सभापति महोदय, दसवीं कक्षा में इनके आधे विद्यार्थी फेल हो गये, जिनमें से छह उस वक्त भी आत्महत्या को मजबूर हुए। इसके अलावा, शिक्षा के अन्दर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था प्रदेश के अन्दर। वह बहुत अच्छी तरह, इनको अच्छी तरह पता है। न तो ये विद्यार्थियों का मन जीत सके और न ही इन्होंने कोई अध्यापकों के लिए किसी प्रकार का काम किया। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि इस सरकार ने जितना अच्छा हो सके, उतना अच्छा इस शिक्षा जगत में काम किया है।

यह अभी माननीय पूर्व वक्ता कहते थे कि उन वायदों का क्या हुआ जो जनता से किये हैं और वायदे निभाने चाहिए या परिणाम क्या हुआ; एक-एक हजार रुपये फीस जमा कराता है कोई और उसका नम्बर बढ़ाने के लिए, इस प्रकार की इन्होंने बात की; मेरे हिसाब से इनको यह बात शोभा नहीं देती है। इनका नाम तो शिक्षा की नगरी के अन्दर और इस विधान सभा में जब-जब भी यह शिक्षा का सब्जेक्ट आयेगा तो इन श्रीमान का नाम तो हर बार, हर विषय, हर आदमी अपने वक्तव्य में लेगा क्योंकि इन्होंने कलंकित किया है शिक्षा को मंत्री पद पर रहते हुए। यहां पर बैठना चाहिए, जब मैं बोल रहा था, वे शायद दूसरी सीट पर चले गये, आगे आ जायें, वापस कोई जवाब देना पड़े, हो सकता है, मैं कुछ गलत बोलूं। इन्होंने +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं चुनौती देता हूं। हिम्मत हो तो सदस्यों की हाउस की कमेटी बनाओ, हाउस की कमेटी बनाओ। (व्यवधान) यह व्यक्तिगत आक्षेप लगाने के बाद, मैं इसका खंडन करता हूं, पहले कह चुका हूं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि राजस्थान का शिक्षा मंत्री +++ और क्या शर्मनाक बात हो सकती है इनके टाइम के अन्दर। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह इस तरह की दादागिरी नहीं चलेगी। (व्यवधान) यह दादागिरी नहीं चलेगी? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, इससे पहले हाउस में बहस हो रही थी, जवाब दे चुके हैं...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह चरित्र हनन नहीं कर सकते हो।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): यह रिकार्डेड है। (व्यवधान) राजस्थान की जनता को कलंकित किया है इन्होंने शिक्षा के नाम में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या व्यवस्था है? बैठाइये इनको। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हाउस की कमेटी बनाकर निर्णय करो। (व्यवधान) मैं चुनौती देता हूं आपको, किसी +++ ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): अपनी +++ किया है इन्होंने। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सुबह सदन के नेता पर क्यों आरोप लगा रहे थे?

श्री सभापति: विराजिये।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जब आपके ऊपर आरोप लगते हैं तो कितनी तकलीफ होती है।

श्री सभापति: आप विराजिये, विराजिये।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सदन के नेता पर आरोप लगा रहे थे, कोई आपके पास सबूत है किसी चीज का? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय सभापति महोदय, इतिहास के पन्नों पर लिखा जायेगा यह नाम। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप नहीं कह सकते मेरे को बैठने के लिए। (व्यवधान) सभापति महोदय, भद्दे तरीके से सदन में पेश आ रहे हैं, वेल में आ गये...(व्यवधान) और जब खुद के बारे में कोई टिप्पणी होती है... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): शिक्षा मंत्री ने +++ पूरा राजस्थान जानता है इस बात को। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बैठाइये इनको आप। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कल इन्होंने सदन को गुमराह करने की कोशिश की, प्रक्रिया के नियम 273 को आधा पढ़ कर बैठ गये। सदन को गुमराह करने के अलावा काम क्या है आपका? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बैठाइये इनको। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप डिक्टेट करना चाहते हो क्या? आपकी भाषा, आप आसन से, आसन से बात करिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप डिक्टेट करेंगे क्या? (व्यवधान) मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहता। आप क्या हैं? बात करते हो बिना मतलब की। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): +++ (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप सदन में आसन से बात करिये, आसन से बात करिये। (व्यवधान) खुद के ऊपर आरोप लगता है, सभापति महोदय, तो तकलीफ होती है और जब मुख्य मंत्री पर, सदन के नेता पर आधारहीन आरोप लगाये जाते हैं तो इनको बड़ा मजा आता है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): किसने रोका है? किसने रोका? जांच कराओ। जांच कराओ। किसने रोका है? जांच कराओ। (व्यवधान) शर्म आनी चाहिए आपको। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): +++ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मुख्य मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये आप, किसने गरिमा खोई राजस्थान की? (व्यवधान) दिलवाते जवाब मुख्य मंत्रीजी से। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपने बेईमानी की, इसका मतलब यह है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह परम्परा मत चालू करो। (व्यवधान) यह परम्परा मत चालू करो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा हो रही है, आप अगर इस तरह से करेंगे, सदन के इतने माननीय सदस्य बोलेंगे तो कैसे चलेगा? (व्यवधान) आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बोलो। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं चुनौती देता हूं, जांच करा लें। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य, विराजो।

श्री करणसिंह (छबड़ा): +++ (व्यवधान)

श्री सभापति: शंकर सिंहजी, विराजो। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान) विराजो, विराजो। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): पूरे समाज को निर्लज्ज किया है इन्होंने; माननीय सभापति महोदय, पूरे समाज को बेइज्जत किया है इन्होंने। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): शिक्षा जगत में कोई माफ नहीं करेगा इनको। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप सदन में ही धमका रहे हो। सदन में धमका रहे हो आप। (व्यवधान) यह यूनिवर्सिटी, कालेज....(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। आप भी विराजो। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं चुनौती देता हूं, जांच करा लो। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): आपने पशुपालन में लूटा है, हर विभागों में लूटा है, लूटपाट मचाने के बाद में अब क्या मुंह दिखा रहे हो? अब क्या मुंह दिखा रहे हो? (व्यवधान)

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: विराजो। (व्यवधान) कोई किसी का भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें न आप। विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। आप विराजिये।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप तो विराजो। आप भी विराजो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री सभापति: आप तो विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सभापति: आप तो विराजो। (व्यवधान) मैं इस तरह से अलाउ नहीं करूंगा आपको। सचेतक महोदय, आप भी विराजो न एक बार। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सभापति: आप भी विराजो, आप भी विराजो। माननीय सदस्य, विराजो आप। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय शिक्षा के ऊपर चर्चा हो रही है, मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप जो आज विषय है, उससे हट करके नहीं बोलेंगे तो सदन की कार्यवाही अच्छी चलेगी, सभी माननीय सदस्यों को समय भी मिलेगा। आज बहुत लम्बी लिस्ट है, प्रतिपक्ष के 18 माननीय सदस्य और सत्ता पक्ष के 16 माननीय सदस्य और अब समाजवादी पार्टी के एक सदस्य। अब आप बताओ....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: आप विराजें। आप तो विराजें। (व्यवधान) इसलिए मेरा निवेदन है, माननीय सदस्य, आप अच्छा बोल रहे हैं और विषय से हटकर थोड़ा नहीं बोलेंगे तो सदन चलने में आसानी रहेगी।

श्री महेन्द्र सिंह चौधरी।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सभापति महोदय, मैं जो है....(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सभापति: आप विराजो, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सभापति: दिखवा दूंगा। दिखवा दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: मैं दिखवा दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: मैं दिखवा लूंगा इसको। मैं दिखवा लूंगा। माननीय सदस्य, मैं दिखवा लूंगा।

श्री महेन्द्र सिंह चौधरी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: इस विषय पर, केवल विषय पर।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सभापति महोदय, मैंने जो बात कही है वह विषय पर ही बोली है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब केवल विषय पर।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): नहीं, मैं तो बोल चुका। मैं जो है, शिक्षा के बारे में बोल चुका और शिक्षा के बारे में ही मैंने बोला है....

श्री सभापति: व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी मत करो आप।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): शिक्षा से हट कर मैंने कोई कृषि या कोई पशु या उनके ऊपर तो बोला नहीं है, शिक्षा पर ही बोल रहा हूं और ये, ये मेरे से वरिष्ठ हैं, पहले वक्ता के रूप में प्रतिपक्ष से बोले हैं। हमने भी इनको आधा घंटा झेला है और झेलने के बाद में इनकी जो-जो बातें आई हैं, उनका जब हम उत्तर नहीं देंगे तो कौन देगा? अब यह कह रहे हैं इनके मुख्य सचेतक, इनके मुख्य सचेतक यह कह रहे हैं कि साहब, नोटिस देना चाहिए था। अब नोटिस, किस प्रकार का नोटिस? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): यह तो इनके नाम मंड चुका।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): यह जो है, यह देश की आजादी के बाद की जितनी सरकारें इस राजस्थान में रही हैं, उस सरकारों के अन्दर सब से निकम्मी सरकार में शिक्षा के मामले के अन्दर आपका नाम मंड चुका। यह नहीं हट सकता। चाहे आप खड़े होकर के विरोध करें या नहीं करें, जब भी शिक्षा का विषय आएगा सदन के अन्दर और सदन के बाहर, +++ का नाम जरूर आएगा। उसके अन्दर, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री सभापति: अनुमति से कोई बोल रहा है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप विराज जाओ। श्री महेन्द्रसिंहजी चौधरी, सीधे-सीधे आप कोई अच्छे सुझाव दे दो, समय काफी हो चुका है।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सभापति महोदय, सदन के अन्दर कोई भी बात अगर ये कहते हैं तो हम तो चुपचाप बैठकर के सुनते हैं। इन्होंने क्या-क्या कहा, कल भी कहा, आज भी कहा और हमने सुना, हम अपनी बात भी नहीं कहेंगे क्या?

श्री सभापति: आप अच्छे सुझाव दे दो। अब आप सुझाव दे दो, काफी समय हो गया।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): इनके तो इतिहास के पन्ने रच गए। उन पन्नों को बार-बार पढ़ेंगे हम; सभापति महोदय, यहां पर भी पढ़ेंगे और बाहर भी पढ़ेंगे। अब इनको उसमें तकलीफ हो रही है और किसी को...

श्री सभापति: अब आगे बढ़ो ना आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री सभापति: अरे, आप तो विराजो, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, अब आगे बढ़ो।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): नम्बर तो इन्होंने ही बढ़ाये हैं।

श्री सभापति: आप तो सुझाव दे दो, टाइम काफी हो गया है।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): कोई भी सरकार, माननीय सभापति महोदय, जब अपना घोषणा पत्र जारी करती है या जो बजट पेश करती है तो उसका दायित्व बनता है कि उसकी क्रियान्विति हो। पिछले चौथे बजट के अन्दर भी इन्होंने जो आरोप लगाये और हम बोल नहीं पाये तथा आज भी इसके अन्दर भी कुछ इस प्रकार की बात जब इनको कहने की नहीं है, आज प्रदेश की पूरी जनता तारीफ कर रही है इस बजट की और इससे ये बौखला गए हैं। इनकी बौखलाहट का संकेत, कभी इधर का कोई भी सदस्य इनकी पूरी बात कहता है तो ये खड़े होकर के उस पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे मंत्री बैठे हैं, इन मंत्रियों में से कोई व्यक्तिगत रूप से किसी पर आरोप लगा दें, किसी भी प्रकार की बात कह दें कि यह मंत्री उस चीज के अन्दर लिप्त है। यह अशोक जी गहलोत की सरकार और यहां के मंत्री इन चार सालों के अन्दर जितना कार्य इस प्रदेश की जनता के हित के अन्दर हुआ है, उतना आज तक किसी सरकार के अन्दर नहीं हुआ है। इन लोगों ने क्या किया, इस सब्जेक्ट के विषय के अन्दर इनकी महिला मुख्य मंत्री होते हुए क्या-क्या किया इस राजस्थान के अन्दर। आज मैं देख रहा था, कल भी देख रहा था, परसों भी देख रहा था हा-हुल्लड़ करके वेल में आ जाते हैं, पत्रकारों को अपनी छपाने के लिए किस रूप में कह देते हैं, उससे चलने वाला नहीं है। गांवों के लोग जानते हैं, जनता बहुत इस मामले को देख चुकी है और जब से यह बजट आया है, इनकी जमीन खिसकने लग गई है। जमीन खिसकने लग गई है तो फिजूल के आरोप, कभी मुख्य मंत्रीजी की बात में कह देते हैं, कभी कोई मंत्रीजी की बात में कह देते हैं, कभी किस में कह देते हैं। लेकिन यह प्रदेश की जनता जानती है कि राजस्थान का एक नम्बर का ईमानदार मुख्य मंत्री, किसान वर्ग का, इस प्रकार के मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, आज तक इस प्रकार का कोई बजट पेश नहीं हो सका।

इन लोगों ने भी बजट पेश किए थे, क्या-क्या घोषणाएं की थीं, घोषणाएं क्या-क्या की थीं इन्होंने कि स्वर्ग को धरती पर ले आएंगे; हमें जीता दीजिए,

(श्री महेन्द्र चौधरी)

हम स्वर्ग को धरती पर ले आएंगे; क्या हुआ? पांच साल के अन्दर स्वर्ग तो धरती पर नहीं आया लेकिन इनके टाइम के अन्दर कई लोग जो है, जरूर स्वर्गवासी हो गए हैं। यह इस प्रकार का काम इनके टाइम के अन्दर हुआ है। इनकी महिला मुख्य मंत्री के कार्यकाल के अन्दर हर आठ घंटे में एक बलात्कार, ये बार-बार कहते हैं, कोर्ट ने यह आदेश दे दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप शिक्षा पर बोलो ना; माननीय सदस्य, शिक्षा पर बोलो ना आप।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): हर तीन घंटे में एक यौन शोषण, प्रतिदिन एक हत्या ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह शिक्षा पर बहस करवा रहे हैं ना आप? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): यह इनके कार्यकाल के अन्दर होता था। आप लोगों को शिक्षा अच्छी चाहिए तो शिक्षा ले लो। (व्यवधान)

श्री सभापति: शिक्षा पर बोलो।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): क्या राजस्थान की सरकार ने ...(व्यवधान) क्या राजस्थान की सरकार ने सी एम हाउस में बुलाकर सी एम ने क्या एक जाति विशेष के लोगों को हाथ से खाना खिलाया इन पांच साल के अन्दर? यह शिक्षा है, यह इनके टाइम में होता था। कहां गई वह तनसिंहजी की जयंती? कहां गई वह सूरजमलजी की जयंती? चार साल में नहीं मनाई जाती लेकिन जब चुनाव का वर्ष आ जाता है तो वे जयंतियां मनाई जाती हैं। यह किस लिए किया जाता है, माननीय सभापति महोदय, आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट, शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर बहुत बढ़िया बजट राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने दिया है। शिक्षा के मामले के अन्दर इतनी स्कूलें और इतना जो कार्य किया है, यह आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है। मैं इसकी पूरी प्रशंसा करता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी का और शिक्षा मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं और यही मांग करता हूं, माननीय सदस्य का जो यह इतिहास है आपका, हमेशा याद रहेगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री ओम बिरला।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) जो नकल करके अपनी डिग्री करके आये हैं, उनका इतिहास याद रखेगा।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सभापति महोदय, यह जो कह रहे हैं ना...

श्री सभापति: अब आप तो विराजो। श्री ओमजी बिरला।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): नहीं, इन्होंने जितनी शिक्षा ली है ना, उससे ज्यादा तो डिग्रियां ली हैं मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सब फर्जी डिग्रियां हैं, हमको सब पता है।

श्री सभापति: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। केवल ओमजी बिरला का अंकित होगा।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री सभापति: केवल ओमजी बिरला का अंकित होगा। आप तो विराजो, माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बोल चुके हो। नावां से आने वाले माननीय सदस्य, आप बोल चुके हो, आप विराजो।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री सभापति: श्री ओम जी बिरला, आपको नहीं बोलना है? ओम जी बिरला, आप बोलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आप बोलिए। सिर्फ आपका ही अंकित होगा, और कोई अंकित नहीं होगा। आप विराजो।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री सभापति: श्री ओमजी बिरला, बोलिए आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जवाब तो देंगे ना।

श्री सभापति: जवाब के चक्कर में पड़ रहे हो आप भी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए जरूरी है; शिक्षा सभ्यता और संस्कृति का जीवंत आधार भी है और शिक्षा के माध्यम से ही समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता, सामाजिक गैर-बराबरी को खतम किया जा सकता है। हमारे देश के अन्दर बड़े-बड़े विद्वानों ने भी शिक्षा की अलग पहचान बनाई है। आजादी के पहले भी गोपाल कृष्ण गोखले ने इस देश के हर व्यक्ति को अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और एक सपना देखा कि हमारा देश आजाद होगा तो शायद शिक्षा के इस अंधकार को हम, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन पश्चात् आजादी के बाद की सरकार एक दिया जलाकर एक नया उजाला करेगी। लेकिन आज, सभापति महोदय, हम जिस राजस्थान में बैठे हैं, उस राजस्थान में आजादी के पैंसठ साल बाद भी यह दावा नहीं कर पाए कि इस देश का हर व्यक्ति साक्षर है; इस देश की हर बच्ची, महिलाएं पूर्ण शिक्षित हैं। ज्यों-ज्यों प्रजातंत्र का समय बढ़ता जा रहा है, हमें पूर्ण साक्षरता की ओर बढ़ना चाहिए लेकिन आज भी देश के अन्दर जहां साक्षरता की दर 70.04 है, वहीं राजस्थान में आज भी हम 67.06 साक्षरता के कदम तक पहुंचे हैं। हमारा कदम तो भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति, माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत के सपने को देखना था कि इस राज्य का अंतिम व्यक्ति तक साक्षर होना चाहिए, इसलिए अपने बजट का 34 से 22 प्रतिशत हिस्सा लगातार शिक्षा में देते रहे।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, पूरे देश के अगर आंकड़ों को देखें तो नीचे से तीसरे नंबर पर साक्षरता में और महिला शिक्षा के अन्दर तो हम देश के सबसे नीचे पायदान पर हैं। यह हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। बिहार हमसे नीचे था, अनपढ़ प्रदेश की ओर बढ़ रहा था लेकिन बिहार ने इस बार एक संकल्प लिया, चुनौती ली और अपने बजट का 18 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा में देकर जहां महिला साक्षरता 58 प्रतिशत से 62 प्रतिशत पहुंच गयी, वहां राजस्थान में हम लगातार सबसे नीचे के पायदान से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के अधिकार का कानून भी बना लिया। शिक्षा के अधिकार का कानून बनने के बाद भी क्या उस कानून के

(श्री ओम बिरला)

तहत, हमें पूरा का पूरा अप्रैल, 2013 तक शत-प्रतिशत शिक्षा का अधिकार कानून लागू करना था, अपने जवाब में माननीय मंत्री महोदय बता दें कि क्या अप्रैल, 2013 तक हम प्रदेश के अन्दर शिक्षा का अधिकार कानून पूर्ण लागू कर देंगे? क्या उस कानून के तहत जितने अध्यापक चाहिए, जितने कक्षा कक्ष चाहिए, जो-जो शौचालय से लेकर पानी तक की सुविधाएं चाहिए, क्या हम उस कानून को एग्जीक्यूट कर देंगे? केन्द्र में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, हमारा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से ढाणियों में बिखरा हुआ है, इसलिए बार-बार हम कहते हैं, दिल्ली में दस्तक दो; शिक्षा में पूर्ण साक्षरता के लिए अतिरिक्त बजट भी लाना है तो लाओ और बजट को एग्जीक्यूट करो ताकि अंतिम व्यक्ति तक हम शिक्षित कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, हमारी चिन्ता इसलिए भी है कि जिस तरीके से लगातार ड्राप-आउट बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, इनका प्रगति प्रतिवेदन बता रहा है कि लगातार, हमारे यहां पर 109 लाख बच्चे पूर्ण रूप से पढ़ते हैं जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए योग्य हैं 2011 की जनगणना के आधार पर लेकिन आज भी अत्यधिक संख्या में बच्चों को हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं।

महिला शिक्षा की तो मैंने बात आपको कह ही दी। इतना ही नहीं, अभी हमारे नावां से आने वाले माननीय सदस्य बहुत बातें कर रहे थे, कितने स्कूल खोल दिये आपने माध्यमिक? कितने उच्च माध्यमिक खोल दिये? आज हालत यह है, हम अगर आंकड़ों के आधार पर भी बात करें तो आंकड़ों के आधार पर भी यह कह सकता हूं मैं कि 2004 से 2008 तक जो माध्यमिक विद्यालय 3,346 थे, उनको बढ़ाकर 6,096 किया। इतना ही नहीं...

श्री ओम जोशी (फलौदी): ...(व्यवधान) तीन साल वहां अध्यापकों की व्यवस्था करने में लग गये। कोई अध्यापक नहीं था। केवल मात्र नाम के लिए, वोट लेने के लिए खोले थे। अध्यापक हमने लगाये। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, इनके सदस्य कहते हैं कि मार्च का बजट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता; आप कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं रोज; जो आप कह रहे हैं, वह हम कह रहे हैं कि आप जो स्कूल खोलेंगे वह एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे; जो बजट बनाया वह एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। आप ही कह रहे हैं न, मैं तो आपकी ही जबान बोल रहा हूं।

श्री ओम जोशी (फलौदी): ...(व्यवधान) उनमें हमने अध्यापक लगाये थे। हम तो अभी लगायेंगे, खोलेंगे और लगायेंगे; पद भी दिये हैं साथ में। आपने तो पानी का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, केवल मात्र घोषणाएं कीं; न उसकी ए.एस. जारी की, न पद स्वीकृत किये, न फाइनेंशल व्यवस्था को देखा गया। सब मामलों में कोताही बरती गई थी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, 2000 नये हायर सेकण्डरी स्कूल खोले। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने जितने भी सेकण्डरी और हायर सेकण्डरी स्कूल खोले हैं, मेरा आरोप है कि आपने उनमें कोई पद सृजित नहीं किया, कोई बजट का आबंटन नहीं किया और बिना पद सृजित किये, बिना बजट आबंटन किये हुए आज लगातार एक साल से स्कूल क्रमोन्नत करते जा रहे हो। मैं इस मार्च के बजट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मार्च का बजट तो फलौदी वाले माननीय सदस्य ने कह दिया कि एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, लेकिन पिछले साल में जिन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया, क्या उनके लिए बजट का आबंटन किया है? (व्यवधान)

श्री सभापति: जोशी साहब।

श्री ओम जोशी (फलौदी): ...(व्यवधान) जहां खोलने थे वहां नहीं खोले, राजनीति करते हुए अन्य जिलों में विद्यालय खोले। हमारे मुख्य मंत्रीजी की सहृदयता है कि उन्होंने हर पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए इस बजट में निर्णय लिया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो विराजो।

एक माननीय सदस्य : ...(व्यवधान) वे सभी खाली हैं।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): आपने क्या राजस्थान से बाहर खोले हैं? यह बता दो। राजस्थान से बाहर खोले हैं तो क्या +++ के क्षेत्र में खोले हैं? कि +++ के खोले हैं? +++ के खोले हैं? या +++ के खोले हैं? यह बता दो। राजस्थान के बाहर तो नहीं खोले न?

श्री सभापति: माननीय सदस्य। ये एक्सपंज कर देना।

एक माननीय सदस्य: जब नियम पंचायत मुख्यालय पर खोलने के थे तो पंचायत मुख्यालय पर क्यों नहीं खोले?

(15.00 बजे)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, सरकार ने घोषणा की थी कि हम समानीकरण करेंगे, समानीकरण कठोरता से लागू करेंगे, क्या समानीकरण हो गया? ट्रांसफर के नाम पर धन का समानीकरण जरूर हुआ लेकिन राजस्थान में अध्यापकों का समानीकरण आज भी नहीं हुआ।

सभापति महोदय, यही कारण है, सरकार ने पूरे चार साल में... (व्यवधान) इस सरकार ने 1 लाख 17 हजार पदों के विपरीत केवल 56 हजार पद भरे। इतना ही नहीं, मेरी चुनौती है, हमारे पांच साल के शासन में हमने 1 लाख 4 हजार पद भरे, आपके चार साल में आपने बहुत बड़ी घोषणाएं कीं, बहुत बड़ी बातें कीं, समानीकरण कर नहीं सके! सभापति महोदय, इतना ही नहीं, लोगों ने सरकारी स्कूल में जाना बंद कर दिया। पिछले चार साल में केवल 1 लाख 26 हजार नये विद्यार्थी नामांकित हुए। जहां 90 लाख विद्यार्थी होते थे, जहां पर हर साल तीन से साढ़े तीन लाख नये विद्यार्थी पढ़ते थे, वहां पर आपके चार साल में 1 लाख 26 हजार हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर को सुधारने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय, भगवान ने गाड़ी भी दी है, बत्ती भी है, सब कुछ दिया है, संस्कार भी दिये हैं, सेवा का माद्दा भी परिवार से मिला है, उस गरीब के बच्चे पर तो तरस खाते। राजस्थान का गांव-गांव, ढाणी-ढाणी छान जाते, आपका कलक्टर आपको रिपोर्ट देता।

क्या पांचवीं का बच्चा, क्या आठवीं का बच्चा, हम कानून बना देते हैं, धन का आबंटन भी कर देते हैं, धरातल को देखने के लिए जनता ने हमें मंत्री बनाकर भेजा है। कितने जिलों, तहसीलों, गांवों में दौरा किया, माननीय मंत्री महोदय, आप और आपके राज्य मंत्री सदन में बता देना। इस राजस्थान के जिलों और तहसीलों तक भी अगर आप गए हों, आप शिक्षा की गुणवत्ता सुधारोगे। आप अगर सरकारी अधिकारियों की शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हों तो जिस राजस्थान में 37 में से 33 जिला शिक्षा अधिकारी के पद नहीं हों, जहां पातेय वेतन पर काम कर रहे हों उससे आप नियंत्रण की बात कर रहे हो! आप जाओ नहीं, आपका अधिकारी जाए नहीं, डी ई ओ जाए नहीं और आप शिक्षा के कानून की बात करना चाहते हो! आपके सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर वह तो एयरकंडिशंड रूम से निकलने का प्रयास भी नहीं

(श्री ओम बिरला)

करते। अच्छा होता सत्ता उस अंतिम व्यक्ति तक जाती, गांव-गांव स्कूल में जाती, पता होता, मंत्रीजी आज आएंगे, सेक्रेटरी आज आएंगे, डायरेक्टर आज आएंगे। सभापति महोदय, ऐसी दुर्दशा इन्होंने की है कि वह नौनिहाल बच्चा जिसको संस्कार और शिक्षा से हम ओतप्रोत करना चाहते थे, आज उसकी हालत खराब हो गई।

सभापति महोदय, उच्च शिक्षा का हाल तो राजस्थान में बहुत बुरा है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है। उच्च शिक्षा का हाल यह है, सारी रिपोर्टें बता रही हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से शिक्षा में, प्रारम्भिक में चले जाएं, माध्यमिक में चले जाएं और माध्यमिक के बाद जब हम कालेज की ओर बढ़ते हैं तो केवल 17 लाख बच्चे कालेज की दहलीज तक पढ़ते हैं। इस चार साल में इन्होंने कहा था कि हम तहसील स्तर पर कालेज खोलेंगे, कौन से तहसील पर कालेज खुल गए? क्या 249 तहसीलों में कालेज खुल गए? मात्र तीन सरकारी कालेज इन्होंने खोले हैं। सभापति महोदय, उच्च शिक्षा का स्तर इसलिए गिरता जा रहा है कि बच्चा केवल एडमिशन लेता है, परीक्षा देने जाता है। क्योंकि नियंत्रण समाप्त हो चुका है, नये प्राध्यापकों की भर्ती समाप्त हो चुकी है, इसलिए उच्च शिक्षा का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है।

फिर हमने और उच्च शिक्षा का स्तर गिराने का काम किया कि हमने निजी विश्वविद्यालय खोले। हमारी सरकार की देन थी निजी विश्वविद्यालय। यहां पर तीन-तीन विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष बैठे हैं, सभापति महोदय, राजस्थान के निजी विश्वविद्यालय कारोबारियों के विश्वविद्यालय रह गए हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप थोड़ा जल्दी समाप्त कर दो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जिस तरीके के हालात हैं, रोज नये विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, एक-एक करोड़ रुपए नामित करके विश्वविद्यालय की नई दुकानें खोल रहे हैं। सभापति महोदय, शर्म करो, जिस राजस्थान की शैक्षणिक नगरी का जब एक विश्वविद्यालय हुआ करता था तो एक बच्चा भी नहीं था जो बिना पढ़े पास होता था लेकिन आज निजी विश्वविद्यालय में जिस तरीके से डिग्रियां बांटी जाएंगी, यह हमारे राजस्थान के लिए कलंक होगा। माननीय सभापति महोदय,

(श्री ओम बिरला)

हमने भी गलती की हो तो आप सुधारो, लेकिन इन विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण होना चाहिए, डिग्री बांटी नहीं जानी चाहिए।

सभापति महोदय, हम जो शिक्षा चाहते हैं, वह वर्तमान उद्योग और उत्पादन की शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा जो उत्पादन से जोड़ी जाए। आज जहां पूरे देश में इनके वित्त मंत्रीजी ने एक हजार करोड़ रुपया स्किल के लिए छोड़ा है कि ऐसी गुणवत्ता वाली शिक्षा जिसमें बच्चे की स्किल डवलप हो, गुणवत्ता डवलप हो, सभापति महोदय, 800 करोड़ रुपया गुजरात ने दिया है, मेरे जवाब में बता दें कि राजस्थान में कितने कोर्सेज चलेंगे? जो तीन हजार कोर्सेज गुजरात में चल रहे हैं, उस तरीके से कोर्सेज चलेंगे क्या? और गुणवत्ता के आधार पर स्किल डवलप करने का काम भी करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, हमारे कोटा में इस सरकार ने कहा था कि हम आई.आई.आई.टी. खोलेंगे, राजनीतिक पक्षपात के आधार पर यह सरकार जिस तरीके से आई.आई.टी. जोधपुर में ले गई और झुनझुने के रूप में हमें आई.आई.आई.टी. दी। सरकार जवाब दे कि क्या आपने अपने बजट की घोषणाओं को एग्जीक्यूट कर दिया है? तीन साल हो गए आई.आई.आई.टी. खोली नहीं, व्यास कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं की। जो कोटा में विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों की हालत एक माध्यमिक विद्यालय से ज्यादा नहीं है और उसमें दो साल से नान-प्लान का कोई पैसा नहीं दिया गया है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना दी गई लेकिन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हम समय पर एग्जाम नहीं करा पाए, बच्चों का रिजल्ट आउट नहीं कर पाए। काहे के लिए आप बैठे हैं? देखने वाला कोई नहीं। केवल पदों में हेराफेरी, भर्तियां। विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से भाई-भतीजों की भर्तियां की जा रही हैं, यह उचित नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब बंद करो आप। श्री प्रतापसिंह खाचरियावास।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैं महात्मा गांधीजी के एक उपदेश से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। सभापति महोदय, महात्मा गांधीजी ने कहा था ...(व्यवधान) कि साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता, शिक्षा बालक के मानवीय गुणों का विकास करना है; शिक्षा ऐसी हो जिसमें बालक के शरीर, हृदय, मन और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास हो; सभी विषयों की शिक्षा स्थानीय उत्पादन उद्योगों के माध्यम से दी जाए; शिक्षा ऐसी हो जो कि नवयुवकों को बेरोजगारी से मुक्त कराये...

श्री सभापति: चलिये, विराजिए अब।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने ऐसी शिक्षा दी है कि बेरोजगारी खड़ी की है...

श्री सभापति: माननीय प्रतापसिंह खाचरियावास। अब विराजिए आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इन्होंने ऐसी शिक्षा दी है जिससे राजस्थान का नौजवान बेरोजगार हो गया। डिग्रियां बांटी जा रही हैं, बच्चों का जीवन अंधकारमय किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी जब जवाब दें तो हमारे विषयों का जवाब जरूर दें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आदरणीय सभापतिजी, शिक्षा पर बहस चल रही है, हम जमकर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। शिक्षा देश के विकास का आधार होती है; देश किस ओर जाएगा, देश का गांव किस ओर जाएगा और क्या देश पूरी दुनिया से मुकाबला कर पाएगा। शिक्षा पूरी दुनिया में एक दर्पण होती है और उस दर्पण पर जब आज बहस हो रही है, तब इसमें कोई दो राय नहीं कि आजादी के इन 65 वर्षों में हिन्दुस्तान से पढ़े हुए लोगों ने बाहर के मुल्कों में भी जाकर अपनी धाक जमाई है, अपने दिमाग का लोहा मनवाया है और सबको यह साबित किया है कि हिन्दुस्तान में पढ़े-लिखे व्यक्ति और हिन्दुस्तान से पढ़कर बाहर जाने वाले व्यक्ति साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, बड़े साहित्यकार, बड़े विद्वान भी हो सकते हैं। बड़े डाक्टर के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में, हर फील्ड में बड़े-बड़े मुल्कों में जाकर उन्होंने अपना नाम कमाया; तब नाम कमाया जब हमारे पास पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं थे, हमारे पास पूरी व्यवस्था नहीं थी।

आज हमारे पास पूरी व्यवस्था है। ऐसे में हमारी मोरल डयूटी बनती है, जब स्टेट की शिक्षा पर हम चर्चा कर रहे हैं तो खुलकर इस बात की चर्चा हो कि हम शिक्षा में कितना सुधार कर सकते हैं और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर क्यों ना हम शिक्षा में कुछ निर्णय लें? क्यों ना कुछ विचार करें?

हमने यह किया, वह सब पूरे राजस्थान की जनता देख रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लैपटाप बांटने से स्टूडेंट जब अपनी छाती से चिपका कर घर लेकर जाएगा, पीसी टैबलेट को लेकर जाएगा, उसकी आँख में चमक होगी क्योंकि उसकी जब खाली है, उसके माता-पिता के पास पैसे नहीं हैं। वे उसको

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

कम्प्यूटर शिक्षा देना चाहते हैं। घर पर लैपटाप कल तक अमीर का बच्चा लेकर बैठता था लेकिन अब गरीब का बच्चा भी, इस सरकार को अपना परिवार मानकर, मुख्य मंत्री को अपना अभिभावक मानकर धन्यवाद देगा और कहेगा कि अब मेरे घर में लैपटाप आया है। यह बहुत बड़ी बात है। हम इस पर भी विचार करेंगे।

यह बात आई, आप जानते हैं, इस देश में आर टी ई लागू हो गई, राइट-टू-एजुकेशन; एक बाई जो घर में सफाई का काम कर रही है, एक जो ठेला लगा रहा है, जो थड़ी लगा रहा है, जूती गांठ रहा है, अब उसका बच्चा, राइट-टू-एजुकेशन ने क्रांति कर दी इस देश में; आप जाइये जैवियर के बाहर, विद्याश्रम के बाहर, जाइये एस एम एस के बाहर; मैंने खुद ने देखा, 25 परसेंट उन बच्चों को, उस बाई की आंख में चमक है कि मेरा बच्चा अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में, सी बी एस ई बोर्ड में पढ़ रहा है। उसकी फीस की चिंता नहीं है, उसकी फीस की व्यवस्था सरकार कर रही है। इसने एक क्रांति खड़ी कर दी। इस क्रांति के बीच में केन्द्र सरकार का हम लोहा लेते हैं।

कई बार हम केन्द्र सरकार की बुराई करते हैं, शिक्षा मंत्रीजी, मैं आज आपसे निवेदन करूंगा, आप में माद्दा है, आप कर सकते हैं, आप में करने की हिम्मत है, अभी भी वक्त है, हमको कुछ नई बातें लानी चाहिए। आप शिक्षा का बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपने कहा कि हम फीस में कन्ट्रोल करेंगे; आप क्या समझते हैं, जिस दिन अख़बार में यह खबर छपी हैं उस दिन राजस्थान के हर अभिभावक ने सबसे पहले उस खबर को पढ़ा है कि आखिर फीस कन्ट्रोल करने की अब तैयारी हो रही है। यह लोगों के दिल का दर्द है।

शिक्षा मंत्रीजी, इसके साथ आप एक काम और कर लीजिए, यह सुपेरियोरिटी-इन्फेरियोरिटी काम्प्लेक्स खतम हो सकता है। आज भी एक बच्चा एक गली में छिपकर दूसरी स्कूल के बच्चे को देखता है और अपनी यूनिफार्म को छिपाने की कोशिश करता है। क्या हम एक ऐसा नियम नहीं बना सकते? जब हम फीस कन्ट्रोल करने जा रहे हैं, शिक्षा मंत्रीजी, मेरा निवेदन है, आप राजस्थान के प्राइवेट और सरकारी स्कूल, कोई भी स्कूल हो, उसमें एक ही कलर की यूनिफार्म लागू करो; बैच बदल सकते हो लेकिन यूनिफार्म का कलर हम नहीं बदल सकते। जिस देश में राइट-टू-एजुकेशन लागू हो गया, जिस देश

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

में कांग्रेस की केन्द्र सरकार ने यह कह दिया, अब गरीब का बच्चा जैवियर में भी पढ़ सकता है; अलग-अलग कलर की यूनिफार्म, देश की आजादी के 65 वर्षों के बाद, राजस्थान पहला एक माडल स्टेट बने और पता चले कि अब चाहे प्राइवेट पब्लिक स्कूल हो, चाहे गांव की ढाणी का सरकारी स्कूल हो, एक ही कलर सबका होगा। यदि बदलना है तो बैच बदल दो लेकिन अब बच्चा कम से कम यूनिफार्म को देखकर खून के आंसू नहीं रोएगा; यह नहीं कहेगा कि मेरा स्कूल छोटा है, इसका स्कूल बड़ा है। बहुत छोटा काम हमको करना है।

हम यह भी कर सकते हैं, आज हमारे पास बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स की स्कूलें हैं, आज सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या कम हो रही है। क्या हम यह नहीं कर सकते, क्या जरूरी है पूरी परम्पराओं को निभाना? मंत्रीजी, हमें तैयारी करनी चाहिए, राइट-टू-एजुकेशन से सीख लेकर आप कुछ माडल स्कूल बनाइये; बनाइये जयपुर के महारानी स्कूल को जो सबसे पुराना गर्ल्स स्कूल है; बनाइये पोद्दार को, करिये वहां पर सी बी एस ई बोर्ड लागू और कहिये राजस्थान की सरकार चलायेगी, जिससे स्कूलों के सामने चुनौती खड़ी हो कि राजस्थान की सरकार अब माडल स्कूल लेकर आ रही है। पुरानी परम्पराएं, पुराना सिस्टम, पुराना ढर्रा; जैसा चल रहा है, अधिकारी हमको चला रहे हैं, हम चल रहे हैं; चलते रहो, लेकिन कुछ नई सोच डवलप करने की जरूरत है। आज राजस्थान देख रहा है कि कुछ माडल स्कूल सरकार की तरफ से आएं और जिसमें इस बात का डवलपमेंट हो कि सी बी एस ई बोर्ड...। एक काम हम और कर सकते हैं कि समान यूनिफार्म के साथ-साथ हम समान कोर्स की बात क्यों नहीं करें? क्या राजस्थान में हर स्कूल में एक कोर्स लागू नहीं हो सकता? जब हम फीस के लिए बिल ला रहे हैं, हमें समान कोर्स लागू करना चाहिए; हम समान कोर्स लागू कर देंगे हर स्कूल में। पड़ोस में दो स्कूल हैं, दोनों की किताबें अलग-अलग हैं; एक का बोर्ड दूसरा है, एक का बोर्ड दूसरा है। यह भेदभाव हम खड़ा कर रहे हैं। हम यह लागू कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। आप बैक में जाकर मत कीजिए, आप फ्यूचर से जाकर कीजिए कि अब से, पहली क्लास से लेकर यहां तक, राजस्थान के हर स्कूल में एक कोर्स होगा। सबको बराबर का अधिकार। जब वह बैग लेकर जाएगा, वह कहेगा, मेरी स्कूल यह है लेकिन आपकी और मेरी किताब बराबर है, आप कोई ज्यादा स्पेशल हो क्या; आपके पास ग्राउण्ड बड़ा है, मेरे पास छोटा है लेकिन किताब आपकी- मेरी बराबर हैं; कर ले मुकाबला। वह चाहे झोंपड़ी का होगा; अमीर का

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

होगा, गरीब का होगा लेकिन किताब के नाम पर झगड़ा खतम हो जाएगा। यह भेदभाव हमको खतम करना होगा क्योंकि हमको सोनिया गांधी, प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और केन्द्र के नेताओं ने सिखाया है राइट-टू-एजुकेशन देकर। अब भेदभाव वाला हर कानून खतम करना है, हमारी मोरल ड्यूटी बनती है। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आप ले सकते हो, हम नहीं ले सकते। (व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप क्यों खड़े हो गए? बैठ जाओ, भाई। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुन ली आपकी। कोई पहचानते नहीं हैं अधिकतर लोग ...(व्यवधान) जबरदस्ती खड़े हो जाते हैं। बीच में खड़े नहीं होते, अच्छा नहीं लगता। कोई अच्छी बात हो तो बोल दो, मैं बैठ जाता हूं, आप बोल दो।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): बोलने की बात नहीं है; हम जब सोनियाजी का नाम लेते हैं, आप लोग कहते हो कि वे इस सदन की सदस्या नहीं हैं; आप नाम लेते हो तो बड़े गुणगान करते हो। सब अंकित होता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो आप। माननीय सदस्य, अच्छे सुझाव दे रहे हैं, आप विराजो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): बैठ जा, विद्वान व्यक्ति; बैठ जा, दादा, बैठ जा, भलाई इसी में है। बैठ जा। हो गया, बहुत हो गया। लिमिट में...(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आप किस रूप में नाम लेते हो, सबको पता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विराजो, माननीय सदस्य, आप विराजो। सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य, विराजो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापतिजी, मैं कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा। मैंने आपको जो कहा, यू पी ए चेयरपर्सन हैं सोनिया गांधीजी और राइट-टू-एजुकेशन आया, यू पी ए चेयरपर्सन और प्रधान मंत्रीजी की इच्छा से आया। इसमें कोई नई बात नहीं कही है। राइट-टू-एजुकेशन के नाम पर आज पक्ष और विपक्ष के दोनों विधायक, अगर कोई

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो उस स्कूल को टारगेट भी करते हैं, हम भी करते हैं; आपका लेटरपैड भी जा रहा है; हमारा भी जा रहा है, आपका भी जा रहा है और वह राइट-टू-एजुकेशन काम में भी आ रहा है। मैं कोई यह नहीं कह रहा कि यह सिर्फ हमने, यदि आपने कोई अच्छा काम किया उसको भी मैं स्वीकार कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं माडल स्कूल बनाए जाएं; यदि आप चाहते हो, माडल स्कूल नहीं बनने चाहिए, समान कोर्स नहीं होना चाहिए, समान यूनिफार्म नहीं होनी चाहिए तो खड़े होकर मना कर दो; मैं एक मिनट सुन लेता हूं, वह भी छप जाएगा अख़बार में कि आप मना करते हो।

शिक्षा मंत्रीजी, मैं एक बात और आपसे निवेदन करूंगा, राजस्थान में राष्ट्रीय माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर विधान सभा क्षेत्र में करोड़, डेढ़ करोड़, दो करोड़, कितना आया, मुझे पता नहीं, यह जो केन्द्र सरकार पैसा दे रही है, हमारे पास पैसा आ रहा है। केन्द्र सरकार कह रही है, कमरे बनाओ, स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करो, कोई कमी हो तो उस पैसे को खर्च करो। शिक्षा मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है कि केन्द्र सरकार ने यह पैसा भेजा है, 'रम्सा' के नाम पर, यदि वह पैसा खर्च नहीं हुआ है और उस पैसे से कमरे नहीं बने हैं, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, यदि टायलेट नहीं बने हैं तो उसके लिये हम जिम्मेदार हैं और वे अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया होते हुए खर्च नहीं किया और मार्च में वह पैसा लेप्स हो जाएगा। आपको सदन में यह बताना चाहिए कि वह पैसा खर्च नहीं हुआ; यदि खर्च नहीं हुआ तो अभी भी वक्त है, उसको तुरन्त प्रभाव से राजस्थान के 200 विधान सभा क्षेत्रों में पहुंचाएं और टायलेट बनाने की व्यवस्था करें, कमरे बनाने की व्यवस्था करें। वह पड़ा-पड़ा पैसा हमारे किस काम आयेगा? ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। जिसको आपने मालिक बना दिया, वह सोचता है कि यह मेरी गांठ का है। यह पैसा केन्द्र सरकार ने कमरे बनाने के लिये, स्कूलों के डवलपमेंट के लिये, टायलेट बनाने के लिये दिया है। कई एम.एल.एज. का लिखा हुआ आया होगा लेकिन वह 'रम्सा' का पैसा, मैं गारण्टी से कह सकता हूं, वह खर्च नहीं हुआ होगा। मेरे पास में जो रिपोर्टिंग है, हो सकता है मैं गलत होऊं, एम.एल.एज. को ज्यादा पता होगा....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): बिलकुल सही कही, आपने बिल्कुल सही कही यह बात।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापतिजी, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, यह राजस्थान के अन्दर माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान, यह बताऊं, बड़ी तादाद में, मुझे अभी कुछ साथियों ने, मेरी कोई तैयारी नहीं थी शिक्षा पर बोलने की, मुझे कुछ साथियों ने यह बताया, मेरे को भी पता नहीं, क्योंकि मैं सिटी से एम.एल.ए. हूं, बाद में मुझे याद आया कि मैंने भी कुछ लेटर भेजे। ऐसे में चाहे राज किसी के हाथ में हो, यह तय होना चाहिए कि इन चार वर्षों में राज हमारे पास था, इन चार वर्षों में यह जो बच्चों का पैसा आया था और यदि वह खर्च नहीं हुआ, किनकी गलतियों से खर्च नहीं हुआ, उनको पीनलाइज करना चाहिए जिससे भविष्य में यह बात तय हो जाए कि बच्चों के नाम का पैसा कोई रोक नहीं सकता। यह बहुत जरूरी है।

आज पूरे सदन में जब चर्चा चल रही है, हर स्कूल में टायलेट हो; एक बात हम और कर सकते हैं; अब हर स्कूल में टायलेट के साथ-साथ, कमरे के साथ-साथ पानी पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। स्कूलों की छोटी-छोटी, मैं खुद स्कूलों में जाता हूं, बहुत जगह हालात ये हैं कि पानी ठीक नहीं है; टंकी पड़ी है, बहुत पुरानी, गंदी हो रखी है; कोई साफ करने वाला नहीं है। पहले तो लोगों में सोच थी; बच्चे लगते, टीचर लगते, टंकी धोते, स्कूल को साफ करते; स्कूल को घर की तरह समझते थे, तो यह माहौल था। आज वह टंकी गंदी पड़ी है। इतना पैसा हमारे पास आ रहा है, कम से कम हम बाकायदा बाउण्ड करें, स्कूलों से जुड़े हुए हैं, उसमें लोगों को जोड़ें; जोड़कर यह तय करें कि हर स्कूल में एक्वा-गार्ड लगा हुआ पानी आये; लोगों को, बच्चों को वह शुद्ध पानी मिले। इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। वह हमको व्यवस्था करनी चाहिए।

जिन माडल स्कूलों की बात कही, मैं पूरी नहीं कर पाया था, माननीय सदस्य बीच में बोल रहे थे, आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बहुत अच्छा है लेकिन अब कुछ माडल स्कूल कई स्टेट के अन्दर गवर्नमेंट कई जगह पर चला रही है। अब हमें भी माडल स्कूल लेकर आना चाहिए, माडल स्कूल लाकर हमको तैयारी करनी चाहिए। शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपको एक बात का भरोसा दे सकता हूं कि जब आप फीस, समान यूनिफार्म और समान अधिकार की बात, जो हमको केन्द्र सरकार ने सिखाई, वह लागू कर देंगे तो पूरा राजस्थान, कई बार कहते हैं ना, अब क्या लागू करोगे, अच्छी शुरुआत जिस दिन से भी की जाए, वह किसी न किसी दिन पूरी होती है; जिस दिन पूरी होती है, उसी दिन पूरे लोग, पूरा समाज दुआ देगा।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आज यह बात आई कि जोधपुर में आई.आई.टी. खुल गई; उदयपुर में आई.आई.एम.; कोटा में आई.आई.आई.टी., स्टेट को निश्चित रूप से हम आगे लेकर जा रहे हैं, इससे स्टेट आगे बढ़ेगा, स्टेट को फायदा होगा। यह तय है कि जब राजस्थान में सब जगह यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, जब बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं, वे यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को परमिशन मिल रही है, मैं चाहता हूं कि यह परम्शिन मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज जरूरत है, हमारी आबादी बढ़ रही है यूनिवर्सिटीज की जरूरत है लेकिन जहां-जहां भी यूनिवर्सिटीज के जो बिल पास कर रहे हैं, आर्डिनेंस लागू कर रहे हैं, जहां पर ये जरूरत है; राजस्थान यूनिवर्सिटी अकेली यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाद, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो लोग नेतृत्व किया करते थे, आज वे यहां पर बहुत सीनियर लीडर हैं; आज इतनी यूनिवर्सिटीज आ गयीं, इन पर कण्ट्रोल के लिये और इनके एकछत्र राज को रोकने के लिये एक बिल लाने की जरूरत है। उसमें ऐसे लोगों को हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में शामिल किया जाए, वहां के जन-प्रतिनिधि, चाहे वे एम.एल.ए. हों, चाहे वे प्रधान हों, चाहे पंचायत का हो, विकास समितियों के लोग हों, अलग-अलग क्षेत्रों के पत्रकार, एडवोकेट्स हों, उनको लगे कि हमारे ऊपर नियंत्रण है। कहीं नियंत्रण-मुक्त न हो जाएं।

आज मेडिकल कालेज 'निम्स' क्या कर रहा है; 'निम्स' का बच्चा खून के आंसू रोता है। खुले-आम अन्दर बाउंसर्स पाल रखे हैं, खुले-आम उनकी पिटाई की जाती है, उनसे दादागीरी की जाती है। ऐसा एक मेरे को नाम याद है, बाकी भी कोई कम नहीं है यहां पर। कालेज और यूनिवर्सिटीज में बाडीगार्ड रखे जाएं और बाकायदा आदमी रखे जाएं कि कोई बच्चा आवाज नहीं उठाना चाहिए। बाहर के स्टेट का बच्चा आता है; कहां जाए, जाए तो नम्बर काट लेंगे, घर की दुकान है। उसके मां-बाप आते हैं, किसके पास जाएं? ऐसा एक डिपार्टमेंट खुले। बाहर के बड़े-बड़े ग्रुप्स की यूनिवर्सिटीज हैं, या कालेज हैं, या मेडिकल कालेज हैं, या नर्सिंग कालेज हैं, यदि इनको कोई प्राब्लम हो, उन पेरेण्ट्स को कोई प्राब्लम हो, बच्चों को कोई प्राब्लम हो तो वे वहां जाकर यह शिकायत दर्ज कराएं और यह पता चले लोगों को कि यह सरकार है, यह जनता की सरकार है, यहां इकबाल सरकार का चलता है; यदि कोई जुल्म करेगा तो उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी और बच्चों को न्याय मिलेगा, उनके पेरेण्ट्स को न्याय मिलेगा। यह बहुत बड़ा काम होगा।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

हम स्कूल की फीस की तैयारी करें, हमको स्कूल की फीस के साथ-साथ इन कालेजेज और यूनिवर्सिटीज को भी इस तरह के बिल के नियंत्रण में लाना चाहिए जिससे उनको पता चल जाए कि अब आप नियंत्रण में आ चुके हैं, आप के ऊपर नियंत्रण रहेगा, सरकार आपकी एक-एक बात का ध्यान रखेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट। सदन की जब पिछली बैठक थी तब भी यह मुद्दा उठा था, तब भी इस पर काफी चर्चा हुई थी कि कोई नियंत्रण हो सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ से। उस समय शिक्षा मंत्रीजी ने बात मानी थी।

एक माननीय सदस्य: आप व्यवस्था दे दें।

श्री सभापति: यह तो पूरे सदन की भावना है कि यह करना ही चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बचा हुआ क्या है? खड़े होकर व्यवस्था दे दें, बनने दें इतिहास।

श्री सभापति: यह जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, यह यथार्थ है; यह तो यथार्थ की बात है कि वास्तव में निजी क्षेत्र में जो खुल रहे हैं इनकी काफी अपनी पीड़ा बता रहे हैं, वह सही है। इसलिये इस बारे में सोचना चाहिए, शिक्षा मंत्रीजी को सोचना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, जिस आसन पर आप विराजे हैं उसमें बहुत शक्ति है। आप इस शक्ति को पहचानें और सीधे निर्देश दे दें आप कि यह करके, यह नियंत्रण करके फिर सूचित करें आपको। (व्यवधान) यह करके सूचित करें आपको।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सभापति महोदय, आपके प्रति इनकी कोई भक्ति नहीं है।

श्री सभापति: अच्छा सुझाव है। आप बोलिये, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): इनकी कोई भक्ति नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): इनकी आपके प्रति कोई भक्ति नहीं है।

श्री सभापति: प्रतापसिंहजी खाचरियावास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आसन की भक्ति करते हैं हम, आसन की।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): आपकी भक्ति नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, नहीं, आसन की भक्ति होती है।

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापतिजी, मुझे अच्छा लगा कि आप खुद इतने चिंतित हैं। क्योंकि, सभापतिजी, जब आप इधर से बोलते हैं तो पूरी चिन्ता में बोलते हैं और अभी सभापतिजी जब इधर से बोलकर वहां पर बैठे हैं चेयर पर तो यह हमारे लिये बहुत खुशी की बात है कि आपने व्यवस्था दे दी तो काम हो जाएगा; भला हो ही जाएगा, जब काम हो जाएगा तो।

सभापतिजी, मैं एक और समस्या आपके जरिये शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूं, राजस्थान में, गांवों में सिंगल फेज के कनेक्शन के जरिये सबको पानी मिल रहा है, थ्री-फेज के जरिये सबको पानी मिल रहा है; लोगों का पैसा नहीं लगेगा, स्कूलों में सिंगल फेज का कनेक्शन है, उसका बिल आता है, कनेक्शन कट जाता है; स्कूलों में ऐसी व्यवस्था करें, हम सिंगल फेज का कनेक्शन फ्री करें ताकि झंझट तो मिटे रोज-रोज के पानी का। सिंगल फेस का कनेक्शन स्कूलों में फ्री करें। स्कूलों में पानी की बहुत प्राब्लम है, यह मानना पड़ेगा हमको, इसलिये हम सिंगल फेज का कनेक्शन स्कूलों में फ्री करें।

शिक्षा मंत्रीजी, मैं एक निवेदन करूंगा, यदि माडल स्कूल का मामला आपको जमे और मन में बैठ जाए तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, पंचायत स्तर पर, हर पंचायत स्तर पर एक माडल स्कूल सरकार का हो और स्टेट स्कूल के नाम से, अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि हमने सब जगह...(व्यवधान) यह पत्रकारिता यूनिवर्सिटी खोल दी, स्पोर्टस यूनिवर्सिटी खोल दी, आदिवासियों के लिए एक यूनिवर्सिटी खुली, पुलिस ट्रेनिंग के लिए एक यूनिवर्सिटी खुली और इन सारी यूनिवर्सिटीज ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा काम हुआ; माननीय सभापति महोदय, अब एक नई प्राब्लम आ गयी कि जो पुराने स्कूल चल रहे हैं, पुराने स्कूल जहां पर चल रहे हैं, उनके पास पूरा ग्राउंड नहीं है और हमने एक नया कानून निकाल दिया, हमने यह कह दिया, अभी शायद उसमें से कुछ हटाया भी है, हमने कह दिया कि आपको इतनी-इतनी जमीन चाहिए, आपको इतना-इतना ग्राउंड चाहिए, आपको यह सब

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

फुलफिल करना होगा, नहीं तो आपकी कालेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी की मान्यता खतम हो जाएगी। आप आश्चर्य करेंगे कि पूरा हंगामा हो गया। आप कोई भी डिसिजन रिट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते। आप कैसे कर सकते हैं? आप नया कानून लेकर आए हैं तो आप उसको फ्यूचर में लागू कीजिए कि हम आने वाले समय में ऐसा करने जा रहे हैं जिससे जो नया स्कूल, कालेज या यूनिवर्सिटी खुलेगी, वह उस कानून को मानेगी।

माननीय सभापति महोदय, एक और काम आपको यह करना चाहिए कि आज जिन स्कूलों के पास ग्राउंड नहीं है, जो बहुत वर्षों से चल रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में अभी से गवर्नमेंट को उन स्कूलों और कालेजों के लिए अलग से ग्राउंड की व्यवस्था करवा कर देनी चाहिए कि ये सब स्कूलें इन ग्राउंड्स का समय के अनुसार यूज कर सकती हैं। यह बहुत बड़ा डिसिजन होगा। वे बच्चे जिनके स्कूल में ग्राउंड नहीं है, वे काम में ले सकेंगे क्योंकि आज हर जगह स्टेडियम पर स्पोर्टस काउंसिल का कब्जा है, अलग-अलग फील्ड में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स का कब्जा है। यह एजुकेशन वालों के पास हो। अलग से ग्राउंड हो, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पंचायत स्तर पर, जहां पर स्कूलें हैं। तो सब स्कूलों के यदि कोई प्रोग्राम होंगे तो यह बड़ी जमीन, यह बड़ा ग्राउंड इन स्कूलों के लिए है जिनके पास ग्राउंड नहीं है, जिनके पास जगह नहीं है। तो वह बहुत बड़ा डिसिजन होगा।

अभी मैं निवेदन करना चाहूंगा, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, कोई बड़ा फैसला हो तो वह हमारी आंख से नहीं बचना चाहिए। अभी अचानक जब यह फैसला हुआ कि कालेजों के एग्जामिनेशन सेंटर अचानक बदल दिए, दूर कर दिए; कोई 15 किलोमीटर दूर जाएगा, कोई 20 किलोमीटर दूर जाएगा, कोई 25 किलोमीटर दूर जाएगा। पहले एक वी.सी. था...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): एक जगह तो 200 किलोमीटर दूर हो गया।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ये माननीय मंत्रीजी बता रहे हैं कि एक जगह पर तो 200 किलोमीटर दूर कर दिया। तो हमारी आंख से कुछ बचना नहीं चाहिए और कहीं पर तो हमें स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। कई बार हम फोन करते हैं तो सामने से अधिकारी या वी.सी. हमको

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

समझा रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम उन हजारों बच्चों के भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे किसी ने समझाने की कोशिश की तो मुझे तो समझाना आता है, मैंने उनको समझा दिया लेकिन हर आदमी मेरी तरह नहीं समझा पाता। मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं।

आप दस दिन पहले, पन्द्रह दिन पहले, बीस दिन पहले अचानक कह रहे हैं कि आपको 35 किलोमीटर दूर परीक्षा देने जाना है। क्यों? आपको किसने यह अधिकार दिया? आप बताइए तीन महीने पहले, आप बताइए चार-छह महीने पहले कि आपका सेंटर इस बार दूसरे कस्बे में आएगा, वे तैयार हो जाएंगे लेकिन अचानक आप पांच दिन पहले कह रहे हैं। अब आप उन बच्चों/बच्चियों के बारे में सोचो कि सुबह उनको ट्रांसपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? उनको साधन मिलेगा या नहीं मिलेगा? वे एग्जाम देने कैसे जाएंगे? अचानक ऐसा क्या हो गया?

फिर आपने कर भी दिया, फिर आपने बदल भी दिया, या तो एक पालिसी बनायें, पालिसी बनकर एग्जाम के एक महीने पहले, एग्जामिनेशन को लेकर पालिसी नहीं बदला करती, हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़कर हमने यह देखा कि आज जो स्टूडेंट पावर, समाज और सरकार के बीच में बैलेंस का काम करती थी, आज वह खुद शार्ट-कट के जरिए, पार्टीज के जरिए आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। वे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं।

आज स्थिति यह है, हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि हम ऐसी आज, जो पहले वी.सी. थे, गए; गनीमत है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी बच गई, लेकिन आज जो अधिकारी, जिनके पास चार्ज है, उनको आप बुलाइए और बुलाकर बात कीजिए और कम से कम ऐसे सेंटर जो पांच किलोमीटर से ज्यादा दूर हैं, उनको आपको तुरन्त प्रभाव से आदेश देना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि कम से कम बच्चों/बच्चियों को, और यदि आपने दूर कर दिया तो हम से बात करो और कहो कि क्या ट्रांसपोर्ट का साधन है, आपने जांच की? क्या आप देखने गए? यदि साधन नहीं हैं तो कैसे एग्जाम देने जाएंगे?

तो मैं आपसे निवेदन करूंगा और मैं यह भरोसा कर रहा हूं कि आज ये सारे मामले जो मैंने निवेदन किए, उनमें निश्चित रूप से, शिक्षा मंत्रीजी, स्कूलों के मामले में जो भी मैंने मेरे मन की पीड़ा आपको बताई, वह सारी पीड़ा, आप निश्चित रूप से जब जवाब देंगे तो यह समान फीस, समान कोर्स,

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

समान यूनिफार्म; बाकायदा आप एक बड़ा बेज रखो न, आप बड़ा बेज दे दो, इसका इस तरह का बेज है, बेज का एक साइज है, अलग-अलग बेज है, बेज पर नाम लिखा हुआ है, ऐसा कुछ डिसिजन आए। क्योंकि हमने दवाइयां फ्री कर दीं, हमने जाचें फ्री कर दीं, हमने लैपटाप दे दिया, हम साइकिल दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं, और बहुत बड़े काम हम कर रहे हैं; इससे लोगों की आंख में चमक है, वे यह समझते हैं कि सरकार हमारा परिवार है; ऐसे में हमारी तरफ से कुछ नए फैसले आने चाहिए, नई सोच आनी चाहिए; लोग क्या समझते हैं, वह सब समझ हमारी समझ के जरिए लोगों के बीच में जानी चाहिए।

मैं भरोसा करता हूं कि जब एजुकेशन का जवाब आएगा तो कुछ नए मुद्दों के साथ, नए फैसलों के साथ...(व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। ऐसा है, आप विराजो, मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप दो हो गए, किस सभापति की मानें? आप दो हो गए।

श्री सभापति: मैं हूं न, आसन पर मैं हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वे भी हैं और आप भी हैं।

श्री सभापति: मैंने बुलाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): देखिए, माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं होता; आपको या तो पहले सीट हैंड-ओवर करनी चाहिए थी उनको, यह बात वे कहते। दो-दो सभापति!

श्री सभापति: सचेतक महोदय, मैं हूं; आप अभी सीट पर नहीं बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या बात हुई?

श्री सभापति: आप विद्वान आदमी हों, वरिष्ठ आदमी हों, आप भी अगर ऐसी छोटी-छोटी बातों को करने लग गए तो ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) एक साथ दो-दो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति! या तो आप विराजते और वे खड़े होते। दोनों खड़े हो! दो-दो सभापति!

श्री सभापति: सचेतक महोदय, जब भी माननीय सभापति आते हैं तो उनको इसके अन्दर कुछ समझाना पड़ता है, कुछ बताना पड़ता है कि कौन कितना बोला और कौन कितना नहीं बोला; क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। यह तो बताना पड़ता है न! क्या यह भी नहीं बताएं?

(15.37 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात, अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि अभी यूनिवर्सिटीज में पोस्टें भरने का काम कुछ तो शुरू हुआ है लेकिन मैं आपके जरिए मंत्रीजी से कहूंगा कि यूनिवर्सिटीज और कालेजों में पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। हमें जल्दी से जल्दी इंटरव्यू करवाने चाहिए। पढा-लिखा नौजवान तैयार बैठा है, वह डिजर्व करता है; नैट क्लियर कर लिया; स्लैट क्लीयर कर लिया और जो नैट क्लीयर करके बैठा है, टापर बैठा है, गोल्ड मेडलिस्ट बैठा है, प्रोफेसर बनना चाहता है, लेक्चरार बनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो हमको यह सब काम... और आप लोगों को टाइम बाउंड कीजिए कि यूनिवर्सिटीज में जितनी भी पोस्ट्स खाली पड़ी हुई हैं उनको आप भरिए। बार-बार किसी न किसी बहाने से वे खारिज कर देते हैं। यूनिवर्सिटी आटोनामस बाडी है, मैं उसका सम्मान करता हूं लेकिन वह सरकार के नियंत्रण में है। सरकार उनको बुलाकर टाइम बाउंड करे कि आप, इस महीने में मुझे रिजल्ट चाहिए; सारी पोस्ट्स को एडवर्टाइज कीजिए, इंटरव्यू कीजिए और आपको जो भी प्रक्रिया अपनानी है, वह गवर्नमेंट से गाइडलाइंस लेकर अपनाइए लेकिन खाली पोस्ट्स को भरिए।

मुझे भरोसा है कि मैंने जितने सुझाव दिए हैं, जितने निवेदन किए हैं, उन पर निश्चित रूप से बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एप्रोच के साथ, बड़ी सोच के साथ, जिस तरह से मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने जितने सुझाव पक्ष और विपक्ष के सुनें, वह सब बात उनके जवाब में नजर आई और उन्होंने उनको एड किया और एड करके सब सदस्यों की भावनाओं का सम्मान किया, तो मैं यही निवेदन करूंगा।

एंड में एक निवेदन और, कि आपने 600 नए हायर सैकण्डरी स्कूल

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

दिए हैं, इसकी जगह पर आप इसको हजार कर दो और पूरी तैयारी के साथ कर दो जिससे हजार हायर सैकण्डरी, आज गांव-गांव में लोग चाहते हैं, पंचायत स्तर पर चाहते हैं कि मेरा हायर सैकण्डरी हो जाए।

तो मैं भरोसा करता हूं कि आप सब सदस्यों की भावनाओं के अनुसार, स्टेट के सब लोगों की भावनाओं के अनुसार नई सोच के साथ, कुछ सुधारों के साथ, कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटेशन के साथ अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे जो राजस्थान को नई दिशा देगा और राजस्थान को विकास का रास्ता दिखाएगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आमरण अनशन पर बैठे हैं..(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं नाम बोल चुका हूं। उसके बाद आपके लिये विचार करेंगे।

सूचना

जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में अनियमित भर्तियों को लेकर अनशन कर रहे व्यक्ति की चिन्ताजनक हालत

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): मेरा नाम कैलाश भंसाली है। जोधपुर में जयनारायण विश्वविद्यालय में जिस तरह से भर्तियां हुई हैं, उसके लिए एक व्यक्ति 23 दिन से भूख हड़ताल पर है। हर 15 मिनट में मेडिकल कालेज से बुलेटिन निकल रहा है, उसकी हालत चिन्ताजनक है। इसको इन्फोर्म करना चाहता हूं, सभापति महोदय।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति महोदय, मैं बजट की मांग संख्या-24 पर अपने विचार रखना चाहता हूं। यह वर्ष स्वामी विवेकानन्दजी के 150वें जन्म दिवस का वर्ष है और अभी सिविल लाइंस से आने वाले माननीय सदस्य ने अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं सबसे पहले उसी बात को अंकित करूंगा।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

राजस्थान का दुर्भाग्य है कि हमें सर्व शिक्षा का जो 70 प्रतिशत बजट मिलता है, उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। अभी आपने माडल स्कूल की बात की थी, 186 माडल स्कूल राजस्थान के लिये 2010-11 में स्वीकृत हो गये थे, परन्तु अभी तक एक भी माडल स्कूल चालू नहीं हुआ है; 186 माडल स्कूल गरीब छात्रों के लिये बनने थे, अभी एक भी चालू नहीं हुआ है। इस कारण से यह निश्चित तौर पर चिन्ता का विषय है। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा में जो इतना बजट आया है, 700 करोड़ और 250 करोड़, वह खर्च नहीं हुआ। इसी प्रकार से सर्व शिक्षा में 70 प्रतिशत बजट आता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने रिपोर्ट में कहा है, इतने स्कूलों में बाउंडरीवाल नहीं है; वन विभाग की बाउंडरीवाल तो नरेगा से बनती है, लेकिन सरकारी स्कूल की बाउंडरीवाल नहीं बन सकती। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिये, इसकी आवश्यकता लगती है।

इसी प्रकार से अभी सिविल लाइंस से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा, माडल स्कूल नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में तुलना करने की आवश्यकता है। मैं अभी आंकड़े निकाल रहा था, राजस्थान के सरकारी कालेजों में औसतन 1,930 बालक-बालिकाएं पढ़ते हैं और गैर-सरकारी में 200 बालक-बालिकाएं पढ़ते हैं। दुर्भाग्य है राजस्थान का कि जो उच्च शिक्षा की जो संस्थाएं हैं, जैसे विश्वविद्यालय है अलवर में, जमीन ढूंढी जा रही है, जहां से आप पधारते हैं; सीकर में जमीन ढूंढी जा रही है; भरतपुर में जमीन ढूंढी जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि 30 एकड़ में आप प्राइवेट विश्वविद्यालय खुलवा रहे हैं, राजऋषि कालेज में 30 एकड़ जमीन है; उसमें एक्ट में यह भी लिखा हुआ है कि कौनसे कॉलेज होंगे, वहां ला कालेज अलग है, आर्टस कालेज अलग है, गर्ल्स कालेज अलग है, तीनों कालेजों को मिलाकर, महारानी है, महाराजा है, इस प्रकार से और वहां 30 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। आपको आवश्यकता है क्या अलग से जमीन लेने की?

इसी प्रकार से भरतपुर में जो महारानी जया कालेज है, उसमें 30 एकड़ से ज्यादा जमीन है, वहां भी गर्ल्स कालेज है। इसी प्रकार से सीकर में एस के कालेज है, उसके पास में स्कूल है, जो बंद के कगार पर है, उसको बदला जा सकता है; उसकी भी 30 एकड़ जमीन हो जाती है। इस प्रकार से जो हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से मैं पाजिटिव सुझाव दे रहा हूं।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

इसी प्रकार से, उच्च शिक्षा में जो स्थिति है, सभापति जी, उच्च शिक्षा में इतना इम्बैलेंस है, झुन्झुनूं में 16 हजार की आबादी पर एक कालेज है और जैसलमेर में सवा 2 लाख की आबादी पर एक कालेज है। इसको कौन ठीक करेगा? इसमें सरकार को अपनी उदारता दिखानी पड़ेगी और वहां नियम नहीं चल सकते। जैसलमेर और बाड़मेर में आदमी कैसे रहता है, यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम हमेशा उनके साथ बेईमानी करते हैं। 1956 में स्व. नेहरूजी ने यह घोषणा की थी कि गडरा रोड तक पानी जायेगा, चला गया क्या पानी गडरा रोड तक? वहां पर ऐसी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। तेल निकल गया तो बाड़मेर याद आ रहा है। बाड़मेर की स्थिति इतनी नाजुक है कि वहां 1 लाख 86 हजार पर एक कालेज है। वहां पर क्यों नहीं प्रत्येक ब्लाक पर एक सरकारी कालेज खोल दें? क्या फर्क पड़ता है? जब इतने हजार करोड़ का बजट है तो क्या फर्क पड़ता है?

इतना ही नहीं, मैं कैलकुलेट कर रहा था कि एस सी, एस टी के जितने बाहुल्य क्षेत्र हैं, उनमें शिक्षा का स्तर कम है। इसको ठीक कौन करेगा? जब सरकारी कालेज में औसत 1,930 का बैठता है और प्राइवेट कालेज में 200 बैठता है, तो प्राइवेट कालेजों के माध्यम से हम विकास करेंगे क्या?

आप देखिये, क्या स्थिति है, कालेजों की खोलने की स्थिति बता रहा हूं मैं अभी। किसी माननीय सदस्य ने टिप्पणी की थी, मैं उस वक्त यहां नहीं था, क्या किया आपने; मैं निवेदन कर रहा हूं, राजस्थान में 144 कालेज हैं, उनमें केवल 15 कालेज हैं लॉ के, 129 कालेज हैं, 129 कालेज में, माननीय सभापतिजी, 75 कालेज तो बी जे पी के राज में खोले हैं और कांग्रेस के 50 साल के राज में केवल 54 कालेज खुले हैं। उसमें भी माननीय स्व. सुखाड़ियाजी ने अकेले ने 40 कालेज खोले थे; बाकी 32 साल का जो कार्यकाल है, उसमें 32 कालेज न खोलकर केवल 14 कालेज खुले हैं, कांग्रेस के शासन में। इस वर्ष को छोड़ दीजिये, जो एक अप्रैल से शुरू होगा। इसमें गर्ल्स की स्थिति तो और भी ज्यादा नाजुक है; इन्होंने 50 साल में गर्ल्स के केवल 12 कालेज खोले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल के राज में गर्ल्स के 23 कालेज खोले हैं। यह स्थिति बता रहा हूं मैं आपको।

इतना ही नहीं, अभी महिला शिक्षा की बात हो रही है, यह दुर्भाग्य है, जब मैं यहां आया हूं, उस समय मां को पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है; इस

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

साल बजट कम हो गया। महिला शिक्षा में 2013-14 में आयोजना व्यय में 280 करोड़ था पिछली बार, अब की बार 219 करोड़ रह गया।

इसी प्रकार से जो जनजाति उप-योजना है, उसमें पिछली बार 182 करोड़ था, अब की 174 करोड़ कर दिया गया। क्या सब ट्राइबल्स पढ़ गये? ट्राइबल्स की बच्चियां पढ़ गयीं क्या? एक कालेज खोला था 1995 में भैरोंसिंहजी शेखावत ने। राजस्थान में झुन्झुनूं के बाद अगर सबसे ज्यादा लड़कियां हैं तो ट्राइबल्स के गर्ल्स कालेज बांसवाड़ा में हैं। हमें यह भी स्टडी करनी चाहिये। केवल आधार पर यहां खोल दो, वहां खोल दो; ट्राइबल के प्रत्येक उप-खण्ड में क्यों नहीं खुलने चाहिये सरकारी कालेज? क्यों नहीं खुलने चाहिये, अगर शिक्षा को बढ़ाना चाहते हो तो? और इसका अन्तर आता है। मैं आपके सामने निवेदन करूंगा, एस सी, एस टी के जो 100 बालक पढ़ते हैं तो लड़कियां 62 पढ़ती हैं और जनरल के 100 लड़के पढ़ते हैं तो बच्चियां 114 पढ़ती हैं। इसको ठीक कौन करेगा? एस सी, एस टी के जो ब्लाक हैं, घोषित हैं 2030 तक, एस सी, एस टी की जो सीटें बनी हैं, उनमें आप प्रयास करिये और उनको विशेष दर्जा दीजिये; दे भी रखा है, आपने माडा का कर रखा है, उपयोजना बढ़ाकर। फिर ट्राइबल्स की, फिर क्या लाभ हो रहा है उसका?

मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, बांसवाड़ा के गर्ल्स कालेज के 13 मीटर पर 75 लाख रुपये का छात्रावास बना हुआ है और 16 साल में भी वह चालू नहीं हुआ है। अन्तर इतना है, वह स्कूल के ग्राउण्ड में बन गया। अरे, स्कूल के ग्राउण्ड में बन गया, उस समय शिक्षा का हैड तो एक ही था। अगर बन गया तो वहां लड़कियां केवल खाना खाने आयेंगी क्या? हर गांव में स्कूल हो गये। कालेज की लड़कियां आती हैं। उस छात्रावास को टेक-अप करिये और उसमें छात्रावास चालू करिये। यह स्थिति है वहां पर। 85 लाख का छात्रावास, 15 लाख बाद में दिये गये हैं, वहां पर इतना बड़ा छात्रावास बना हुआ है 75 कमरों का, वह आज तक चालू नहीं है! लड़कियां रहने के लिये भटकती हैं। वे ट्राइबल लड़कियां जगह-जगह किराये के कमरों में रहती हैं। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, इसको ठीक करिये।

इतना ही नहीं, इम्बैलेंस भयंकर है राजस्थान में; जयपुर डिविजन में 24 हजार बच्चों पर एक कालेज है और जोधपुर में, जहां से हमारे मुख्य मंत्रीजी आते हैं, वहां पर एक लाख छह हजार बच्चों पर एक कालेज है, पूरे

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

जोधपुर डिविजन में। इसको ठीक कौन करेगा? जोधपुर डिविजन में तुलना करोगे जयपुर से, झुन्झुनूं से करोगे?

इसी प्रकार से शासन की बात चल रही थी, नावां से आने वाले माननीय सदस्य ने जोरदार तरीके से बात कही थी, मैं उनको निवेदन कर रहा हूं कि जब चार साल का शासन था 2000 वाला, 2003-04 तक जो शासन था, उस केवल 12 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोली थीं और हमने कितनी खोलीं हमने 5,731 सैकण्डरी स्कूल खोलीं और 3,161 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलें खोलीं पांच साल में और आपके दोनों कार्यकाल मिला दो, वर्तमान के पांच साल भी, तो भी आप वहां तक नहीं पहुंचते हो। आपकी रिपोर्ट के आधार पर ही कह रहा हूं। ..(व्यवधान)... आ रहा हूं उस पर। चार साल तक जीरो है। इस वर्ष आपके 34,446 भर्ती हैं और चार साल जीरो है। यह आपका रिकार्ड है, क्वेश्चन का उत्तर है।

इतना ही नहीं सैकण्डरी स्कूल, जो गहलोत साहब का पुराना कार्यकाल था, 427 स्कूलें खोली थीं और हमने कितनी खोली थीं? अब कितनी खोली हैं आपने? अभी 600 जोड़ दें। सिविल लाइंस से आने वाले सदस्य ने कहा कि 600 से 400 और करो। मैं कहता हूं पिछले 8 साल में 5 हजार सैकण्डरी स्कूल खुल गयीं; उनके अनुपात में ही सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोलो, तब ही उसका लाभ मिल पायेगा। सरकार का मापदण्ड है, तीन स्कूलों पर एक स्कूल होनी चाहिये। तो 1,700 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल होने चाहिये, 1,700 की जगह आपने केवल 200 किये हैं; आप 1,500 और करिये। (व्यवधान) 1,000 नहीं 1,500 करिये, तब बैलेंस बैठेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस इम्बैलेंस को ठीक करो। इतना ही नहीं, बालिका शिक्षा पर, इधर महिला सदस्या कह रही थीं, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि बालिका माध्यमिक शिक्षा में भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार 4 परसेंट की वृद्धि हुई और आपके राज में वह 3 परसेंट आ गया। आपके डाक्यूमेंट आये हैं परसों, उसमें आया है कि पहले 34 परसेंट बालिका शिक्षा पर खर्च होता था, अब 30 परसेंट रह गया; चार परसेंट कम हुआ है। हमारे टाइम में 29.31 था उसको 33.33 हमने किया, यह आपका रिकार्ड कह रहा है, 4 परसेंट बालिका शिक्षा में बढ़ा है और आपने चार सालों में इसको घटाया है।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बालिका शिक्षा का और निवेदन कर रहा हूं, मैं जिले बोल रहा हूं; सारे देश में 16 परसेंट का अन्तर है बालिका शिक्षा और पुरुष शिक्षा में और राजस्थान में 28 परसेंट है। देखिये, सवाई माधोपुर 33.92, दौसा में 32.21, नागौर में 30.21, जैसलमेर में 32.87, बाड़मेर में 30.29, जालौर में 33, सिरोही में 32.26, राजसमंद में 30.92 और चित्तौड़ में 30.28 परसेंट है लेकिन आप उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का सौभाग्य देखिए, वहां पर भैरोंसिंहजी के टाइम पर प्रत्येक पंचायत में मिडल स्कूल्स की गई थीं, उसका परिणाम आ गया और बांसवाड़ा औसत से नीचे आ गया, 27 परसेंट, 26 परसेंट। उसका कारण है कि वहां दो गैर-सरकारी संस्थाएं हैं, भारत माता मन्दिर, बांसवाड़ा और वनवासी कल्याण आश्रम, बांसवाड़ा, ये शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए वहां पर बालिका शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है। यह मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये कहां पर हैं?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): हां, रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में। मैं वहां चार साल रहा हूं, मैं आज भी बांसवाड़ा का आपको बता सकता हूं। (व्यवधान) हां, कहा न मैंने। गैर सरकारी संस्थाओं की बात कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि ट्राइबल बेल्ट में हर-जगह महिला शिक्षा की कालेज खुलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं न, गैर सरकारी संस्थाएं बोला है मैंने, वे मान्यता प्राप्त हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं करें, माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): मैं तो केवल जानकारी चाह रहा हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी संस्थाएं कहां हैं, मैं जानकारी तो कर लूं, ताकि मैं देख लूं।

श्री सभापति: व्यवधान करने की इजाजत नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): व्यवधान थोड़े ही कर रहा हूं, जानकारी कर रहा हूं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि हल्के भगवा रंग की जो कमीज पहन कर आता है, वह

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

वनवासी कल्याण आश्रम का बालक है, वह भारत माता मन्दिर का बालक है। वे आपको वहां दिखाई दे जाएंगे। वहां पर बजरंग मण्डल के माध्यम से भी निर्माण हो रहा है, वह भी आपको दिख जायेगा। आप देख लेना वहां।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): फिर भी लिस्ट हो तो दे दो आप।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): हां, मैं दे दूंगा।

इतना ही नहीं, सभापतिजी, शिक्षा की इस स्टेट में जो विकास दर है, वह भी निवेदन करना चाहता हूं। 1980 से 1990 तक कांग्रेस का शासन था, उस समय हमारी ग्रोथ रेट 30 परसेंट से 38 परसेंट हो गई थी, वह 8.46 परसेंट बढ़ी लेकिन जब भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री रहे 1990 से 1998 तक, आठ साल रहे, बाद में अशोकजी आ गये थे, उस समय शिक्षा की ग्रोथ रेट 32.48 थी। जब आप दस साल रहे तो आपकी ग्रोथ रेट थी 8.46 और उसके बाद, अभी भी 8 परसेंट ही रही है।

इसी प्रकार से, बालिका शिक्षा में 80 से 90 तक दस परसेंट ग्रोथ रेट थी और 1990 से 2000 तक 23.90 परसेंट हो गई। इतना ही नहीं, भारत की ग्रोथ रेट वर्तमान में जो 2011 तक आयी है, वह साढ़े छह परसेंट और राजस्थान की छह परसेंट है। इसमें मिला-जुला है। इस कारण से ग्रोथ रेट के हिसाब से देखते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, ऐसी प्रार्थना मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कर रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र से तीन साल पहले पैसा आ गया; 186 ब्लाक्स पिछड़े घोषित किए गए, उनमें से 134 के लिए भी पैसा हमें मिल गया लेकिन अभी तक तैयार एक भी नहीं हुआ है। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से 73 निर्माणाधीन हैं और बाकी में कार्य प्रारम्भ करने की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे 61 हैं। इस प्रकार, यह तो 134 का यह बताया लेकिन 52 का अता-पता ही नहीं कि चालू भी हुए कि नहीं। यह तीन साल पुराना है जो केन्द्र ने मंजूर किया है। ऐसे छात्रावास 62 निर्मित हो रहे हैं, 63 निर्माणाधीन हैं और 61 के कार्य प्रारम्भ करने की तैयार की जा रही हैं, यह आपकी रिपोर्ट है।

अभी गढ़ी से आने वाली माननीय सदस्या, बहन पूछ रही थीं, यह मेरे हाथ में आपके शिक्षा मंत्रीजी का जवाब है, प्रारम्भिक शिक्षा में 87,229

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

नियुक्तियां हुईं और माध्यमिक शिक्षा में 4,797 कुल मिलाकर 92026 भारतीय जनता पार्टी के राज की नियुक्तियां हैं। आपने जवाब दिया है दूसरे खण्ड में, जब बजट प्रावधान ही नहीं था, मेरा कहना यह है, तो फिर बजट में घोषणा क्यों की गई? यह मैं आपके परिशिष्ट के आधार पर कह रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं बोल रहा हूं, मैं शिक्षा के लिए अच्छी भावना से कह रहा हूं। ट्राइबल्स, एस सी और एस टी के प्रत्येक विधान सभा में गर्ल्स और बायज कालेज खोल दोगे तो 2021 में राजस्थान एक नम्बर पर होगा, ऐसी घोषणा कर देता हूं मैं, लेकिन इतना करने की आवश्यकता है। ट्राइबल्स के सभी कालेज, सभी के हिसाब से।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): वनवासी कल्याण परिषद क्या है, यह तो बताओ।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): बताऊंगा मैं, अकेले में बात कर लेना। आप सदन का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): आप पांच मिनट और ज्यादा बोल लेना लेकिन बताओ आप तो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, वनवासी कल्याण आश्रम के बारे में आपकी अनुमति हो तो बोल दूं? मैं इनको बता दूं? आप कहो तो नहीं बोलूं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया अब आप समाप्त करें एक मिनट के अन्दर।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अब मैं आंकड़े न देकर सामान्य सुझाव देता हूं। सभापतिजी, एक निवेदन किया गया था अभी, अब तो वे बाहर चले गये, कि हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें नि:शुल्क पानी का बिल होना चाहिए। मैं तो आश्चर्य करता हूं, जब यह पढ़ता हूं कि हमारे पानी और बिजली के जो बिल हैं वे व्यावसायिक लगते हैं। राजस्थान में जो चोरी करके उद्योग चलाते हैं, उनको तो आवश्यकता नहीं लेकिन जो संस्था पानी पिलाती है उनको व्यावसायिक बिल देना पड़ता है। उसको क्या एग्रीकल्चर का बिल नहीं कर सकते? या कम नहीं कर सकते? 6 रुपये प्रति यूनिट लेते हैं। इसीलिए तो पानी के बिल टाइम पर जमा नहीं होते हैं। इस सदन के माध्यम से मैं मांग करता

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

हूं मुख्य मंत्रीजी से कि पानी के सरकारी संस्थाओं के बिलों में व्यावसायिक बिल नहीं लिया जाए। इससे अपने आप बजट कम हो जाएगा। हम बजट के लिए भीख मांगते फिरते हैं। इसको तो हम कर सकते हैं न। पूरा सदन बैठा हुआ है, यह तो कह सकते हैं कि हम पानी का व्यावसायिक बिल नहीं लेंगे। बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाएगा।

इसी प्रकार बिजली बोर्ड का है। व्यवसाय है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन को मजबूर करने जा रहे हैं, मैं दूसरा नाम लेने जा रहा हूं। विराजें आप।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं केवल दो मिनट लूंगा, कुछ उपयोगी सुझाव देना चाहता हूं मैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: श्री शाले मोहम्मद।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पहले बैठिए आप। आसन पैरों पर है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मांग संख्या 24 पर शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर चर्चा हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। आज पूरा सदन जिस प्रकार से शिक्षा पर चिन्ता कर रहा है, मैं समझता हूं कि यह चिन्ता वाजिब है। पिछले 15 सालों से मैं भी देख रहा हूं कि जिस प्रकार से राजस्थान के अन्दर प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, आंखर कोट्ड़ियां, इस तरह कई प्रकार के साक्षरता सहित भिन्न-भिन्न अभियान चलाये गये। अभी सर्व शिक्षा अभियान जिस प्रकार से पूरे देश के अन्दर चल रहा है, सर्व शिक्षा अभियान में हर गांव के अन्दर, हर ढाणी के अन्दर, शिक्षा के क्षेत्र में जिन गांव और ढाणियों के अन्दर बच्चे बिना भवन के शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, मैं समझता हूं, सर्व शिक्षा अभियान के आने से इन गांवों और ढाणियों में शिक्षा की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। राइट-टू-एजुकेशन का अधिकार जो दिया गया है, हमारे साथी सिविल लाइंस से आने वाले राइट-टू-

(श्री शाले मोहम्मद)

एजुकेशन की जो बात कर रहे थे, मैं समझता हूं कि शिक्षा का अधिकार आने से हर आदमी का एक कर्त्तव्य बन गया है कि हर परिवार के बच्चे को अच्छी शिक्षा दें। इससे एक बड़ा अधिकार हमें मिला है।

(16.00 बजे)

मैं सीमावर्ती जिले से, जैसलमेर से आता हूं, राजस्थान का पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ जिला है। तो उन रेगिस्तानी इलाकों में, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के शिक्षा के हालात हैं, आज उनकी ग्राम पंचायतों की दूरी देखें, चाहे गांव और ढाणियों की दूरी देखें, तो अपने आप में 38 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वहां की जो स्थितियां हैं वे एक अलग स्थितियां हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब भी शिक्षा की प्लानिंग हो, उसमें जैसलमेर और बाड़मेर के लिए अलग से प्लानिंग करनी चाहिए। वहां के बच्चों को शिक्षा देने के लिए यदि इस प्रकार से हम नियम-कायदे नहीं बनायेंगे, जिस प्रकार से राजस्थान के जो दूसरे जिले हैं, उन जिलों से एक भिन्न स्थिति के जिले हैं।

मैं चाहता हूं कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने, जिस प्रकार से पूर्व में जब मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब की सरकार थी, उस सरकार के अन्दर जो राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गयी थीं, जैसलमेर के हर कोने में, हर ढाणी में वे विद्यालय खोले गये थे, पर जब वह सरकार चेंज हुई, इससे पूर्व जो सरकार बनी थी उस सरकार ने वे सभी राजीव गांधी पाठशालाएं बंद कर दीं। उन्होंने राजीव गांधीजी का नाम उन स्कूलों से तो हटाया, इसके साथ-साथ में उन्होंने यह काम भी किया कि उनके जो चहते थे, यहां उनके जो जन-प्रतिनिधि थे, उन्होंने जिस स्कूल का चयन किया, उस स्कूल को तो इन्होंने, प्राथमिक विद्यालय को चालू कर दिया; दूसरे जितने भी विद्यालय थे उन विद्यालयों को बंद कर दिया, आज भी वे बंद पड़े हैं। उन्होंने सिर्फ जहां अपने लोग रहते हैं, उन्हीं विद्यालयों को ही वहां चालू रखा। आज ऐसे काफी विद्यालय आपको वहां मिल जायेंगे, जहां पर उन ढाणियों के अन्दर उनके भवन बने हुए हैं, हमने पंचायती राज संस्थाओं से पैसा लेकर बिल्डिंगें बना दी थीं पर उसके बावजूद भी आज वे विद्यालय बंद पड़े हैं।

पिछली बार मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट दिया था, एक हजार जो पाठशालाएं दी थीं, उसके तहत हमने कुछ विद्यालय वहां पर खोलने का एक प्रयास किया है, अभी-अभी जो विद्यालय बंद थे वे चालू हुए हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा नये विद्यालय खोलने की,

(श्री शाले मोहम्मद)

क्रमोन्नत करने की, चाहे सैकण्डरी विद्यालय हों, चाहे हायर सेकण्डरी हों, लगातार हमारी यह मांग रही थी, खास तौर से हमारे जैसलमेर जिले से कि हमें नये विद्यालय दिये जाएं, उन्होंने नये विद्यालय दिये। उन्होंने हमेशा एक ही बात कही कि जब तक हम फर्स्ट ग्रेड और सेकण्ड ग्रेड अध्यापकों की भर्ती नहीं करेंगे तब तक हम नये विद्यालय नहीं खोलेंगे। उन्होंने अध्यापकों की भर्ती की, उसके बाद ही उन्होंने नये विद्यालय खोलने शुरू किये। तो हमें इस बात की खुशी है कि राजस्थान के अन्दर जो बहुत बड़ी शिक्षकों की कमी थी, चाहे थर्ड ग्रेड की हो, चाहे सैकण्ड ग्रेड की हो, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने उन भर्तियों को पूरा किया। आज हमारे जैसलमेर में कई ऐसे स्थानों पर तो थर्ड ग्रेड और सैकण्ड ग्रेड के अध्यापक लगे हैं।

पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किया, जैसा कि नावां से आने वाले विधायक महेन्द्र सिंहजी ने कहा, उन्होंने यह घोषणा की थी कि हम हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सैकण्डरी स्कूल खोलेंगे, उन्होंने कहां खोले! घोषणा तो उन्होंने कर दी पर उन्होंने सैकण्डरी विद्यालय वहीं खोले जहां पर इनके वोटर्स थे। उन्होंने इस प्रकार की राजनीति की। आज भी आप देख सकते हैं, कई ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, उन पंचायत मुख्यालयों पर सैकण्डरी स्कूल नहीं हैं। जब हमने यह बात मुख्य मंत्रीजी से कही, शिक्षा मंत्रीजी से कही, जब उनके कानों तक हमारी बात पहुंची, क्योंकि इन्होंने जहां-जहां विद्यालय खोले थे, पिछली बार इन्होंने नोर्म्स बनाये थे कि पूरी पंचायत में यदि एक विद्यालय वहां पर खुला हुआ है तो वहां दूसरा विद्यालय नहीं खुलेगा और वास्तव में जो पंचायत हैडक्वार्टर थे, जो पंचायत मुख्यालय थे, वहां पर विद्यालय नहीं खुल पाये। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बजट के दौरान मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है कि जहां-जहां पंचायत मुख्यालय पर सैकण्डरी स्कूल नहीं हैं, सबसे पहली प्राथमिकता उनको दी जायेगी। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ-साथ में, उन्होंने विशेष तौर से इस बजट के अन्दर एक हजार नये प्राथमिक विद्यालय, एक हजार उच्च प्राथमिक वियालय, एक हजार सैकण्डरी स्कूल और 600 हायर सेकण्डरी स्कूल खोलने की जो घोषणा की है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। खास तौर से मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिले की परिस्थितियों को देखते हुए यदि आप उनकी दूरियों को देखोगे, देखने के बाद यदि कोई निर्णय लेंगे तो मैं समझता हूं कि उसमें

(श्री शाले मोहम्मद)

हमारे जिले का भला होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जिले की परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर नये विद्यालय भी ज्यादा खोले जाएं, क्रमोन्नत विद्यालय भी ज्यादा किये जाएं और सेकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल भी हमें ज्यादा दिये जाएं ताकि वहां के बच्चों को कहीं दूरदराज नहीं जाना पड़े, उनको शिक्षा सही रूप से नजदीकी स्थान पर मिल सके। इसके लिए आप व्यवस्था करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

खास तौर से, अभी तहसील स्तर पर जिस प्रकार से ये संकाय, विज्ञान, कला और वाणिज्य के खोलने की बात कही है, मैं समझता हूं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, यह भी हमारी एक बहुत बड़ी जरूरत थी। तो आने वाले समय में यह भी जो हमारी जरूरत है, इस जरूरत को पूरा करें। हर तहसील में सभी तरह के संकाय यदि खुल जायेंगे, इसके साथ-साथ यदि संकाय के विषय अध्यापक मिल जायेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी।

मैं खास तौर से यह कहना चाहूंगा कि अभी सिविल लाइन्स से आने वाले विधायक जो कह रहे थे कि माडल स्कूल जिस प्रकार से आज की बहुत बड़ी जरूरत है, आज जिस प्रकार से हर ब्लाक स्तर पर, उपखण्ड पर आप माडल स्कूल खोल रहे हैं, इसमें आप इस प्रकार की जो विशेष सुविधाएं दे रहे हैं, उन सुविधाओं के जरिए गरीब का बच्चा एक अच्छी शिक्षा लेगा और वहां पर इस प्रकार की जो उनकी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से आवासीय विद्यालय, स्पोर्टस सुविधाएं, सब सुविधाएं दोगे, इस प्रकार से यदि आने वाले समय में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी माडल स्कूल बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी शिक्षा वहां बच्चे प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और माडल स्कूल यदि उपखण्ड पर बनते हैं तो काफी बच्चे वहां, क्योंकि माडल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा होते हैं, इसलिए यदि पंचायत मुख्यालय पर निर्णय लिया जाता है तो आने वाले समय में हमारे जिले को इसको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।

इसके साथ-साथ, खास तौर से यह कहना चाहूंगा कि आपने जिस प्रकार से अल्पसंख्यक बच्चों को जोड़ने के लिए, अभी आपने बच्चियों को देने के लिए स्कूटी की जो बात कही है, मैं समझता हूं कि हमारे समाज में जिस प्रकार से शिक्षा की बहुत कमजोर स्थिति है, अभी जिस प्रकार का एक माहौल

(श्री शाले मोहम्मद)

तैयार हुआ है, जिस प्रकार से मदरसों में आपने मिड-डे मील शुरू किया, बच्चियों को छात्रवृत्ति देने का काम किया और साथ-साथ में बच्चियों के लिए जो स्कूटी देने की बात कही है, मैं समझता हूं, एक प्रोत्साहन की बात कही है और इससे बच्चियां आने वाले समय में शिक्षा से जुड़ेंगी।

अभी भिण्डा जी जो कह रहे थे, जिस प्रकार से अपने आंकड़े जिले-वाइज बता रहे थे, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब भी खड़े होते हैं तो आंकड़े जरूर लेकर आते हैं और यह आंकड़े सिर्फ यहीं पर रह जाते हैं और उन आंकड़ों में जब इनकी सरकार थी, तब किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते हैं।

सबसे पहले जो दोषी है, वह पूर्ववर्ती सरकार है; इन्होंने भर्ती के नाम से कुछ भी नहीं किया। जितना भी किया, ऐसा काम किया कि आने वाली सरकार को बहुत बड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ी। यदि ये भर्ती कर लेते, ये विद्यालय खोलते गये, नये विद्यालय खोले, सेकण्डरी, हायर सेकण्डरी विद्यालय खोले, यदि उनमें अध्यापक नहीं हैं तो वे विद्यालय किस काम के? पूर्व सरकार यदि अध्यापक लगा देती तो आज शिक्षा के जो हालात हैं, इस प्रकार के हालात पैदा नहीं होते। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आपकी जो कमी है, उस कमी को यदि आप देखते, तो आज शिक्षा की हालत और अच्छी होती।

मैं खास तौर से यह कहना चाहूंगा, इस बजट के दौरान शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान खास तौर से इस बात पर दिलाना चाहूंगा कि आपने उर्दू के लिए जिस प्रकार से अभी एक हजार पद देने की बात कही है, सेकण्ड और थर्ड ग्रेड दोनों में, मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे जैसलमेर जिले में ज्यादातर इस प्रकार के विद्यालय हैं जहां पर उन्होंने यह तृतीय विषय चयन में उर्दू का विषय भेजा है। जो वहां से लिस्ट हमने भेजी थी उसमें कुछ जगह तो आपने उर्दू का विषय वहां खोल दिया, पर दूसरा वहां से जो लैटर आया था उस लैटर पर अभी तक सही रूप से कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से, पिछली बार भी आपने बजट में घोषणा थी कि उर्दू के नये पद सृजित होंगे, हमने यह भी पता किया कि आपके अजमेर तक भी वह लैटर गया था, उसके बाद में उन्होंने उस लैटर में कमी निकालकर के वापस आपके डिपार्टमेंट को भेज दिया। उसकी वजह से अभी तक उर्दू के अध्यापकों के पद सृजित नहीं हुए हैं, न ही नई भर्ती में उर्दू अध्यापक आए हैं। इसलिए मैं

(श्री शाले मोहम्मद)

चाहता हूं कि पूर्व में जो सरकार की घोषणा है, उस घोषणा को पूरा करने के लिए यदि आप उर्दू के अध्यापकों की भर्ती सही रूप से जल्दी करेंगे तो मैं समझता हूं, कई बच्चे हैं, उसमें सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के बच्चे ही नहीं हैं, आजकल सभी समाजों के बच्चे उर्दू में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हमारे पूर्व में जो चयन हुआ था, उसमें सभी समाजों के, छत्तीस कौमों के बच्चों का चयन हुआ था, उर्दू के अन्दर। इसलिए मैं चाहता हूं, अभी भी सरकार ने यह घोषणा की है, अभी भी एक हजार नये पद आप देंगे, तो पहले जो पद दिए थे यदि उसमें जल्दी से जल्दी आप भर्ती शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूं, आने वाले समय में उर्दू के जहां-जहां पद रिक्त हैं, उन रिक्त पदों को जल्दी भर सकते हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस पर आप जल्दी कार्यवाही करके अमल करेंगे और जो नई घोषणा अभी हुई है, उस पर भी आप जल्दी से जल्दी अमल करने की कोशिश करेंगे।

खास तौर से मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि अभी जिस प्रकार से शिक्षा को हमने दो भागों में बांट रखा है...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति जी, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, मुझे थोड़ा समय दें। पंचायती राज के पास भी थर्ड ग्रेड का अध्यापक और शिक्षा आपने दी है उनको, जिसमें पंचायत समिति लेवल पर और जिला परिषद लेवल पर दोनों शिक्षा को देख रहे हैं। आज स्थिति यह है कि आपका बी ई ओ और ए बी ई ओ, एक तरफ तो पंचायती राज वाले अपनी धाक जमाते हैं और फिर आपके आदेश बीकानेर और जयपुर से जाते हैं, वे अलग तरीके से जाते हैं। जब भी, कोई भी उनका शिक्षा से सम्बन्धित काम हो, पंचायती राज में उनको दे दिया है तो आप उनके अन्डर में रखें। जो भी शिक्षा का काम है, पंचायती राज की शिक्षा की एक स्थायी कमेटी बनी हुई है, चाहे पंचायत समिति के लेवल पर देखें, चाहे जिला परिषद के लेवल पर देखें। तो बी ई ओ और ए बी ई ओ को हम पूछते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हमें जो बीकानेर से या जयपुर से आदेश मिला है, उस आदेश की हम पालना कर रहे हैं। उससे हालात बिगड़ जाते हैं, वहां पर पंचायती राज का और आपके विभाग का टकराव हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसमें स्पष्ट करें कि जिस विभाग को, यदि आपने आपके विभाग को पंचायती राज को हैण्ड-ओवर कर दिया है तो

(श्री शाले मोहम्मद)

उनके कामकाज भी आप पंचायती राज विभाग को करने दें। ऐसा नहीं हो कि बीकानेर से, जयपुर से आदेश हुआ, आपके बी ई ओ, ए बी ई ओ और डी ई ओ को थोप रहे हैं। उससे स्थिति और बिगड़ जाती है।

इसलिए मैं शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि जो आपको स्थायी कमेटियां वहां बनी हुई हैं पंचायती राज की, उस पंचायत समिति लेवल की और जिला परिषद के लेवल की, उन समितियों के निर्देशों की वे पालना करें; जो भी आप निर्णय लेना चाहते हैं, आप उसका निर्णय उस समिति के तहत कराएं। या तो पंचायती राज से आप आपके अधिकार वापस ले लें। यदि अधिकार उनको देना चाहते हों तो सम्पूर्ण रूप से उनको अधिकार दें। इस प्रकार से नहीं हो कि आपके अधिकारी अलग निर्देश दें, सरकार और कोई बात कह रही है। इस बात पर मेहरबानी करके आप विशेष तौर से ध्यान दें।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, हमारे क्षेत्र में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है। वहां जो भी एस सी, एस टी, अल्पसंख्यक बच्चियां हैं, जो बच्चियां घर से बाहर नहीं जाती थीं दूरदराज के गांव और ढाणियों की, आज जहां-जहां आपके कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चल रहे हैं उनमें काफी अच्छी संख्या में वहां बच्चियां पढ़ रही हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन आवासीय विद्यालयों को भी यदि आप सैकण्डरी तक बनाते हों तो जो बच्चियां आठवीं तक की वहां शिक्षा ले रही हैं, यदि उनको दसवीं तक की शिक्षा वहां मिल जाती है तो वे बच्चियां ड्राप-आउट नहीं होंगी, शिक्षा की सम्भावना और आगे बढ़ेगी ताकि आगे आने वाले समय में वहां से सैकण्डरी करने के बाद में हायर सैकण्डरी और कालेज तक वे बच्चियां पहुंचें। इनको जो शिक्षा मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है और हमारे जिले में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है। मैं चाहता हूं कि इसमें भी आप विशेष तौर से ध्यान दें।

आपके जो माडल स्कूल बन रहे हैं उसकी भी आप जल्दी शुरुआत कर दें ताकि हमारे जिले को उसका जल्दी से जल्दी फायदा मिल सके।

खास तौर से मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा जो क्षेत्र है, अभी जब आई जी एन पी कैनाल आयी, जब नहरी क्षेत्र बना, नहर आने के बाद में वहां

(श्री शाले मोहम्मद)

पर चार-पांच जिलों के लोग आकर बस गये। उसमें नये राजस्व गांव भी बनना शुरू हो गये हैं। नये राजस्व गांवों में जितने भी किसान वहां रह रहे हैं, उन किसानों के बेटे करीबन पचास-साठ किलोमीटर दूर जाकर शिक्षा लेते हैं। वहां प्राइवेट स्कूलें खुल गयी हैं, वे प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती करा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि नहरी क्षेत्र में जो नये राजस्व गांव बने हैं, वहां पर आप यदि स्कूलें, इस बजट में जो घोषणा की है, उसमें आप वहां खोलोगे तो उन किसानों के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी।

पालीटेक्निक कालेज की बात मैं कहना चाहूंगा, तकनीकी शिक्षा में पिछली बार बजट में घोषणा हो चुकी है, मैं चाहता हूं कि हमारी वहां बिल्डिंग भी जैसलमेर की बन चुकी है, यदि आप जल्दी से जल्दी वहां पर स्वीकृति दे दें और इस साल यदि मार्च के बाद वह शुरू हो जाता है तो जैसलमेर में जो एक बहुत लम्बे समय से जरूरत थी उस जरूरत को यदि जल्दी पूरा करोगे तो वहां के बच्चों को जल्दी उसका फायदा मिलेगा।

खास तौर से, इंजीनियरिंग कालेज भी मुख्य मंत्रीजी ने दिए हैं, उसके लिए भी मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

इस प्रकार से, मैं समझता हूं कि शिक्षा की स्थिति को सुधारने का बहुत बड़ा प्रयास किया है सरकार ने। उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी, दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं खास तौर से यही कहना चाहूंगा कि जो मैंने शिक्षा मंत्रीजी के सामने अपनी बातें रखी हैं, जो मांगें रखी हैं, उनको जल्दी ही पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ, एक बार पुनः मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शिवजीराम मीणा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन के लिए निवेदन किया था।

श्री सभापति: इनके बाद, शिवजीराम मीणा के बाद।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2013-14 के लिए अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर वादविवाद चल रहा है। उस पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

(श्री शिवजीराम मीणा)

सभापति महोदय, हर राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षित नागरिक से ही एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। मैं समझता हूं, शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा करनी चाहिए। शिक्षा से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण होता है। कोई भी सरकार आयी, उसने शिक्षा के क्षेत्र में खूब काम किया, अच्छा काम किया लेकिन फिर भी अभी काफी सम्भावनाएं शिक्षा के क्षेत्र में हैं।

सभापति महोदय, यदि आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 2001 का साक्षरता का राष्ट्रीय औसत हमारा 65.38 परसेंट था और उसके मुकाबले में हमारा प्रदेश 61.03 परसेंट होने से देश में नीचे से सातवें स्थान पर था; 2011 में, राष्ट्रीय परसेंट 74.0 के मुकाबले 67.06 रहने पर भी नीचे से तीसरे पायदान पर आ गया है। इसी प्रकार, महिला साक्षरता में हम नीचे से पहले पायदान पर हैं। यह स्थिति हमारे प्रदेश की संतोषजनक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा का स्तर बहुत गिरता जा रहा है, आज गांवों में शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है। गांव के बच्चे को आगे बढ़ने के लिए न प्रोपर सब्जेक्ट मिल पाते हैं, न टीचर्स मिल पा रहे हैं। गांव में स्कूल अपग्रेड हो गये लेकिन उसको सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं किसी स्कूल में। यदि तीन ही सब्जेक्ट हैं तो उसका अपनी इच्छा से वह चयन नहीं कर सकता है। जो सब्जेक्ट उस गांव की स्कूल में है उसी में पढ़ना पड़ता है। जो प्रतिभावान छात्र हैं, अपनी प्रतिभा को दिखाने का उनको अवसर नहीं मिलता है। वास्तव में गांवों में शिक्षा की बहुत ही दयनीय स्थिति है। सामने वाले साथी भले ही यह समझते होंगे कि शिक्षा में हमने बहुत कुछ कर दिया, कई भर्तियां कर दीं, कई स्कूलें क्रमोन्नत कर दीं लेकिन मेरा निवेदन, सभापति महोदय, यह है कि गांवों में शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण के बिन्दु संख्या 169 में तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के बीस हजार पदों को सृजित करने की घोषणा की है। इसी प्रकार, पिछले बजट में भी उन्होंने क्रमश: 18229, पचास हजार, चालीस हजार, बीस हजार, कुल 1 लाख 28 हजार 229 थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती करने की घोषणा की थी लेकिन उसमें से भर्ती कितनी हुई, केवल 35 हजार 902; जिला परिषद के माध्यम से पिछले साल 1 लाख 28 हजार 229 के मुकाबले

(श्री शिवजीराम मीणा)

में 35 हजार 902 टीचर्स की भर्ती की गयी है। माननीय सभापति महोदय, इस साल भी बीस हजार पद सृजित करने की घोषणा की गयी है, लेकिन वह भर्ती किस प्रकार से होगी, इसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है।

2011 में यह व्यवस्था की गयी थी कि टैट पास होने के बाद ही टीचर्स की भर्ती की जा सकती है और हर साल दो बार टैट की परीक्षा होगी। सभापति महोदय, 2011 के बाद दो बार टैट की परीक्षा हुई, एक बार टैट का रिजल्ट आया और उसके बाद अभी तक टैट का रिजल्ट भी नहीं आया है। तो यह किस प्रकार से भर्ती की जाएगी, यह समझ से दूर की बात है। माननीय सभापति महोदय, टैट का 8 माह से रिजल्ट नहीं आ रहा है और यह किस प्रकार से भर्ती करेंगे, मेरी समझ से परे की बात है।

इसी प्रकार, प्रारम्भिक शिक्षा में आज 10 हजार पद सैकण्ड ग्रेड के खाली हैं, एलीमेंटरी एजुकेशन में जो हैडमास्टर बनाये जाते हैं उनके आज 10 हजार पद रिक्त चल रहे हैं। उनकी किस प्रकार से भर्ती की जायेगी, इसकी बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। गत वर्ष आर पी एस सी के कलेण्डर में 8,800 टीचर्स भर्ती का दर्शाया गया था लेकिन इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, 2011-12 में प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक, प्रयोगशाला सहायक सहित कुल 25,406 पदों पर भर्ती करना बताया गया है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, 8,395 सैकण्ड ग्रेड के वे टीचर जो पूर्ववर्ती सरकार के समय अभ्यावेदन भेजे गये थे उनकी भर्ती की गयी है, आपके समय में केवल 11,165 पदों पर ही भर्ती की गयी है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कई बार आर पी एस सी ने रिजल्ट बदल-बदलकर निकाला और उनकी आज भर्ती नहीं की जा रही है। प्रधानाध्यापकों का दो बार रिजल्ट निकाल दिया, चार महीने रिजल्ट आये हो गये लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है।

तो जो घोषणा की गयी है, वह किस प्रकार से पूरी होगी, यह एक सोचने का विषय है।

इस बजट के बिन्दु संख्या 180 में शैक्षिक सहायक के 40 हजार एवं

(श्री शिवजीराम मीणा)

प्रबोधक के 10 हजार पद सृजित करने की घोषणा की गयी है, पर इनको किस प्रकार से भरेंगे, इनकी क्या सेवा शर्तें हैं, इनको किस आधार पर भरेंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2009-10 में अपने बजट में यह कहा था कि प्रत्येक वर्ष जो 10 हजार पद सेवानिवृत्ति से रिक्त होते हैं, उनकी भी साथ-साथ भर्ती की जायेगी, लेकिन मैं समझता हूं, अब तक एक भी भर्ती इन 4 सालों में नहीं हुई है। हर साल रिटायर होते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने स्वीकार किया है कि 10 हजार पद जो सेवानिवृत्ति से रिक्त होते हैं, उनको भरेंगे लेकिन अब तक नहीं भरा जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सीनियर सैकण्डरी स्कूल में 2 अनिवार्य विषय और 3 ऐच्छिक विषय के व्याख्याता के पद सृजित किये जाते हैं लेकिन जो नये स्कूल खुल रहे हैं उनमें केवल 3 या 4 पद सृजित किये जा रहे हैं। इससे गांवों में बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि सभी स्कूलों में 5 पद व्याख्याता के स्वीकृत करने चाहिये, 2 अनिवार्य और 3 ऐच्छिक के।

इसी प्रकार, माननीय सभापति महोदय, जो सैकण्डरी स्कूल हैं उनमें 3 सब्जेक्ट टीचर और 3 वरिष्ठ अध्यापक, हिन्दी, संस्कृत और सामाजिक ज्ञान के होने चाहिये, 6 अध्यापक अनिवार्य रूप से होने चाहिये लेकिन जो नये स्कूल खुले हैं, उनमें या तो 4 पद स्वीकृत किये हैं या 5 पद स्वीकृत किये हैं जिससे गांवों में एजुकेशन का स्तर गिरता जा रहा है। आपके माध्यम से यह डिमाण्ड करता हूं कि सभी स्कूलों में, पहले की हों या नये स्कूल क्रमोन्नत हुए हों, सभी में समान रूप से पद सृजित किये जाने चाहिये जिससे लोगों को समान रूप से शिक्षा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी डिजिटल योजना के तहत पी सी टेबलेट देने की व्यवस्था की है, बहुत अच्छी बात है लेकिन आपने तो अभी इसमें ग्रेडिंग की व्यवस्था कर दी। आप किस प्रकार से, उनको किस आधार पर देंगे, इसमें यह व्यवस्था नहीं की गयी है।

इसी प्रकार से आपने लाइब्रेरी की व्यवस्था की बात की है, लाइब्रेरी के लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं लेकिन लाइब्रेरियन की व्यवस्था आपने इस बजट में नहीं की है।

(श्री शिवजीराम मीणा)

माननीय सभापति महोदय, स्कूल अपग्रेड होने के बाद कई वर्षों तक पद स्वीकृत नहीं करते हैं जिससे गांवों में बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। 4-4, 5-5 साल तक भी पूर्व बजट के अध्यापक उस स्कूल में लगे रहते हैं और उन बच्चों को गुणात्मक शिक्षा नहीं मिल पाती है, गांव के बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी स्कूल आप अपग्रेड करें, उसके साथ ही पदों का सृजन किया जाये ताकि उनको गुणात्मक शिक्षा मिल सके।

आर टी ई के माध्यम से वर्तमान में एक व्यवस्था की गयी कि आठवीं तक बच्चे को फेल नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरा इसमें निवेदन है, इससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है। यह प्रदेश के हाथ में नहीं है, भारत सरकार ने यह व्यवस्था की है, कानून के माध्यम से शिक्षा का अधिकार हमें दिया है लेकिन कम से कम यह सुझाव तो भेज सकते हैं कि आठवीं में फेल नहीं करने की बात पर पुनर्विचार करना चाहिये। अगर शिक्षा की गिरावट को रोकना है, शिक्षा के गिरते हुए स्तर को रोकना है तो निश्चित रूप से पहले जो बोर्ड हुआ करता था, बोर्ड की व्यवस्था होनी चाहिये और आठवीं में भी बिना परीक्षा के और फेल नहीं करने की बात पर विचार करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, अभी सी बी एस ई की बात आयी थी, सी बी एस ई का पाठ्यक्रम हमारे यहां लागू कर दिया, एन सी ई आर टी की पुस्तकों का सीधा हिन्दी अनुवाद करके हम किताबों में चला रहे हैं। इतनी क्लिष्ट भाषा है कि गांव के बच्चे को विज्ञान का जो उन्होंने हिन्दी अनुवाद किया है वह समझ में नहीं आता है। उसके लिये सरल भाषा में अपना सिलेबस बनाना चाहिये जिससे उन बच्चों की समझ में आ सके।

सभापति महोदय, शैक्षिक सहायक और प्रबोधकों के पद तो सृजित किये गये हैं परन्तु पिछले 5-6 साल से स्कूलों में व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों के विरुद्ध विद्यार्थी मित्र के रूप में जो बेरोजगार काम कर रहे हैं, उनको भर्ती करने की इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है, आपके माध्यम से सरकार से कि ऐसे विद्यार्थी मित्रों को भी स्थायी करने की कोई व्यवस्था आपके द्वारा की जानी चाहिये।

'साक्षर भारत' योजना के तहत प्रदेश में सतत् शिक्षा केन्द्रों पर

(श्री शिवजीराम मीणा)

कार्यरत प्रेरकों की भी स्थायी नियुक्ति की सम्भावना तलाशी जाकर उन्हें भी स्थायी नियुक्ति देने की व्यवस्था करनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, हायर एजुकेशन में स्थिति बहुत खराब है। मैं आपको मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा...

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट। भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर तहसील की जनसंख्या 2001 में 1,86,597 है, वहां पूरे जिले में एस टी का नामांकन हुआ है, इस वर्ष 824 छात्र और 176 छात्राओं का। चूंकि वहां कालेज नहीं है, इसलिये शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा है। बच्चों को हायर एजुकेशन का अवसर नहीं मिलता है। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कालेज खोलने की बात कही है, तो ईमानदारी से ऐसे स्थान पर, जहां शिक्षा की सम्भावना हो, एस टी, एस सी के ज्यादा छात्र पढ़ते हों, उसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोलने का कष्ट करें जिससे होनहार, प्रतिभावान बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके।

सभापति महोदय, बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा मिलना चाहिये। हमारे ब्लाक में दो तहसील में मिलाकर, दो एस डी ओ हैडक्वाटर में केवल 4 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं और एक बालिका माध्यमिक विद्यालय है जिससे बालिकाओं को आगे पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। कई लड़कियां आठवीं के बाद पढ़ने के लिये अन्यत्र नहीं जाती हैं और ड्राप-आउट हो जाती हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है आपके माध्यम से, मेरे क्षेत्र में रोपा और पारोली में अपर प्राइमरी स्कूल को बालिका माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का कष्ट करें।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में धोड़, बनका खेड़ा, बांकरा, दांतड़ा, रासेड़ को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का कष्ट करें।

हमारे जिले में जो हालात हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, वहां जो पद रिक्त हैं, तीन-चार मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, भीलवाड़ा जिले में प्रधानाध्यापकों के कुल पद हैं 331, उनमें कार्यरत हैं 182, खाली हैं 149; 45 परसेंट पद खाली हैं। इसी प्रकार से व्याख्याता के पद 824 हैं, 390 पदों पर

(श्री शिवजीराम मीणा)

कार्यरत हैं और 428 खाली हैं; 52 परसेंट। इसी प्रकार से हमारे यहां वरिष्ठ अध्यापक के पद हैं 2,478, 1577 पदों पर कार्यरत हैं और 901 खाली हैं; 36 परसेंट पद खाली हैं। इसी प्रकार, सैकण्डरी स्कूल में जो थर्ड ग्रेड टीचर होता है, 438 हमारे यहां पद स्वीकृत हैं, 219 पदों पर कार्यरत हैं और 219 पद खाली है; फिफ्टी परसेंट पद खाली हैं..

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, एक मिनट और लूंगा। मैं वैसे बहुत कम बोलता हूं।

अभी शिक्षा के क्षेत्र में इतना नेटवर्क बढ़ गया है, 1998 में जहां हमारे यहां 3,683 स्कूल थे वहां आज 15,497 स्कूल हो गये हैं; करीब पांच गुणा स्कूल बढ़ गये हैं। सीनियर सैकण्डरी 1,523 थे, 8,931 हो गये हैं; प्राइमरी 31,382 थे, 52,232 हो गये हैं; उच्च प्राथमिक विद्यालय 7,695 थे उसके मुकाबले में 54,483 हो गये; करीब 7 गुणा स्कूल बढ़ गये लेकिन डी ई ओ कार्यालय हमारे प्रदेश में केवल 91 ही हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि हम सुपरविजन नहीं कर पायेंगे, उनका हम समय पर निरीक्षण नहीं कर सकेंगे तो शिक्षा में हम गुणात्मक सुधार नहीं ला सकते हैं। आप डी ई ओ आफिस एक जिले में कई खोल सकते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि गांव के बच्चों को आगे बढ़ाना है, गांव में अच्छी शिक्षा लानी है, गुणात्मक शिक्षा बच्चों को देनी है तो निरीक्षण के लिए डी ई ओ कार्यालय भी खोलने चाहिए जिससे शिक्षा में सुधार हो सके, गांव का बच्चा आगे बढ़ सके।

सभापति महोदय, सम्माननीय कटारियाजी के समय, जब ये शिक्षा मंत्री थे 98 में, उस समय 50 प्रतिशत डी ई ओ के पद आर पी एस सी से भरने की व्यवस्था की गयी थी लेकिन 17 साल के बाद भी आज तक 1 भी पद आर पी एस सी के माध्यम से नहीं भरा जिससे डी पी सी प्रोपर वे में नहीं हो रही है; जो आधे पद हैं उन्हीं में डी पी सी हो पा रही है। मेरी प्रार्थना है कि जो सीधी भर्ती के पद हैं उनको शीघ्र भरवाने का कष्ट करें।

आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहूंगा कि जो पाइंट आफ इन्फार्मेशन पर बोलना चाहते हैं, वे अपना मैटर लिखकर के भेज दें।

(श्री सभापति)

अगर आसन उसको महत्व देते हुए उपयुक्त समझेगा तो जरूर बताया जायेगा। अगर आसन उनको इजाजत देता है तो वे उतना ही बोलेंगे जितना उन्होंने लिखकर के दिया है। ज्ञानदेव आहूजाजी, बैठिये आप।

दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोलने वाले जो माननीय सदस्य हैं, वे तकरीबन 16 इधर से हैं, तकरीबन 14 इधर से हैं, एक समाजवादी पार्टी से है और एक सी पी आई एम से है। यह सब देखते हुए मैं समझता हूं कि जो दोनों सचेतक महोदयों से बात हुई है, मैं 7 मिनट के बाद में घंटी बजाऊंगा और 1 या 2 घंटी के बाद में आप अपना भाषण खत्म कर दें। आप लगातार बोलते रहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो लोग बोल रहे हैं, उनका तो हक है लेकिन साथ-साथ वे यह भी अपेक्षा कर रहे हैं कि दूसरे वरिष्ठ सदस्य उनको सुनें। हो सकता है कि उसके अन्दर कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हो। देखने में आता है कि लोग-बाग़ पूरा भाषण खत्म कर देते हैं और वार्तालाप खत्म होती ही नहीं है। यहां तक कि आसन तक आवाज आती है। कम से कम यह आसन इस बात को उचित नहीं ठहराता है। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया हाउस की गरिमा को रखते हुए चलने दें और सदस्य को उत्साहित करके बोलने दें।

ज्ञानदेव आहूजाजी, आप मुझे लिखकर दे दें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सुबह ही 2 बार लिखकर के दे दिया। सभापति महोदय, सुबह 2 बार लिखकर दिया हुआ है, टाइप करके।

श्री सभापति: मेरे पास नहीं है। हो सकता है, कहीं इधर-उधर हो गया हो। एक बार दुबारा दे दें।

श्री गोपाल मीणा।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 24 के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, मैं समझता हूं कि ऐसा बजट आज तक राजस्थान की जितनी भी सरकारें आयी हैं, उनमें एक उदाहरण है।

सभापति महोदय, आज शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान ने जो काम किया है, अभी मेरे विपक्ष के सदस्यों ने बताया कि समानीकरण का कोई फायदा नहीं

(श्री गोपाल मीणा)

हुआ, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नया संचार हुआ है। जब समानीकरण हुआ उस समय शहरों में एक विद्यालय में 20 छात्र और 30 शिक्षक हुआ करते थे लेकिन राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्री जी ने समानीकरण का निर्णय किया और उसी का नतीजा है कि आज गांवों में टीचर पहुंचे हैं। यहां पर शहरों में जो शिक्षक हैं वे अपनी अप्रोच से शहर में बैठे हुए थे लेकिन समानीकरण का जो काम किया गया, उससे आज वे शिक्षक गांवों में ड्यूटी दे रहे हैं; गांवों में जो विद्यालय हैं उनमें वे ड्यूटी दे रहे हैं जिससे वहां के छात्रों को फायदा मिल रहा है।

राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जब बजट पेश किया, उस समय सभी यहां बैठे थे और शिक्षा के क्षेत्र में नये-नये आयाम उन्होंने पेश किये। राजस्थान में 1 हजार नये प्राथमिक विद्यालयों की घोषणा की गयी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ने के लिए दूर तक जाते थे उन बच्चों को पास में ही पढ़ने का मौका मिलेगा, 1 हजार प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये हैं, 1 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालय और 600 माध्यमिक विद्यालयों से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये हैं।

सभापति महोदय, तहसील स्तर पर यह बहुत बड़ा निर्णय है कि हर तहसील पर तीनों सब्जेक्ट खोले जायेंगे। इसके अलावा भी, 200 नये विज्ञान के सब्जेक्ट खोले जायेंगे और 200 वाणिज्य के नये सब्जेक्ट खोले जायेंगे जिससे उन छात्रों को जिनको केवल कला की शिक्षा मिल पाती थी, उनको विज्ञान और वाणिज्य की पढ़ाई का भी मौका मिलेगा।

सभापति महोदय, जो शिक्षकों की कमी बता रहे थे, आज शिक्षकों की जो भर्ती इस सरकार ने की है, करीबन 20 हजार टीचर्स की भर्ती अभी प्रक्रियाधीन है और 20 हजार नये पद सृजित करने के लिए इस बजट में लिये गये हैं। उसके अलावा, 10 हजार द्वितीय श्रेणी के और 5 हजार शारीरिक शिक्षक भी इसमें लिये जायेंगे।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो सर्व शिक्षा अभियान है, उसके तहत पूरे राजस्थान में जो विद्यालय हैं, उनमें कमरों की, भवनों की जो कमी है, उनको भी पूरा किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नये खोले गये विद्यालयों के भवनों में अब तक जो कमी है, उनको पूरा किया जा रहा है।

(श्री गोपाल मीणा)

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में आज नये आयाम स्थापित किये गये हैं। जो छात्र 10वीं और 12वीं मेरिट में आयेंगे, उनको 10-10 हजार रुपये दिये जायेंगे। यह भी हमारी इस राजस्थान सरकार ने नया काम किया है जिससे छात्रों का मनोबल बढ़ेगा, वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।

मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में माडल स्कूल बनाये जाने चाहिये। मैं कुछ सुझाव देना चाह रहा हूं। माडल स्कूल, अब तक नहीं बन पाये हैं; कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय 'रमसा' के तहत जो बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, वे भी जल्दी ही यहां पर बनाई जानी चाहिए।

शिक्षा के बारे में अभी मेरे साथियों ने कई बातें यहां पर बताई हैं, विपक्ष के साथियों ने भी बताई हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की आज जो सरकार है, हमारे माननीय मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत की सरकार में जो काम किये जा रहे हैं, बजट में जो काम किये जा रहे हैं, उनकी प्रशंसा आज पूरे राजस्थान में की जा रही है। ऐसा बजट आने पर विपक्ष के लोगों, बी जे पी के लोगों को, इनको बोलने का कोई मौका नहीं मिला है। आज जो नये आयाम स्थापित हो रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कटौती प्रस्तावों के माध्यम से कि इस सरकार ने राजस्थान में इन चार सालों में जो काम किये हैं, उनके आने वाले समय में और भी अच्छे रिजल्ट आयेंगे। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को इस नये बजट के लिए मैं मेरी तरफ से बारबार और बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन। श्री ज्ञानदेव आहूजा। केवल आप पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन पर बोलेंगे, बस।

सूचना

गुरुशरण छाबड़ा, श्री, पूर्व विधायक का शराबबंदी को लेकर आमरण अनशन व उनकी बिगड़ती शारीरिक स्थिति

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में गांधीवादी सरकार कही जाती है, यहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र लगा है।

श्री सभापति: आप भाषण नहीं देंगे सिर्फ सूचना बतायेंगे, केवल सूचना बतायेंगे। सदन का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): संक्षेप में ही बता रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी गांधीवादी हैं परन्तु शराब बड़ी भारी मात्रा में राजस्थान में ठेकों से दुकानों से सप्लाई होती है। उसके विरोध में, शराब से होने वाले नुकसान को देखते हुए, परिवार दु:खी है, बच्चे दु:खी हैं, उसके विरोध में, श्री गोपीचन्द गुर्जर के संयोजकत्व में जो समिति बनाई गई है उसका आंदोलन चल रहा है। 11 तारीख से पूर्व विधायक श्री गुरुशरणजी छाबड़ा आमरण अनशन पर हैं, उद्योग मैदान पर। उनकी आयु 65 वर्ष है। उनकी स्थिति दयनीय है। मेडिकल पाइंट-आफ व्यू से और शारीरिक स्थिति भी उनकी खराब है। यह सूचना मैं सदन को देना चाहता हूं।

इस सम्बन्ध में सरकार कुछ कार्यवाही करे, शराबबंदी के लिये कार्यवाही करे। साथ में उनको अनशन पर से उठाने के लिये जाकर उनसे वार्तालाप करे, सरकारी प्रतिनिधि उनके यहां जाये। यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। (व्यवधान) आपको इजाजत नहीं है, कृपया विराजिये। (व्यवधान) सदन के नोटिस में आ गया है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

मांग संख्या 24 पर विचार

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा कला एवं संस्कृति पर आज चर्चा हो रही है और उसमें मैं भी कुछ अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में और पूरे राजस्थान में शिक्षा की क्या स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में अपने विचार रखना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में मानव संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अत: मानव शक्ति को शिक्षित किया जाये और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिये परम आवश्यक तत्व है। इस उद्देश्य हेतु भागीरथ प्रयत्नों की निरन्तर आवश्यकता है और नैतिक शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के प्रयत्न भी हमको करने पड़ेंगे ताकि उनमें सहिष्णुता, जागरूकता एवं राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हो सके। माननीय सभापति महोदय, सामाजिक स्तर अगर हम ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उसके लिये भी हमें सम्पूर्ण शिक्षा का लाभ कुछ पिछड़े हुए इलाकों में और जो हमारे गांव के गरीब लोग हैं, उनको देने के लिए हमको कुछ अधिक प्रयास करने पड़ेंगे।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, मात्र मेरे क्षेत्र की स्थिति है, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं। सदन के माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि पूरे रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र की जो स्थिति है, वही शायद पूरे राजस्थान की स्थिति बनी हुई है। चाहे राजकीय प्राथमिक विद्यालय हों, चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय हों, चाहे माध्यमिक विद्यालय हों, चाहे राजकीय महाविद्यालय हों, चाहे संस्कृत महाविद्यालय हों, पूरे रामगंजमण्डी क्षेत्र में यह स्थिति बनी हुई है। न स्कूलों में मास्टर हैं, इवन संस्कृत महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय की तो यह स्थिति है कि न जाने का रास्ता, न साधन की कोई व्यवस्था, न पीने के पानी की कोई व्यवस्था, न ही भवन की कोई व्यवस्था और न पूरे स्टाफ की कोई व्यवस्था। यह सबको मालूम है और इतने, लगातार चार वर्ष से मैं इस मांग को यहां पर रख रही हूं, उसके बावजूद भी, मुझे लगता है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। संस्कृत महाविद्यालय, चेचट में हमारे न कोई व्याख्याता की व्यवस्था है, न भवन की व्यवस्था है और इसके अभाव में वहां पर परीक्षा केन्द्र भी नहीं खुल पा रहा है। यह बड़ी चिंता का विषय है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो; राजस्थान में विकास, जब तक हम शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे पायेंगे, शिक्षा जितनी ज्यादा हम गांवों के बच्चों को दे सकते हैं उतनी व्यवस्था नहीं कर पायेंगे, तो मुझे लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते और राजस्थान जैसी स्थिति में बैठा है, जिस परिस्थिति में बैठा है, वहीं पर राजस्थान रुक जायेगा, यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, इतने विधान सभा क्षेत्रों में एक मेरा विधान सभा क्षेत्र ऐसा भी है जहां कि अध्यापकों को डेप्यूटेशन पर शहरों में लगा रखा है। आज परीक्षाएं चल रही हैं और गांवों में भी परीक्षाएं चल रही हैं लेकिन परीक्षा के नाम पर शहरों में सभी अध्यापकों को लगा रखा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या गावों में बालक-बालिकाओं को शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? वहां पर उनकी परीक्षाएं नहीं चलतीं? तो मात्र गांवों के अध्यापकों को ही क्यों शहरों में लगाया जाये? इस बात के लिए सरकार को विचार करना चाहिये और सरकार को कहीं न कहीं इस पर अंकुश लगाना चाहिये ताकि गांव के छात्र-छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मेरा निवेदन है कि पूरे कोटा सम्भाग में विद्यार्थी मित्र लगे हुए हैं लेकिन मात्र एक ब्लाक खेराबाद में यह

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

स्थिति है कि विद्यार्थी मित्र जो लगे हुए थे, उन विद्यार्थी मित्रों को बी ई ओ ने मात्र अपनी मनमानी और अपनी हठधर्मिता के कारण घर पर बैठा दिया। आज स्थिति यह है कि एक भी, एक-एक, दो-दो मास्टर हैं स्कूलों में, इतना अभाव है और एक स्कूल, दो स्कूल तो ऐसे हैं जहां मात्र एक टीचर है। उसके बावजूद भी विद्यार्थी मित्रों को घर पर बैठा रखा है। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि मंत्रीजी को चिंता करनी चाहिये और इन्हें पूर्व जैसी यथास्थिति में रखा जाये। यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन मैं और करना चाहती हूं, हम चाहते हैं कि बालिका शिक्षा को बढ़ा दें लेकिन बालिका शिक्षा की आज क्या दुर्दशा हो रही है। स्कूलों में बिल्डिंगों में शौचालय नहीं, यह जगजाहिर हो चुका है; न कोई पीने के पानी की व्यवस्था। आज राजीव गांधी सेवा केन्द्र हमारे बने हुए हैं, उनमें सौर ऊर्जा के प्लाण्ट लगे हुए हैं। अगर हम स्कूलों में बिजली उपलब्ध नहीं करवा सकते तो सौर ऊर्जा के हमारे जो प्लाण्ट हैं, जो आज किसी काम में नहीं आ रहे, हम पूरे तीन से उनको देख रहे हैं, दो साल हो गये, साल भर हो गया, तो हम क्यों नहीं यहां से व्यवस्था स्कूलों के भवनों में करें? क्योंकि वह भी एक सरकारी बिल्डिंग है। यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, मोडक बालिका स्कूल हमारा है, उस मोडक बालिका स्कूल में, हो सकता है, आप भी सुनेंगे और मंत्रीजी भी सुनेंगे तो मुझे लगता है कि ताज्जुब होगा, वहां की 98 बालिकाएं जो एक ही सब्जेक्ट में और एक ही कक्षा की पूरी की पूरी फेल। उनकी मार्क्स-शीट जब मैंने मंगवाई और उनको देखा, पहले तो उत्तीर्ण, फिर ब्लेड से काट दिया गया और फिर उन्हें अनुत्तीर्ण कर दिया गया। यह उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, वे बालिकाएं, मात्र इसलिए उनको फेल कर दिया गया कि उन्हें एक टीचर ने कहा कि तुम्हें ट्यूशन लगानी है। उन बालिकाओं ने ट्यूशन के लिए मना कर दिया कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो सारी बालिकाओं को एक सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया। यह बड़ा चिंता का विषय है। इसको माननीय मंत्रीजी देखें, यह मेरा निवेदन है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जो बात उठाई है, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी दे दें। अगर मामला सही पाया गया तो मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): धन्यवाद। मैं आपको पूरी मार्क्स शीट लाकर दूंगी। इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा का स्तर लगातार नीचे गिरा है। अगर आप मन में सोच लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हम जैसे ही स्कूल क्रमोन्नत करते हैं, पिछली बार हम लोगों ने देखा है, हम भी जिला परिषद के सदस्य थे पिछली सरकार में, जैसे ही स्कूल क्रमोन्नत होते थे, साथ के साथ बजट आबंटित होता था लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि स्थितियां, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। शिक्षण संस्थानों की तरफ, चाहे गरीब व्यक्ति हो, वह भी अपने बच्चों को पढ़ाना स्वीकार कर रहा है। यह स्थिति बनी हुई है। तो हमें स्वीकार करने के लिए, जैसे ही स्कूल क्रमोन्नत होते हैं, उसी के साथ-साथ, चाहे सेकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत हो, चाहे माध्यमिक स्कूल हो, उनमें कम से कम 10 लाख रुपये का बजट दिया जाए ताकि भवन के अभाव में बच्चों को बाहर नहीं बैठाना पड़े। ऐसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में चाहे सुकेत का विद्यालय हो, चाहे और जगह, अलोक के विद्यालय हों, सभी जगह यह स्थिति बनी हुई है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उन्हे तुरन्त भवन निर्माण के लिए पैसा स्वीकृत किया जाए। क्योंकि सर्व शिक्षा, जो एस एस ए है हमारा और 'रमसा' है, उसकी तो यह स्थिति है कि अधिकारी यह समझते हैं कि हम जो चाहेंगे, वही करेंगे, चाहे उन्हें स्थिति-परिस्थिति के बारे में कुछ मालूम ही नहीं हो कि स्कूल किस गांव में है और किस दशा में है; कोई मालूम नहीं लेकिन जो उनकी मनमर्जी होती है, वहीं पर बजट आबंटित कर देते हैं। 'रमसा' की तो क्या स्थिति है, अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि किस तरह से अधिकारी अपनी मनमानी से उस बजट को रोक कर बैठे रहते हैं और बजट पूरा खर्च नहीं हो पा रहा, यह होना चाहिए।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, एक बात और निवेदन करना चाहूंगी कि डी पी सी के बारे में भी हमें विचार करना पड़ेगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापतिजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सात बजे तब बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय सात बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, डी पी सी के बारे में भी हमें विचार करना पड़ेगा।

एक और निवेदन करना चाहूंगी, वैसे तो आदरणीय जो हमारे माननीय सदस्य हैं, उन्होंने बताया लेकिन बड़ा दुःख हुआ, जब कोटा जिले में जो गार्गी पुरस्कार दिये गये, उनमें जो चैक थे, वे चैक रिटर्न हो गये। यह बड़ी शर्म की बात हम सब के लिए है। इसके लिए भी हमें आगे से सुधार करना पड़ेगा। सरकार चाहती है कि कम से कम सामाजिक स्तर सुधरे; जो हमारे सम्बल गांव हैं, उन सम्बल गांवों में ज्यादा से ज्यादा स्कूल क्रमोन्नत हों, और पूरा स्टाफ होगा तो मुझे लगता है सभी को कुछ न कुछ फायदा मिल पाएगा।

मैं ज्यादा कुछ आरोप नहीं लगाना चाहती लेकिन फिर भी जो पारदर्शिता की हम लोग बात करते हैं, उस बारे में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, वास्तव में उसकी पराकाष्ठा हुई है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं, मंत्रीजी मेरी बात को सुन रहे हैं, आप भी नोट करिएगा, नीमाणा हमारा गांव, आजादी से पहले का बसा हुआ गांव; 40 साल, 50 साल पुराना प्राथमिक विद्यालय; उस प्राथमिक विद्यालय में सौ-डेढ़ सौ की संख्या छात्र-छात्राओं की लेकिन बड़ा दुःख होता है, पता नहीं, आपको किसने फीड किया, उस स्कूल को आज तक आपने क्रमोन्नत नहीं किया और इस बात से जो ग्रामवासी हैं, उनमें इतना रोष है कि उन्होंने अपने बच्चों को आज तक घर पर बैठा रखा है क्योंकि 10 किलोमीटर दूर पंचायत हैडक्वार्टर पड़ता है और 10 किलोमीटर दूर तक कच्ची सड़क है, उस सड़क से बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि कुछ सुधार कर सकें तो उस स्कूल को क्रमोन्नत करिए ताकि बालक-बालिकाएं घर पर नहीं बैठें।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, हमारे IIIT के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी, लगातार हम दो बार के बजट भाषण में सुन रहे हैं कि IIIT, ठीक है, हमें जो कुछ भी मिला, कोटा

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

को, लेकिन उसके बारे में तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही करके जल्दी से जल्दी उसे चालू करना चाहिए ताकि कोटा की जनता को उसका फायदा मिले।

मैं एक और निवेदन करना चाहती हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उन अध्यापकों को शहरी क्षेत्र के जो अध्यापक हैं, उनसे दुगना मकान किराया, भवन किराया दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लालच के मारे ही गांव में रुकने की मन:स्थिति उनकी बने और गांव के लोगों को उसका फायदा मिले, बच्चों और जनता को उसका फायदा मिले। यह भी मेरा निवेदन है।

एक निवेदन मैं और करना चाहूंगी कि सरकारी एजेंसियों के मार्फत हमारे स्कूल में कम्प्यूटर आपरेटर रखे गये हैं और पिछले चार साल से हमारे अलोक के एक स्कूल में कम्प्यूटर आपरेटर था, आज देखिए कि चार साल तक उसने लगातार वहां पर सेवाएं दीं, बिना किसी आदेश के उन लोगों को हटा दिया गया। आज जब वे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगने जा रहे हैं, वे यह भी लिखवाना चाह रहे हैं कि हमने चार साल से....

श्री सभापति: माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें अब आप।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): बिलकुल साहब, मैं दो मिनट में, मेरे क्षेत्र की समस्याएं रख रही हूं, कोई अलग से कोई बात नहीं बोल रही।

तो मेरा निवेदन है कि जिसने चार साल तक काम किया, उसको एक लैटर प्रधानाध्यापक दे सकता है कि आपने यहां पर अपनी सेवाएं दी हैं। यह भी मैं निवेदन करना चाहूंगी।

एक और निवेदन करना चाहूंगी कि चिकित्सा महाविद्यालय, हमारा कोटा का, मात्र उसमें जो 10 करोड़ का बजट कैथ लैब के लिए दिया गया; मुझे लगता है, उससे कोटा चिकित्सा महाविद्यालय का कोई काम नहीं होने वाला, आज उसमें इतने आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता है। पूरा ग्रामीण क्षेत्र उस कोटा जिला हास्पिटल में जाता है, उस महाविद्यालय में जाता है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्रीजी जहां बैठे हों, सुन रहे हों तो उसके लिए कोई और अलग से बजट उपलब्ध करवाएं।

एक और निवेदन करना चाहूंगी कि राजकीय महाविद्यालय, यह पूरा राजस्थान का मैटर है, 160 संविदाकर्मी हमारे अभी लगे हुए हैं वर्तमान में और 5-5, 6-6 वर्ष उनको हो चुके हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें, मैं नाम बोलने जा रहा हूं अगला। नहीं, आपको 12 मिनट हो गये, 7 मिनट अलाट किये गये थे। यह सदन की व्यवस्था के लिए है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): दो मिनट का समय दें, साहब।

मेरा आपसे निवेदन है कि उनको यू जी सी के नियमानुसार, यू जी सी हमारा जो 2006 में विज्ञापन निकला और यू जी सी के नियमानुसार उनको रखा गया और उसी के अनुसार उनको जो सात हजार और समथिंग का मानदेय मिल रहा है और उसी में वे इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जब उच्च न्यायालय का आदेश है कि उनको कहीं डेप्यूटेशन पर नहीं लगाया जाए, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाए, फिर भी उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उन सभी को, इस बात के लिए जो धरना भी दे चुके हैं, उन लोगों के ऊपर जिस तरह के नियम लगा रखे हैं, उन सबको कहीं न कहीं शिथिलता देनी चाहिए।

एक और मैं निवेदन करना चाहूंगी...

श्री सभापति: माननीय सदस्या।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): एक मिनट, साहब, मैंने दो मिनट का समय मांगा है।

श्री सभापति: दो मिनट करते-करते काफी टाइम हो गया।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैंने दो मिनट का समय मांगा है।

मैं एक और निवेदन करना चाहती हूं कि कोटा विश्वविद्यालय, मैंने 131 के तहत यहां पर विधान सभा में ध्यानाकर्षित किया और उसमें मैंने बिलकुल आरोप लगाया, जो हमारे कुल सचिव हैं प्रवीण जैन उनके ऊपर, भ्रष्टाचार का मैंने खुद ने आरोप लगाया लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब ए सी बी की जांच हुई तो ए सी बी की जांच के द्वारा जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो पिछले दरवाजे से, बैकडोर से निकलकर भाग गये। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि उन्हे तुरन्त शीघ्र गिरफ्तार किया जाए।

एक और निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले वर्ष 2003 में कोटा विश्वविद्यालय में नियुक्तियां जो हुई, उसमें कुलपति महोदय के पुत्र, जो बोम के

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सदस्य हैं, एक उनके बेटे को और एक और निवेदन करना चाहूंगी कि कुछ संविदाकर्मी थे, मैं इसमें किसी तरह का कोई आरोप नहीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, कृपया विराज जाएं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैंने दो मिनट का समय मांगा है।

श्री सभापति: कृपया विराजिए अब।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): दो मिनट का समय मांगा है।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, कोई गलत बात थोड़े ही बोल रही हूं।

श्री सभापति: आपने कम से कम 15 बार यह बोला है, एक और, एक और, एक और। कृपया विराजिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): दो मिनट ही नहीं हुए, साहब, मैं टाइम देख रही हूं।

श्री सभापति: कृपया विराजिए। आसन पैरों पर है, कृपया विराजिए। श्री पदमाराम। (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में ही बोल देता हूं मैं।

श्री सभापति: आपको इजाजत नहीं है अभी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): हम अनुशासित लोग हैं, साहब।

श्री सभापति: आपको इजाजत नहीं है।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति के ऊपर आपने मेरे को बोलने का समय दिया, इसलिए आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज जिस मांग के ऊपर चर्चा हो रही है वह मांग बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी मांग है। शिक्षा एक ऐसा अमूल्य धन है जो कभी बांटा नहीं जा सकता है, कभी उसकी चोरी नहीं होती है, कभी वह खर्च नहीं होती है व जैसे-जैसे उम्र बढ़ी है, वैसे-वैसे उसकी अन्दर बढ़ोतरी होती

(श्री पदमाराम)

है, वृद्धि होती है। शिक्षा के बिना न कभी किसी समाज ने प्रगति की है, न किसी राष्ट्र ने प्रगति की है, न किसी डिस्ट्रिक्ट ने की है, न ही किसी राज्य ने की है। आज वैज्ञानिक युग है, इस युग के अन्दर शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है।

(17.00 बजे)

आज दो घंटे से इस मांग के ऊपर चर्चा हो रही है। हमारे विपक्ष के भाई कह रहे हैं कि हमने शिक्षा के अन्दर बहुत बड़ी प्रगति कर दी थी और कांग्रेस के राज में चार साल में शिक्षा की स्थिति डाउन हो गई है। माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले चार साल के अन्दर हमने प्राइमरी स्कूल एक नहीं खोली और अध्यापकों के ट्रांसफर सिर्फ एक बार किये। उसके अन्दर भी आठ जिले प्रतिबंधित कर दिये, उन जिलों के अन्दर एक भी मास्टर का ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत हमारे वरिष्ठ सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, पूर्व में शिक्षा राज्य मंत्री रहे हुए देवनानी साहब फरमा रहे थे कि इतनी स्कूलों के अन्दर बिल्डिंग नहीं हैं, इतनी स्कूलों में सिंगल अध्यापक हैं, तो चुनाव के समय में आपने कैम्प लगाकर भारी तादाद में ग्रामीण इलाकों के जो अध्यापक थे, उनका सिटीज में ट्रांसफर कर दिया। उस चीज का आपने ध्यान रखा होता तो यह हमारे राजस्थान के अन्दर प्राइमरी और उच्च प्राइमरी विद्यालयों की जो हालत दयनीय हुई है, वह नहीं होती।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने भारी तादाद के अन्दर अपने कार्यकर्त्ताओं को खुश करने के लिए, अपने वोट बटोरने के लिए ऐसी ढाणियों में, ऐसी जगह एक-एक गांव के अन्दर 7-7, 8-8 स्कूलें प्राथमिक से मिडल में क्रमोन्नत कर दीं, लेकिन एक अध्यापक नहीं लगाया। जब अपना कांग्रेस का राज आया, उसके बाद में भर्ती की प्रक्रिया हुई, कई टाइप के प्रतिबंध लग गये। हमेशा कोर्ट का स्टे रहते-रहते, अभी 38,000 की भर्ती हुई। उससे हमारे क्षेत्र के अन्दर, जो ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, उसके अन्दर कई मिडल स्कूलों के अन्दर पांच और प्राइमरी स्कूल के अन्दर दो-दो टीचर होने से आज कुछ स्थिति सुधरी है। 2010 के अन्दर राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जो 10वीं स्कूलें क्रमोन्नत कीं, उसके अन्दर एक प्रावधान किया। इनके समय में नहीं

(श्री पदमाराम)

किया कि ढाणी है, वहां 10वीं स्कूल कर दो। अपने मेन कार्यकर्ता हैं, उनके यहां 10वीं स्कूल कर दो। जो हमारी बहन अभी फरमा रही थीं, जो स्कूल 50 साल से आठवीं है, वह आज भी 8वीं चल रही है, वहां उन्होंने 10वीं स्कूल नहीं की, माध्यमिक स्कूल नहीं की। आज मेरे क्षेत्र के अन्दर 10 जगह ऐसी मेन स्कूल हैं जो ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर हैं, वहां 10वीं स्कूल नहीं हैं। पिछले 40 साल से, 30 साल से वे आठवीं चल रही हैं। ऐसी भेदभावपूर्ण नीति इनके राज में हुई। इनकी हमेशा भावना रही है, इनकी हमेशा रीति-नीति रही है कि अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाये, अपने चहेतों को आगे बढ़ाये। आम जनता का इन्होंने कभी खयाल नहीं रखा, कभी ध्यान नहीं रखा। इस कारण से ये अपने ऊपर आरोप लगा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र को, आम आदमी को शिक्षा से जोड़ने के लिए जो प्रावधान रखे हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है। शिक्षा के कानून के तहत तीन किलोमीटर के एरिये में एक प्राइमरी स्कूल होनी चाहिए और चार किलोमीटर के एरिये में एक मिडल स्कूल होनी चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो शहरी इलाका है, वहां तो इस चीज की समस्या नहीं है, हमारे रेगिस्तानी और पिछड़े क्षेत्र के अन्दर बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, यहां प्राइमरी स्कूलों की भारी कमी है। तो मेहरबानी करके आप जो ये 1,000 स्कूलें दी हैं, उसके अन्दर हमारा विशेष ध्यान रखे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि या तो इसमें बढ़ोतरी करें, नहीं तो जो पिछड़ा क्षेत्र है, वहां सर्वे करवाकर उन जगहों पर आप ज्यादा तादाद में स्कूल दें तो जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के और किसान लोग हैं, अपने नन्हें-मुन्ने बच्चों को वे अच्छी शिक्षा दिला सकें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि 2008 और 2010 के अन्दर स्कूलें क्रमोन्नत हुईं, आपने अभी जो 20,000 वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती हुई है, उनके अन्दर नियुक्तियां कर दीं परन्तु इससे पहले जो स्कूलें क्रमोन्नत हुई थीं, उनकी हालत बहुत खराब है। ग्रामीण इलाके के अन्दर कोई मास्टर नहीं है।

(श्री पदमाराम)

10वीं स्कूल दो और तीन मास्टर के भरोसे चल रही है। बच्चों की स्थिति बहुत डाउन है। मेहरबानी करके आप या तो डी पी सी के मार्फत या अन्य किसी की मार्फत ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर अध्यापकों की व्यवस्था करायें और जो सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं, उनके अन्दर लेक्चरार की व्यवस्था करायें।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, जो सैकण्डरी स्कूल हैं और मिडल स्कूल हैं, उनके अन्दर प्रधानाध्यापक बिलकुल नहीं हैं। अभी जो भर्ती हुई है, उसके अन्दर प्रधानाध्यापक का रिजल्ट रोककर रखा हुआ है या नियुक्ति देना बाकी है। मेहरबानी करके वह जल्दी दिलायें। उसके अन्दर विशेष तौर से आप ग्रामीण क्षेत्र का ध्यान रखें और उस आदेश के अन्दर यह व्यवस्था करें कि जो आदमी ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर नियुक्ति लेगा, वह ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा। शहरी क्षेत्र में उसको आगे आने वाले समय में नियुक्ति नहीं दी जाये।

मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कस्तूरबा गांधी स्कूल चल रहा है, वह सीमावर्ती क्षेत्र साता के अन्दर चल रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस स्कूल को आप क्रमोन्नत करें। अभी आपने जो चौहटन मुख्यालय पर बालिकाओं के लिए, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास के लिए धन आबंटित किया है, उसकी भी बिल्डिंग बनाने की आप व्यवस्था करायें। वर्ष 2008, 2009 और 2010 के अन्दर जो स्कूलें क्रमोन्नत हुई हैं, उसके अन्दर 'रमसा' में सेन्ट्रल गवर्नमेंट का करोड़ों रुपयों का फण्ड आ रहा है, मेहरबानी करके उन बिल्डिंग्स के लिए पैसा अलाट करायें।

इसके साथ-साथ, माननीय सदस्य, खाचरियावास साहब फरमा रहे थे कि स्कूलों के अन्दर पानी की व्यवस्था के लिए सिंगल फेज हैण्डपम्प लगाकर पानी की व्यवस्था करायें और बच्चों के लिए, विशेष तौर से बच्चियों के लिए टायलेट की व्यवस्था करायें, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री सूरजभान धानका।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, एक पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्री सभापति: आपने मुझे लिखकर दे दिया है, उपयुक्त समय पर जरूर आपको इजाजत दी जायेगी। कृपया विराजिये आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं तो एक ही मिनट में कह दूंगा।

श्री सभापति: कृपया विराजिये, आपको इजाजत नहीं है। अमरा रामजी, कृपया विराजिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 पर, शिक्षा, कला और संस्कृति पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

कहते हैं, ''एक ही साधे, सब सधै, सब साधे, सब जाये; जो तू ध्यावे मूल को, फूले फले अघाया'' अगर हमारी अच्छी शिक्षा होगी, गुणपरक शिक्षा होगी तो निश्चित रूप से अच्छे नागरिक पैदा होंगे, अच्छे डाक्टर्स पैदा होंगे, अच्छे इंजीनियर्स पैदा होंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान देना। जिस प्रकार से बीज अच्छी क्वालिटी का जमीन में बोओगे तो अच्छी पैदावार होगी, खराब होगा तो खराब होगी। इसलिए शिक्षा के बारे में गुणवत्तापरक और नैतिक शिक्षा लेते हुए अच्छी शिक्षा की योजना बने।

अब प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों के बारे में कह रहे हैं, तो जब हमारे सरकारी स्कूलों में सब सुविधाएं, अच्छा अध्ययन मिलेगा तो दूसरे प्राइवेट स्कूलों में कम जाने की कोशिश करेंगे। हमारे स्कूलों में कौनसी कमी है? अच्छी बिल्डिंग्स हैं, अच्छे टीचर हैं। प्राइवेटों में पांच-पांच हजार, आठ-आठ हजार और सात-सात हजार वाले करते हैं और हमारे यहां अच्छी नौकरी पा रहे हैं, वे अध्यापक करते हैं लेकिन इसमें जिम्मेदारी तय नहीं है।

पहली बात तो, शिक्षा में गिरावट आने का कारण है, राइट-टू-एजुकेशन तो बढ़िया है लेकिन इसमें जो यह किया गया है कि आठवीं तक फेल नहीं करना, तो निश्चित रूप से वह हमारी नींव कमजोर होती है। तो एक तो शिक्षा में बदलाव की जरूरत यह है। दूसरा, सभी स्कूलों में पानी, शौचालय, इनकी व्यवस्था हो।

अभी मेरे से पूर्व माननीय खाचरियावास जी बोल रहे थे कि समान कोर्स, समान ड्रेस हो तो बच्चों में, विद्यार्थियों में हीन भावना नहीं आये। एक तो सरकारी स्कूल का खाकी पेंट, नीली शर्ट पहन कर जा रहा है और एक स्कूल में टाई-बूट पहनकर जाता है और वह घर को जाकर, चाहे उसको अंग्रेजी नहीं आती है लेकिन ए फोर एपल, बी फार बनाना बोलता है तो घर वाले सोचते हैं

(श्री सूरजभान धानका)

कि बहुत अच्छी शिक्षा हो रही है। तो इसलिए शिक्षा में जो है, हमारे समान फीस पर कंट्रोल हो; मनमानी फीस वसूल होती है, जनता का शोषण होता है। तो इसमें भी कंट्रोल हो; बिल्डिंग्स हों। उच्च शिक्षा में भी यूनिवर्सिटीज पर कंट्रोल हो, मनमानी फीस। बच्चे जब जाते हैं स्कूल में, दादागीरी करते हैं, बल्कि पढ़ाई कम करते हैं। तो वह भी निश्चित होना चाहिए कि शिक्षा कालेजों में भी नियमित रूप से हो।

कम्प्यूटर, स्कूलों में देखते हैं, आये रोज रिपोर्टस मिलती हैं कि कम्प्यूटर चोरी हो गया फलां स्कूल से। अब पुलिस वहां बैठी तो नहीं रहती। तो क्यों नहीं स्कूलों में वहां एक-एक चौकीदार का पद बढ़ाया जाय? ताकि हमारे कम्प्यूटर वगैरह चोरी नहीं हों।

कुछ मिसमैनेजमेंट भी है कि छात्रों से दुगनी संख्या, अखबारों में पढ़ते हैं, अध्यापकों की है, तो क्यों न आवश्यकता के अनुसार वह पद को भरा जाये?

रमसा, अब मेरे स्कूल, लक्ष्मणगढ़ गर्ल्स स्कूल है, पहले वह चलता था, नजूल सम्पत्ति बिल्डिंग थी, उसको असुरक्षित घोषित कर दिया गया। उसके बाद मैंने पूर्व मंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी को भी निवेदन किया था कि हालत यह है, साहब, वे आठवीं की स्कूल में जाते हैं, सुबह बच्चे छोटे जाते हैं, उनके परेशानी; शाम को बच्चियां जब गांव में दूर-दूर जाती हैं तो उनको टाइम लेट हो जाता है। तो बिल्डिंग का तो माननीय मंत्रीजी ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है; तो मैंने कहा, साहब, इसका उपाय करो; बोले, बंद कर दो। तो एक तरफ तो आप शिक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हो, एक तरफ आप बंद करने की शिक्षा दे रहे हो। तो बोले, अपने उससे बनाओ। अब एक एम एल ए कितना एक कोटा दे सकता है? फिर भी मैंने दस लाख उनको दिये, वह बिल्डिंग तैयार हुई है, लेकिन वहां पूरी छात्राओं के बैठने के लिए जगह नहीं है।

लक्ष्मणगढ़, राजगढ़ में गर्ल्स कालेज की काफी दिन से मांग चली आ रही है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, वहां जब अलवर जाती हैं तो पचास-चालीस किलोमीटर दूर भेजने में मां-बाप, अभिभावकों को बड़ी परेशानी आती है। आधी बच्चियां घर रह जाती हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में जाती हैं तो वहां शोषण होता है। इसलिए मेरी मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी से मांग है कि राजगढ़ में गर्ल्स कालेज खोला जाये।

रेहणी में गर्ल्स स्कूल है, उसमें छह कमरे अति डेमेज्ड हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। वहां की हालत, दो कमरे सिर्फ सर्विसेबल हैं; दो अच्छी कंडिशन

(श्री सूरजभान धानका)

में, दो सर्विसेबल हैं। वहां यह नहीं है कि कुछ बच्चों को खेलने के लिए या एक-एक कमरे में हमने देखा कि सौ-सौ बच्चियां जब पढ़ती हैं और गर्मी के टाइम में जब लाइट नहीं आती है तो हालत क्या हो जाती है, ये देखने, सोचने योग्य बातें हैं। तो इनकी अगर पुरानी बिल्डिंग है, पुराने कमरे हैं, उनको डिमोलिश करें और उनको नई बिल्डिंग दें जिससे हमारी बच्चियां, वहां सब्जेक्ट खोलने हैं, कहां खोलें सब्जेक्ट, बैठने को जगह नहीं है।

लक्ष्मणगढ़ तहसील में कालेज नहीं है, प्राइवेट दुकानें लूट रही हैं।

अब मेरा सरकार से निवेदन है कि जो अध्यापकों के रिक्त पद पड़े हैं, उनकी भर्ती करें; जो भवनरहित स्कूल हैं, अब यह बैरवाबास में एक भवनरहित स्कूल चल रहा है, जो पेड़ के नीचे बैठते हैं। तो इस टाइम में भी अगर हमारी शिक्षा में इस प्रकार की शिक्षा देंगे तो कौन आयेगा? वहां से दिनों-दिन बच्चे ड्राप-आउट हो रहे हैं।

जो लैपटाप, वगैरह दिये हैं, बहुत अच्छी बात है, बच्चों का मनोबल बढ़ेगा; गरीब बच्चे जो पैसे वालों के बच्चे हैं, उनके समान जब वे शिक्षा लेंगे तो उनमें आत्मबल आयेगा।

एक बार, एक मिनट, सर, थोड़ा सा उदाहरण दे दूं। लखनऊ में जब एक नवाब को हटाने के लिए मात्र एक कर्नल और अठारह जवान जा रहे थे तो दीवारों पर, अपने-अपने घरों पर पत्थर लिए हुए बैठे थे, बैठे हुए देख रहे थे। तो कर्नल जब गया तो उसको यह डर लगा कि एक-एक भी पत्थर मारा तो मर जायेंगे। तो उसने लिखा कि हमारा व्यक्तिगत चरित्र, नैतिक चरित्र तो ठीक है लेकिन राष्ट्रीय चरित्र बहुत नीचे है। हम अपने भले के लिए सब कुछ, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय लाभ को भी दांव पर लगा सकते हैं।

इसलिए, मान लो, अच्छे स्कूल होंगे, अच्छी सड़कें बनेंगी तो उस पर बी जे पी के भी चलेंगे, कांग्रेस के भी चलेंगे, समाजवादी के भी चलेंगे/ लाल झंडा वाले भी चलेंगे। तो पूरा हमको अपनी छोटी सोच से ऊपर हटकर एक राष्ट्रीय चरित्र के हिसाब से, पार्टियों के हिसाब से ऊपर उठ कर काम करें और सभी सहयोग करें अच्छे काम में; किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए अच्छी चीज बोलने में। बाकी शिक्षा के बारे में जो सी एम साहब कर रहे हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। अच्छे को तो अच्छा कहना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: आपने यह बताया कि आप राजनीति के साथ-साथ फौज में भी रहे हैं...(व्यवधान)

(श्री सभापति)

श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, आपने मुझे आज की जो डिमांड है, शिक्षा, कला और संस्कृति, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

निश्चित रूप से शिक्षा और साहित्य समाज का दर्पण होता है, और कोई नहीं चाहता कि शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे न बढ़ें, सब चाहते हैं। मैं इतनी देर से सुन रही हूं, सत्ता पक्ष वाले कहते हैं कि आपने पिछली बार यह नहीं किया और जो विपक्ष में बैठे हैं वे कहते हैं कि आपने यह नहीं किया, आपने वह नहीं किया, पर हमें क्या करना चाहिए और कौन-कौन सी कमियां हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, मेरे ख्याल से, इस विषय पर हम चर्चा करते तो ज्यादा सार्थक होता और समय भी हम बचा सकते थे।

मैं माननीय मंत्री महोदय को अपनी विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याएं और विद्यार्थी मित्रों के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार की व्यवस्था पिछली सरकार में शिक्षकों की कमी के कारण से विद्यार्थी मित्र लगाकर के शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, ये विद्यार्थी मित्र इतने अच्छे इस व्यवस्था के लिए साबित हुए कि कई विद्यालयों में जहां हम सब लोग चाहते हैं कि विद्यालय हमारा सैकण्डरी हो जाए, हमारा हायर सैकण्डरी हो जाए; वहां सब्जेक्ट भी खुल गये पर सब्जेक्ट टीचर नहीं जा पाये क्योंकि भर्ती में यह प्रोसेस है, पूरा टाइम लगता है; उस टाइम के बीच में हम कैसे व्यवस्था कर सकें, उन विद्यार्थी मित्रों के द्वारा हमने व्यवस्था की और उन विद्यार्थी मित्रों ने वास्तव में अपना बहुत अच्छा रिजल्ट लाकर के हमें दिया। सौ प्रतिशत उनका रिजल्ट है; जितने भी आप पूरे राजस्थान भर में विद्यालयों में विद्यार्थी मित्र लगे हुए हैं, उनमें आप देख लीजिए, उनका रिजल्ट आप उठाकर के देख लीजिए, सौ प्रतिशत उनका रिजल्ट है, चाहे वे वाणिज्य संकाय में लगे हुए हों, चाहे वे विज्ञान संकाय में लगे हुए हों, वे सब्जेक्ट के टीचर हों, चाहे वे सैकण्ड ग्रेड में लगे हों, चाहे वे थर्ड ग्रेड में लगे हों। इसके अतिरिक्त, वे सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाने का ही काम नहीं करते हैं, उस विद्यालय में प्रिंसिपल साहब जो भी काम उनको देते हैं, वे सारे काम, चाहे वह टी.सी. बनाने का काम हो, चाहे वह अकाउंट्स मेंटेन करने का काम हो, या कुछ और भी, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को क्रियान्वित करने का काम भी विद्यार्थी मित्र बहुत

(श्रीमती अनिता भदेल)

बखूबी से कर रहे हैं। लेकिन न तो हम उनके बारे में कुछ सोच रहे हैं, पिछली बार उनको दीवाली के ऊपर छुट्टियां दी जाती थीं और उनका वेतन भी दिया जाता था लेकिन उनकी दीवाली की छुट्टियों को बंद कर दिया और दूसरी जो छुट्टियां होती हैं वे सब बंद कर दीं। हमने फिक्स मानदेय पर उनको रखा हुआ है। इतने कम मानदेय पर वे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद उनकी जो बाकी की छुट्टियां हैं वे बंद हैं; ग्रीष्मकालीन अवकाश का मानदेय उनको नहीं मिलता है।

इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब वे हमारी शिक्षा व्यवस्था में इतना सहयोग बनकर के काम कर रहे हैं और जब तक हम वहां टीचर नहीं दे पायें उस विद्यालय में, तब तक वे उस विद्यालय की पूरी व्यवस्था को बहुत बखूबी से अंजाम दे रहे हैं, तो क्यों ना, हम उनके स्तर पर जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान भी करें? पिछली बार भी विधान सभा का घेराव उन्होंने किया, आपसे बातचीत की लेकिन कोई रिजल्ट निकलकर के नहीं आया। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि विद्यार्थी मित्रों की जितनी समस्याएं हैं, हम कैसे उनको नियमित कर सकते हैं, क्योंकि सब विधायकगण यहां यह बात कह रहे हैं कि हमारे यहां सब्जेक्ट टीचर नहीं हैं, हमारे यहां टीचर लगाओ, तो किसी भी प्रकार से नियम बनाकर के कैसे हम उनको इस व्यवस्था के तहत नियमित कर सकते हैं। मुख्य धारा में उनको हम एक सरकारी जो हमारे व्याख्याता हैं उनका दर्जा देकर के कैसे हम उनसे काम ले सकते हैं, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनके बारे में आप जरूर विचार करें क्योंकि वे बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और आपकी शिक्षा व्यवस्था में बहुत सहयोगी के नाते से काम कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि हमने विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है पर क्रमोन्नत करने के साथ-साथ में क्या वहां कक्षा कक्ष के लिए अतिरिक्त स्वीकृति दी है क्या? क्या हमने वहां शिक्षक लगाये हैं? कई विद्यालय तो ऐसे हैं जहां पर बालक खुद जाकर के अपनी समय की बेल बजाते हैं, खुद वहां झाडू निकालते हैं, पानी का बर्तन भरते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम बालकों से ही ये सब काम कराएंगे तो हम अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा उनको नहीं दे सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ऐसे जो विद्यालय हैं जहां आपके एक शिक्षक हैं या दो शिक्षक से ही पूरा विद्यालय चल रहा है और बच्चों से ये सारे स्कूल के काम करवाये जाते हैं, वहां

(श्रीमती अनिता भदेल)

हम अतिरिक्त मानदेय देकर के, हम परमानेंट कोई चपरासी की व्यवस्था नहीं कर सकते लेकिन कान्ट्रेक्ट पर तो हम यह व्यवस्था कर ही सकते हैं कि कुछ मानदेय देकर के किसी कर्मचारी को, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, कोई भी आपके पास आ जाएगा फिक्स मानदेय पर काम करने के लिए और हम ये सारे काम उन कर्मचारियों से करवायें तो हम बालकों को भी ससम्मान विद्यालय में बुलाकर के उनको शिक्षा दे सकते हैं और साथ में हमारी यह व्यवस्था भी हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, माननीय मंत्री महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहती हूं कि पहले शिक्षा में नैतिक स्तर नहीं गिरा था, पहले हम यह नहीं सुनते थे कि इस मास्टर साहब ने यह घपला कर दिया, उस टीचर ने वह घपला कर दिया लेकिन शिक्षा का जितना नैतिक अवमूल्यन हुआ है इन दस-पन्द्रह सालों में हुआ, उतना कभी नहीं हुआ। इसलिए नैतिकता हमारी शिक्षा में तो कम से कम बनी रहे, इस पर ध्यान देने की हमें आवश्यकता है।

हम संख्यात्मक दृष्टि से ज्यादा नहीं बढ़े हैं, हमने इतने बच्चों को शिक्षित कर दिया, ऐसे नहीं करें लेकिन हमने जिन बालकों को भी शिक्षा दी है, उनमें गुणात्मक रूप से हमने उनको शिक्षित किया है। शिक्षा सम्बल कार्यक्रम के तहत जब मैंने देखा कि पिछले दिनों हमारे जिलाधीश महोदय अपने विद्यालयों में गये और वहां उन्होंने देखा कि एक आठवीं के बच्चे को दूसरी की किताब पढ़नी नहीं आ रही है। सरकारी विद्यालयों की यह व्यवस्था है। यह स्थिति है, सरकारी विद्यालयों के आठवीं कक्षा के बच्चे को दूसरी कक्षा की किताब हिन्दी की पढ़नी नहीं आ रही है; उसको जोड़, बाकी, गुणा नहीं आ रहा है। तो हम किसको दिखाना चाहते हैं कि हमने इतने बच्चों को पढ़ा दिया? इतने बच्चे हमारे विद्यालयों में नामांकित हो गये? हम अपने आपको देखना चाहते हैं? या किसी दूसरे से ही प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं?

इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो आपने किया है कि आठवीं तक आप फेल नहीं करेंगे और चाहे बच्चे को कुछ आता हो या नहीं आता हो, हम लगातार उसको आठवीं तक पास करते जाएंगे, यह हमारे राजस्थान के बच्चों की नींव कमजोर करने का, उनके भविष्य को बरबाद करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि आठवीं के बाद में यदि वे चाहेंगे पढ़ना, तो फिर नहीं पढ़ पाएंगे, फिर कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हम उनके जीवन को बरबाद करेंगे यदि इस तरह का हमने कोई निर्णय करके, इस तरह की व्यवस्था हमने की है

(श्रीमती अनिता भदेल)

तो। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस निर्णय को अभी बदल सकते हैं तो तुरन्त आप इस व्यवस्था को बदलने का काम करें।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैंने तो कुछ सुझाव दिये हैं, अपनी बात तो, अपने विधान सभा क्षेत्र की अभी बोली ही नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान के तीन ज़िले ऐसे हैं जिनमें केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिभावान छात्रों के लिए एक उन्नयन कार्यक्रम चलाया जाता है और हास्टल में उन बच्चों को रखकर के उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। हमारे अजमेर शहर के तोपदड़ा विद्यालय में भी इस प्रकार का एक छात्रावास संचालित है। पिछले हर वर्ष उस छात्रावास में जितने छात्र आते हैं, वे धरना और प्रदर्शन करते हैं और उसका कारण यह है, क्योंकि उस हास्टल के संचालन के लिए जो भी धन राशि आती है वह केन्द्र सरकार से आती है, केन्द्र से राज्य सरकार और राज्य सरकार के बाद में फिर विद्यालय को मिलती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न करें, हाउस में वार्तालाप नहीं करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): तब तक दो-तीन साल पूरे बीत जाते हैं, वह वित्तीय वर्ष खतम हो जाता है। इसके अतिरिक्त, जो राशि मिलती है वह राशि इतनी कम है कि उसमें गुजारा नहीं चलता और छात्र यह सोचकर के कि हमारी राशि में से गबन कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब या जो व्यवस्थापक है, वह और वे धरने और प्रदर्शन पर चले जाते हैं। 500 रुपये प्रति माह राशि उनको मिलती है जिसमें सुबह का चाय, नाश्ता, रोटी और सारी व्यवस्था भोजन की एक दिन की उनको करनी होती है। बजट के अनुसार, प्रति छात्र प्रतिदिन 17 रुपये में दोनों समय का खाना उनको देना होता है। इसके अतिरिक्त, उनके नहाने, चादर की धुलाई व्यवस्था, सारी, सब कुछ इस 500 रुपये में उनको करनी होती है। वहां न तो रसोइये की व्यवस्था है, न हास्टल का इंचार्ज है, कुछ भी नहीं है। बस, छात्रावास बरसों से संचालित है। इसी प्रकार से तो, ऐसे छात्रावास में रहकर के छात्रों की प्रतिभाएं नहीं निखर रही हैं और उनकी प्रतिभाएं कुंठित हो रही हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि केन्द्र सरकार में समय से पहले ही उनके बजट आबंटन के लिए निवेदन करें।

(श्रीमती अनिता भदेल)

जब छात्र एडमिशन ले लें, क्योंकि 9, 10, 11 और 12, चार कक्षाओं के छात्र वहां रहते हैं, तो एक क्लास में जब वह प्रवेश के लिए आये, नौवीं क्लास में, तभी उनके बजट आबंटन के लिए प्रार्थना कर दें ताकि समय पर केन्द्र सरकार का बजट आ जाए तो रोज छात्रों को धरने-प्रदर्शन के लिए नहीं बैठना पड़े।

माननीय मंत्री महोदय से एक ओर निवेदन करना चाहूंगी, हमारे एम डी एस यूनिवर्सिटी की बात मैं करना चाहूंगी क्योंकि हमारे यहां एक ही विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय में ही सारे निर्धन छात्र पढ़ाई के लिए जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आज की स्थिति में, पूरी तरह से वह फैकल्टी नहीं होने के कारण से पूरी तरह से बंद हो गये हैं; कुछ कोर्स ऐसे थे जिनको हमेशा के लिए उन्होंने बंद कर दिये हैं। भारत विद्या अध्ययन संकुल की स्थापना इस एम डी एस यूनिवर्सिटी में हुई थी जिसमें जर्मन, वेद, ड्राइंग, पेंटिंग, संस्कृत और पत्रकारिता विषय चलते थे। आज की तारीख में सिर्फ पत्रकारिता विषय संचालित है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स बंद हो गये। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वेद जिनको पढ़ाया जाएगा, जो वेद पढ़ने के लिए आएंगे, उनसे तो आप साढ़े छह हजार रुपये फीस लेंगे और जो आपके अर्थशास्त्र और इतिहास में लेंगे, उनसे आप अठारह सौ रुपये फीस लेंगे। तो एक तो वैसे ही वेद पढ़ने वालों की कमी है और फिर आप इतनी भारी-भरकम फीस ले लेंगे तो कोई एडमिशन लेगा नहीं।

तीसरा, कोई स्थायी फैकल्टी वहां पर नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एम डी एस यूनिवर्सिटी में जितनी फैकल्टीज खाली हैं, उन सबको भरने का हम प्रयत्न करें।

इसके अतिरिक्त, एक उद्यमिता केन्द्र वहां संचालित होता था, माननीय सभापति महोदय, उसमें हर छोटे-छोटे व्यवसाय की स्किल्स में दक्ष करने के लिए छात्र-छात्राओं को एडमिशन दिया जाता था। एम बी ए, बी बी ए, सी ए, कटिंग एंड टेलरिंग, ब्यूटिशियन, और बहुत सारे कोर्सेज वहां चलते थे। एक करोड़ रुपये से वो कोर्स प्रारम्भ हुआ था, आज आठ करोड़ रुपये तक उस राशि को पहुंचा दिया, जिन्होंने भी उसको चलाया, जिस भी फैकल्टी ने चलाया लेकिन आज की तारीख में उस उद्यमिता केन्द्र में सारे के सारे एडमिशन हुए ही नहीं हैं पता नहीं, किसको व्यवस्था दी गई है एडमिशन हुए ही नहीं हैं, पता नहीं किसको व्यवस्था दी गई है, कि जो पचास की संख्या में एडमिशन होते थे, वे पन्द्रह की संख्या पर आकर के टिक गये हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि

(श्रीमती अनिता भदेल)

हम यूनिवर्सिटीज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि उसमें और कटौती की बात कर रहे हैं? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप एम डी एस यूनिवर्सिटी को भी एक बार देखो; वहां जितनी फैकल्टी काम कर रही है वह कैसे काम कर रही है; और तो और, जो फैकल्टीज नहीं हैं, उन फैकल्टीज को हम भरने की व्यवस्था करें।

एक लास्ट निवेदन करना चाहूंगी निजी विद्यालयों के बारे में। हमारे सरकारी विद्यालय कैसे हैं, हम जानते हैं। वहां शिक्षा की कोई गुणवत्ता नहीं है और जो भी गुणवत्ता है, वह हमारे निजी विद्यालयों से आये हुए बालकों की होती है, यदि आप कोई अपवाद छोड़ें तो; थोड़े बहुत अपवाद हो सकते हैं जो सरकारी विद्यालयों में आकर के बहुत हायर रैंक तक पहुंचे हों। निजी वियालयों को भी सरकार बहुत सारे राइडर्स लगा करके, उनके ऊपर भी बहुत कठोर कानून लाद दिये हैं। हमारे अजमेर में पिछली बार एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें 10 लाख निजी विद्यालयों के लोग शामिल थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब कृपया समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसलिए मेरा निवेदन है कि निजी विद्यालयों की जो मान्यता की बात है, यदि एक बार आपने उनको स्थायी मान्यता दे दी तो उनको स्थायी रहने दीजिये। हर वर्ष उनको मान्यता लेनी पड़ती है। फिर शुल्क उनका बढ़ा दिया आपने, एक हजार रुपये से दो हजार रुपये कर दिया; ढाई सौ रुपये से पांच हजार रुपये कर दिया। ये शुल्क की जो आपने बढ़ोतरी की है, इसको आप तार्किक बनायें और ढंग से इसको करें।

इसके अतिरिक्त, जो आपने...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

एक निजी विद्यालयों की बात कहकर अपनी बात को समाप्त कर रही हूं, सभापति महोदय। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाह रही हूं आपसे कि आपने निजी विद्यालयों के लिए जो प्लेग्राउंड की बात की है, खेल के मैदान की बात की है, लाइब्रेरी की बात की है और दूसरी बात की है, तो प्रतापसिंहजी खाचरियावास ने जो बात कही है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो हमारे सामुदायिक पार्क हैं या ऐसे प्लेग्राउंड हैं, उन पर उनकी व्यवस्था कर दें, जब तक कि वे अपनी स्वयं की व्यवस्था नहीं कर सकें। एक तो मैं यह कहना चाहूंगी।

एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि जिन वियालयों में आपके...

श्री सभापति: मैडम, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, बस समाप्त कर रही हूं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें अब।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): जिन निजी विद्यालयों में आपने परीक्षा शुल्क जो लगाया है, वह भी तार्किक होना चाहिए। उसके साथ-साथ में, जिन निजी विद्यालयों के साथ में, 1993 के जो नियम हैं उन नियमों को विलोपित करके 1994 में जो नियम आये थे, उनको वे चाहते हैं कि वे एज-इट-इज रहें ताकि हमारी व्यवस्था ठीक प्रकार से चलती रहे और हम सीमित संसाधनों में ही शिक्षा के प्रचार-प्रसार में सरकार का सहयोग करते रहें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर चर्चा हो रही है और यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको विचार-विमर्श, चिन्तन, मनन करके, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, हम शिक्षा के इस स्तर को किस तरह से अच्छी तरह बना सकें, हमारे बच्चों को किस तरह से अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण संस्कार मिल सकें, इसके हमें प्रयास करने होंगे।

हमारी सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने इन पांच बजटों के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिये। जहां गांवों में पंचायत मुख्यालयों पर सैकण्डरी स्कूलों की आवश्यकता थी, स्कूलें खोली गईं; जहां प्राइमरी/मिडल की आवश्यकता थी वहां भी स्कूलें खोली गईं और जो महत्वपूर्ण कमी थी, अध्यापकों की, उसकी भी पूर्ति करने के प्रयास किये गये, चाहे थर्ड ग्रेड के अध्यापकों की भर्ती, सैकण्ड ग्रेड के व्याख्याता, चाहे एच.एम.-हैडमास्टरों की कमी थी उसके लिए भी आर पी एस सी में करीब-करीब तैयारी पर है :- चाहे शारीरिक शिक्षक हों, चाहे किस तरह से शिक्षा को हम अच्छी गुणवत्ता के साथ सुधार कर सकें, इसके प्रयास किये हैं। ग्रामीण बच्चों को, एस सी/एस टी, चाहे शहरी, सभी एरिया में किस तरह से इस शिक्षा का अच्छा विस्तार हो, अच्छी शिक्षा उनको मिले, इसके लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और शिक्षा मंत्रीजी ने खूब प्रयास किये हैं। गांवों में बच्चों को किस तरह से अच्छी शिक्षा के लिए, गांवों में बच्चों को शिक्षा के लिए दूर जाने के लिए उनको साइकिलें देना और ये पीसी टैबलेट छह

(श्री मेवाराम जैन)

हजार की, ये साढ़े तीन लाख बालक और बालिकाओं को देना, लैपटाप पचपन हजार और पुस्तकालयों की स्थापना की बात हो, एस सी/एस टी के छात्रों को छात्रवृत्ति बढ़ाने की बात हो और चालीस हजार शैक्षिक सहायक पद स्वीकृत करने की बात हो, होस्टल नये खोलने की भी बात हो और एस सी/एस टी के बच्चों को किस तरह से मेस भत्ता जो कम था, उसको बढ़ाने को लेकर इस बजट में प्रावधान किया। ये सारा इस बजट में किया है कि किस तरह से हम अच्छी शिक्षा दे सकें।

अगर इन सारे बिन्दुओं पर विचार कर देखें तो इन चार साल के समय में खूब प्रयास किये हैं और हमें आवश्यकता है कि हम इस शिक्षा के स्तर को और अच्छी तरह से कैसे बढ़ायें, हम राजनीति इस शिक्षा में नहीं करें।

मेरे से पूर्व काफी बात हुई और हमारे प्रतिपक्ष के भाई भी इस पर चर्चा कर रहे थे।

(17.36 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं तो थोड़ी सी बात ही इस पर कहना चाहूंगा कि शिक्षा का स्तर जो अभी बिगड़ा है, इन्होंने जाते-जाते स्कूलें खूब खोल दीं, गांवों में प्राइमरी, मिडल, चाहे सैकण्डरी, स्कूलें खोलीं भीं ऐसी जगह जिनमें मेन गांव को छोड़ दिया। सैकण्डरी स्कूल ढाणियों में खोल दीं। जबकि पंचायत मुख्यालय पर होनी चाहिए उनको छोड़कर ढाणियों में खोल दीं। वहां अध्यापक लगाये नहीं और स्कूलें सारी खाली थीं। उनको भरने के लिए हमारी सरकार ने प्रयास किये और अब काफी पद भरे भी हैं और इस बजट में काफी पद स्वीकृत भी किये हैं ताकि आने वाले दिनों में ये पद भरे जाएं।

मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो हम किस तरह से, इसको अच्छी तरह से ठीक शिक्षा हम दे सकें, उसके लिए हम सब प्रयास करें; जो कमी है उसको हम दूर करें; किस तरह से, हम अध्यापकों की कमी है तो जल्दी से जल्दी उनको भरें। जहां अभी भी विद्यालयों की कमी है, अभी भी कई ऐसे पंचायत मुख्यालय हैं जहां सैकण्डरी स्कूलें नहीं हैं तो वहां पूरे सभी मुख्यालयों पर सैकण्डरी स्कूलें खोलें। बालिका विद्यालय, अभी कई जगह आवश्यक है, सैकण्डरी, मिडल, प्राइमरी, ज्यादा से ज्यादा बालिका शिक्षा पर ध्यान देकर नयी स्कूलें खोलें।

(श्री मेवाराम जैन)

शिक्षा का अधिकार कानून जो लाया गया है और जो लागू भी हुआ है, उसमें हमारे रेगिस्तानी और बार्डर इलाके के जो जिले हैं, वहां जो नार्म्स हैं कि दो किलोमीटर में प्राइमरी, तीन-साढ़े तीन किलोमीटर में मिडल स्कूल और पांच किलोमीटर में सैकण्डरी स्कूल होनी चाहिए ताकि उन बच्चों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े। इसके लिए अभी कई स्कूल खोलने पड़ेंगे ताकि वे नार्म्स पूरे हों और बच्चों को ज्यादा दूर जाना नहीं पड़े, शिक्षा से कोई वंचित नहीं रहे। इसके लिए इस रेगिस्तानी के दूरदराज एरिए में प्राइमरी, मिडल और सेकण्डरी स्कूल ज्यादा से ज्यादा खोलें ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

इसके साथ-साथ ऐसे कई मुद्दे हैं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बात की, सर्व शिक्षा में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं और जो 'रमसा' में बजट आया है विद्यालयों में कक्षा कक्ष बनाने के लिए, इसकी गति धीमी है। एक-डेढ़ साल में जो बजट आया है उसको समयबद्ध तरीके से खर्च करें, निर्माण कार्य कराएं; स्कूलों में जहां शौचालयों की कमी है वहां शौचालय बनाएं;...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें। माननीय मेवाराम जी, समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): जहां स्कूलों में पानी की समस्या है, उसको ठीक करें। जो माडल स्कूल स्वीकृत हैं उनके निर्माण की गति भी बिलकुल धीमी है। मैं हमारे बाड़मेर के माडल स्कूल की बात यहां कहना चाहूंगा कि उसकी गति बिलकुल धीमी है, एक साल से नींव भी नहीं पड़ी है। ऐसी स्थिति अन्य जगह भी है। माडल स्कूल सरकार ने इस मकसद से दी हैं कि लोगों को अच्छी शिक्षा उनमें मिले, उसमें गति लाने की आवश्यकता है।

मैं और भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चौहटन एरिये में कन्या महाविद्यालय खुलावें ताकि बार्डर एरिये में बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिल सके। बार्डर एरिया शिक्षा में वैसे ही पीछे है, उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चियों के लिए भी स्कूलें खोलें ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके।

मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि इस बजट में अल्पसंख्यकों के लिए अच्छी शिक्षा हेतु प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में आई टी आई खोलना, मदरसों को क्रमोन्नत करना, मदरसों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करना, उच्च माध्यमिक आवास विद्यालय खोलना, एस सी/एस टी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाना; सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे मंत्रीजी ने प्रयास किये कि किस तरह से अच्छी शिक्षा मिले। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि इसमें और आगे बढ़ने की गुंजाइश है।धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री बाबूलालजी खराड़ी। (व्यवधान) आपको बोलने का मौका मिलेगा, साथ ही बोल देना। बाबूलालजी खड़े हो गए हैं, उसके बाद।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अभी बोलना शुरू नहीं किया है उन्होंने। मैं एक मिनट में...

श्री उपाध्यक्ष: केवल बाबूलाल जी खराड़ी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है, मैं तो एक मिनट में कह दूंगा। बाबूलालजी बाद में बोल लेंगे, अभी शुरू नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्री उपाध्यक्ष: उनको क्यों डिस्टर्ब करते हैं आप? आप तो बड़े नेता हैं। यह मर गया, यह हो गया, एक्सिडेंट हुआ है, तो उसमें क्या है? बताओ मेरे को। यह तो अख़बार में आ गया। पाइंट आफ इन्फोर्मेशन वह होता है जो बिलकुल फ्रेश सूचना हो।

सूचना

पुलिस थाने में फरियादी की मौत

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कल ही हुआ है, साहब। राजस्थान में पुलिस थानों में मुलजिमों को तो मारते हुए देखा था लेकिन फरियादी को पहली बार मारा है। सभापति महोदय, अगर यह हालत राजस्थान में हुई, 9 तारीख को जिस फरियादी का ट्रैक्टर लोग लूट कर ले गए और कल जब वह थाने में गया तो उसके साथ मारपीट करके उसको मौत के घाट उतार दिया। इससे ज्यादा अफसोसजनक बात क्या होगी? सभापति महोदय, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। राजस्थान के थानों में आज तक पुलिस मुलजिमों को तो पीट-पीट कर मारती आई है लेकिन अबकी बार पहली बार यह हुआ है कि जिस फरियादी का ट्रैक्टर लूट कर ले गए, उसी को मारने का काम किया है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष: हो गई सूचना। धन्यवाद। श्री बाबूलालजी खराड़ी। केवल बाबूलालजी खराड़ी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। केवल बाबूलालजी खराड़ी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल बाबूलालजी खराड़ी। हो गई बात। बाबूलालजी, बोलिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल बाबूलालजी खराड़ी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): साहब, हाउस को आर्डर में लाइए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए। बाबूलालजी खराड़ी, आप बोलिए ना।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपकी इन्फोर्मेशन आ गई, अब आपका अंकित नहीं हो रहा है। बाबूलालजी, बोलिए, आपका अंकित हो रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 24-शिक्षा, कला, संस्कृति पर निवेदन करना चाहूंगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इससे हमारे देश और समाज का भविष्य जुड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष को चाहिए कि इस पर एक सकारात्मक चर्चा हो। आज अनिता जी ने निश्चित तौर पर उसकी ओर थोड़ा सा संकेत दिया था। आज शिक्षा का जितना स्तर गिर रहा है, वह हमारे सामने है। आज देश में जो वातावरण बन रहा है, वह इसी कारण बन रहा है। हम सबको भारत वर्ष को 'शाइनिंग इंडिया' की तरफ जाने से रोकने का प्रयास करना चाहिए।

कुछ सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भगवा रंग पर आपत्ति जताई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भगवा रंग 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के भाव रखने वाला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): उपाध्यक्ष महोदय, आज हम सरस्वती वर्ष मना रहे हैं। मैं प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में देश के युवा को, उस विद्यार्थी को जगाने का काम कर रहे हैं। उससे प्रेरित होकर जयपुर की धरती पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यही भगवा वस्त्र धारण करके हमारे स्वामी विवेकानंदजी ने अमेरिका की धरती पर जाकर भारत वर्ष और भारतवासियों का गौरव बढ़ाया था। आज हम लोग कहां जा रहे हैं? आज हमारी शिक्षा में क्या पढ़ा रहे हैं? 'ग' से 'गाय' पढ़ायेंगे तो हम साम्प्रदायिक हो जाएंगे, 'ग' 'गणेश' पढायेंगे तो हम साम्प्रदायिक हो जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे गांवों की हालत क्या है? इस बजट भाषण में शिक्षा पर बहुत सारी घोषणाएं की हैं। आप मिड-डे मील की बात करते हैं, मिड-डे मील में तो आपके पहले समय में घूघरी बनती थी। अगर बच्चे को गुणवत्ता-युक्त भोजन देने का किसी ने काम किया है तो वह पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे ने किया था। उन्होंने सोचा था कि मेरे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अच्छा भोजन खाए। 6 दिन में 6 प्रकार का भोजन देने का किसी ने काम किया तो वह वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया था। आज आप भी मिड-डे मील में भोजन दे रहे हो, उस भोजन में कीड़े आते हैं, उस भोजन को खाने से बच्चे मना कर देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम कैसा भारत का भविष्य तैयार करेंगे? आज स्कूलों की हालत यह है...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको सात मिनट मिले हैं, कोई सजेशन की बात कहनी हो तो, आपका अधिकार है।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): मैं दो-चार सुझाव देकर बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: यह परिपाटी सदन की कि यह पक्ष अपने लोगों की बड़ाई करें, यह पक्ष अपनी बड़ाई करें...

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): मैं कुछ सुझाव देकर बैठ जाऊंगा, आप कहेंगे तो।

श्री उपाध्यक्ष: जरूरी हो तो करें।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): बिलकुल।

श्री उपाध्यक्ष: जरूरी हो तो करें, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): उपाध्यक्ष महोदय, आज स्कूलों में अध्यापक नहीं है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे स्कूलों में पढ़ाने वाला विद्यार्थी मित्र, जब स्कूलों में अध्यापक नहीं था, उस वक्त वहां के बच्चे को पढ़ाने का काम किया और यह सरकार यूज एंड थ्रो। 700 से 900 रुपये तक बढ़ाना, वेतन आधार पर, यही पर्याप्त नहीं है; उनको स्थायी करिये।

आपने कालेज खोलने की घोषणा की है, मैं कहना चाहता हूं, मेरा क्षेत्र पूरा जनजाति क्षेत्र है, झाड़ोल में सरकारी महाविद्यालय नहीं है, मैं मांग करता हूं कि झाड़ोल में राजकीय महाविद्यालय खोला जाए। उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट महाविद्यालय हैं वे बच्चों के साथ लूट-खसोट करते हैं, जनजाति का बच्चा उस कालेज में जाकर नहीं पढ़ सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां महाविद्यालय है, कोडा में है; एक तो मंत्रीजी के नजदीक सलूम्बर का, हाड़ी रानी के नाम से और उसमें विज्ञान, वाणिज्य... कोडा में विज्ञान, वाणिज्य नहीं है। मंत्रीजी, आप उस क्षेत्र से आते हैं, मैं कहना चाहूंगा आप उस क्षेत्र से आते हैं ये संकाय खोलिए; उस क्षेत्र का बच्चा विज्ञान पढ़ेगा, वाणिज्य पढ़ेगा तो अपने स्तर को बढ़ाएगा; वह वैज्ञानिक बनेगा, डाक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और धन्यवाद देगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने पहली से लेकर आठवीं तक फेल ही मत करो; मत करो, आपका बच्चा आठवीं के बाद जाएगा तो वह पढ़ नहीं सकता है और नहीं पढ़ेगा तो उसको कोई व्यापारी अपनी दुकान पर नौकर नहीं रखेगा, नौकर; आप नौकरी की बात छोड़ दीजिए। अगर उस बच्चे का स्तर नहीं होगा, कम्प्यूटर का युग है, कम्प्यूटर के युग में एक बच्चा बिना पढ़े पास होगा! हमारे बच्चे, कर्मचारियों-अधिकारियों के बच्चे, वे प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे और सरकारी स्कूल में जाने वाला बच्चा केवल दस्तखत करने वाला बच्चा रह जाएगा। उससे आप अपेक्षा करोगे कि वह आगे बढ़कर कुछ करेगा? वह नहीं कर सकता है। इसको आप रोकिए। आगे भविष्य ठीक नहीं है। अगर वह नहीं पढ़ पाया तो आगे जाकर वह या तो आपके माथे फोड़ेगा या हमारे माथे फोड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कस्तूरबा गांधी की खूब आपने वाहवाही की, कस्तूरबा गांधी के लिए आपने कभी नाम तक नहीं लिया। कस्तूरबा गांधी के नाम से विद्यालय खोलने का

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

काम किसी ने किया तो पूर्व मुख्य मंत्री, वसुन्धरा राजेजी ने किया था, आपने नहीं किया था। उनको तो आप भूल ही गए थे, वसुन्धरा राजेजी ने आप लोगों को याद दिलाया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बी ईओ कार्यालय आपके हैं, अब वहां पर आपके पास में उन विद्यालयों को देखने के लिए अधिकारी-कर्मचारी नहीं हैं। एक बाबू के भरोसे आपका बी ई ओ कार्यालय चलता है। तो उन विद्यालयों को देखने वाला कौन धणी-धोरी है? अभी मुख्य मंत्रीजी ने एस डी आई अपने लगाने की घोषणा की है, एस डी आई की भर्ती करने की घोषणा की है, मैं मांग करूंगा कि जितने भी हो सकते हैं, जितने पद हैं, उतने पद भरने की कृपा करें तो निश्चित रूप से आपका भला होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस अवसर पर, इस मांग पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका आभार। जय भारत। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री मदनजी प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24-शिक्षा कला एवं संस्कृति के ऊपर काफी समय से दोनों पक्षों की तरफ से, माननीय सदस्यों के सुझाव आए और हमेशा यह परम्परा बन गई कि इधर वाले इनका विरोध करें और इधर वाले इनका करें। आज शिक्षा और इस पर अगर आपस में विरोध करते रहे तो शिक्षा में सुधार होने वाला नहीं है। हर व्यक्ति यही कहता है कि इसके ऊपर राजनीति नहीं हो, एक ईमान से सुझाव हों, लेकिन मैं उन बातों को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती माननीय अशोकजी की सरकार ने पाठशालाएं खोलीं और एक बदले की भावना से माननीय राजीव गांधीजी का नाम बदलकर, क्या उनमें शिक्षा का सुधार हो गया? अगर इस तरह की बदले की भावना रखी जाएगी तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा में सुधार की बजाए उल्टा नुकसान होना है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हर माननीय सदस्य बात करता है प्राइवेट स्कूलों के बारे में; आज शान समझता है हर नागरिक, थोड़ा भी सम्पन्न है तो वह प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजकर अपने आप में गर्व महसूस करता है। आज मैं यह कह सकता हूं, सदन में कि चाहे कोई माननीय सदस्य हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, थोड़े भी सम्पन्न हैं, उनके लड़के प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, सरकारी स्कूलों में नहीं जाते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सोनिया गांधीजी का, प्रधान

(श्री मदन प्रजापत)

मंत्री मनमोहन सिंहजी का और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करके, जो गरीब परिवार से थे, उनके मन में यह सपना था कि प्राइवेट और बड़े स्कूलों में मेरा बच्चा भी कभी पढ़ेगा, यह नियम लागू करके यह गारंटी प्रदान की कि उनका तमाम खर्चा और फीस सरकार वहन करेगी। यह साबित कर दिया कि उन गरीबों के प्रति, उन साधारण परिवारों के प्रति किसी की भावना है तो कांग्रेस की भावना है।

मैं आज राजस्थान पर गर्व महसूस करता हूं कि कम सुविधाओं के बावजूद राजस्थान में आज से कई साल पहले रोड-लाइट के आगे पढ़कर प्रतिभाएं उभरीं और राजस्थान का नाम रोशन किया। आज तो जगह-जगह स्कूल हैं, जगह-जगह कालेज हैं। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने एक साथ में सात-सात विश्वविद्यालय राजस्थान को दिए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सुनते थे आई आई टी, आई आई एम, ये अपने प्रदेश के बाहर सुनने को मिलते थे कि ये संस्थाएं होती हैं लेकिन कम्प्यूटर क्रांति के जनक पूर्व प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधीजी की देन थी कि भारत 21वीं सदी में जाए और कम्प्यूटर आएं। आधुनिक तरीके की शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तमाम शिक्षाओं की सुविधा की उनकी जो भावना थी, आज मैं उस आत्मा को नमन करता हूं और मैं याद करता हूं कि उनकी जो पहल हुई, उसकी बदौलत माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने, शिक्षा मंत्रीजी ने, एक साथ, जगह-जगह, चाहे महाविद्यालय हों, चाहे विश्वविद्यालय हों, तमाम तरह के किए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़ा दु:ख होता है कि सरस्वतीजी के मंदिर और आज ये प्रोफेशनल हो रहे हैं, यह उदियों की तरह पनप रहे हैं। इनके ऊपर भाई प्रतापसिंहजी ने और भाई महेन्द्र सिंहजी ने भी सुझाव दिए, इनके ऊपर लगाम लगाई जाए, फीस के ऊपर कन्ट्रोल रहे ताकि आम आदमी भी शिक्षा ग्रहण कर सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधीजी की देन है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एक साधारण परिवार का बच्चा, तमाम खर्चा, रहने, पीने, तमाम सुविधाएं, आज शिक्षा ग्रहण करते हैं।

(श्री मदन प्रजापत)

(18.00 बजे)

मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और शिक्षा मंत्रीजी का कि इन्होंने पूरे प्रदेश में माडल स्कूल खोलकर जो यह प्रस्ताव किया कि हर तहसील में माडल स्कूल होगी, गरीब का लड़का, साधारण परिवार का लड़का, किसान का लड़का उसमें शिक्षा ग्रहण करे। माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि उन माडल स्कूलों का नाम भी माननीय पूर्व प्रधान मंत्री, 'भारत रत्न' राजीव गांधी जी के नाम से रखा जाए। यह मेरा सुझाव है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी, कांग्रेस सरकार और मंत्रीजी ने जो एक लाख से बढ़ाकर ढाई लाख तक की जो आय वाले हैं, उनके लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है। इससे साफ जाहिर होता है कि साधारण परिवार के बच्चों के प्रति माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावना है। उपाध्यक्ष महोदय, इनके अलावा, चाहे एक गरीब परिवार का लड़का, उच्च शिक्षा ग्रहण करे और 10 लाख का कर्जा ले, उसमें भी 5 प्रतिशत अनुदान समय पर भरने पर दिया जाता है।

उनके अलावा, आई.आई.टी., आई.आई.एम. के अलावा जो लैपटाप की व्यवस्था और उनके बाद में बालिकाओं को साइकिल की व्यवस्था, स्कूटी की व्यवस्था, अल्पसंख्यक कल्याण में 60 प्रतिशत अंक लाने के बाद वह अल्पसंख्यक परिवार की, साधारण, गरीब परिवार की बालिका पैदल नहीं, स्कूटी पर जाएगी।

इनके अलावा भी मेरा सुझाव है कि सीनियर सेकण्डरी स्कूल के लिये जो व्यवस्था की है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): दो मिनट में, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट नहीं, आप विराजिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): उनकी 12वीं स्कूल की सीमा बढ़ाई जाए। कुछ रेगिस्तान को छूट देते हुए पांचवीं की, जो नई प्राथमिक विद्यालयों की वहां कमी है, तो बाड़मेर, जैसलमेर में और बढ़ायी जाएं।

जो भाई प्रतापसिंहजी ने सुझाव दिये, चाहे ड्रेस और किताब के मामले में, मैं इनका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सर्व शिक्षा में बजट की कोई कमी नहीं है, मिडल

(श्री मदन प्रजापत)

स्कूलों तक तो निर्माण हुआ है लेकिन 'रमसा' में जो निर्माण की आवश्यकता है, सीनियर और हायर सैकण्डरी में भवनों की कमी है। उनको तुरन्त पूरा करवाया जाए, तुरन्त शुरू करवाया जाए। इसके ऊपर मेरा सुझाव है कि सर्व शिक्षा का 'रमसा' का बजट, पी.डबल्यू.डी. कार्यालय से बनाया जाए ताकि क्वालिटी मेन्टेन हो सके, अध्यापक ताकि अध्यापक रह सकें, ये अध्यापक आज के जमाने में ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है।

इनके अलावा, बी.ई.ओ. अधिकारी जो हैं, वह अलग से पोस्ट लागू की जाए। एक अध्यापक से दूसरा अध्यापक कण्ट्रोल नहीं हो सकता है। यह मेरा सुझाव है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृति के ऊपर दो बातें निवेदन करता हूं। हमारा जो परम्परागत 'गेर' नृत्य है, इनके कलाकारों के लिये कुछ मानदेय किया जाए ताकि उस 'गेर' कला को जीवित रखा जा सके। जो हमारे लोक कलाकार हैं, जो दो सौ देशों में जाते हैं, वे हमारे क्षेत्र के हैं, इनके लिये बालोतरा में लोक-कलाकार केन्द्र निर्माण किया जाए; कुछ रेस्ट हाउस भी किया जाए ताकि लेट-सेट वे आराम से आ सकें, आराम से रह सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृति की बात करते हैं, आज मुझे बड़ा दु:ख होता है, ये संस्कृति और भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले, इनके राज में पुष्कर में नंगे नाच किये गये।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह संस्कृति को कलंकित किया है। भाई वासुदेवजी देवनानी ने शिक्षा विभाग को कलंकित किया है कि +++, आज दिन तक यह शिक्षा विभाग के ऊपर यह कलंक लगाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है लेकिन मैं इसके अलावा निवेदन करता हूं कि जो मुख्यालय हो, जो बड़ी-बड़ी बात करते हैं...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। माननीय श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास। अब आप विराजें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): पंचायत हैड-क्वार्टर को वंचित रखा, इन्होंने भेदभाव किया। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, जो रिफाइनरी आई, इसके स्वागत के बजाय इनको पीड़ा हो रही है। यह रिफाइनरी का तेल निकलेगा।

(श्री मदन प्रजापत)

आज मुख्य मंत्रीजी ने सौगात दी है, इस रिफाइनरी से इनका तेल जरूर निकल जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिये।

माननीया। श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है और उसका स्तर दिनों-दिन गिरता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा नहीं करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन सारी मूलभूत सुविधाओं को तो भूल गये, यहां पर एक अजब सी सारी बातें करनी शुरू कर दीं। मैं यह कहना चाहूंगी कि सरकार लैपटाप दे रही है, सरकार साइकिलें दे रही है, स्कूटी दे रही है, ये सब कुछ भी सुविधाएं देने के बावजूद भी सरकारी स्कूलों के अन्दर संख्या नगण्य रहती है। यह एक बहुत दुःखद बात है और यह बहुत सोचने का विषय है।

अभी मैं ज्यादा बोलूंगी तो फिर आप कहेंगे, टाइम हो गया पर महिलाएं सिर्फ 2-3 ही बोली हैं, यह ध्यान रखना आप।

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट तो हो चुके।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो मेरी बात ही नहीं कही और आपने कह दिया, दो मिनट हो गये।

श्री उपाध्यक्ष: बोलने वाले को पता नहीं चलता है, घड़ी को पता चलता है, कितनी देर बोले हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का स्तर इसलिये घट रहा है कि अपने जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, वहां पर कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है। यहां तक कि लैपटाप की बात कर रही है सरकार, मैं तो कह रही हूं कि वहां पर बच्चों के लिये टाट-पट्टी बिछाने को नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से हूं और जहां से मैं आई हूं वहां पर, आप यह देख लो, सौ के करीब स्कूल होंगे मगर 70-80 प्रतिशत स्कूलों के

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

अन्दर भवन नहीं हैं। मन्दिरों के अन्दर स्कूल खुल रहे हैं, बगीचों के अन्दर स्कूल खुल रहे हैं और बोरी के तापड़िये बिछाकर बच्चे पढ़ रहे हैं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात को पहले आप सुनें, फिर मैं वापस बोलूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्कूल जो चल रहे हैं, सूरसागर के अन्दर वहां एक मन्दिर है, मन्दिर के बाहर एक कमरा है, उस कमरे के अन्दर ऐसे किया हुआ है कि यहां पहली क्लास बैठेगी, इधर एक पट्टी कर दी, यहां दूसरी बैठेगी, यहां तीसरी बैठेगी। तो फिर इन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ने के लिये कौन भेजेगा? चाहे गरीब से गरीब आदमी हो, मध्यम श्रेणी का हो, हर व्यक्ति चाहेगा कि हम प्राइवेट स्कूलों के अन्दर भेजें। हालांकि अपने स्कूलों के अन्दर जितने पढ़े-लिखे और तालीम वाले शिक्षक होते हैं, वे प्राइवेट स्कूलों में नहीं होते, फिर भी इसलिये नहीं पढ़ाते हैं कि वहां कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। वहां टाट-पट्टी नहीं, वहां चाक नहीं, वहां बोर्ड नहीं। मैं यह बिलकुल प्रत्यक्ष, आपको देखा हुआ सब बोल रही हूं। मैं खुद जाती हूं देखने के लिये और जहां जहां स्कूलों में जाती हूं, वहां की सारी रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्रीजी को भेजती हूं, शिक्षा मंत्रीजी को भेजती हूं, हमारी पार्टी वालों को भी भेजती हूं। जहां-जहां निरीक्षण करके आती हूं, वहां देखो, चपरासी नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, वहा बाथरूम नहीं। बच्चे कहां जाएंगे? एक लड़की तो, आप सही मानो, जाते ही मेरे ऐसे लिपट गयी, कम से कम दस साल की होगी; मैंने कहा कि क्या बात हुई, क्या हुआ; मैंने सोचा, कोई टीचर ने मार दी होगी; तो कहा, नहीं, हम पानी कैसे पियें, क्योंकि यह देखो, पानी का टैंक बताया ले जा करके, पानी की यह व्यवस्था है।

तो अपना बच्चा ऐसे स्कूलों में क्यों भेजेंगे? आप बताइये। दूसरे स्कूलों के अन्दर तो अच्छे से अच्छा रिजल्ट देते हैं, जाते हैं मगर अपने स्कूलों के अन्दर कुछ भी नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बोली भी नहीं हूं। क्या बात कर रहे हैं आप? महिलाएं तो सिर्फ तीन बोली हैं। आप हमको 5-5, 10-10 मिनट तो ज्यादा दो।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, मैं यह नहीं कहता, मैं तो एक अर्ज कर रहा हूं कि नेगेटिव सभी बोलते हैं सदन में, पोजिटिव बोलें, पट्टी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): पोजिटिव हो तो पोजिटिव बोलें, नहीं हैं जो बातें तो 'नहीं' बतानी पड़ेंगी।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं हैं, नहीं, होना चाहिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं है जो बात तो 'नहीं' बतानी पड़ेगी। नहीं है जो तो 'नहीं' बतानी पड़ेगी। है, जो बताएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आपके सात मिनट हो गये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी कालोनी, नाम दिया है राजीव गांधी कालोनी और वहां स्कूल बच्चों के पढ़ाने के लिये हालत देखो! तो नेगेटिव बात, पोजिटिव हो तो पोजिटिव कर देंगे, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भट्टी की बावड़ी है मेरे एरिये के अन्दर, वहां मेरे पास कार्यकर्ता आयें बुलाने के लिये, आप स्कूल देखने चलो, बगीचे के अन्दर और चारों तरफ गन्दगी पड़ी। वहां बच्चे पढ़ रहे हैं! वहां कैसे बच्चे पढ़ेंगे? आप बताइये। कैसे स्कूलों में लोग अपने बच्चों को भेजेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, हर बात कोर्ट के हिसाब से होती है; कोर्ट कहती है कि यहां बाथरूम बनना चाहिए, कोर्ट कहता है, कैसे होना है। हर बात कोई कोर्ट के कहने से थोड़ी होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी विद्यालयों के अन्दर हर बात की सुविधा होनी चाहिए। 10 बच्चे होते हैं और 8 मास्टर होते हैं, कहीं 10-15 बच्चे हैं, 5 मास्टर हैं। ऐसा थोड़े ही पढ़ाया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह चाहती हूं कि सरकार के अन्दर हर बात की सुविधा होनी चाहिए जिससे बच्चों को पढ़ाई कराने के अन्दर सुविधा हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में, जिससे मैं आई हूं, वहां तीन क्षेत्र हैं, जोधपुर शहर के अन्दर, सरदारपुरा, शहर और सूरसागर। सरदारपुरा विद्यालयों में विज्ञान 8 जगह पर है, शहर के अन्दर 7 जगह पर है और सूरसागर के अन्दर एक जगह पर है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कहूंगी कि एक है, वहां के बच्चे इंजीनियरिंग में क्यों नहीं पढ़ सकते? वहां के बच्चे डाक्टर क्यों नहीं बन सकते? जब 125 कच्ची बस्तियां हैं मेरे क्षेत्र के अन्दर, फिर भी यह अव्यवस्था है। तो मैं यह चाहूंगी सरकार से और मैं मांग करती हूं कि इनमें खोली जाएं। ... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिए। कृपा करके विराजिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों में ताला बंद रहते हैं तो बच्चे कहां से पढ़ेंगे?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी दो मिनट की और बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहती हूं कि प्रदेश में कलाकारों को प्रश्रय दें और उनको भी पेंशन देने की व्यवस्था करें। ... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी, यह वेल से नहीं आते हैं न।

श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या-24 पर चर्चा हो रही है, इसमें मैं अपने आपको शामिल करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि उन्होंने पहले जब शासन था 1998 से, हर ग्राम पंचायत स्तर पर राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं। इससे छोटे-छोटे बच्चों को अपने घर के पास में ही रहने की सुविधा मिली और यही नहीं, वहां पर पढ़ाने के लिए भी स्थानीय अध्यापक, जो पैराटीचर था, उसकी व्यवस्था की गई जिससे उनको रोजगार मिला।

इस बजट में इतने विद्यालय खोले गए हैं, यानी एक हजार नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे, एक हजार उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत किए जाएंगे, एक हजार माध्यमिक खोले जाएंगे जो उच्च प्राथमिक से क्रमोन्नत होंगे और 600 उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे।

जैसा कि प्रतापसिंहजी खाचरियावास ने सब कुछ बताया, शिक्षा का स्तर निश्चित रूप से सरकारी स्कूल में घटता जा रहा है। एक तरफ प्राइवेट स्कूलों में संख्या बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत घटती जा रही है। इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है।

उच्च शिक्षा मंत्रीजी भी यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि चौमूं कस्बा जयपुर का उप-नगर है, जयपुर और चौमूं में कोई फर्क नहीं है, हमारे यहां पर एक गर्ल्स कालेज है जहां पर करीब दो हजार बच्चियां पढ़ रही हैं। चौमूं में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्चियों की संख्या लगभग 20 हजार से ऊपर है। ऐसी स्थिति में ग्राम कुशलपुरा बासा में और गोविन्दगढ़ में, जहां पर महाविद्यालय नहीं हैं, वहां पर महिला महाविद्यालय खोले जाएं। इसकी मांग पिछले तीन साल से मैं लगातार कर रहा हूं। उच्च शिक्षा मंत्रीजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में 15 नए महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप रिकमंड करके ग्राम कुशलपुरा बासा व गोविन्दगढ़ में इस बार कन्या महाविद्यालय खुलवाएं।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। टायलेट्स की, कक्षा कक्ष की प्रतापसिंहजी चर्चा कर रहे थे, यह बात सही है कि 'रमसा' योजना में यह पैसा आया है, इसको खर्च करना चाहिए। इस वर्ष शायद नहीं मिला, वह पैसा भी जल्दी से जल्दी मंगवा कर कक्षा कक्ष और टायलेट्स बनाने चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। इतने अनुशासित रहें विधायक तो शायद तकदीर बदल जाएगी।

माननीय श्री बाबूलालजी बैरवा।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बहस हो रही है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): मुझे भी अवसर दें।

श्री उपाध्यक्ष: एक लाइन, इसमें नाम नहीं है आपका।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत और प्रांतों के बजाए बहुत कम है। राजस्थान में 67 प्रतिशत साक्षरता का प्रतिशत है जबकि चंडीगढ़ जो कि केन्द्र शासित प्रदेश है, वहां का 100 परसेंट; केरल का 95 परसेंट है। इस तरह देखते हुए, राजस्थान का साक्षरता का प्रतिशत जो है वह बहुत कम है। क्योंकि हमारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई का अभाव है, सरकारी स्कूलों में टायलेट नहीं है; पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, चारदीवारी नहीं है, साफ-सफाई नहीं है, बिजली नहीं है, खेलने के मैदान नहीं हैं। इस तरह से हमारे जो छात्र हैं, सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि ये सभी व्यवस्थाएं जो प्राइवेट स्कूल दे रही हैं या जो दूसरी जगहों पर हैं, वही व्यवस्था अगर सरकारी स्कूलों में हो जाए तो यहां की छात्र संख्या एवं पढ़ाई का स्टेट्स बढ़ सकता है।

हमारे जो आठवीं तक के लड़कों को पास करने का सरकार का निर्णय है, इससे हमारे बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। अभी अख़बार में पढ़ा था कि हमारे एक डायरेक्टर कोई स्कूल में गई थीं, वहां पर आठवीं के बच्चे हमारे मुख्य मंत्री का नाम नहीं बता पाये। हमारे राज्यपाल का नाम नहीं बता पाये।

हमारे स्कूलों की यह स्थिति है कि मेरे यहां पर एक सरकारी स्कूल में, मिडल स्कूल में 13 छात्र हैं और 8 मास्टर हैं; एक जगह पर 200 छात्र हैं

(श्री बाबूलाल बैरवा)

और दो मास्टर हैं; एक स्कूल में एक मास्टर और एक ही छात्र है और वह छात्र भी उसी मास्टर का बेटा। दोनों बाप-बेटे सुबह स्कूल चले जाते हैं और वह अपने बेटे को पढ़ाकर वापस घर आ जाता है। तो यह हमारी सरकार की मानिटरिंग की कमी है। अगर हमारे इंस्पेक्टर्स, जो बी.ई.ओ. कार्यालय में एस.डी.आई., इंस्पेक्टर्स जो भी हैं, अगर वे मंथली या साप्ताहिक इसकी कोई मानिटरिंग करें और राज्य सरकार यह निर्देश जारी करे कि हमारी स्कूलों में कहां-कहां मास्टरों की कमी है, कहां-कहां पर टायलेट नहीं हैं, कहां-कहां पर व्यवस्थाएं नहीं हैं, इस तरह का एक पूरा आधार कार्ड पूरे राजस्थान का तहसीलवाइज और जिलेवाइज बनाया जाए और उस पर मानिटरिंग की जाए।

कई जगह पर सरकार ने बी.एड. कालेज खोल रखे हैं, आई.टी.आई. कालेज खोल रखे हैं लेकिन वास्तव में जो संसाधन उन छात्रों को चाहिए, वे नहीं मिल पा रहे हैं। सब सिफारिशों के ऊपर स्कूलें खोल दी गई हैं।

अभी सभी माननीय सदस्यों ने बताया कि मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही आम जनता का बजट पेश किया है, आम नागरिक का बजट है, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों को छुआ गया है, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर घोषणा की है; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरा एकग्राम पंचायत मुख्यालय बसेट, वहां पर 200 छात्र उस स्कूल में शिड्यूल्ड कास्ट के पढ़ते हैं, चार हजार की आबादी है, मैंने मेरे टाइम पर भी भंवरलालजी मेघवाल को कहा था कि ग्राम पंचायत मुख्यालय है और बहुत बड़ा ग्राम है, इसमें 80 लड़कियां केवल शिड्यूल्ड कास्ट की पढ़ती हैं और उसमें मिडल स्कूल नहीं खोला। आम बजट बताते हैं, तो मेरा निवेदन है कि क्या आम बजट कांग्रेस के विधायकों के लिए ही है? या बी.जे.पी. के विधायकों के लिए भी है?

अगर ये प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को छुएंगे तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में पांच-पांच हजार की आबादी के ग्राम हैं जहां पर हायर सेकण्डरी और सैकण्डरी, जैसे हायर सैकण्डरी के लिए खेलामेदा, मोलिया, सोंखरी, गारूं, सोंख और ऐसे ही बसेट के साथ-साथ अगर ये मिडल स्कूल और खोलें, जैसी कि घोषणा की है कि एक हजार सेकण्डरी और एक हजार मिडल, एक हजार प्राइमरी, 600 हायर सैकण्डरी, उसके लिए अगर कोटे से बांटें तो मेरे क्षेत्र में सेकण्डरी के लिए हिरनिया, इमलारी, कांठवाड़ी, डोखाना, घोसवाड़ा; मिडल स्कूल - चांदपुर, बलदेवपुरा, निचला खेड़ा, खोह, भदीरा, आदि पर बांटें।

(श्री बाबूलाल बैरवा)

मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे बी.ई.ओ. कार्यालय में एक बाबू सीताराम वर्मा है जो मास्टरों से पैसे की ठगी करके और उनको कहता है कि तुम्हारी बदली नहीं होने के लिए, यूं कहता है कि पैसों को ऊपर पहुंचाऊंगा। उसकी जांच करवा ली जाए, वह दुनिया को लूट रहा है जबरदस्ती से। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो शिक्षा मित्र हैं आपके डिपार्टमेंट के, जो अभी पुलिस की लाठी खा कर गए हैं, मेरे क्षेत्र के शिक्षा मित्रों को बेरोजगार न करके...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वैसे तो आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हो, एक दफा कोई बात बोल गया तो वह रिकार्ड में आ गई, आप उसको रिपीट मत करो। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): सेकण्डरी स्कूलों में बहुत जगह है, उनको वहां पर खपाया जा सकता है।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मिड-डे मील की बात चल रही है, मिड-डे मील में क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मानिटरिंग नहीं की जा रही है, चोरी हो रही है। इसके अन्दर कई मास्टर पकड़े गए हैं अनाज की बोरियां ले जाते हुए। बच्चों के लिए मिड-डे मील की व्यवस्था की जाए और इसकी जांच करवाई जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री गोविन्द सिंहजी डोटासरा।

(अनुपस्थित)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): मेरा भी है।

श्री उपाध्यक्ष: एक सदस्य के बाद आपका नाम है।

माननीय श्री रूपाराम डूडी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री जीवाराम चौधरी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर में जिन-जिन स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, वहां पर अध्यापक लगाने

(श्री जीवाराम चौधरी)

की कृपा करें और जहां पर विद्यालय की जरूरत है, मैं डिजायर आपको भेज दूंगा, वहां पर नए स्कूल खोलने की कृपा करें। मैंने आपको चेता दिया है और अब जवाबदारी आपकी है। वहां से कोई ओलमा आया तो उसके धनी भी आप हो। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य नाराज नहीं होने चाहिए, प्रसन्न रखना इनको। आप तो वैसे भी सबको प्रसन्न रखते हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): हम किसी को नाराज करते ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राजकुमारजी रिणवां।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा, कला और संस्कृति वह अमृत है, जो मनुष्य और पशु में भेद बताती है, वरना भय, मैथुन, भोजन, प्यास, ये तो सब पशु भी करते हैं।

आज जो स्थिति है, उसमें अपन शिक्षा की बात करें, बच्चों की बात करें, अपन को खुद पर भी लागू करनी चाहिये। पांच साल का आखिरी सत्र है। केवल निन्दा स्तुति, हम आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगायें, आप हमारे पर लगा रहे हो। नेताओं की इमेज तो वैसे ही खराब है, जिसने भी यह चोला पहन रखा है वह तो छलनी नजर आता है; जिसने भी यह पहन रखा है वह नंगा नजर आता है। मेरी भी मजबूरी है, क्या करें? कोई भी चीज के लिये हम यह कहें कि ये हमारी करवाई, या ये मेरे कहने से गहलोत साहब ने दी है, तो आपके जैसे नुमाइंदे वहां बैठे हैं, वे मानते नहीं हैं; हो नहीं सकता, सरकारी हमारी है, आप कैसे करवा सकते हो? सरकार आपकी है पर हम तो गहलोत साहब को राजस्थान का मुख्य मंत्री मानते हैं, खाली कांग्रेस का मुख्य मंत्री नहीं मानते हैं। हमें भी हक है, जो भी जीतता है उन सबको बराबर का हक है, बाकी उसके चलते हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम आपकी निन्दा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मांग के विषय में तो बोलने में कोई सार नहीं है, क्योंकि मांग तो मेरी जायेगी नहीं; मेरे कहने से तो किसी का ट्रांसफर भी नहीं होना चाहे कोई कितना भी मजबूर हो, कोई अपाहिज हो, कुछ भी हो, कहने में कोई सार नहीं है; जिनको देना है, जो कुछ कर सकते हैं, उनको मैंने लिखकर दे दिया।

अब कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर अपन को गौर करना चाहिये। पहली

(श्री राजकुमार रिणवां)

बात तो मुझे यह कहनी है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिये, यह बहुत जरूरी है। यह अपनी मायड़ भाषा है। उसके लिये अगर आदमी को अपनी मां पर, अपनी मातृ भाषा पर, जन्म भूमि पर अगर गर्व नहीं है तो यह बहुत दुःख की बात है। मनुष्य जन्म लेकर फिर अपन ने क्या किया?

दूसरा, आज तक जितने आक्रमण हुए भारत पर, फ्रांसिसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, मुगल सब आ गये; बाकी रूमानी, हिटलर, सब मिट गये जहान से; कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है। बाकी अब लगता है कि अपनी हस्ती मिटने का टाइम आ गया है।

अब एक दिन मैं अख़बार में देख रहा था, नेस्ले नाम की एक कम्पनी है जो बच्चों का खाद्य पदार्थ बनाती है, उसकी जांच हुई तो पता चला कि उसके अन्दर घोड़े का मांस है। लोग-बाग़ मांस खाते हैं खाने को, ऐसी कोई बात नहीं है, हालांकि मैं तो मांस खाने वालों की निन्दा करता हूं कि अपना पेट भरने के लिये जीव हत्या करते हैं, इतनी बड़ी बात है; ऐसी-ऐसी शानदार चीजें भगवान ने बनाई खाने के लिये कि जिसका कोई अन्दाज नहीं है, पर ठीक है, खाने वाले खाते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो लोग प्रकृति से मांसाहारी नहीं हैं, उनको अगर इन्डायरेक्ट रूप में भी दिया जा रहा है तो कितना गलत काम हो रहा है! आपको पता है कि गाय एक शाकाहारी होती है, ब्रिटेन के अन्दर 6 लाख गायों को मांस दिया गया। उन गायों का जिसने भी दूध पीया या मांस खाया, वे सब पागल हो गये। 6 लाख गायों को मरवाना पड़ा।

आज इस तरह का एक षड्यन्त्र देश में चल रहा है। 15 वर्ष की उम्र डवलपमेंट की, ब्रेन डवलपमेंट की होती है, उसके अन्दर अपन फेल ही नहीं करते हैं। अपने वेदों में है कि भय बिनु होत न प्रीत। अमेरिका चिन्तित हो रहा है कि भारतीय आ रहे हैं, चिन्ता करने की जरूरत ही नहीं है, यही साल्व कर दी सारी प्राब्लम को। उनको रख दो, आठवीं तक फेल ही मत करो, कोई चिन्ता की बात नहीं है। अपने वेदों में कहा गया है कि 15 वर्ष तक कहो, अगर बच्चे को कोई बात समझानी है, उसको अगर सुसंस्कृत बनाना है तो उसको कहो; उसके बाद 16 वर्ष के बाद में उसको मित्र की तरह मानो, अगर उसको मित्र की तरह नहीं मानोगे तो वह आपके सामने बोलेगा। आज वे सारे षड्यन्त्र अपने यहां लागू हो रहे हैं। अपने देख रहे हैं कि अपने देश की क्या स्थिति हो रही है।

(श्री राजकुमार रिणवां)

उपाध्यक्ष महोदय, देखो, सब्जेक्ट पर सब बोल गये, मैं कुछ हटकर बोल रहा हूं, क्योंकि न तो मुझे अभिभाषण पर मौका मिला, न मुझे बजट पर मौका मिला। तो अब कोई भी बात है, या मन की भावना है, अगर आप इजाजत देओ तो मैं बोल रहा हूं।

अब हम रोज-रोज अख़बार में पढ़ते हैं और अपन लोग ही नहीं बोलें, जो अपन 7 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपन ही राष्ट्र की चिन्ता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज 16 वर्ष की उम्र तक, आज अख़बार में पढ़ा, उनको इजाजत दी है। मैं एक शादी में गया था, उस बच्ची की उम्र दो महीने कम थी, पुलिस ने आकर उस शादी को रुकवा दिया। कितने बड़े दुख की बात है! मैं आपको बताऊं, बाद में मैंने पुलिस वाले को कहा, आपको पता है ना, यह अति दलित में घुमक्कड़ जाति में है, कहीं उल्टा ना पड़ जाये; उन्होंने कहा, इनके लिये कानून अलग होवें क्या; मैंने कहा, बिलकुल होता है...

श्री उपाध्यक्ष: यह डिमाण्ड है, माननीय सदस्य, डिमाण्ड में पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बोलो तो ठीक रहेगा। वैसे भी आपका टाइम हो गया।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): शिक्षा, कला और संस्कृति, इतने विराट, इतने व्यापक शब्द हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई भी नेता हो, जो भ्रमित करे, वह निश्चित तौर पर संदेहास्पद व्यक्ति है। इसलिये आपका टाइम हो गया, आप थोड़ा सा जल्दी करें।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं। शादी की उम्र 16 वर्ष करें, कोई बात नहीं; जैसी आपकी इजाजत, कोई बात नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं, खुद स्वयं में सिफारिश है।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): साहब, खूब योजनाएं लेकर आ रहे हैं, आप खूब बजट दे रहे हैं शिक्षा में और सब में मगर एक कहावत है कि सपेरा जंगल में बीन लेकर आ गया, मगर नाग भी बड़ा कमीना है, वह दूरबीन लेकर आ गया; जब तक आप भ्रष्टाचार मिटाओगे नहीं, अध्यापक पूरे देंगे नहीं, व्यवस्था पूरी देंगे नहीं तो क्या फायदा होगा? आप क्या संस्कार सिखायेंगे? धर्म निरपेक्षता के नाम पर हम सब नास्तिक हो रहे हैं। आज एक परिवार को चलाना कितना मुश्किल है, एक प्रदेश को चलाना कितना मुश्किल है। अगर

(श्री राजकुमार रिणवां)

आप अपने इष्ट को जाग्रत नहीं करेंगे, आप अपने सतोगुण को जाग्रत नहीं करेंगे तो कैसे चलायेंगे आप? आपकी सारी योजनाएं फेल हो रही हैं।

आपने बजट पेश किया, उस समय मैं देख रहा था, राहु काल चल रहा था, कुछ नहीं होगा बजट का। देख लीजिये फेल हो गया, कर गया। दूसरे दिन वकीलों ने ऐसी हालत कर दी, कोई बजट पर बोलने वाला नहीं मिला। तो यह दुर्दशा है। आप जब तक इन चीजों को नहीं मानोगे, मैं एक दिन देख रहा था...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन को अपने पक्ष में लेते जा रहे हो; आसन के सामने समस्या आ जायेगी। अब आप समाप्त करें।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): चलो, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

अब मैं कला संस्कृति पर बोलूंगा। कला एक ऐसा विराट शब्द है, कला एक इतना व्यापक रूप है, कला खाली गीत-संगीत ही नहीं है, हर चीज कला है। बर्तन बनाना, चित्र बनाना, गहने बनाना, अपना कोई भी काम करना, वह कलाकारी है, कला है। आपको बताऊं, जीवन जीना भी एक कला है। मैंने देखा है लोगों को जो करोड़पति-अरबपति हैं, वे दु:खी रहते हैं, कभी हंसते नहीं हैं और कोई हैण्ड-टू-माउथ है, वे लोग प्रसन्न हैं। जीवन जीना भी कला है। आपको पता है, मिट्टी के अन्दर अपन चीनी मिला दें, उसको कोई नहीं निकाल सकता, बाकी चींटी मिट्टी की कला जानती है, वह निकाल सकती है; पानी के अन्दर हाथी नहीं चल सकता है, पर मछली चल सकती है, वह पानी की कला जानती है। कला एक बहुत व्यापक शब्द है। कला के लिये अपन को बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, कम्प्यूटर, वगैरह सब उसके अन्दर आते हैं।

संस्कृति की क्या बताऊं, संस्कृति की तो इतनी दुर्दशा हो रही है। बाहर पुजारी, वगैरह बैठे हैं, कल वहां पर गौ-भक्त बैठे थे, शराब के विरोध के लिये आमरण अनशन पर बैठे हैं। यह स्थिति हो रही है। राजस्थान की भूमि देव भूमि है, संतों की भूमि है, भामाशाहों की भूमि है, वीरों की भूमि है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती कान्ता गरासियाजी।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर लम्बे समय से हमारे पक्ष और विपक्ष के सभी

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

माननीय सदस्यों ने अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव सदन के सम्मुख रखे। मैं भी आपके माध्यम से इस सदन के सामने शिक्षा पर अपने विचार रखना चाहूंगी।

काफी सारी चर्चाएं हुईं, सभी माननीय सदस्यों ने शिक्षा में क्या गुणात्मक सुधार होने चाहिये, अपने-अपने ढंग से अपनी बात को रखा; बहुत लम्बी चर्चा, शिक्षा का कानून केन्द्र में कांग्रेस की सरकार ने बनाया, उसको लेकर भी सभी ने अपने अपने ढंग से उस कानून की व्याख्या की। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का अधिकार का जो कानून बनाया, उस कानून से गांव के उस गरीब बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला। इस देश की धरती पर पैदा होने वाला हर बालक, उसको शिक्षा प्राप्त हो, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं हो, उसके लिये केन्द्र सरकार ने शिक्षा के लिये अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू किया।

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रतिभा होती है, वह किसी खानदान में नहीं होती है, अच्छे खानदान के लोगों में ही प्रतिभा नहीं होती है। एक गरीब और गांव के अभावग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले परिवार के व्यक्ति में, बालक के अन्दर भी प्रतिभा छिपी रहती है लेकिन सवाल यह होता है कि उसको अवसर नहीं मिल पाता।

मैं धन्यवाद देना चाहती हूं केन्द्र सरकार को, यू पी ए की अध्यक्षा सम्मानीय सोनिया गांधीजी को, प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी को जिन्होंने यह कानून बनाया और उस कानून से उस गांव में गरीब बालक को पढ़ने के लिए, उसके मां-बाप को यह भी पता नहीं है कि शिक्षा का महत्व क्या है, हमारे बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, इस बात का उस मां-बाप को अहसास नहीं है; गांव में स्कूल खुलने से मां-बाप को पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, वह बच्चा स्कूल जाएगा और वहां जाकर शिक्षा प्राप्त करेगा; इस कानून के तहत बच्चा स्कूल में जायेगा। अब तक हम सुना करते थे कि बड़े-बड़े शहरों में रहने वाले लोग, उनके बच्चे बड़ी-बड़ी जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, चाहे वह कलक्टर हो, चाहे वह एस पी हो या और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के पद हों, शहरों में पढ़ने वाले बच्चे वहां पर काबिज हुआ करते थे लेकिन निश्चित ही गांव में अवसर मिलने से वह छिपी हुई प्रतिभा, बालक और बालिकाएं हैं, उनको अवसर मिलेगा और आने वाले समय में आज जो शहरों में

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

बन्द कमरों में ए सी में बैठकर योजनाएं बनती आ रही थीं, अब गांव में जो भुक्त-भोगी बच्चे के सामने की, आसपास की क्या परिस्थितियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनेंगी तो निश्चित ही इस देश की काया पलटेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज के इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगी क्योंकि आप समय ज्यादा नहीं देंगे। शिक्षा के साथ-साथ कई सारी योजनाएं, छात्रों की कई सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनमें छात्रवृत्तियां, स्कूटी, साइकिल वितरण, बालिका प्रोत्साहन, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, इंस्पायर अवार्ड योजना, आज स्थिति यह है कि जिले का डी ई ओ इन कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति में ही समय बिताता है, कहीं न कहीं उसी में ही उलझ कर रह जाता है और हम बात करते हैं शिक्षा की गुणवत्ता की, शैक्षणिक उन्नयन की हम बात करते हैं। तो शैक्षणिक उन्नयन के लिए कहीं न कहीं डी ई ओ को उन स्कूलों में जाकर सुपरविजन करना पड़ेगा, उन स्कूलों में जाकर निरीक्षण करना पड़ेगा, औचक निरीक्षण करना पड़ेगा ताकि वहां पढ़ाने वाला शिक्षक हमेशा सावधान रहे कि कब कौन अधिकारी आ जाए और कब निरीक्षण कर जाए। स्कूल में किसी तरह की अव्यवस्था नहीं रहे, क्लास बराबर चलें, बच्चों का स्तर अच्छा बना रहे, इसके लिए वह बराबर सतर्क रहेगा। मेरा निवेदन है कि स्कूल में, चाहे वह प्राइवेट हो या राजकीय हो, दोनों को मिलाकर डी ई ओ को उनको देखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक डी ई ओ के भरोसे जो जिला, उसके निरीक्षण और सुपरविजन की उम्मीद करते हैं, वह सम्भव नहीं हो पाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि जहां एक डी ई ओ की पोस्ट है एक जिले में, जहां पांच सौ तक स्कूल हैं, वहां पर हम दो डी ई ओ क्यों नहीं लगा देते? नई पोस्ट क्यों नहीं क्रिएट कर देते? अलग सैल गठित क्यों नहीं कर दिया जाता? जो छात्र कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की क्रियान्वित के लिए अगर अलग से एक सैल स्थापित कर दिया जाए तो वह अपना काम करेंगे और डी ई ओ को जो स्कूल्स का अच्छे ढंग से संचालन करना चाहिए, वह कर पायेंगे। तो मेरा निवेदन है कि एक डी ई ओ की जगह दो डी ई ओ लगाये जाएं, कल्याणकारी योजनाओं के लिए अलग से सैल गठित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहुत सारी बातें कही गई थीं, शिक्षा के

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

अधिकार पर सभी लोगों ने उसको इतना तोड़-मरोड़ कर यहां पर बताया, मैं इस सदन में कहना चाहूंगी, माननीय सदस्य चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, आज हम लोग कह रहे हैं कि सारी स्कूल्स में नल नहीं हैं, पानी नहीं है, इसलिए बच्चा स्कूल नहीं जाता है; सरकारी स्कूल में बिजली नहीं है इसलिए बच्चा पढ़ने नहीं जाता है; सभी उम्र के माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूं कि आप और हम लोग पढ़ें उस समय ऐसी कौनसी सुविधाएं थीं? कौनसी बिजली और पानी की सुविधाएं थीं? इसके बावजूद भी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा थी। तो हम एक मात्र बहाना यह बनाकर कि यहां पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, टायलेट नहीं हैं; मैं मानती हूं कि टायलेट की आवश्यकता है बालिकाओं के लिए, लेकिन हम सिर्फ इन छोटे कारणों की वजह से बहाना बनाकर चलते हैं। बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है क्योंकि उसके अभिभावक की जेब से उसके लिए फीस निकलती है। इसलिए जब वह बच्चा शाम को घर पर जाता है तो उसके माता-पिता, चाहे उनको पढ़ना आवें या नहीं आवें लेकिन कापी खोलकर जरूर देखते हैं कि आज बच्चे को क्या लिखवाया, क्योंकि पैसा उसकी जेब से निकलता है। सरकारी स्कूलों में सरकार उसका भुगतान करती है, टीचर की सैलेरी का भुगतान करती है, तो वहां पर किसी की जेब से पैसा नहीं जाता है तो कोई नहीं देखता।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप संक्षिप्त करें।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): मैं कहना चाहूंगी कि यह कमजोरी है।

हम जन-प्रतिनिधि क्या करते हैं? आज सभी ने यह कहा कि बिना पढ़ाई करे पास करने की व्यवस्था कर दी। मैं पूछना चाहती हूं सभी को कि क्या उस स्कूल का पाठ्यक्रम नहीं है? क्या उन क्लासों का पाठ्यक्रम नहीं है? पाठ्य-पुस्तकें नहीं हैं? उन स्कूल्स में जो कालांश टीचर लेता है, उस कालांश की मासिक या वार्षिक कार्य योजना नहीं बनती है? क्या टीचर क्लास में जाकर कालांश नहीं लेता है? अगर वह कालांश लेता है तो वह क्या पढ़ाता है उस बच्चे को? क्या उसके पास मैटर नहीं है? हम सिर्फ यह बहाना करके सिर्फ इस रूप में पेश करते हैं कि नहीं, इसको तो वहां पर कोई पढ़ाता नहीं है और बिना पढ़ाई पास करता है। अगर बिना पढ़ाये इस एक्ट में पास करने की व्यवस्था होती तो वह बच्चा स्कूल क्यों जाता? वह टीचर पूरे दिन स्कूल में क्यों बैठता? वह टीचर क्लास में क्यों जाता? उसको घर बैठे डिग्री क्यों नहीं मिल जाती? तो

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

हम सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यह कानून बनाया है, उसका हम विरोध करने के लिए विरोध करके इस रूप में यदि हम उसकी व्याख्या या परिभाषा करेंगे तो मैं कहना चाहूंगी, अगर हम यह कहना शुरू करेंगे तो टीचर तो कहेगा कि ठीक है, हमको तो सपोर्ट इधर से मिल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी सभी माननीय सदस्यों को, हम बहुत जिम्मेदार लोग हैं, चुने हुए जन-प्रतिनिधि हैं, हमको इसकी तरफ सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जब बच्चा अनुत्तीर्ण होता है तो अनुत्तीर्ण होते ही उस बच्चे का आत्मविश्वास डगमगा जाता है कि मैं फेल हो गया, उसको आता होगा तब भी नहीं आयेगा, उसका मनोबल कमजोर होगा और कई बार जो बच्चा कुशाग्र बुद्धि होता है, स्टार्ट में बहुत अच्छा...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट लेना चाहूंगी।

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट तो बहुत होते हैं।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): जो बच्चा कुशाग्र बुद्धि पहली क्लास में होता है, वह कई बार बड़ी क्लासों में जाकर कमजोर हो जाता है और वह भटक जाता है। जो बच्चे छोटी क्लासों में कमजोर होते हैं, मन्द बुद्धि होते हैं लेकिन यदि उनको आगे चल कर अवसर दिया जाए तो वे बच्चे आगे जाकर बहुत प्रतिभाशाली निकलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

माननीय हनुमानजी बेनीवाल। बेनीवालजी, आपको तीन मिनट दिये जाते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तीन मिनट में तो मैं सिर्फ आपके पास जाकर ही वापस आ जाऊं। और तो क्या करूं?

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हम सभी जन-प्रतिनिधियों को भी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए।

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए निवेदन करना चाहूंगी, मेरे क्षेत्र की जो बात है वह तो रह ही गयी, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट दिए जाएं।

1998 में माननीय अशोक जी गहलोत ने राजीव गांधी पाठशालाएं खोली थीं और उन राजीव गांधी पाठशालाओं से हमारे जो जनजाति एरिये हैं, जहां पर गांव की ढाणियों में स्कूल्स खुले थे वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आयी और उस क्रांति से चाहे आज मिडल स्कूल हों, चाहे सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स हों, उन स्कूल्स में आज बालक और बालिकाओं की संख्या बराबर है।

(18.40 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में प्राइवेट कालेज बहुत ज्यादा हैं, पांच हैं, इसके बावजूद भी मेरे यहां पर पूरे जिले में शिक्षा के क्षेत्र में मेरा गढ़ी विधान सभा क्षेत्र अव्वल है। इतने कालेज होने के बाद भी जिले में जो राजकीय कन्या महाविद्यालय है, वहां भी लड़कियां पढ़ने जाती हैं; जिले में पी जी कालेज है, वहां पर भी लड़कियां पढ़ने जाती हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो कन्या महाविद्यालय है वह हमारे ट्राइबल क्षेत्र में खोला जाए। हम बालिकाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कन्या महाविद्यालय मेरे क्षेत्र में खोला जाए। बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां बांसवाड़ा, चालीस से पचास किलोमीटर की दूरी तय करके सरकारी कालेज में पढ़ने के लिए आती हैं। कई मां-बाप तो ऐसे हैं जो उन बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन लड़कों के कालेज में नहीं भेजना चाहते। जिस तरह का आज-कल माहौल चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर महिला कालेज खोला जाए, कन्या महाविद्यालय खोला जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारा बांसवाड़ा जिला है, वहां पर अध्यापकों की जब भी भर्ती होती है तो उस समय आपके दूरदराज के या जयपुर की तरफ के जो भी टीचर होते हैं वहां पोस्टिंग तो ले लेते हैं लेकिन संशोधन कराकर इधर वापस आ जाते हैं। उन एरियाज में कोई भी जोइन करना नहीं चाहता है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि या तो आप हमारे टी एस पी एरिया की अलग से वैकेन्सी निकालो कि सिर्फ भर्ती वहीं होगी, पोस्टिंग वहीं लेनी होगी, तब तो

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

जाकर के वहां उन स्कूलों में पद भर पायेंगे, अन्यथा पोस्टिंग हो जाती है, भर्तियां हो जाती हैं, टीचर ट्रांसफर कराकर के वहां से चले जाते हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे एरिये में आधे टीचर भरे हुए हैं..

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): ...आधी स्कूलें खाली हैं और जो विज्ञान संकाय खोले हैं, गणित और विज्ञान का तो अध्यापक ही हमारे वहां पर नहीं है। हमारे माननीय मंत्री महोदय ने इंजीनियरिंग कालेज खोला है, मैं बहुत धन्यवाद देती हूं लेकिन साइन्स फैकल्टी में बच्चे पढ़कर नहीं आयेंगे, वहां पर अध्यापक नहीं रहेंगे तो कहां तो वे बच्चे इंजीनियर बनेंगे? कहां उनको इंजीनियरिंग कालेज में भर्ती मिल पाएगी? मेरा निवेदन है कि हमारे वहां पर विज्ञान और गणित के टीचर बिल्कुल भी नहीं हैं। मेरा विधान सभा क्षेत्र गढ़ी जिसमें मैंने विज्ञान संकाय खुलवाया था पिछली बार, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि इस साल विज्ञान संकाय के टीचर नहीं होने की वजह से वहां पर बच्चों का एडमिशन इस वर्ष नहीं हुआ है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जहां कहीं से भी भर्ती करें लेकिन हमारे क्षेत्र में टीचर्स की भर्ती करें ताकि हमारे ट्राइबल क्षेत्र के बच्चे पढ़-लिखकर आगे आ सकें।

आपने मुझे आज के इस अवसर पर बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हनुमान जी बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर अपने विचार रखना चाहता हूं। राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा की जो हालत है, वह बद से बदतर होती जा रही है। इसमें पूर्ववर्ती सरकारों से लेकर पिछले दस वर्षों के आंकड़े देखें तो हर वर्ष जितने नामांकन होते हैं, खूब लोग वापस सरकारी स्कूल से चले जाते हैं। आज भी हजारों पद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पड़े हैं। राज्य सरकार ने विद्यार्थी मित्रों की जो नियुक्ति की है, उन विद्यार्थी मित्रों के भरोसे आधे राजस्थान के स्कूल चल रहे हैं।

सभापति महोदय, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अन्दर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

प्रगति प्रतिवेदन यह बता रहा है कि कुल 45,664 प्राथमिक विद्यालयों में 1,521 में अभी भवन नहीं हैं, बिना भवन के ही चल रहे हैं तथा 27,127 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 248 उच्च प्राथमिक विद्यालय बिना भवन के चल रहे हैं। राज्य में 27,127 उच्च प्राथमिक और इनसे ज्यादा 29,356 प्राइवेट उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बजाए प्राइवेट स्कूल में जाना पसंद करते हैं। राज्य में शायद ही कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां प्राइवेट स्कूल नहीं खुले हों।

मैं सदन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि कोई भी विधायक, कोई भी अधिकारी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराना चाहते, सारे के सारे जो प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वे राजधानी के हों, जिला मुख्यालय के हों या बाहर के हों। बड़े-बड़े घरानों ने, बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने, शिक्षा माफियाओं ने इस शिक्षा के क्षेत्र में कब्जा जमा लिया है। एडमिशन की होड़ लगी रहती है और प्राइवेट स्कूल के संचालक इतने ज्यादा अहंकारी हो गये कि शिक्षा मंत्री तक की तो सिफारिश मानते ही नहीं हैं। कई बार तो उनके यहां एडमिशन कराने के लिए मुख्य मंत्री के यहां तक से सिफारिश करानी पड़ती है, तब जाकर बच्चों का एडमिशन होता है। सरकारी स्कूलों के हालात सुधारने के लिए सरकार को पुख्ता प्रबन्ध करने चाहिए।

सभापति महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा, सैकण्ड ग्रेड के स्वीकृत 30,967 पदों में से 10 हजार 24 पद खाली हैं, मतलब तैंतीस परसेंट पद खाली पड़े हैं। रोज अखबारों के अन्दर पढ़ते हैं और हमने तो शुरुआत देखी थी पूर्ववर्ती सरकार के समय, जब घनश्याम जी तिवाड़ी शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने शुरुआत की, नई भर्ती की और करीब अस्सी हजार लोगों को शिक्षा विभाग में भर्ती किया। इसके बाद इस सरकार ने भी भर्ती प्रक्रिया को सतत जारी रखा। हमें खुशी ज्यादा होती अगर विद्यार्थी मित्रों के बजाय, या तो इन विद्यार्थी मित्रों को या तो नरेगा के अन्दर या एन आर एच एम के अन्दर बोनस अंक देकर नियमित करने की जो बात सरकार कर रही है, उसी तरह विद्यार्थी मित्रों को भी नियमित किया जाए और जो अन्ट्रेंड हैं उनको ट्रेंड करके, जिस तरह प्रबोधकों को सरकार ने नियमित किया था, उसी तरह इनको नियमित किया जाए तो शिक्षकों के जो पद खाली हैं प्रदेश के अन्दर, ग्रामीण इलाकों के अन्दर शिक्षा की स्थिति बड़ी दयनीय है, वहां की स्थिति को सुधारा जा सकता है।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभापति महोदय, सरकार ने कह दिया कि आठवीं तक कोई फेल नहीं होगा, अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आगे जाकर वह बच्चा क्या पढ़ेगा? विशेषकर गांव के लड़के इंग्लिश और विज्ञान के अन्दर निश्चित रूप से कमजोर होते हैं। वे बाद में कितना भी प्रयास कर लें लेकिन शुरू में जो कमजोर होता है, वह जीवन भर कमजोर ही रहता है।

सभापति महोदय, अध्यापकों की कमी के कारण आए दिन प्रदेश में हड़तालें होना आम बात है। लोग स्कूलों में तालाबंदी करते हैं, शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, आश्वासन देते हैं, डेपुटेशन पर अध्यापक लगाते हैं, बाद में वे जाते नहीं हैं।

कुल मिलाकर, प्रदेश को अगर सुधारना है, प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या के ठोस समाधान की तरफ सरकार को सोचना होगा, बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए ठोस नीति सरकार बनाए जिससे लोगों को रोजगार के साधन मिलें। सर्व शिक्षा अभियान का इतना पैसा आता है, वह सारा पैसा सरकार खर्च भी नहीं कर पाती। सर्व शिक्षा अभियान और मेडिकल हैल्थ का अगर पूरा पैसा खर्च किया जाए तो कम से कम तीन लाख लोगों को प्रति वर्ष राजस्थान के अन्दर रोजगार दिया जा सकता है।

सभापति महोदय, मिड-डे मील पर रोज अखबारों के अन्दर पढ़ने को मिलता है, कहीं तो छिपकली मिलती है, कहीं कीड़े मिलते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे और बढ़ा दिया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक घण्टे से क्या होगा? दो घण्टे तो बढ़ाओ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप भी बढ़ा सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आसन को अधिकार है, आप दो घण्टे बढ़ा सकते हैं।

श्री सभापति: यहां पर सामने मुख्य सचेतक महोदय बैठे हुए हैं, मुख्य सचेतक जब बैठे हुए हैं...

(श्री सभापति)

क्या सदन का समय एक घण्टे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया गया।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, उच्च शिक्षा के अन्दर पिछले 10 वर्षो में पूर्ववर्ती सरकार और इस सरकार ने राजकीय महाविद्यालय 144 और गैर-अनुदानित व अन्य महाविद्यालय 1,393, कुल 1,537; उच्च शैक्षणिक संस्थाएं जिनमें राजकीय महाविद्यालय 129, राजकीय विधि महाविद्यालय 15, सामान्य शिक्षा के निजी महाविद्यालय 900, महिला महाविद्यालय 429.00; सभापति महोदय, महाविद्यालयों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा महाविद्यालय खुलें, सरकारी महाविद्यालय कम खुलें। 2001 से लेकर 2005-06 तक एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं खुला, 2005-06 में एक भी नहीं खुला। सबसे ज्यादा 2004 से 2005 में 228 निजी महाविद्यालय, 2003 से 2008 तक 13 सरकारी महाविद्यालय हुए, 610 महाविद्यालय खोले गये और पिछले 4 साल में 3 सरकारी व 649 गैर-सरकारी महाविद्यालय खोले गये। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2011-12 के मुकाबले 2012-13 में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या में माइनस 1.2 प्रतिशत की कमी हुई। यह इस ओर इंगित करता है कि राज्य में उच्च शिक्षा की हालत कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है, राजस्थान बालिका शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है और हम जिस जिले से आते हैं, हमारे नेताओं ने तो एक ही काम किया कि कोई पढ़-लिख गया, या जयपुर का रास्ता अगर देख लिया तो बहुत बड़ी तकलीफ उन लोगों को कर देगा, तो पूरा शिक्षा का भट्ठा बिठा दिया। अगर सरकार वास्तव में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है तो गांव की बालिकाएं शहर के अन्दर पढ़ने जा नहीं सकतीं क्योंकि वहां रहने का कोई साधन हो नहीं सकता, इसलिये प्रत्येक 5 किलोमीटर के इलाके के अन्दर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सीनियर माध्यमिक विद्यालय सरकार को खोलना चाहिये और प्रत्येक 3 किलोमीटर इलाके के अन्दर दसवीं स्कूल सरकार खोले।

अभी बजट के अन्दर 1 हजार माध्यमिक विद्यालयों की बात की थी, तो इस संख्या को बढ़ाकर कम से कम 1,800 किया जाए और सीनियर माध्यमिक विद्यालय तो 600 बताये हैं, ये 600 की बजाय कम से कम 1,200 खोले जायें। 200 सीनियर माध्यमिक विद्यालयों जो नये...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...खोलने की सरकार ने बात की है, सभापति महोदय, एक तरफ तो विकसित भारत की बात करते हैं कि भारत को विकसित करेंगे और दूसरी तरफ अपन पूरे सब्जेक्ट भी नहीं खोल पा रहे हैं। तो सारे सब्जेक्ट हर सीनियर माध्यमिक विद्यालय में, तीनों संकाय, कला, वाणिज्य और विज्ञान के खुलें तब जाकर राजस्थान एक नयी दिशा की ओर जायेगा।

श्री सभापति: श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, 5 मिनट का समय तो दीजिये। मेरे को बजट पर भी नहीं दिया आपने, बजट पर भी नहीं बुलावाया। फिर आते किसलिये हैं यहां?

श्री सभापति: नहीं, अब नहीं। अब, माननीय सदस्य, बहुत लम्बी लिस्ट है; बहुत लम्बी सूची है प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो दो मिनट बोलने दो, दो मिनट। दो-पांच मिनट में सुझाव तो दे दूं मेरे।

श्री सभापति: तो आप अब तक कर क्या रहे थे, इतनी देर तक?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट का दे दो, साहब।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सिर्फ दो मिनट दूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हां, दो मिनट।

माननीय सभापति महोदय, संविदा व्याख्याता, कालेज शिक्षा के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। 2008 से 180 संविदा व्याख्याताओं को सरकार नियमित करे। चयनित शारीरिक शिक्षक जिनकी नियुक्ति हो गयी लेकिन आज भी पिछले कई दिनों से शिक्षा संकुल के बाहर धरने पर बैठे हैं। सरकार को

(श्री हनुमान बेनीवाल)

उनकी सुध लेनी चाहिये। नियुक्ति हो गयी तो अब उनको नियुक्ति के अन्दर जो भी कानूनी प्रक्रिया या कोर्ट की कोई बाधाएं हों, उनको दूर करके जल्दी से जल्दी उनको नियुक्ति प्रदान करें।

सभापति महोदय, आज प्राइवेट स्कूल के अन्दर अपन कह रहे हैं कि राइट, आपका शिक्षा का अधिकार है, यह सबको दे दिया लेकिन आज कितने गरीबों के बच्चे सेंट जेवियर, सेंट एन्सलम या डी पी एस स्कूल के अन्दर..., 25 प्रतिशत गरीब का बच्चा नहीं पढ़ रहा है। कहने को तो 25 प्रतिशत गरीब के बच्चों को और किसान के बच्चों को उन बड़े स्कूलों के अन्दर, बड़े कालेज में सरकारी फीस के हिसाब से एडमिशन होगा लेकिन आपका आई सी जी कालेज जो जयपुर के अन्दर चल रहा है, उस आई सी जी कालेज का डायरेक्टर मंत्री से बात नहीं करता। अपने आपको इतना बड़ा आदमी समझता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब विराज जाओ आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसलिये इनके नियन्त्रण के लिये कोई नियामक आयोग बने।

प्राइवेट विश्वविद्यालय इस तरह खोल दिये जिस तरह गौशालाएं खोली जाती हैं। अब इतने प्राइवेट विश्वविद्यालयों में इनका सही...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): संचालन कैसे हो और गांव के लड़कों को किस तरह...

श्री सभापति: अब हो गया। माननीय सदस्य, मैंने नाम पुकार दिया है, श्री रमेश खण्डेलवाल। आपने कहा, दो मिनट; मैंने तीन मिनट दे दिये। अब विराजो आप। अब आप विराजो। फिर डिमाण्डस पर बोलते रहना। आ जाओ आप, यह रोजाना चलेगा सदन।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): अनुदान की मांग शिक्षा पर मुझे बोलने का मौका मिला है। मेरे से पूर्व वक्ता शिक्षा के बारे में अपने-अपने तरीके से बता रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो मूलभूत आवश्यकता है जनता की या मैं यह कहूं कि कोई भी समाज या कोई भी प्रदेश या कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता, जब तक उसकी जनता पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हो जाती। साक्षरता का अभियान, प्रौढ़ शिक्षा का अभियान जिस

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

तरीके से पिछले दशक चलाया गया, वह अपने आप में यह साबित करता है कि हर सरकार जागरूक रही कि उसकी जनता और उसके आम लोग उस शिक्षा से परिचित हों, जिस शिक्षा की बदौलत विकास किया जायेगा। आम योजना चाहे सरकार की है, चाहे हमारे अधिकारों की जानकारी है, अगर हम शिक्षित नहीं हैं, हमारे स्टूडेण्ट्स हैं, नींव आने वाले भविष्य की, वह तब तक मजबूत नहीं रह पायेगी जब तक हमारा आने वाला नौजवान शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होगा। समय-समय पर, सरकार चाहे कोई भी रही हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि काम किया सबने। पिछले कार्यकाल में मुख्य मंत्री महोदय ने ढाणी-ढाणी में राजीव गांधी प्राथमिक शाला के नाम पर शिक्षा का एक अभियान चलाया, उसने जागरूकता पैदा की और उस जागरुकता की बदौलत

(19.00 बजे)

आज हम देख रहे हैं कि 67 परसेंट के लगभग हमारी साक्षरता पहुंची है। यह अपने आप में उस मेहनत की बदौलत है, जिस मेहनत के बूते पर सरकार चाहती है कि उसका आम नागरिक, उसका नौजवान पढ़ा-लिखा मिले।

मैं मेरे क्षेत्र की बात करना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री महोदय, समय कम है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पाटन उप-तहसील अभी बनी है, नीमकाथाना में एक पी.जी. कालेज है जिसमें लगभग 4,026 स्टूडेंट अध्ययनरत हैं, सीकर डिस्ट्रिक्ट में सीकर के बाद अगर सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से कोई बड़ा कालेज है तो नीमकाथाना का कालेज है, उसके बाद 24-25 किलोमीटर दूर पड़ता है पाटन कस्बा और वह पाटन कस्बा उप-तहसील बन चुका। मैं, शिक्षा मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे पी.पी.पी. मोड पर, पर हमें मन्जूरी दें या सरकारी महाविद्यालय वहां खोलें। यहां आवश्यक हो गया महाविद्यालय खोलना क्योंकि कोटपूतली वहां से 30 किलोमीटर पड़ता है और बाकी हरियाणा बार्डर पड़ता है। आम उच्च शिक्षा जो हम अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं, उससे हमारा बच्चा वंचित रहता है, हमारा छात्र वंचित रहता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप वहां महाविद्यालय खोलने की अनुमति भी प्रदान करें।

पिछले कार्यकाल में जब इनकी सरकार जा रही थी तब इन्होंने जिस तरीके से अंधाधुंध उद्घाटन किये उच्च लगाकर और प्राथमिक शालाओं को और

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

माध्यमिक शालाओं को इन्होंने क्रमोन्नत किया, उसी अपग्रेड के नाते मैं कहना चाहूंगा कि गणेश्वर, ढोकल और भूदोली, तीन ऐसी सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं, मंत्री महोदय, जिनमें आपने और पिछली सरकार ने भी बजट को मन्जूरी नहीं दी। यह गणेश्वर वाले लोग हाई कोर्ट जाते रहे, बड़ी मेहनत करते रहे, आखिर हाई कोर्ट से दो साल, तीन साल में जाकर न्याय मिला। वह एक पंचायत हैडक्वार्टर की स्कूल थी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन तीन स्कूलों पर ध्यान दें। जब हैडमास्टर ही नहीं होंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहां?

ये सरकारी शिक्षण संस्थाएं निस्संदेह संक्रमणकाल के दौर से गुजर रही हैं, यहां पर चाहे हम इस बात को मानें या न मानें। कई बार, अकसर देखने को मिला है कि सरकारी स्कूलों में हम अपने बच्चों को भेजते हुए या तो अपने आपको गरीब महसूस करते हैं या हीन महसूस करते हैं और हमारी बच्चियों को इसलिए भेज देते हैं क्योंकि वहां पर फीस बहुत कम लगती है। शिक्षण संस्थाओं का अगर पढ़ाने का तरीका और शिक्षा का स्टैंडर्ड देखा जाए तो हमारी बच्चियां आज बच्चों से आगे हैं; उनका पढ़ने का स्टैंडर्ड और उनका जो स्थान आता है, मेरिट में आये या फर्स्ट में या सैकण्ड ग्रेड में आता है तो हमारी बच्चियों का ज्यादा है। तो यह अपने आप में एक सच है कि सरकारी स्कूलों में आज भी एजुकेशन के मामले में कहीं पिछड़े हुए नहीं हैं लेकिन एक मान्यता बन गयी कि हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ायेंगे तो पता नहीं, वहां कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। जबकि आम तौर से हमें देखने को मिला है कि जितने भी आई.ए.एस., आई.पी.एस. हमारे देहात से निकलकर आते हैं, जितने डाक्टर और इन्जीनियर देहात से निकल करके आते हैं, ज्यादातर, 80-90 परसेंट वे स्टूडेंट होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के, न कि प्राइवेट स्कूल के होते हैं। प्राइवेट स्कूल में एक हाई-फाई सिस्टम एडाप्ट करते हैं, ये लोग, मम्मी-पापा की डेफिनेशन सिखा देना, मम्मी को 'ममा' बुला देना और वह यह सिखा कर भेजते हैं और वह परिवार का मुखिया समझता है या परिवार के गार्जियन समझते हैं कि बच्चा बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर आ रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान अपनी गवर्नमेंट स्कूलों पर दें तो निस्संदेह, इसमें कोई दोराय नहीं, हमारी गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड और भी अच्छा सुधर सकता है।

अबकी बार का जो बजट मुख्य मंत्री महोदय ने पेश किया, इसमें कोई

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

दोराय नहीं कि गांव, ढाणी के आखिरी छोर तक का आखिरी इन्सान इससे लाभान्वित हो और इस पूरी स्टेट का सर्वांगीण विकास हो, इन्होंने भरपूर कोशिश की। इसमें शिक्षा को भी अछूता नहीं छोड़ा। शिक्षा में, जिसमें स्कूटी का देना, जिसमें वाउचर ट्रांसपोर्ट का देना, जिस तरीके से लैपटाप का देना, जिस तरीके से टैबलेट पीसी का देना, ये अपने आप में बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, एन्करेज कर रहे हैं कि आप स्कूल में जाएं और स्कूल में जाकर अच्छी शिक्षा ग्रहण करें।

शिक्षा मंत्री महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आपको कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। यह जो मिड-डे मील है, मिड-डे मील में आप किसी भी मिडल स्कूल के या किसी भी स्कूल के, जो वहां का मुखिया होता है, हैडमास्टर होता है, उसके जिम्मे छोड़ देते हैं। 40-40, 50-50 हजार रुपये तनख्वाह लेने वाला वहां मुनीम बन जाता है और पूरे दिन अपना हिसाब-किताब करता है कि नमक कितने का आया, मिर्च कितने की आई, मैं आटा कितने का लाया और कितना बच गया, कितना नहीं बचा। फिर कई बार तो हम देखते हैं कि विवाद होता है आपस में कि इतना बच गया था, इतना नहीं बचा। तो मेहरबानी कर के आप कम से कम सात-आठ हजार रुपये का उनके ऊपर एक काम करने वाला, मिड-डे मील के लीजिए, अलावा दीजिए जिससे हमारी शिक्षण संस्थाएं प्रभावित नहीं हों, कम से कम सब के सब उसमें लगे तो नहीं रहें। एक हैडमास्टर सुबह उठ कर सब्जी खरीदने के लिए जाता है, सब्जी की व्यवस्था करने के लिए, मिड-डे मील की तैयारी करने के लिए। अब फिर हम एक हैडमास्टर से कहें कि आपकी स्कूल की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, तो यह हमारी उम्मीद बेमानी है।

आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अब जो एक हजार प्राइमरी स्कूल खोल रहे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं कि इस एक हजार प्राइमरी स्कूल से वह काम चल जायेगा लेकिन उच्च प्राथमिक को जो माध्यमिक विद्यालय में प्रमोट कर रहे हैं, उसमें हजार की जगह 1,200 होना चाहिए और सीनियर सैकण्डरी में जो प्रमोट कर रहे हैं, कम से कम हजार स्कूल होने चाहिए, सीनियर सैकण्डरी, जिनसे हम लोगों को अच्छी शिक्षा गांव में दे सकें।

आपने अकसर देखा होगा, शहर में शिक्षा का स्तर, वहां के संसाधन और वहां के सिस्टम से बना रहता है लेकिन हम लोग जो दूर-दराज ढाणियों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, अगर वहां देखें कि वहां का स्कूल कितने छात्रों पर

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

बना हुआ है, अभी बता रहे थे कि सवा-सवा लाख, डेढ़-डेढ़ लाख के ऊपर तो कालेज बने हुए हैं, महाविद्यालय बने हुए हैं और शहरों में, शहरों में बीस हजार के ऊपर, तीस हजार के ऊपर। तो आप गांव के विकास का भी ध्यान दें और गांव के विकास के साथ जो मैंने आपसे मांग की है, कम से कम सीनियर सैकण्डरी, आप कम से कम 600 से बढ़ा कर 800 के लगभग या हजार के लगभग करें और माध्यमिक को जो प्रमोट कर रहे हैं, उनको भी कम से कम 1,200 करें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यहां शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, मेरी मांग, जो क्षेत्र की मांग है, इस मांग के साथ-साथ हम लोगों की, जो सब की मांग है, इस मांग पर विशेष ध्यान देंगे जिससे शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर भी असर पड़ेगा और स्टूडेंट्स को भी पूरा-पूरा लाभ मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अब्दुल सगीर खां।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): सभापति महोदय, मैं अपने ख्यालात मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर प्रकट कर रहा हूं और मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को अपनी भावना इस शेर के साथ कहना चाहूंगा कि- 'बड़े सलीके, बड़ी सादगी से काम लिया और दीया बुझा कर तालीम का सत्यानाश किया।'

सभापति महोदय, मैंने अर्ज किया था, एक शायर ने तो यह शेर कहा था, बड़ा मुत्तसिल था कि 'बड़े सलीके से, बड़ी सादगी से काम लिया, दीया जला कर अंधेरों से इंतकाम लिया' लेकिन मुझे लगा कि मंत्रीजी का इससे कुछ विपरीत है कि- 'बड़े सलीके, बड़ी सादगी से काम लिया, दीया बुझा कर तालीम का सत्यानाश किया।'

सभापति महोदय, I would like to mention some of the quotations of the great thinkers and the writers who have expressed their views about the education. सबसे पहले, ''Public institutions should be the first object of Govt. ''Character-development is a great, if not the sole, aim of education.'' "Education is the cheap defence of nations." That is what is said by Burke. सभापति महोदय, ये एक्सट्रेक्ट्स हैं "...Education does not commence with the alphabet. It begins with a mother's look, with a father's nod of approbation or a sign of reproof, with a sister's gentle pressure of the hand or a brother's noble act of the forbearance, with handfuls of flowers in greens dales on hills and sea meadows, ...with humming bees and glass beehives, with pleasant walks in shady lanes and with thoughts directed in sweet and kindly tones and

(श्री अब्दुल सगीर खां)

words to nature, to beauty, to acts of benevolence, to deeds of the virtue and to the source of all good to God himself and on…"

सभापति महोदय, शिक्षा की अहमियत, शिक्षा का महत्व बहुत ही जरूरी है। खास तौर से प्रजातंत्र और जम्हूरियत की कामयाबी की एक मात्र चाबी तालीम है। जब यह तालीम, साक्षरता हिन्दुस्तान में 74 प्रतिशत हो और राजस्थान में 67 प्रतिशत हो ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में वार्ता ना करें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में राजस्थान के अन्दर किस तरह से तरक्की होगी? प्रदेश में लड़कियों के स्कूलों में टायलेट नहीं होने के कारण छात्राएं कम पानी पीती हैं जिससे गम्भीर बीमारियां जैसे ब्लैडर, यूरेटर, किडनी व यूरिनरी ट्रैक्ट उन्हें घेरनी लगती हैं। टायलेट ना होने के कारण छात्राएं ड्राप-आउट हो जाती हैं, वे स्कूल जाना, कालेजेज जाना बंद कर देती हैं। आज भी गांव, ढाणियों में टायलेट व पीने के लिए शुद्व पानी की व्यवस्था नहीं है।

सभापति महोदय, मुझे स्कूलों में जाने का इत्तफाक हुआ है, कालेजों में जाने का इत्तफाक हुआ है, वहां जो बच्चियां पढ़ती हैं, उन स्कूलों में जहां को-एजुकेशन है, वहां पर टायलेट्स नहीं हैं, वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, भवन जर्जर अवस्था में हैं।

श्री सभापति: मेरा निवेदन है कि आप आपस में वार्ता नहीं करें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): Please keep silence. I have, you know, tolerated you people. Please tolerate me. (Interruptions) Chairman Sir. Yes, surely but I know that you are the only person who can understand English.

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): Then why are you talking in English? I am not here to remember everything, what is spoken by him. I am just to listen here. Please carry on in English. Please. Please.

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अंग्रेजी में बोल जाओ आप, तब इनको पता लगेगा।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): Are you sure?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): Yes.

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): हिन्दी में बोल जाओ, मंत्रीजी हिन्दी में जवाब देंगे।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): I do not mind. So, Chairman, Sir, the standard of education especially in Rajasthan, is declining. Hon'ble Minister, you would kindly pay more attention to this. Your predecessors, I think, were much better than what you are doing today.

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): My humble submission to the Hon'ble Member, Sir, that he should continue in English. Everybody is well verled. We can understand well. Please carry on.

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): Yes, I hope. Please try to understand.

श्री रविन्द्र बोहरा (राजाखेडा): I hope, you will not interrupt him again.

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): Hon'ble Minister. I hope, now you would tolerate me.

Hon'ble Minister, the standard of education in Rajasthan is, as you know very well, declining day by day. The Primary, Middle, Higher Secondary schools and even Colleges, if you happen to visit, I do not know, whether you have visited even a single school in your life time. As you are the Minister, you have visited not many schools. You have rather preferred to sit in your drawing room just taking the feedback from your office. That is why, you have not been able to pay attention to this important, the aspects of the education. Hon'ble Minister, today the students do not prefer going to government schools for the simple reason, either there are no teachers over there or there are no buildings where they can sit.

You are providing, the Hon'ble Chief Minister has announced a number of declarations in the Budget and he has given a number of declarations saying that so many new primary schools would be opened, so many middle schools would be further promoted to higher secondary schools. May I know from the Hon'ble Minister, whether you would be able to execute all these declarations. Or these declarations will just simply decorate your Budget book? You please kindly tell me. You are left with only 4-5 months. (Interruptions)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सीधे-सीधे ही पूछ लो, मुझे प्राइमरी स्कूल कितने दे रहे हो? काहे के लफड़े में पड़ रहे हो?

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): Please bear with me. Your Chief Whip has requested me to address you in English and I have accepted it. So please bear with me. Hon'ble Industry Minister, you also fall in the same rank as does your Education Minister.

So, Hon'ble Minister, I would like to know from you through the Chairman, whether you will be able to implement all these declarations? The Hon'ble Chief Minister is a wonderful man. He is a Magician by profession? He knows how to play with the words. He has given a wonderful Budget.

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं

(श्री रतन देसाई उर्फ देवासी)

आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, इन्होंने कहा है कि he is a Magician by profession. He is not a Magician by profession. So I think this should be expunged from the proceedings.

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): Please have your seat. That remains a fact. He has admitted. OK. If you do not want these words to be taken on record, I do not mind that.

So the, Hon'ble Minister, so far as these declarations are concerned, I am sure, as you have always failed in keeping your commitments... Now I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister through the Chairman, Sir, that you have made a number of commitments to the minority community. The Congress was the first party to ban Aligarh University degrees. The Muslims have been deprived in web of the commitments that he made, that we will give so many jobs. Urdu Teachers, hundreds in previous budget, now thousand. When are you going to keep your commitment to the minorities? which have always stood in step with you in your times of crises. Whenever you are come to power it is because of the minority support. You say that you have secular, you say that you have always kept your commitments to the minorities. but you have not implemented the recommendations of the Sachchar Commission. There is a declaration in your election manifesto that when you would come to power, you would implement all those promises made to the minority community. You have miserably failed and this time the minority community will teach you a lesson. Remember that.

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समअप करो आप।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): I have been disturbed by the Members of the House. They have spoken for 15 minutes. Now please kindly bear with me.

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर ये विपक्षी बोलते हैं और अब अंग्रेजी बोल रहे हो! (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आपके चीफ व्हिप ने रिक्वेस्ट की है। मुझे हिन्दी बोलनी आती है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): यह दोहरा चरित्र है आप लोगों को, यह सामने आ गया है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मुझे हिन्दी बोलनी आती है, मैं हिन्दी बोल सकता हूं।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ये आपके नेता बैठे हैं, इन्होंने विरोध किया है। दोहरे चरित्र की बातें करते हो।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आपके चीफ व्हिप ने रिक्वेस्ट की है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): झाड़ो अंग्रेजी, कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आपके चीफ व्हिप ने रिक्वेस्ट की है ...(व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): हमारे सचेतक ने तो आपकी टोह ली है कि आप कितने बुद्धिमान हो। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): तशरीफ रखिये, तशरीफ रखिये, पंडित जी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

एक माननीय सदस्य: माइनोरिटी पर बोल रहे हैं ये, माइनोरिटी पर बोल रहे हैं ये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आप किसी में तो झेलो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय 8 बजे तक बढ़ाया गया है, आप थोड़ा समअप करो। कई माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मुझे पूरा समय दिया जाये, 15-15 मिनट लोग बोले हैं। मुझे बीच में डिस्टर्ब किया है। सभापति महोदय, आपको प्रोटेक्ट करना है मुझे।

श्री सभापति: आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): सभापति महोदय, मैं सदन की तवज्जोह इस शेर के साथ चाहूंगा, खास तौर से

गालिब का रंग, मीर का लहजा मुझे भी दे
लफ्जों से खेलने का सलीका मुझे भी दे;
नवाजिश है तेरी हर खास आम पर
दरिया है तेरा नाम तो कतरा मुझे भी दे।

और लफ्जों से खेलने का, मुख्य मंत्रीजी से यह चाहता हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, शिकायत इस बात की है कि एक तरफ तो आप दरियादिली दिखा रहे हैं, शिक्षा मंत्रीजी यहां तशरीफ रखते हैं, मुख्य मंत्रीजी ने आन द फ्लोर आफ द हाउस यह कमिटमेंट किया कि धौलपुर लॉ कालेज की बिल्डिंग को हम प्रायोरिटी से बनायेंगे, क्या हुआ तेरा वादा? तो मुझे याद आता है, वादा तेरा

(श्री अब्दुल सगीर खां)

वादा, वादे पे एतबार किया लेकिन यह हाल हुआ और +++ तो इस तरह के वादे जो असत्य आन द फ्लोर आफ द हाउस हों, उसमें, क्योंकि मंत्रीजी भी यहां तशरीफ रखते हैं, कुछ भी नहीं हुआ उसके अन्दर। आज धौलपुर एक ऐसा जिला है, माननीय सभापति महोदय, आप गांव में खोलने की बात कर रहे हैं, धौलपुर जिला हैडक्वार्टर पर गर्ल्स कालेज नहीं है। आप बड़ी-बड़ी शिक्षा, यहां पर हम स्कूल खोलेंगे, वहां पर मेडिकल स्कूल खोलेंगे, पूरे चार साल तक चौपट कर दिया, कहीं स्कूल नहीं खुला, तालीम पर ताला लगा दिया। लोगों ने जाकर, अध्यापक नहीं हैं स्कूलों में, ताले लगाये। आखिर में, बड़ी-बड़ी घोषणाएं करके अवाम को गुमराह करना चाहते हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सम-अप करें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): दो मिनट चाहिए मुझे।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): पांच साल तक राज धौलपुर वालों का था, जो नहीं करवा सके। अब यह काहे को परेशान हो रहे हैं?

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): माननीय सभापति महोदय, इस तरह की यह स्थिति है, चौपट कर दिया शिक्षा को, चौपट कर दिया। जहां देखो, वहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं। अध्यापक नहीं, कहीं पर विषय नहीं, स्कूलों में पानी नहीं, कम्प्यूटर दे दिया तो बिजली कनेक्शन नहीं।

श्री सभापति: श्री सी एल प्रेमी।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): किस तरह से यह शिक्षा प्रगति करेगी? मंत्रीजी, आप आइये और देखिये धौलपुर जिला, किस तरह से आपने चौपट किया धौलपुर को।

श्री सभापति: श्री सी एल प्रेमी।

(अनुपस्थित)

श्री मदनलाल वर्मा।

श्री मदनलाल वर्मा (डग): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला, संस्कृति पर आपने मुझे वादविवाद में बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, इन्सान जब पैदा होता है और चार-पांच साल की उम्र के बाद सबसे पहले उसके जीवन के अंग का जो कार्य होता है,

(श्री मदन लाल वर्मा)

वह शिक्षा से उसके जीवन की शुरुआत होती है। चूंकि आज के समय में जिस प्रकार हमारे नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है और जो स्थिति शिक्षा की बनी, वह सभी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। हालांकि यहां पर सभी माननीय सदस्यों के अच्छे-अच्छे विचार और सुझाव आये, मैं उनमें तो नहीं जाना चाहता परन्तु एक बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आज इस गिरावट के दौर में अध्यापक, अभिभावक और छात्र, इन तीनों के बीच में जो सम्मान होना चाहिए था और जो आदर-सम्मान का भाव था, वह आज नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जब हम पढ़ने जाते थे, उस जमाने में, हमारे अध्यापक यदि हमारी ड्रेस ठीक नहीं होती, तुरन्त हमें टोकते, किसी प्रकार की कोई भी कमी होती तुरन्त टोकते, हमारे माता-पिता को बुलवाते कि आपका बच्चा इस तरह से ठीक नहीं है और यह पढ़ेगा नहीं और हम इसको पढ़ाना चाहते हैं। आज यह स्थिति है कि ना तो अध्यापक का छात्र के प्रति लगाव है और न ही अभिभावक का अध्यापक के प्रति मान-सम्मान और कोई लगाव है। इतनी गिरावट आने के कारण लगातार जो स्थितियां बन गईं, आज एक अनुशासनहीनता की स्थिति आ जाती है और काफी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। हमारी शिक्षा की यह स्थिति, यह हमारे लिए बहुत चिंता की बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां पर मेरे क्षेत्र की शिक्षा की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे झालावाड़ जिले की जो स्थिति है और झालावाड़ जिले में जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है डग, वह 105 किलोमीटर जिला मुख्यालय से पड़ता है और माध्यमिक स्कूल 140 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से पड़ता है, चाड़ा जो मेरा आखिरी गांव है, जो तीन तरफ से मध्य प्रदेश की सीमाओं से वहां पर मिलता है। माननीय सभापति महोदय, अध्यापकों की यह स्थिति हो जाती है, जिला मुख्यालय से करीब 140 किलोमीटर दूर अगर उसकी पोस्टिंग है और समय पर वह जाये कि नहीं जाये, यह उसकी इच्छा की स्थिति है। क्योंकि वह कहता है, इधर तो आगे मध्य प्रदेश है, मुझे अगर हटायेंगे तो भेजेंगे कहां; वापस भेजना तो इधर ही है। तो उसके दिमाग में कोई डर या दहशत नहीं है, इससे यह साबित होता है।

माननीय सभापति महोदय, हम यह चाहते हैं और मेरा यह सुझाव है माननीय मंत्रीजी को और शिक्षा के लोग जो यहां पर बैठे हैं, कि कम से कम एक मानिटरिंग की व्यवस्था, निरीक्षण की व्यवस्था इस प्रकार की हो कि कम

(श्री मदन लाल वर्मा)

से कम वहां 140 किलोमीटर दूर हमारे जो स्कूल चल रहा है, उसमें वहां जायें और अध्यापक और प्रधानाध्यापकों में यह बराबर दबाव बनाये रखें कि पता नहीं, कब सरकार के कोई अधिकारी, किसी प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी आकर हमें चैक कर लेंगे और मेरे स्कूल की व्यवस्था में कोई किसी प्रकार की कमी निकाल देंगे।

आज जब हम देखते हैं कि इतना भारी-भरकम बजट और इतनी भारी-भरकम व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में, माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए, नई स्कूल खोलने के लिए हो, चाहे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए नये तरीके, चाहे बच्चियों को स्कूटी हो या छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों का मैस भत्ता बढ़ाने का हो, चाहे छात्रवृत्ति बढ़ाने का हो, काफी बजट प्रावधान किये परन्तु इन सबके बावजूद, हमने इतना सब कर दिया, यदि सारा बजट बांट दें पर जब तक आखिरी गांव, जो हमारे दूरस्थ अंचल का स्कूल है, वहां स्कूल का बच्चा, अगर वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, वहां के अध्यापक और उनके बच्चों के बीच में और उनके अभिभावकों के बीच में जिस प्रकार से तालमेल होना चाहिये, अगर वह मान-सम्मान नहीं होगा तो हम शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक नहीं कर सकते।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं, प्रारम्भिक शिक्षा के ऊपर। आज मेरे झालावाड़ जिले के झालरापाटन ब्लाक का आखिरी स्कूल राजगढ़, वहां से 72 किलोमीटर पड़ता है। बी ई ओ ने कभी आकर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी वहां जाकर, क्या शिक्षा की स्थिति है, कितने अध्यापक हैं, कितना काम चल रहा है, मिड-डे मील की व्यवस्था ठीक है या नहीं, अध्यापक और अभिभावक शिक्षा के प्रति चिंतित हैं या नहीं।

चूंकि यह सारी मानिटरिंग की व्यवस्था, इतने भारी-भरकम बजट, जो मैंने पहले निवेदन किया, उसके बावजूद भी मानिटरिंग की व्यवस्था नहीं होने से शिक्षा के मूल्यों में लगातार गिरावट आ रही है। एक तरफ तो हम शिक्षा में हाई-टेक होने जा रहे हैं और दूसरी तरफ, गांवों में हमारे जो बच्चे हैं वे लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। तो, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि कम से कम ऐसी स्थिति जो पैदा हो रही है, उसके बारे में कोई नई बात, कोई नई व्यवस्था लागू हो, किस प्रकार की

(श्री मदन लाल वर्मा)

ऐसी व्यवस्था हो जिससे दूरस्थ ग्रामीण अंचल के बच्चे पढ़ाई में, काम्पीटिशन के जमाने में शहर के बच्चों के बराबर खड़े हों, वरना ग्रामीण बच्चा जो वहां के प्राइमरी स्कूल में, प्रारम्भिक स्कूल या माध्यमिक स्कूल में विद्या अध्ययन कर रहा है वह शहर के बच्चों के बराबर मार्केट में काम्पीटिशन में आकर खड़ा नहीं हो पाता।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की यह स्थिति है कि कर्मचारी वहां के लोकल नगण्य हैं; सारे लोग झुन्झुनूं-सीकर से आते हैं, वे झुन्झुनूं-सीकर के अध्यापक हमारे वहां पढ़ाते हैं; दो-तीन साल रहो या चार साल रहो, उसके बाद वे अपना ट्रांसफर कराकर वापस चले जाते हैं। आज हमारी तरफ स्थिति इस प्रकार की होती है कि स्कूल आधे टाइम में ही सब खाली कर देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी कई माननीय सदस्यों का सुझाव आया था, मैं उस सुझाव को रिपीट करना चाहता हूं कि जिलों में जो भर्ती हों, वहां जिलों की मेरिट में वहां के लोकल लोगों को ज्यादा से ज्यादा महत्व देकर वहीं के स्कूलों में पदस्थापित किया जाये ताकि उनका ठहराव ग्रामीण स्कूलों में लगातार हो। जब तक अध्यापकों का ठहराव ग्रामीण स्कूलों में नहीं होगा, वहां की शिक्षा की स्थिति को नहीं सुधार सकते। दस बजे के बजाय ग्यारह बजे जाते हैं, तीन बजे वापस चले जाते हैं; किसी का ट्रेन का टाइम हो, तीन बजे ही निकल जाता है और पांच बजे स्कूल बंद होता है।

कहने का मतलब जो है, मेरा यह निवेदन है आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से कि मेरा भवानी मण्डी जो बीच में एक शहर है, वहां मैं चाहता हूं कि एक ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय शिक्षा मंत्रीजी खोलें। ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बीच में जिले के और मेरे दूरस्थ अंचल भवानी मण्डी में अगर खुलता है तो एक मानिटरिंग व्यवस्था प्रभावशाली होकर के और वहां पर स्कूलों पर बराबर उनका नियंत्रण होगा। इससे कम से कम उन बच्चों की शिक्षा और वहां की व्यवस्था ठीक होगी।

एक आपके माध्यम से निवेदन है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मोगरा मेरे विधान सभा क्षेत्र का ऐसा विद्यालय है, तीन साल से आधा भवन उसका गिरा हुआ है और आधा भवन, हम लगातार बार-बार लिखकर के मांग कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद् में भी हमने इस प्रकार के प्रस्ताव दिये हैं,

(श्री मदन लाल वर्मा)

आज तक वह आधा भवन पूरा नहीं हुआ है और बच्चे उसमें बैठ नहीं पा रहे हैं। बारिश के समय में उसके गिरने की स्थिति होती है। इसके लिए हम बार-बार प्रशासनिक अधिकारियों को और शिक्षा अधिकारियों को लिखकर के देते हैं परन्तु आज तक उस भवन के ऊपर कहीं से भी पैसा नहीं मिला है।

एक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, डग, यह मेरा डग का ऐसा स्कूल है जिसका आज तक निजी भवन नहीं है। यह सिर्फ एक पुराने थाने की बिल्डिंग थी उसमें यह स्कूल चल रहा है। मेरा आपसे निवेदन है, शिक्षा मंत्रीजी से कि कम से कम इन दो विद्यालयों के भवन निर्माण की व्यवस्था आपके जिस मद से हो, उस मद से कराने की कृपा करें ताकि कम से कम मेरे क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो सके।

एक मेरे डग में माडल स्कूल स्वीकृत हुआ, उसको आज लगभग दो साल हो चुके हैं, उस माडल स्कूल के स्वीकृत होने के बाद, ढाई करोड़ का भवन, लगभग पांच बार पी डब्ल्यू डी के माध्यम से उसके टेण्डर निरस्त हो चुके हैं। उस टेण्डर प्रक्रिया में टेक्निकली जो रेट होती है, कम-ज्यादा नहीं आने के कारण, आज तक वह भवन नहीं बन पाने के कारण से शिक्षा के क्षेत्र में, मेरा जो पिछड़ा क्षेत्र है वह माडल स्कूल से लगातार वंचित हो रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा, शिक्षा मंत्रीजी, पी डब्ल्यू डी के अलावा अन्य किसी भी विभाग से, चाहे वह कृषि विपणन विभाग हो, चाहे दूसरा कोई सा भी विभाग हो, यह ढाई करोड़ का जो माडल स्कूल मेरे क्षेत्र में भी बनेगा तो मेरे क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी क्रांति आएगी।

सभापति महोदय, एक मेरा सुझाव है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो वंचित पैराटीचर्स हैं, वे काफी समय से कार्यरत हैं, उनको भी कम से कम नियमित करें। जब राजस्थान में शिक्षा के अन्दर इतना बड़ा प्रावधान आप कर रहे हैं तो उन पैराटीचर्स को भी नियमित करने की मैं मांग रखता हूं।

मेरे क्षेत्र में झालावाड़ में जिन विद्यालयों में विद्यार्थी मित्र पढ़ा रहे थे, उनको पिछले टाइम पर सरप्लस बताकर हटा दिया गया है। आज वहां पर काफी विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं। उसके बाद, पता नहीं, किस तरह से सीट भरी हुई बता देते हैं। तो मैं यह चाहता हूं, जब तक नई भर्ती नहीं हो, मेरे जो विद्यालय हैं, वहां पर उनमें थर्ड ग्रेड अध्यापकों के जो पद रिक्त हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री मदनलाल वर्मा (डग): उन पदों पर विद्यार्थी मित्रों को पुन: समायोजित करने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक मात्र बिरला कालेज भवानी मण्डी में है और बिरला कालेज में विषयवार अध्यापकों की पूर्ति नहीं हो रही है और उसका राजकीय समावेश नहीं किया जा रहा है। वहां विषयवार अध्यापकों का राजकीय समावेश किया जाए और वहां पर उनकी पूर्ति कराने का कष्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरिसिंहजी रावत। जितना जल्दी हो सके, समय का ध्यान रखते हुए आप सीधे-सीधे सुझाव दें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, पहले से ही क्यों टोक रहे हो आप?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, कांग्रेस-बी जे पी के अलावा भी हैं लोग।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, मांग संख्या 24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सब्जेक्ट पर मुझे आपने समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन आपने मुझे पहले ही टोक दिया, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे बीच में न टोकें।

श्री सभापति: टोक नहीं दिया; मैंने आपको जो स्थिति चल रही है सदन में, वह निवेदन की है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, शिक्षा एक वह सब्जेक्ट है जिसमें पूरा विश्व विकास करता है और उसी अनुरूप शिक्षा को हमने महत्व दिया। क्योंकि शिक्षा ही सभी विकास की जननी होती है, उसके अनुरूप हम लोगों ने हमारे दैनिक जीवन में या हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी आर्थिक, सामाजिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को महत्व दिया। लेकिन, अफसोस है, शिक्षा के नाम पर हम बहुत पिछड़े हुए हैं। किसी जमाने में भारत को शिक्षा के रूप में विश्व गुरु कहा जाता था लेकिन अफसोस है, आज से नहीं, सदियों से जो विश्व गुरू कहलाता था, आज शिक्षा की दृष्टि से हम बहुत पिछड़े हुए हैं और विशेषकर अगर भारत में, भारत वर्ष की बात करें तो

(श्री हरिसिंह रावत)

हमारा राजस्थान तो, मैं समझता हूं कि नीचे से हमारी गिनती होती है। आज शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो केरल पूरे भारत वर्ष में नम्बर वन पर आता है लेकिन हमारी यहां की शिक्षा सबसे नीचे स्तर तक है। आज कई माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमारी शिक्षा की साक्षरता दर 6.6 प्रतिशत है। यह बड़े अफसोस की बात है, हमारा देश आजाद हुआ, 1947 से लेकर आज 65वां साल चल रहा है लेकिन अभी तक हमारे गांवों में, मैं समझता हूं कि 30 से 40 परसेंट असाक्षर लोग हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हमें शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए और जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, वे हमें देनी चाहिए।

आज गांवों की स्कूलों की हालत यह है कि स्कूलों में भवन नहीं हैं, बाउंड्री नहीं हैं और बच्चों की संख्या के हिसाब से कोई कमरे भी नहीं हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा को बढ़ावा दें और इसके अन्तर्गत हमारी स्कूलों में जो बच्चों के टायलेट्स नहीं हैं, वे टायलेट्स बनाये जाएं।

साथ-साथ ही, बच्चों के ठहराव के लिए जो हमने खाने-पीने की व्यवस्था की है, उसमें मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि शिक्षकों को जो आपने यह खाने-पीने की व्यवस्था का कार्यभार दिया है, इससे इनको अलग किया जाए। जहां-जहां एकल शिक्षक हैं और पचास-पचास, साठ-साठ बच्चे हैं तो वह शिक्षक तो केवल उस सब्जी और दाल के चक्कर में पड़ा रहता है। मेरा आपसे निवेदन है कि खाने-पीने की व्यवस्था के लिए अलग से कोई व्यवस्था की जाए। दूसरा, खाना बनाने के लिए जो मानदेय दिया जाता है, वह भी कम है, उसमें भी बढ़ोतरी की जाए।

सभापति महोदय, शिक्षा के साथ-साथ मैं चाहता हूं कि खेलकूद को भी बढ़ावा मिले। आज जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हम विश्व में नम्बर दो पर आते हैं; खेलकूद में अगर हम देखें तो नीचे से हमको ढूंढना पड़ता है, भारत का नम्बर है या नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी खेलकूद को प्रोत्साहन दें। मैंने अकसर देखा है, गांवों में जाता हूं खेलकूद के लिए, कि हमारे वहां खेल के मैदान नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर मिडल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में कम से कम जहां भी बिलानाम

(श्री हरिसिंह रावत)

जमीन हो, वह इसके लिए आवश्यक करें और वहां खेल मैदान बनायें। बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक विकास के लिए हमें खेलकूद को बढ़ावा देना चाहिए जिससे उसको प्रोत्साहन भी मिलेगा और जो भी बच्चा खेलकूद में अपनी प्रतिभा दिखाना चाहे तो उसको मौका मिलेगा।

इसके साथ-साथ ही मैं चाहता हूं कि जिला स्तर पर भी खेल का स्टेडियम बनाया जाए तथा स्पोर्टस क्लब बनाया जाए। जिस-जिस बच्चे को खेल में रुचि हो, कोई बच्चा टेबल टेनिस, कोई बैडमिंटन, कोई हाकी, कोई क्रिकेट, जो भी खेलना चाहे, उसको वह सामान मुहैया कराया जाए ताकि बच्चों का इससे भविष्य सुधरेगा और हमारा नाम भी रोशन होगा।

सभापति महोदय, शिक्षा की दृष्टि से हम देखें तो स्कूलों में शहरों में तो शायद सौ बच्चों पर दस टीचर हो सकते हैं लेकिन हमारे गांवों में 100 बच्चों पर एक शिक्षक। है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो बच्चों का रेशो बनाया है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, उसी के अनुरूप, उसी के अनुपात में शिक्षकों की भर्ती की जायें ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सके।

साथ ही साथ, सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में भी व्याख्याताओं के पद खाली हैं। हमारे काल में जो स्कूल क्रमोन्नत हुए सेकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी, मिडल से सैकण्डरी अभी तक सैकण्डरी स्कूल के बच्चों को मिडल स्कूल के टीचर ही पढ़ा रहे हैं और सीनियर सैकण्डरी स्कूल के बच्चों को सैकण्डरी स्कूल के टीचर पढ़ा रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जहां-जहां भी शिक्षकों की कमी है, जहां भी प्रिंसिपल, सब्जैक्ट टीचर तथा साधारण शिक्षक की कमी है, उसको तत्काल पूरा किया जाये ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके।

सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि हमारी नारी शिक्षा को प्रोत्साहन मिले। इसमें सरकार ने कई ऐसे अच्छे काम किये हैं लेकिन आपके माध्यम से निवेदन है कि बच्चियों को अच्छा प्रोत्साहित करने के लिए कस्तूरबा आवासीय विद्यालय जो सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे हैं, जो आठवीं तक ही हैं; जहां-जहां भी ये कस्तूरबा आवासीय विद्यालय हैं, उनको क्रमोन्नत करके कम से कम 12वीं तक की शिक्षा में उनको लिया जाये, क्योंकि आठवीं तक बच्ची पढ़ने के बाद अगर आगे मौका नहीं मिलता है तो वे बच्चियां वापस घर चली जाती हैं।

(श्री हरिसिंह रावत)

तो यह जो कस्तूरबा आवासीय विद्यालय खोला, उसका कोई औचित्य नहीं है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आठवीं तक के आवासीय विद्यालय जो आपने चालू किये हैं, उनको आप 12वीं तक क्रमोन्नत करें ताकि जो बच्चियां शिक्षा से वंचित हैं, वे कम से कम 12वीं तक पढ़कर एस टी सी करके या नर्सिंग ट्रेनिंग करके अपने खुद का भी जीविकोपार्जन कर सकती हैं।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि मैं 15 राजकीय महाविद्यालय खोलूंगा, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां भी, जो-जो भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, जो पी पी पी मोड पर ना हो, ऐसी जगह पर जहां धन्ना सेठ नहीं हैं, जो 15 राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे देवगढ़ में भी एक राजकीय महाविद्यालय खोला जाये क्योंकि हमारे वहां तीन जिलों का संगम होता है और तीन जिलों के बच्चे हमारे वहां पढ़ते हैं। अगर वहां राजकीय महाविद्यालय खुलेगा तो उक्त क्षेत्र में बच्चों के साथ-साथ बच्चियों को भी शिक्षा का मौका मिलेगा। क्योंकि आज 12वीं के बाद कालेज जाने वाली बच्ची वयस्क हो जाती है, कोई भी मां-बाप वयस्क बच्ची को बाहर भेजना उचित नहीं समझते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर वहां राजकीय महाविद्यालय खुलेगा तो मैं समझता हूं, बच्चों के साथ-साथ बच्चियों को भी कालेज में प्राथमिकता मिलेगी, ताकि वे अपना ग्रेजुएशन कर सकें और अपना भविष्य सुधार सकेंगी।

सभापति महोदय, मेरा अंत में यही निवेदन है। प्राइमरी और मिडल स्कूलों में मैंने अकसर देखा है, पानी की व्यवस्था नहीं होती है। वहां केवल हैण्डपम्प होते हैं और हैण्डपम्प भी अकसर खराब हो जाते हैं या कई जगहों पर खारा पानी मिलता है तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि स्वच्छ पानी की भी व्यवस्था हर स्कूल में कराई जाये।

साथ ही साथ सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी और मिडल स्कूलों में आपने कम्प्यूटर तो मुहैया करा दिया लेकिन अभी तक वहां पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं हुए हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां-जहां जिस-जिस मिडल, सैकण्डरी स्कूल में इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है, वह तत्काल लगाया जाये ताकि आप लोग कम्प्यूटर दे रहे हैं, बच्चे उनका

(श्री हरिसिंह रावत)

सदुपयोग कर सकें। मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अंत में एक शेर के साथ अपनी बात खतम करना चाहूंगा ''कितने ही अच्छे हों कागज और पानी के रिश्ते, क्या कागज की नावों से दरिया पार की जा सकती है?'' कभी नहीं। थैंक्यू।

श्री सभापति: श्री नवल किशोर मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री अमरा रामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर विचार हो रहा है। मैं नहीं समझता कि 64-65 साल की आजादी के बाद कब हम शिक्षित राजस्थान को कर पायेंगे? हर साल बजट आता है और उसमें शिक्षा, जो कि सबसे बड़ा विभाग है, किसी भी जन-कल्याणकारी सरकार का यह प्रमुख कर्तव्य है कि उस प्रांत और देश की तमाम जनता को शिक्षित करे, लेकिन जो हालत हमारी हो रही है, उसमें शिक्षा का निजीकरण और व्यवसायीकरण किया जा रहा है और उसी का नतीजा है कि आज हर स्तर पर हमारी सरकारी संस्थाओं की बजाय निजी शिक्षण संस्थाएं तेजी से बढ़ रही हैं। जहां हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय 27,127 हैं, वही निजी उच्च प्राथमिक शिक्षण संस्थाएं 29,356 हैं; हमारी सरकारी हायर सैकण्डरी स्कूल 3,357 हैं और निजी हायर सैकण्डरी स्कूल 5,574 हैं; 65 साल में हमने केवल 144 सरकारी महाविद्यालय खोले हैं, राजस्थान में 200 विधान सभा क्षेत्र हैं, निजी महाविद्यालयों की संख्या 1,373 है। यही हालात विश्वविद्यालयों में है।

जहां हम शिक्षा का निजीकरण और व्यवसायीकरण कर रहे हैं तो इसका मतलब वह केवल सम्पन्न वर्ग के लिए कर रहे हैं, उस आम अवाम और गरीब परिवार के बच्चों और बच्चियों को शिक्षा देने का काम नहीं कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह हालत लगातार जिस तरह से बढ़ रही है कि आज शिक्षा का व्यवसायीकरण केवल सम्पन्न लोगों के लिए हो, आज हर जगह, प्राइमरी सेक्शन से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक, जो सरकारी हैं, एक भी स्तर ऐसा नहीं होगा जहां शिक्षकों की पूर्ति हो। प्राइमरी विद्यालय में नहीं हैं, मिडल विद्यालय में नहीं हैं, सैकण्डरी में नहीं हैं, हायर सैकण्डरी में नहीं हैं, महाविद्यालय में नहीं हैं और विश्वविद्यालय में नहीं हैं। राजस्थान का राजस्थान

(श्री अमराराम)

विश्वविद्यालय सबसे पुराना प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और उसमें भी आधे से ज्यादा पद रिक्त हों तो हम चाहते क्या हैं? किन वर्गों की सेवा करने का काम कर रहे हैं? हर शिक्षा और उच्च शिक्षा में अध्यापक, प्रोफेसर नहीं लगाकर हम व्यवसाय के रूप में आज शिक्षा को ले रहे हैं; उनके लिए उन बच्चों को उधर धकेलने का काम लगातार हम कर रहे हैं। अगर शिक्षक पूरे होंगे तो क्यों हमें राजस्थान के आठ जिलों को प्रतिबन्धित जिले घोषित करना पड़े? बहुत से साथी हैं जो आदिवासी बेल्ट से आने वाले हैं, अभी गढ़ी की माननीय सदस्या भी कह रही थी; राजस्थान में तमाम शिक्षकों के पद भरे हुए होंगे, शहर में भी और गांवों में भी और उस पिछड़े हुए इलाके में भी अगर पूर्ति पूरी होगी तो कहीं से भी इसकी चर्चा नहीं आयेगी। लेकिन हालात क्या हैं? सभापति महोदय, सरकार चाहे कोई भी रही हो, वह घोषणा करती है; केवल हम उच्च प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलते जा रहे हैं, लेकिन जितने विद्यालय खोले हुए हैं, उनमें हम अध्यापक दे पा रहे हैं, उनमें शिक्षा दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए रिव्यू करने के लिए तैयार नहीं हैं और इसके लिए भी रिव्यू करने के लिए तैयार नहीं हैं कि जितने अध्यापक हैं, क्या हमारी राजनीतिक इच्छाशक्ति यह है कि उनका तो हम समानीकरण कर दें। वह हम समानीकरण करने के लिए तैयार नहीं हैं। जहां चार विद्यार्थी और छह अध्यापक लगाते हैं, केवल राजनीतिक आधार पर करते हैं। जो संसाधन हैं, राजस्थान की जनता के टैक्स का पैसा है, आज अध्यापक को जितना पैसा मिल रहा है, हमारी जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आज बहुत से स्कूल हैं जो शहरी क्षेत्र में हैं, आन-रोड हैं, वहां बच्चे कम हैं और अध्यापक ज्यादा हैं। यह इच्छाशक्ति भी हम दिखाने की स्थिति में नहीं हैं।

सभापति महोदय, आज क्या हालत हो रही है? अभी हम खिलाड़ियों की बात कर रहे थे। अभी पंचायती राज में शिक्षकों की थर्ड ग्रेड की भर्ती हुई। उनके नोर्म्स हमने क्या रखे हैं? अन्तरराष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और कांस्य मेडल लेंगे, उनको हम थर्ड ग्रेड में भर्ती करने का काम करेंगे और जो 34,000 पद भरे हैं, उनमें हम एक भी खिलाड़ी को नियुक्ति नहीं दे पाये। अन्तरराष्ट्रीय गोल्ड मेडल लेने वाला कौन आएगा? वह अगर आता है तो कम से कम फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दीजिये। अन्तरराष्ट्रीय खेल के बाद में राष्ट्रीय खेलों में लेता है, उसके बाद में राज्य में लेता है, जहां-जहां उच्च स्तर

(श्री अमराराम)

का अगर खिलाड़ी मिलता है तो निश्चित रूप से उसको प्रायोरिटी दी जाये लेकिन केवल यह शर्त लगा दी गई कि केवल अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी मेडल लेकर आयेगा, उसको ही हम थर्ड ग्रेड में देंगे।

मैं समझता हूं, एक भी जितना कोटा रखा था, पूरे 34 हजार में से एक भी खिलाड़ी, कोटे से एक अध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई।

इसलिए, सभापति महोदय, यह हालत जो बना रखी है, हमारे शिक्षा मंत्रीजी कहते हैं, कोई डेपुटेशन नहीं होगा, शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा; पिछले ही साल, एक साल पहले बजट सत्र में मैंने, एक अध्यापक का दो साल का वेतन बी ई ओ ने रोका; उसका बी ई ओ ने पास कर दिया, दस प्रतिशत उसमें कमीशन मांगा; उसने नहीं दिया; उस पास करने के, पास आर्डर के बाद में भी नहीं मिला। उसके साथ, मैंने जब यहां रखा तो उसको पेमेंट तो आज भी, एक साल के बाद में, सभापति महोदय, नहीं हुआ है। लामिया ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक था, पेमेंट करने के बजाय उसको ए पी ओ कर दिया। आज की तारीख में भी एक साल के बाद अगर पेमेंट नहीं होता है तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी?

यह सात-सात साल से आपके पांच अध्यापक, गांव के लोगों ने बार-बार ताला लगाया, आपके प्रशासन-गांवों-के-संग आर्डर निकाल दिया 22.12.2003, लिखमा-का-बास, पांच अध्यापक हैं जिसमें एक अध्यापक तो, आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में तो दिया है कि पंचायत समिति दांतारामगढ़ में एक भी डेपुटेशन पर नहीं है; यह रामनिवास खीचड़ जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जाखड़ों की ढाणी से सात साल से डेपुटेशन पर है। एस डी एम के निर्देश के बाद, 22.2.2013 को यह पांच के डेपुटेशन निरस्त करने के आदेश हो गये लेकिन आज की तारीख तक, चौदह तारीख तक, आज तक वे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मतलब, आपके एस डी एम से, आपके बी ई ओ के, सबसे ऊपर वह अध्यापक हैं। मतलब, उनसे हम किस तरह का काम लेना चाहते हैं?

इसलिए, सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो शिक्षा में जितने लोग लगे हुए हैं चाहे वे पैराटीचर के नाम से हों, चाहे विद्यार्थी मित्र के नाम से हों, हम उस विद्यालय में, महाविद्यालय में पढ़वा रहे हैं और जब उनको स्थायी करने की बात आती है,

(श्री अमराराम)

उनके पढ़ाये हुए डिग्री लेकर जा रहे हैं लेकिन उनको हम स्थायी करने के लिए तैयार नहीं हैं।

अब तो उस गरीब का, मैं नहीं समझता, जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें सत्तर प्रतिशत में लड़कों से ज्यादा संख्या लड़कियों की है और वहीं गरीब का बच्चा जाता है। उसकी नींव को जिस तरह से, चाहे वह सर्व शिक्षा अभियान का नाम हो, सबको शिक्षा की गारंटी का हो, आप आठवीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करेंगे और दसवीं में कभी पास नहीं होगा। तो उस गरीब के बच्चे के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं समझता हूं, यह किसी भी सूरत में, अगर सरकार चाहती है तो कम से कम एक-एक महाविद्यालय तो निश्चित रूप से एक-एक विधान सभा क्षेत्र में हो। मेरा उपखण्ड मुख्यालय दांतारामगढ़ है, सभापति महोदय, पैंसठ साल के बाद में वहां सीनियर लड़कियों की स्कूल आज तक नहीं है! आज तक महाविद्यालय नहीं है! मैंने उच्च शिक्षा मंत्रीजी से सवाल पूछा, बोले...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): एक सेकण्ड, टाइम बढ़ा दूं। सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय साढ़े आठ बजे तक बढ़ाया जाय।

श्री सभापति: क्या सदन का समय साढ़े आठ बजे तक बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय साढ़े आठ बजे तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इसलिए, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, कम से कम इस स्थिति में तो हम पहुंच जायें कि हर विधान सभा क्षेत्र में एक सरकारी विद्यालय हो। वे बहुत से गरीब विद्यार्थी जो उन निजी शिक्षण संस्थाओं में, जो व्यवसाय के रूप में चला रहे हैं, उनमें जाकर उच्च शिक्षा वे प्राप्त नहीं कर सकते, उनका टैलेंट आर्थिक स्थितियों के कारण नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन है कि दांतारामगढ़ में, जो सब-डिविजनल हैडक्वार्टर है, वहां लड़कियों की भी सीनियर स्कूल हो और महाविद्यालय, कम से कम हम

(श्री अमराराम)

इतना तो लेने के लिए तैयार हों कि यह राजस्थान में जो 200 विधान सभा क्षेत्र हैं, उनमें एक-एक महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय खोलने का काम करें।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज पानी की, बिल्डिंग की, हम स्कूल खोलते हैं, प्राइमरी स्कूल मंत्रीजी ने खोले, मेरे विधान सभा क्षेत्र में संस्कृत के तीन प्राइमरी स्कूल खोलें, मैं लिखता-लिखता थक गया, अभी तक पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं।

बहुत से ऐसे स्कूल हैं पुराने जिनकी बिल्डिंग्स जर्जर हो गईं, जब हम विधायक कोटे से देते हैं, ये पंचायत राज मंत्रीजी बैठे हैं, कहते हैं कि केवल उस स्कूल की पूरी बिल्डिंग, बीस लाख की बिल्डिंग है, वह छत चू रही है लेकिन वह कहेंगे कि विधायक कोटे से केवल रिपेयर उसी की करा सकते हैं जो विधायक कोटे से बना हो।

जहां अल्पसंख्यकों की है, आपने राइडर लगा दिया कि जो मदरसा, जो बीस साल से मदरसा चल रहा है, मदरसा बोर्ड में वह रजिस्टर्ड भी हो गया, आपने शर्त लगा दी कि वह तीन साल जो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक आप उसमें कोई पैसा नहीं दे सकते।

इसलिए जहां शिक्षा में निश्चित रूप से आज आवश्यकता है, आज शिक्षा को व्यवसाय के रूप में दिया जा रहा है। आप तमाम, सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो निजी महाविद्यालय हैं, आपने, राजस्थान विश्वविद्यालय ने एक आदेश से कह दिया कि कोई भी निजी महाविद्यालय है उनका परीक्षा केन्द्र उसी महाविद्यालय में नहीं होगा। एक आर्डर निकाला, बात समझ में आती है, सबके साथ एक सा व्यवहार करते। अब राजस्थान विश्वविद्यालय ने पिक एण्ड चूज, खुद जिनके प्रभावशाली लोग हैं, इस तरह से पिक एण्ड चूज, एक आर्डर से तो तमाम निजी महाविद्यालय थे, उनकी परीक्षा जो अभी होने वाली है, उनके लिए एक आर्डर निकाल दिया कि किसी भी निजी महाविद्यालय का परीक्षा सेंटर उन बच्चों का उसी महाविद्यालय में नहीं होगा और फिर उसके बाद चेंज कर दिया। यह पिक एण्ड चूज, जो प्रभावशाली लोग हैं, क्योंकि शिक्षा में जिस तरह से माफिया हुआ है, जिस तरह से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो प्रतिष्ठा थी, उसको इन माफियाओं ने गिराने का काम किया है। रिजल्ट दो दिन बाद में निकाला और मेरिट, पहले ही उसके लिए ढोल बजा देंगे।

(श्री अमराराम)

इसलिए शिक्षा का जो स्तर गिराने का यह जो व्यवसायीकरण, निजीकरण में निश्चित रूप से बैलेंस एण्ड कंट्रोल नहीं होगा, निश्चित रूप से इस बात के लिए मैं स्वागत करूंगा कि अभी जो निजी शिक्षा संस्थाएं, विद्यालय से लेकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक हैं, उनके रेग्यूलेशन के लिए आप एक्ट लेकर आये हैं, निश्चित रूप से वे जिस तरह से लूट रहे हैं, अभिभावकों को भी लूट रहे हैं, शिक्षा देने वाले शिक्षक को भी लूट रहे हैं और अपना पैसा, माफिया हो रहे हैं और उस पैसे के बल पर वे राजनीति में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं।

इसलिए, सभापति महोदय, मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि सरकार की जो प्रमुख जिम्मेदारी है, जो जन-कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी है, उससे सरकार जिस तरह से हट रही है, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक आज सब जगह व्यवसायीकरण हो रहा है। उसके खिलाफ मेरा तो आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि निश्चित रूप से सरकार का जो दायित्व है, उसको सम्पूर्ण, टीचरों के जो रिक्त पद हैं उनको भरने का काम करें। जब हम केवल स्कूल इतने खोल देंगे, अध्यापक नहीं लगायेंगे तो मैं समझता हूं उस सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय में जाने वाले विद्यार्थी के साथ न्याय नहीं करेंगे।

आपने समय दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मेरी बात समाप्त करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द भंसाली।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति जी, शिक्षा, कला एवं संस्कृति की मांग संख्या 24 के सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। आज सौभाग्य की बात है कि स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा स्वर्गीय जयनारायण व्यास की आज पुण्य तिथि है। इस अवसर पर मुझे यह बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जिस प्रकार से जोधपुर विश्वविद्यालय शिक्षकों का एक प्रतिनिधि, श्री मालवीया, दिलीप मालवीया जोशी मरणासन्न अवस्था में महात्मा गांधी अस्पताल में चौबीसवें दिन भूख-हड़ताल पर है। उसकी बिलकुल वाजिब मांग है कि शिक्षक पदोन्नति में जिस प्रकार की धांधली की गई, जिस प्रकार से भाई-भतीजावाद हुआ है, दस हजार शिक्षकों में से पांच हजार के दो दिन में सारे इंटरव्यू हो गये और रात को बारह बजे

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

लिफाफे खोलकर सबको जोइनिंग करवा दी गई, यह उससे भी हैरतअंगेज बात है। कोर्ट का आदेश जरूर आया है कि इनकी भर्तियों की जांच की जायेगी, तब इनको लैटर्स निकाले जायेंगे। बहुत ही गम्भीर मामला है।

(20.00 बजे)

सुबह भी बाबूसिंह जी ने सदन में उठाया था, प्रश्न के साथ में और मैंने भी तथा सूर्यकांता जी ने और हमारे प्रतिपक्ष के नेता, श्री गुलाब जी ने भी, सब ने एक स्वर में, सारे विपक्ष के विधायकों ने कहा था। इस प्रकार का जघन्य अपराध, अशोक सरकार ने किया है, वह क्षमा योग्य नहीं है।

मुझे मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर में, मेरी कांस्टिट्यूएंसी जोधपुर शहर है, जिसका इलाका अब बढ़ कर 12 किलोमीटर का है, उसमें 132 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें या तो पूरे कमरे नहीं हैं, आधे बच्चे छत के नीचे बैठते हैं, खुले में बैठते हैं, नीम के नीचे बैठ कर पढ़ रहे हैं। कैसी दुर्दशा है इस भारत की? हमारा लोकतंत्र है, जोधपुर मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला है, वे जब भी आते हैं, ऐसी स्कूलों में जाते हैं और फिर यह देखते हैं कि यह कब से समस्या है, हमको बताया नहीं; उन्होंने कहा, साहब, हमने इतने पत्र हमारे एजुकेशन डायरेक्टर को लिखे, डिप्टी डायरेक्टर को लिखे हैं, किसी तरह का कोई काम हो ही नहीं रहा है। इस तरह की अंधेरगर्दी है।

मैं निवेदन करूंगा कि केवल यह नहीं है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, जोधपुर में सात स्कूलें हैं जो हेरिटेज स्कूले हैं, जो आजादी के पहले से चल रही हैं, उनको उसी रूप में वापस, सिर्फ एक स्कूल है जिसमें वे स्वयं पढ़े हैं, उसको उस रूप में लाया गया है, बाकी 6 विद्यालय अभी भी वैसे ही हैं। न तो उनमें पूरे टीचर्स लगाये गये, न कम्प्यूटर लगाये गये और इस तरह से उनकी घोषणा का मजाक बनाया गया।

(20.02 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आज गुजरात में, गुजरात सरकार ने इनोवेशन-इन-एजुकेशन के लिए चार बड़ी योजनाएं चालू की हैं। सबसे पहला है, सबसे ब्रिलिएंट लड़कों को सरकार हरेक जिले में पांच-पांच स्कालरशिप दे मेरिट के अनुसार...(व्यवधान)

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

मैं राजस्थान का बोल रहा हूं, राजस्थान का; मैं मांग कर रहा हूं, राजस्थान में दी जाए। मैं यही बात कह रहा हूं, राजस्थान में दी जाए।

उसी तरह से, 'डाइट' का जो काम है, यहां पर 'डाइट' का काम क्या रह गया है, शिक्षा देना या प्रशिक्षित करना, यह नहीं रहा है; क्या रहा है, जनसंख्या गिनो; दवा पिलाओ पोलियो की; तीसरा, राशन कार्ड बनाओ; पशुओं की गणना करो, मिड-डे मील की रसोई बनाओ। इस तरह से, टीचर को टीचर का काम नहीं देकर, उसको प्रशिक्षण न देकर और तैयार न करके केवल मात्र बेकार का जो काम कहते हैं न, अपने पुराने जमाने में कि बेगार कराते हैं, वैसे ही बेगार करा रहे हैं।

दूसरी बात एक और मैं निवेदन करूंगा 'डाइट' के साथ-साथ में, डिजाइनिंग इंस्टिट्यूट, हमारे जोधपुर में माननीय अशोक जी 5-6 इंस्टीट्यूशंस आल इण्डिया लेवल की लाये हैं, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, आई आई टी, आई ए एस है, फुटवीयर का पार्क आया है, स्टोन पार्क आया है, ये इंस्टिट्यूशंस आये हैं जहां लोगों को तैयार किया जाएगा। तो इन इंस्टिट्यूशंस में कई कोर्सेज हैं, मेरे पास 89 कोर्सेज की लिस्ट है, उनमें से ज्यादा से ज्यादा यह था कि हमारे उन शिल्पकारों को, छोटे बच्चों को, कारीगरों को, महिलाओं को, अबलाओं को काम मिल सके और वे स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सके, ऐसी सम्बल योजनाएं बनाई जाएंगी। जोधपुर को एजुकेशन हब बनाने की बात कही, काफी चीजें बनी हैं परन्तु अभी भी काफी करनी हैं।

मेरा निवेदन है, मेरी कांस्टिट्यूएंसी में झाला मण्डी में सरकारी सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है, मतलब तीन लाख की आबादी में सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। आर्टस, साइंस, कम्प्यूटर और होम साइंस कोर्स की आज बहुत मांग है परन्तु एक भी स्कूल सरकारी स्कूल नहीं है। प्राइवेट स्कूलें, जिस तरह से अभी भाई साहब ने कहा था, फीस अंधाधुंध लेते हैं, लोगों को देनी पड़ती है। निवेदन सुनिए...

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करिए।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): इससे जल्दी कर ही नहीं सकता, साहब, आप ही बताएं।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो वैसे ही बहुत बोल लेते हो।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): सब आप की ही कृपा है।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

हमारे एरिये में चार सेकण्डरी स्कूल, दो सीनियर सैकण्डरी स्कूल और एक बालिका सैकण्डरी स्कूल बननी चाहिए। बिमलचन्द पदमचन्द गांधी सैकण्डरी विद्यालय जिसमें सारे अनुसूचित जाति के लोग पढ़ते हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसका चार साल पहले उद्घाटन किया था, उसकी आज तक क्रमोन्नति नहीं हुई है। उसको क्रमोन्नत किया जाए, चारों सब्जेक्ट के उसमें कोर्स चालू किये जाएं।

अनुसूया मोदी को एशियाड में अवार्ड के 8 लाख 50 हजार विकलांग के पड़े हैं, वह सरकार को देना चाहिए।

इसी तरह से, सारी आज एजुकेशन की बात काफी हुई थी, मेरा भी कुछ इसमें इंटरेस्ट है, मैं कुछ स्कूलों को देखता हूं तो मेरा यह अनुभव है...

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय भंसाली साहब, समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): एक मिनट, सर। तो मेरा यह निवेदन है कि स्कूलों में वे सारी व्यवस्थाएं सुलभ कराई जाएं। सबसे बड़ी जो कठिनाई है, कम्प्यूटर सरकार ने दे दिये हैं परन्तु करंट नहीं है बिजली का। मेरा कहना है बिजली मुफ्त दी जाए। उसके अलावा, ये एजुकेशन वाले हैं, सरकारी स्कूल का बजट ही नहीं होता। हमेशा उनका, मैंने 6 बार 6 स्कूलों में कराये हैं परन्तु कनेक्शन तीन महीने बाद ही कट जाता है। यह मेरा सरकार से निवेदन है, वह इस काम को करे।

अन्त में...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): एक सेकण्ड, साहब। युवा शक्ति को, उठो, जागो; ऐसे प्रतापी विवेकानन्द की शिक्षा का यज्ञ, शिक्षा का मन्दिर, सुसंस्कृत और संस्कारित नई पीढ़ी को हम आगे बढ़ायें।

इसी निवेदन के साथ आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त। (व्यवधान) साढ़े आठ तक का टाइम है।

श्री बृजकिशोर शर्मा, शिक्षा मंत्री; श्री परसादी लाल मीणा, सहकारिता मंत्री, श्री डा. दयाराम परमार, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री; श्री रामकिशोर सैनी, तकनीकी एवं अभियांत्रिकी शिक्षा राज्य मंत्री; एवं श्री मांगीलाल गरासिया, खेल राज्य मंत्री वादविवाद का उत्तर देंगे। माननीय मंत्रीजी। आप विराजिए. (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, आप बोलिए। (व्यवधान) (व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): उपाध्यक्ष महोदय, आपको हमें समय देना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह संसदीय आचरण नहीं है। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24 के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के बारे में सदन में चर्चा हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: हनुमान जी, विराजिए। (व्यवधान) ये संसदीय आचरण नहीं है। यहां संसदीय आचरण की आशा है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): जल्दी क्या है, उपाध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): कुल 177 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा अधिकार है बोलने का। (व्यवधान) ये कोई बात हुई क्या? (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): मैं सदन को यह विश्वास दिलवाना चाहूंगा कि समस्त कटौती प्रस्तावों का जवाब यथाशीघ्र उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

यह बहुत खुशी की बात है कि माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेकर अपने विचारों के माध्यम से शिक्षा के विकास में अपनी भागीदारी को जताते हुए प्रतिबद्धता दर्शाई है एवं अपने अनुभवों के आधार पर बहुमूल्य सुझाव भी दिये हैं।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): रात के 11-12 बजे तक चलती है। क्या दिक्कत हो गई?

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय, हम जयपुर में बैठे हैं, विद्यालय हैं और महाविद्यालय में एक भी लेक्चरार पीरियड नहीं लेते हैं। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): मैं तहेदिल से माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप नीचे उतरिये। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ बोलने वाले साथी बाकी थे, कुछ माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह संसदीय आचरण नहीं है। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि शिक्षा का विकास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सरकार ने विषम भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा के विस्तार के लिए हर सम्भव प्रयास किये हैं। इन प्रयासों को अंजाम देने में आ रही समस्याओं, किये जा रहे प्रयासों एवं भविष्य में लागू होने वाली योजनाओं की रूपरेखा मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह तो +++ है सीधी-सीधी। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्तावों के माध्यम से उठाये गये मुद्दों पर यथासम्भव सरकार के विचारों से सदन को अवगत कराना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा में हमें बोलने का अधिकार दिया है, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर हमारा गला नहीं घोंट सकते। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): हम सभी जानते हैं कि शिक्षा राष्ट्र की शक्ति है और बच्चे राष्ट्र की आत्मा है। इसलिए राज्य के हर बालक-बालिका को शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलवाने हेतु प्रति वर्ष प्रवेशोत्सव सफलतापूर्वक मनाये गये हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन का समय साढ़े आठ बजे तक बढ़ाया था, हम और भी बढ़ा सकते हैं। यह प्रस्ताव तो...(व्यवधान) बहस के लिए कर सकते हैं। बहस के लिए माननीय सदस्यों को बोलने दिया जाए। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): ...कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र-छात्राओं को छात्र निधि एवं विकास शुल्क सहित सभी प्रकार के शुल्कों से मुक्त रखा गया है। निजी विद्यालयों की प्री-प्राइमरी अथवा प्रथम कक्षाओं में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों को 25 प्रतिशत नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है। बच्चों का विद्यालयों में नामांकन और ठहराव बनाये रखने हेतु मिड-डे मील...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): मंत्रीजी, पढ़ा हुआ मान लिया जाए, अगर ज्यादा जल्दी हो रही है तो। (व्यवधान) यह माननीय सदस्यों का अपमान है।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों का सदन कूप में आगमन)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है। (व्यवधान) हमने तो साढ़े आठ बजे तक का समय बढ़ाया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, ये लिखा हुआ तो बच्चा ही पढ़ लेगा। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान)...कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है। राजकीय विद्यालयों मैं कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को 203.23 लाख पाठ्यपुस्तकों का नि:शुल्क वितरण किया गया है। इसके अलावा, कक्षा 1 से 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिए सरकार द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना भी संचालित की जा रही है, जिसके तहत दुर्घटना बीमा की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दी गई है।

संक्षेप में, राज्य सरकार यू.पी.ए. के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के 'नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु कृतसंकल्प है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय समय दे रहे हैं। मंत्रीजी, बंद करो पढ़ना। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, आपकी कोई सुन ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी और सचेतक जी, ये आपस में ...(व्यवधान) ठीक नहीं है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान) विद्यालयों का क्रमोन्नयन। गत चार वर्षों में 855 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1,978 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 237 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जा चुका है। इनमें से सत्र 2012-13 में क्रमश: 855 प्राथमिक, 591 उच्च प्राथमिक एवं ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) मैं और मेरा दल बहिर्गमन करते हैं इस बात को लेकर के।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार भाग रही है और हम भी जा रहे हैं। (व्यवधान) पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मंत्री जी, आप अकेले पढ़ते रहो, इनको सुनाते रहो, हम तो जा रहे हैं। (व्यवधान)

(भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के माननीय सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): ...237 माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। साथ ही 850 नवीन प्राथमिक विद्यालय भी खोले जा चुके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा करना, राजस्थान के विधान सभा के इतिहास को आज कलंकित किया है। (व्यवधान) हमारी आवाज दबाने की बात कर रहे हो। शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): आगामी वर्ष 1 हजार नये प्राथमिक विद्यालय और खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त, 1 हजार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक तथा 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में माध्यमिक विद्यालय संचालित हो। इस हेतु आवश्यकतानुसार और विद्यालय क्रमोन्नत किये जायेंगे।

वर्तमान में छात्र-छात्राएं मेडिकल, इंजीनियरिंग अथवा कारपोरेट क्षेत्र में कार्य करने हेतु इच्छुक रहते हैं, उनके अभिभावक भी यही चाहते हैं। अत: बदलते समय की मांग को देखते हुए इस वर्ष 100-100 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमश: विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जा चुके हैं। आगामी सत्र से 50 राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोले जायेंगे।

आगामी सत्र में 67 तहसील स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य, तीनों संकायों में अध्ययन सुविधा उपलब्ध करवाने

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

के उद्देश्य से नये संकाय खोले जायेंगे, जिससे सभी तहसील मुख्यालयों पर उक्त सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इसके अतिरिक्त, आगामी वर्ष 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय भी खोले जायेंगे।

वर्तमान में 200 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू विषय तृतीय भाषा के रूप में एवं 100 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू ऐच्छिक विषय के रूप में प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, अधिकांश कटौती प्रस्तावों में माननीय सदस्यों द्वारा प्रदेश के विद्यालयों में चल रहे रिक्त पदों का मुद्दा उठाया गया है। अध्यापकों की कमी से निश्चित रूप से विद्यार्थियों के नामांकन और ठहराव पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अत: विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत सत्र 2009-10 से 2012-13 तक प्रधानाध्यापकों, व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापकों, शारीरिक शिक्षकों एवं प्रयोगशाला सहायकों के अभी तक 50,000 पद भरे जा चुके हैं, 3,581 पदों के परिणाम जारी हो चुके हैं परन्तु न्यायिक प्रकरणों के कारण अभी नियुक्तियां दिया जाना शेष है।

सत्र 2012-13 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षकों की भर्ती का कार्य जिला परिषदों के माध्यम से किया गया है। 41,000 तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती के स्थान पर कुल 25,544 पद जिलेवार विज्ञापित किये गये, जिनमें से अभी तक...

ये भाषण मैं टेबल करूं, उसके पहले मैं कुछ बातें जो विधायकों ने उठाई हैं उनके बारे में क्लेरिफिकेशन देना चाहूंगा।

एकल शौचालयों के बारे में 'डायस' के सर्वे के अनुसार 2010-11 के अनुसार स्वयं के भवनों में कोई भी विद्यालय शौचालय-विहीन नहीं है; 8,235 विद्यालय सिंगल टायलेट में थे, ये सिंगल टायलेट छात्राओं के लिए आरक्षित कर दिये गये हैं। वर्ष 2012-13 में टी एस पी सर्वे, स्वच्छता अभियान के समस्त 8,235 द्वितीय शौचालय स्वीकृत कर दिये गये हैं। अभी तक 3,885 शौचालयों का कार्य पूर्ण हो गया है, शेष कार्य प्रगति पर है।

'डायस' के सर्वे 2011-12 के अनुसार पानी की सुविधा से वंचित विद्यालय 3,091 हैं। वर्ष 2012-13 के तहत उपलब्ध कराये गये विद्यालयों में

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

1,673 हैं; शेष 1,418 पर स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत जलदाय विभाग द्वारा जारी की गई है।

के.जी.बी. के विद्यालयों के बारे में, उसमें 33 के जी बी विद्यालय ऐसे हैं जिनमें हायर सैकण्डरी को पास के विद्यालय में किया गया है।

माननीय देवनानी जी, माननीय सदस्य द्वारा एक सनसनीखेज यहां पर बात की गई जिसमें 358 के करीब कोटा में जो पेमेन्ट नहीं हुए, चेक बाउंस हुए, उसके बारे में कहा गया। मैं कागज टेबल करने को तैयार हूं, कुल चार केसेज ऐसे थे जिनमें खाली हस्ताक्षर नहीं मिलने की वजह से वह पेमेन्ट नहीं हुआ। उसको भी करेक्ट करा कर उनको पेमेन्ट की व्यवस्था कर दी गई है।

राइट-टू-एजुकेशन के बारे में मैं कुछ जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें खास तौर से ये जो आठवीं तक के स्कूलों में पास करने की बात की गई है, उसके बारे में यह है कि यह आर टी ई में कहीं नहीं लिखा हुआ है। आर टी ई में समस्त सतत मूल्यांकन ग्रेडिंग की बात की गई है और जब ग्रेडिंग की बात होगी, छात्र/छात्रा उस ग्रेडिंग के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। यही वजह है कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो, स्तर के साथ आठवीं तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसे अच्छी हो, इसीलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी जहां आठवीं के एक टाप स्टूडेंट् को लैपटाप देने की बात की है, 2 से 11 तक के स्टूडेंट को इसीलिए पीसी टैबलेट देने का फैसला इसी क्वालिटी के आधार पर किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर टी ई में यह खाली एक भ्रम फैलाया जा रहा है जिससे लोग भ्रमित हों और वे उसका नाजायज फायदा उठा सकते हैं।

साक्षरता की बात मैं करना चाहूंगा, जो कही गई; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2012 की बेसिक मूल्यांकन परीक्षा में 7.47 लाख महिलाओं ने एग्जाम दिया और 2.72 लाख पुरुषों ने एग्जाम दिया, इनमें 1 लाख 73 हजार पुरुष उत्तीर्ण हुए और 4.54 लाख महिलाएं उत्तीर्ण हुईं। 26 अगस्त, 2012 की परीक्षा में 4.65 लाख महिलाओं ने एग्जाम दिया और 1.85 लाख पुरुषों ने एग्जाम दिया, इनमें कुल 3 लाख 35 हजार महिलाएं पास हुईं और 1 लाख 45 हजार पुरुष पास हुए। आगामी 17 मार्च को होने वाली परीक्षा में 8 लाख महिलाओं का और 4 लाख पुरुषों का एग्जाम देने का हमने लक्ष्य रखा है, इसकी उम्मीद की जा रही है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जो साक्षरता की बात की जा रही थी, वह बिलकुल गलत है।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

एक बात उठी थी ...(व्यवधान) दो मिनट में बात पूरी हो जाएगी। 2012-13 में ...(व्यवधान) घोषणाएं भी बता रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सत्ता पक्ष के मंत्रीजी हैं, उनको बोलने दीजिए।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा एक बात यह कही गई और करीब-करीब सभी सदस्यों ने कही कि स्कूल तो खोल दिए पर पद सृजित नहीं किए, मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि जो अभी बजट में खोले हैं, उसके पहले के जितने भी स्कूल क्रमोन्नत किये हैं या खोले गए हैं, उनके सबके पद सृजित कर दिए गए हैं।

कुछ बात बहुत उठाई गई, कहा गया कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, 2006 में जहां सैकण्डरी स्कूल में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में 7 लाख 41 हजार ने परीक्षा दी, वहीं सीनियर सैकण्डरी में 3 लाख 58 हजार ने दी। यह क्रम बढता गया और 2012-13 की परीक्षा में सेकण्डरी में जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वे 12 लाख 7 हजार 446 हैं और जो सीनियर सैकण्डरी में दे रहे हैं, वे 7 लाख 89 हजार 998 दे रहे हैं। और यह कहते हैं कि परीक्षा का स्तर गिरता जा रहा है।

बात आई घोषणाओं की, तो मैं कुछ घोषणाएं सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने वर्ष 2002 से 2011 तक नव क्रमोन्नत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कनिष्ठ लिपिकों के पदों को भरने के लिए 7,134 पद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 7,134 पदों की स्वीकृति प्रदान की है।

आगामी सत्र में 20 हजार तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती का काम शुरू किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, आगामी वर्ष में तृतीय श्रेणी के 20 हजार, द्वितीय श्रेणी के 10 हजार और शारीरिक शिक्षकों के 5 हजार पद सृजित किए गए हैं। (व्यवधान) हां, बजट के अलावा ही।

सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अंग्रेजी के 1,200 व्याख्याता, हिन्दी के 1,500 व्याख्याता एवं अन्य विषयों के 2,000 व्याख्याताओं के पद सृजित किए जा रहे हैं।

उर्दू विषयों के व्याख्याताओं के लिए 1,000 पद तथा उर्दू के वरिष्ठ

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

अध्यापकों के लिए 1,000 पद सृजित किए जाएंगे तथा विद्यालय की तृतीय भाषा के रूप में अध्ययन का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

ब्लाक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में डेढ़ सौ कनिष्ठ लिपिकों के पदों को सृजित किया गया है; 351 वरिष्ठ लिपिक, 437 एस डी आई के पदों को सृजित किया गया है।

ये कुछ घोषणाएं थीं ....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय डिमांड पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय डिमांड के पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

माननीय मंत्रीजी।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): इसी तरीके से, संस्कृत के बारे में जो घोषणाएं हैं, वे तो मैं टेबल कर दूंगा।

माननीय सदस्या चन्द्रकांता जी मेघवाल ने जो कहा, विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में संस्कृत शिक्षा का राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, चेचट संचालित है, इसमें साढ़े तीन सौ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। महाविद्यालय में राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र स्थापित कर रखा है। यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों की परीक्षा इसी केन्द्र में ली जा रही है। महाविद्यालय में 8 कक्षाओं के कक्ष निर्मित हैं तथा माननीय विधायक कोष से दो कक्ष निर्माणाधीन हैं, जिनका निर्माण अंतिम चरण में है। महाविद्यालय में चारदीवारी का निर्माण खनन एसोसिएशन द्वारा कराया जा रहा है। महाविद्यालय में एक व्याख्याता और एक प्राचार्य का पद खाली है।

बाकी सब मैं टेबल कर देता हूं।

(श्री बृजकिशोर शर्मा शिक्षा मंत्री, के मांग संख्या 24 पर शेष उत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री परसादीलाल जी मीणा, सहकारिता मंत्री।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री) (कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री के स्थान पर) : उपाध्यक्ष महोदय, कला और संस्कृति में वैसे किसी भी माननीय सदस्य ने अपनी ओर से कोई बात नहीं कही है। विभाग को 14 कटौती प्रस्ताव मिले हैं, उनका लिखित में जवाब माननीय सदस्यों को भिजवा दिया जाएगा। ये जो बजट की घोषणाएं हैं, आप कहो तो मैं पूरा पढ दूं?

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, यह आपके ऊपर है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): यह नया सब्जेक्ट है, इसमें आपको रुचि रहेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में विभिन्न कलाओं के संरक्षण के लिए निजी एवं सरकारी क्षेत्र, दोनों ने ही प्रयास किए हैं तथा वर्तमान में दोनों ही क्षेत्र प्रयासरत हैं। निजी क्षेत्र में विभिन्न कला मर्मज्ञों द्वारा स्थापित संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों में भी राज्य सरकार द्वारा गठित विभिन्न संस्थाएं अलग-अलग कलाओं के संरक्षण में लगी हुई हैं।

कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अधीन चार विभाग, 9 अकादमियां एवं पांच अन्य संस्थाएं हैं। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का मुख्यालय जयपुर में है तथा इस विभाग का गठन 1950 में किया गया था। इस विभाग के अधीन वर्तमान में 17 राजकीय संग्रहालय, 1 कला दीर्घा, 322 स्मारक व 47 पुरास्थल संरक्षित हैं। इस विभाग द्वारा प्रदेश में बिखरी कला सम्पदा तथा सांस्कृतिक धरोहर की खोज, संरक्षित स्मारकों व संरक्षण एवं जीर्णोद्धार, पुरावशेषों का संरक्षण, संग्रहालयों का पुनर्गठन एवं विकास, इत्यादि कार्य संपादित किए जाते हैं।

राजस्थान अभिलेखागार में राजस्थान (राजपूताना) के भूतपूर्व 22 रियासतों तथा वर्तमान राज्य सरकार के 25 वर्ष से अधिक पुराने ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अभिलेख सुरक्षित हैं।

मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी-फारसी शोध संस्थान राजस्थान, टौंक की स्थापना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1978 में की गई थी। यह संस्थान अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शोध संस्थान है।

राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर अपने अधीनस्थ 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ संग्रह, सर्वेषण, संपादन, प्रकाशन एवं संरक्षण, आदि उद्देश्यों के अन्तर्गत 61 वर्षों से कार्यरत है।

(श्री परसादीलाल)

जवाहर कला केन्द्र में इस वर्ष सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को संगीत व नृत्य संध्या, शुक्रवार को नाटक व शनिवार को विभिन्न देशों की कला एवं संस्कृति तथा जनजीवन को उजागर करने वाली फिल्मों के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई।

आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण का पंजीकृत संस्था के रूप में गठन आमेर महल तथा आमेर क्षेत्र सहित जयपुर के कुछ अन्य स्मारकों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु किया गया है।

इसी प्रकार, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर; राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर; रविन्द्र मंच, जयपुर एवं जयपुर कत्थक केन्द्र, जयपुर की स्थापना कला के क्षेत्र में प्रचार-प्रसार हेतु की गई है। राज्य में विभिन्न भाषाओं के साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए संस्कृत, बृज, सिंधी, उर्दू, राजस्थानी भाषा, पंजाबी एवं हिन्दी साहित्य अकादमियों की स्थापना की गई है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियों में, गणतंत्र दिवस 2013 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड समारोह में राज्य की सांस्कृतिक झांकी को देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें बूंदी की चित्रशाला को प्रदर्शित किया गया था, आपके जिले की चित्रकला को प्रदर्शित किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष: जिला टौंक है, आपको पता है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): जन्म स्थान आपका बूंदी में ही है, फिर वापस बूंदी जाओगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप कहोगे तो मैं लालसोट आ जाऊंगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): जन्तर मन्तर, जयपुर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में दिनांक 31.7.2010 को सूचीबद्ध करवाया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य के 6 प्रमुख किलों यथा आमेर, रणथम्भौर, चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़, गागरोन एवं जैसलमेर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करवाने की प्रक्रिया जारी है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2009-10 के अनुरूप सात महान हस्तियों को इस वर्ष 'राजस्थान रत्न' सम्मान से सम्मानित किया गया है।

(श्री परसादीलाल)

जयपुर स्थित जिन अकादमी कार्यालयों के भवन नहीं हैं, उनके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुरूप अकादमी संकुल का निर्माण स्थानीय झालाना डूंगरी क्षेत्र में करवाया गया है। इस पर 390 लाख रुपये की लागत आई है। अकादमी संकुल के फर्नीचर एवं लिफ्ट हेतु 156 लाख रुपये की राशि वर्ष 2012-13 में स्वीकृत की गई, जिस पर कार्य जारी है।

जवाहर कला केन्द्र, जयपुर को सेंटर फार परफोर्मेंस एंड लिविंग आर्टस के रूप में रूपान्तरित करने के लिए 1.25 करोड़ रुपये की धन राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई, जिसका उपयोग निर्धारित कार्यों के लिए किया जा चुका है।

कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में ख्यातनाम कलाकारों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 में 99.98 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई। इसी प्रकार, वर्ष 2011-12 में भी 64.05 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत कर उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2012-13 के लिए 2.27 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में विभिन्न कलाकारों एवं कला संस्थाओं को स्वीकृत किये जा चुके हैं।

स्वामी विवेकानन्द जी की 150वीं जन्म तिथि के उपलक्ष्य में रामकृष्ण मिशन समिति, खेतड़ी, झुन्झुनूं द्वारा भारत सरकार के सहयोग से स्थापित किये जाने वाले विवेकानन्द स्मृति म्यूजियम हेतु राज्य सरकार द्वारा 50.00 लाख रुपये की धन राशि उपलब्ध करवायी गई।

राज्य के कलाकारों को सहयोग उपलब्ध कराने के लिए कलाकार कल्याण कोष राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर द्वारा संधारित किया जा रहा है।

विभाग के अधीन आने वाले चारों महत्वपूर्ण विभागों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों, ग्रंथों, पट्टों व पुराने सिक्कों को डिजिटाइज करवाया गया। अभी तक कुल 123.07 लाख रुपये से प्राच्य सामग्री का डिजिटाइजेशन करवाया जा चुका है। अभी तक डिजिटाइज्ड करवाई गई सामग्री को आम जनता को आन लाइन सुलभ करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

बजट घोषणाएं (वर्ष 2013-14)

इस वर्ष सदन में दिनांक 6 मार्च, 2013 को राज्य का बजट प्रस्तुत

(श्री परसादीलाल)

करते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कला एवं संस्कृति विभाग के लिए निम्नानुसार घोषणाएं की हैं:-

(1) राजस्थान साहित्य अकादमी के तत्वाधान में आगामी वर्ष राज्य के साहित्यकारों का एक लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया जावेगा, व

(2) प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए स्मारकों के पुनरुद्धार एवं मरम्मत के कार्यों हेतु 5.00 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

अन्त में मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य की कला एवं संस्कृति के विकास में सरकार भरसक प्रयत्नशील है तथा इस दिशा में निरन्तर अग्रसर है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री दयाराम जी परमार, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): कोई अनाउसमेंट नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: वैसे, मंत्रीजी, सदन का समय तब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आप रात के एक बजे तक भी बोलोगे तो सुनेंगे....

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सदन की इच्छा नहीं है तो फिर मैं पढ़ने का काम क्यों करूं?

श्री उपाध्यक्ष: ....और सदन की सहमति से बढ़ा है।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): मेरी कोई घोषणा नहीं है। मैं रिप्लाई को टेबल करता हूं।

(डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) के अनुदान की मांग संख्या 24 पर उत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: अनुमति। टेबल करने की अनुमति दी जाती है। बृजकिशोर जी ने तो रखा है, जो अनुमति स्वत: ही मानी जाएगी।

श्री रामकिशोर जी सैनी, तकनीकी एवं अभियांत्रिकी शिक्षा राज्य मंत्री।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग 24- शिक्षा एवं कला संस्कृति पर चर्चा हुई, इसमें अधिकांश सदस्यों ने भाग लिया। टेक्निकल एजुकेशन के 6 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए,

(श्री रामकिशोर सैनी)

जिनके शीघ्र ही जवाब प्रेषित कर दिए जाएंगे। अधिकांश जिन लोगों ने भाग लिया, उनका सारा फोकस स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन पर रहा; टेक्निकल एजुकेशन पर मात्र चार सदस्यों ने सुझाव दिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अभियांत्रिकी एम बी ए, एम सी ए महाविद्यालय, पालीटेक्निक महाविद्यालय और आई आई टी के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में कुल जो महाविद्यालय चल रहे हैं, उनमें अभियांत्रिकी महाविद्यालय 133 हैं, एम बी ए संस्थान 111, एम सी ए संस्थान 45, पालीटेक्निक संस्थान 179, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 856; इस प्रकार, राज्य में उनकी जो प्रवेश क्षमता है वह 2,40,000 छात्र है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने तकनीकी क्षेत्र में राजस्थान का विकास हो, उसके लिए राजस्थान में आई.आई.टी., आई.आई.एम. और आई.आई.आई.टी., राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों को स्थापित किया है। इसमें आई.आई.टी. हेतु जोधपुर शहर के पास स्थित करवड़ झियासनी तथा घड़ाव गांव में 900 एकड़ भूमि अवाप्त की जा चुकी है। वर्तमान में जोधपुर एम बी एम अभियांत्रिकी महाविद्यालय परिसर के कैम्पस में कक्षाएं प्रारम्भ की जा चुकी हैं।

आई आई एम के लिए उदयपुर शहर से 8 किमी दूरी पर स्थित बलीचा ग्राम में भूमि का चयन कर भूमि आबंटन की जा चुकी है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पोलिमर साइंस हेतु नवनिर्मित भवन को उपयोग में लेते हुए कक्षाएं प्रारम्भ की जा चुकी हैं।

आई.आई.आई.टी. की स्थापना के लिए कोटा में पी पी पी मोड का संस्थान स्थापित होने वाला है, जिसमें नि:शुल्क भूमि व 45 करोड़ राज्य सरकार का अंशदान है तथा शीघ्र ही एम ओ यू साइन होकर कार्य प्रारम्भ हो जावेगा।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में एक नैनो-टेक्नोलोजी केन्द्र की भी स्थापना की गई है जिसके तहत अगस्त, 2012 से इस केन्द्र से सम्बन्धित दो एम.टेक. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

केन्द्र सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (TEQIP) के अन्तर्गत राज्य के 08 राजकीय अनुदानित स्ववित्त पोषित अभियांत्रिकी

(श्री रामकिशोर सैनी)

महाविद्यालय तथा 01 निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय को इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के स्तर से चयनित किया जाकर सम्मिलित कर लिया गया है। इसमें राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से लगभग 60 करोड़ का अनुदान प्राप्त होगा तथा महाविद्यालयों के संसाधनों का विकास होगा, विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा शैक्षणिक स्टाफ की योग्यता में वृद्धि होगी।

तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र बांसवाड़ा में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के सहयोग से एक राजकीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापित किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से सत्र 2012-13 के लिए अनुमति प्राप्त होने के फलस्वरूप विद्यार्थियों को इसी सत्र से प्रवेशित किया जा चुका है।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत राज्य के कुल 15 राजकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं।

केन्द्र सरकार की महिला छात्रावास योजनान्तर्गत राज्य के 26 पालीटेक्निक महाविद्यालयों में एवं महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर में छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण करवाया जा रहा है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण 2012-13 में ऐसे स्थानों को चिह्नित करते हुए जहां मांग सर्वाधिक है, वहां राज्य में 20 नये आई टी आई स्थापित करने की घोषणा की गयी है। इसके अतिरिक्त, पुन: बजट भाषण 2013-14 में भी कुल 45 नये आई.टी.आई. खोले जाने की घोषणा की गयी है। इनमें से 10 आई.टी.आई. महिलाओं के लिए तथा 20 आई.टी.आई. अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित हैं।

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2010-11 एवं 2011-12 के अनुसार 10 तथा पुन: घोषित 5 आई.टी.आई. अर्थात् कुल 15 आई टी आई स्थापित की जा रही हैं।

जिन क्षेत्रों में विशेष पिछड़े वर्ग के लोगों का बाहुल्य है, वहां देवनारायण योजनान्तर्गत 6 नये आई.टी.आई. स्थापित किये जा चुके हैं। सत्र 2011-12 से इन नवनिर्मित भवनों में ही इस वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेशित किया जा चुका है।

किशनगंज-शाहबाद में सहरिया जाति के युवाओं के लिए आई.टी.आई.,

(श्री रामकिशोर सैनी)

केलवाड़ा में एक पालीटेक्निक महाविद्यालय तथा जनजाति के लिए उदयपुर में एक पालीटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आई.टी.आई. शाहबाद के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, केलवाड़ा में एक व्यवसाय में इनके स्वयं के भवन निर्मित होने तक विद्यार्थियों को सत्र 2011-12 से प्रवेशित किया गया है।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के संघटक अभियांत्रिकी महाविद्यालय में एरोनोटिकल/स्पेस इंजीनियरिंग एवं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के दो नये पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2011-12 से प्रारम्भ किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री मांगीलालजी गरासिया, खेल राज्य मंत्री।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर परिचर्चा के ऊपर भाग लेने का काम हुआ, 28 माननीय सदस्यों के भाग लेने का काम जिस रूप में हुआ, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जितने हमारे माननीय सदस्यों ने मांग पर परिचर्चा की, उसमें अधिकांश शिक्षा जगत को लेकर के और तकनीकी शिक्षा को लेकर के और विभिन्न स्थितियों में, हमारे यहां पर साथी बैठे हैं, उसमें परिचर्चा यहां पर हुई। खेल शिक्षा को लेकर जिस तरह से परिचर्चा यहां पर निकलकर आई, उनके जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव देने का काम किया, उनको हम शीघ्र ही लिखित में, अविलम्ब उत्तर भिजवाने का काम कर दिया जाएगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पूरे राजस्थान में हमारे पास 9,177 ग्राम पंचायतें हैं और 'पाइका' योजना में खेल जगत की इकाई का आधार पंचायत को माना है। पंचायत को खेल इकाई का आधार मानकर, हमने वहां पर 'पाइका' योजना के माध्यम से कार्य शुरू करने का काम किया। 869 पंचायतें प्रथम चरण में लेने का काम किया है, द्वितीय चरण में 917 ग्राम पंचायतें हाथ में लेने का काम किया है। वहां पर हम राजीव गांधी यूथ क्लब का गठन करने का काम कर रहे हैं; वहां पर क्रीड़ा शिविर लगाने का काम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी हमारी जो पंचायतें रहती हैं, 7,391 पंचायतें, हमने चरणबद्ध तरीके से तय करने का काम किया है, आने वाले समय में हम 7,391 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाने का काम करेंगे, क्रीड़ा शिविर लगाने का काम करेंगे और राजीव गांधी यूथ क्लब गठन करने का उस एरिये में काम आने वाले टाइम में चरणबद्ध तरीके से करेंगे।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां अकादमियों की परिस्थितियां विगत टाइम पर निकलकर आईं, हमने उन अकादमियों के लिये पैसा आबंटित करने का काम कर दिया है और आने वाले समय में उन अकादमियों में नये आयाम के रूप में खेल जगत में आमूलचूल परिवर्तन करके हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ने का सौभाग्य हासिल करेंगे।

यहां फिजिकल यूनिवर्सिटी, झुंझुनूं की बात निकलकर आई। हमने तय किया, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कि राज्य सरकार के माध्यम से फिजिकल यूनिवर्सिटी झुंझुनूं में स्थापित करने का काम करेंगे और इसी सत्र में बिल लाने का जिस तरह से मानस सरकार ने बनाया है, इससे आने वाले समय में एक नया आयाम हमारे खेल जगत में उन साथियों के लिये स्थापित हो पायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बे समय से ऐसे खिलाड़ी थे जो अपंग थे, जिनमें खेलों में आगे आने की अभिरुचि तो थी परन्तु उनको स्थान नहीं मिल रहा था। इस बारे में हमने तय करने का काम किया, पैरा-खिलाड़ियों को आगे लाने का काम किया और पैरा-खिलाड़ियों के रूप में ओलम्पिक गेम्स में और अन्य स्थानों में उन्हें आगे बढ़ाने का काम जिस रूप में हुआ, निश्चित तौर से आने वाला वक्त उनके लिये सुनहरा होगा।

मैं ज्यादा अपनी बात नहीं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अंतरराष्ट्रीय, एशियाड और ओलम्पिक गेम्स में पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनके लिये नौकरियां देने की जिस तरह से मुख्य मंत्रीजी ने भावना अभिव्यक्त की और उसके साथ-साथ सिंचित क्षेत्र में जमीन आबंटित करने का जिस रूप में किया और इस बारे में जहां शहरी क्षेत्र में भू-खण्ड उन्हें किस तरह से आबंटित हो सकें, उसमें आमूलचूल परिवर्तन का काम जिस रूप में किया, इससे निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों के लिये नये आयाम स्थापित हो पाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, इस बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विभिन्न खेलों में आगे बढ़ाते हुए हमारे खिलाड़ियों के लिये अनुदान राशि को 10 गुना करके खिलाड़ियों के लिये नई ताकत भरने का काम किया। उसके लिये मैं हृदय से आभारी हूं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, प्रति वर्ष प्रदेश स्तर पर यूथ फेस्टिवल करने का निर्णय सरकार ने जिस रूप में लिया, हर वर्ष यूथ फेस्टिवल करने का काम राजस्थान की धरती पर हम करने की सौगात हासिल करेंगे, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

स्टेडियम के रूप में, जिस तरह से आने वाले टाइम में विभिन्न स्टेडियम्स को पैसा देकर के उनके संधारण करने का काम हो; दूसरा, इन स्थितियों में हमारे उप-खण्ड स्तर पर मैचिंग ग्राण्ट के तहत स्टेडियम निर्माण करने का काम आने वाले टाइम में हाथ में लेने का काम जिस तरह से किया है, उनमें आमूलचूल परिवर्तन होकर हमारे खिलाड़ियों के लिये नये उत्साहवर्द्धन रूप में काम होगा।

मैं ज्यादा अपनी बात को नहीं करते हुए पुनः, उपाध्यक्ष महोदय, खिलाड़ियों के उत्साहवर्द्धन रूप में कई घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस भावना से की हैं, आने वाले समय में हमको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और हमारे खिलाड़ी आगे बढ़कर के आगे बढ़ने का सौभाग्य हासिल करेंगे। धन्यवाद।

मांग का पारण

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 145,32,45,51,000/- (एक सौ पैंतालीस अरब बत्तीस करोड़ पैंतालीस लाख, इक्यावन हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2013 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20 बजकर 46 मिनट पर शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2013 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

नादौती एवं टोडाभीम में पेयजल आपूर्ति

255. श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नादौती एवं टोडाभीम तहसीलों में वर्तमान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अन्तर्गत कितने नलकूप क्रियाशील हैं? उक्त नलकूपों में किस-किस नलकूप पर गत एक वर्ष के दौरान कितनी-कितनी राशि का बिजली का बिल आया?

(2) क्या यह सही है कि बिजली के बिल को ध्यान में रखकर पेयजल की आपूर्ति उक्त क्रियाशील नलकूपों से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई गई है? यदि हां, तो इस हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार टोडाभीम, गुढाचन्द्र जी एवं नादौती कस्बों को प्रतिदिन कितना पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य था तथा जून, 2012 तथा जुलाई, 2012 में कितना-कितना पेयजल उपलब्ध करवाया गया?

(3) पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कितना पेयजल उपलब्ध करवाने के मानदण्ड हैं तथा पशुधन हेतु पेयजल उपलब्ध करवाने के बारे में किस प्रकार के प्रावधान किये हुए हैं?

उत्तर

(1) तहसील टोडाभीम एवं तहसील नादौती की विभिन्न ग्रामीण जल योजनाओं में क्रमशः 82 नलकूप एवं 39 नलकूप तथा तहसील टोडाभीम की एक शहरी जल योजना, टोडाभीम में 17 नलकूप वर्तमान में क्रियाशील हैं। इन नलकूपों पर गत वर्ष 2012 के दौरान विद्युत उपभोग बिल की राशि का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-अ व ब पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। अपितु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित प्रति व्यक्ति जलापूर्ति सेवा स्तर मानकों एवं क्षेत्र में भू-जल की उपलब्धतानुसार पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। शहरी जल योजना, टोडाभीम हेतु 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा गुढाचन्द्र जी व नादौती ग्रामीण जल योजनाओं हेतु 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति के मानदण्ड निर्धारित हैं। उक्त जल योजनाओं पर माह जून, 2012 एवं जुलाई, 2012 में उपलब्ध कराये गये पेयजल की मात्रा सम्बन्धी विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब में निहित है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(3) विभागीय नीति अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की मानक मात्रा 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सामान्य क्षेत्र हेतु एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों हेतु 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जिसमें व्यक्तियों के लिये 40 लीटर प्रतिदिन एवं पशुओं के लिये 30 लीटर प्रतिदिन की जल मांग सम्मिलित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस-वे से प्रदेश का लाभान्वित क्षेत्र

256. श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रस्तावित जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस वे के सड़क मार्ग की क्या कार्य-योजना है? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रस्तावित जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस वे के रूट मैप बाबत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा राज्य सरकार के मध्य हुए पत्र व्यवहार का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस वे के साथ प्रदेश में किस-किस राजस्व ग्राम में नई टाउनशिप कितने-कितने हैक्टेयर पर विकसित किया जाना प्रस्तावित है?

(4) प्रस्तावित जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस वे का राज्य को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल हाइवे डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट फेज-6 के अन्तर्गत जयपुर-दिल्ली के मध्य नये अलाइनमेन्ट पर एक्सप्रेस वे विकसित किया जाना प्रस्तावित है, एक्सप्रेस वे की जयपुर दिल्ली के मध्य प्रस्तावित लम्बाई लगभग 224 कि.मी. है एवं इससे परिचालन समय में 2 घण्टे की बचत होगी। इस परियोजना की अभी स्वीकृति होना शेष है। अत: कार्य योजना इस स्वीकृति के पश्चात् ही बनाई जायेगी।

(2) उक्त प्रस्तावित जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस वे के रूट मैप बाबत्

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा राज्य सरकार के मध्य हुए पत्र व्यवहार का विवरण परिशिष्ट-1 (पेज संख्या 1 से 24) पर प्रस्तुत है।

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त पत्र के अनुसार बहरोड़ (जिला अलवर), कोटपूतली, शाहपुरा एवं चौमूं (जिला जयपुर) में टाउनशिप विकसित की जायेगी, जिसका कुल रकबा 14314 हैक्टेयर है। जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(4) यह परियोजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जानी है। राज्य सरकार द्वारा अब तक परियोजना के मार्ग एवं प्रस्तावित टाउनशिप हेतु सहमति प्रदान की गई है। पत्र की प्रति परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

बांगड़ चिकित्सालय, पाली में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पद

257. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली शहर स्थित बांगड़ चिकित्सालय में कुल कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं? विभागवार एवं श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौन से पद कितने-कितने समय से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कौन-कौन से विभाग में कितने-कितने समय से एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी अवधि में?

उत्तर

(1) राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली में चिकित्सकों के कुल 53 पद स्वीकृत हैं। विभागवार एवं श्रेणीवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजकीय बांगड चिकित्सालय पाली में चिकित्सकों के रिक्त पदों का रिक्ती दिनांक सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली के रेडियोलोजी, ईएनटी,

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

मनोरोग एवं दन्त रोग विभाग में एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक पदस्थापित नहीं है। परन्तु रेडियोलोजी विभाग में डा. ए.के. मौर्य चिकित्सा अधिकारी (स्किल अपग्रेडेशन प्रशिक्षण) एवं दन्त रोग विभाग में डा. आनन्द सिंह राठौड़ चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के द्वारा कार्य सम्पादित किया जा रहा है। उक्त विभागों में विशेषज्ञों के रिक्त पदों की रिक्ति दिनांक का विववरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त चिकित्सालय में नेत्ररोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत नहीं है। परन्तु मोबाईल इकाई नेत्र के विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा कार्य सम्पादित किया जाता है। वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) का पद वर्तमान में रिक्त है परन्तु कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) के पद पर डा. विजय गुप्ता ने दिनांक 17.1.2013 को कार्यग्रहण कर लिया जो दिनांक 18.1.2013 से अवकाश पर चल रहे हैं।

(4) वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पदोन्नति के पद हैं। पदोन्नति की बैठक आयोजित की जा चुकी है एवं पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चिकित्सा अधिकरी के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से लिखित परीक्षा उपरान्त उत्तीर्ण अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है जिसकी वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाकर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त सूची में से यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार रिक्त पदों को भरने के प्रयास किये जायेगे।

परिशिष्ट-अ

राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ती दिनांक सहित विभागवार एवं श्रेणीवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है :-

विभाग	**पदनाम**	**स्वीकृत पदों की संख्या**	**रिक्त पदों की संख्या**	**रिक्त दिनांक**	**विशेष विवरण**
मेडिसिन	वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1	1.8.2012	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	3	-	-	

विभाग	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त दिनांक	विशेष विवरण
सर्जरी	वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	-	-	1 पद पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पदविरुद्ध कार्यरत
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	4	-	-	
स्त्री रोग	वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1	-	1.5.2010	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1	-	-	
शिशुरोग	वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग)	1	-	-	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग)	1	-	-	
अस्थिरोग	वरिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थिरोग)	1	-	-	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थिरोग)	1	-	-	
एनेस्थीशिया	वरिष्ठ विशेषज्ञ (एनेस्थीशिया)	1	1	1.12.2011	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (एनेस्थीशिया)	2	-	-	
रेडियोलोजी	वरिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)	1	1	19.11.2012	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)	1	1	3/2007	
ईएनटी	वरिष्ठ विशेषज्ञ (ईएनटी)	1	1	1.7.2008	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (ईएनटी)	1	1	2/2010	
पैथोलोजी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी)	1	-	-	

विभाग	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त दिनांक	विशेष विवरण
चर्म एवं रतिरोग	कनिष्ठ विशेषज्ञ (चर्म एवं रतिरोग)	1	-	-	
मनोरोग	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मनोरोग)	1	1	28.9.2012	
दन्तरोग	कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्तरोग)	1	1	1.10.2010	
	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	-		
	उप नियंत्रक	1	1	1.2.2011	
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	-		
	चिकित्सा अधिकारी	24	13	1.4.2007 1.7.2008 1.11.2008 31.8.2012 1.8.2009 1.4.2009 (4) 31.5.2011 31.5.2012 1.9.2011 14.3.2011	
	कुल योग	**53**	**23**		

भरतपुर जिले में कृषि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्ताव

258. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या तकनीकी शिक्षा (कृषि) राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक

(डा. दिगम्बर सिंह)

विभिन्न जिलों से सरकारी व गैर सरकारी कृषि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय खोलने हेतु सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भरतपुर से प्राप्त सरकारी व गैर सरकारी उक्त संस्थानों के सम्बन्ध में सरकार के स्तर पर कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सरकारी व गैर सरकारी कृषि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न है।

(2) माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2013-14 के बजट भाषण में सरकारी क्षेत्र में भरतपुर में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गयी है।

भरतपुर क्षेत्र से गैर सरकारी क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु वर्ष 2011-12 में केवल एक आवेदन महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय ग्राम रहिमपुर तह. रूपवास, भरतपुर के लिए प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन का दिशा-निर्देश शैक्षिक सत्र 2011-12 के अनुसार परीक्षण करने पर पाई गई कमियों के निराकरण हेतु कृषि विभाग द्वारा पत्र क्रमांक प.3(113)/नि.कृ./लेखा/4181 दिनांक 13.01.2011 क्रमांक 4494 दिनांक 21.02.2011 एवं क्रमांक 637 दिनांक 10.05.2011 द्वारा सम्बन्धित संस्था को सूचित किया गया, प्रकरण संस्था के स्तर पर लम्बित है।

(3) जी हां। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सरकारी क्षेत्र में वर्ष 2012-13 में की गई घोषणा की पालना में सुमेरपुर (पाली) एवं मंडोर (जोधपुर) में कृषि महाविद्यालय प्रारम्भ हो गये हैं तथा वर्ष 2013-14 में बजट भाषण में जोबनेर-जयपुर, कोटा तथा जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय खोलने एवं भरतपुर तथा भीलवाड़ा में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गयी है।

गैर सरकारी क्षेत्र में वर्ष 2011-12 में 11 एवं वर्ष 2012-13 में दो कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।

परिशिष्ट-ए

सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में नवीन कृषि विश्वविद्यालय या कृषि महाविद्यालय हेतु प्राप्त प्रस्ताव/आवेदन पत्रों का विवरण

जिले का नाम	वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय/कृषि महाविद्यालय खोलने के प्राप्त प्रस्तावों का विवरण	
	सरकारी	गैर सरकारी
श्रीगंगानगर	03	10
हनुमानगढ़	01	14
चूरू		03
जयपुर	04	04
सीकर	03	03
झुन्झुनूं		02
टोंक		01
चित्तौड़गढ़		01
धौलपुर		01
बूंदी	02	01
दौसा		02
भरतपुर	02	01
जोधपुर	07	01
पाली	01	01
अलवर	02	02
कोटा	02	01
भीलवाड़ा	02	
बांसवाड़ा	01	
नागौर	02	
बीकानेर	01	
जालौर	01	
करौली	01	
अजमेर	02	

प्राकृतिक आपदा से कार्य स्थल पर सैनिक की मृत्यु पर शहीद का दर्जा एवं देय सहायता

259. श्री पेमाराम (धोद) : क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि 16 अगस्त, 2010 को लेह-लद्दाख में 8 राजपूताना राइफल्स में तैनात सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के ग्राम अलखपुरा बोगन के लांसनायक श्रीराम गिठाला शहीद हो गये थे? यदि हां, तो क्या उन्हें शहीद का दर्जा दे दिया गया है?

(2) क्या यह सही है कि शहीद की पत्नी ने 25 बीघा भूमि आबंटन हेतु आवेदन किया था? यदि हां, तो कब व क्या भूमि का आबंटन हो गया है तथा नहीं, तो क्यों एवं इसके क्या कारण हैं?

(3) क्या भारतीय सेना के वर्ष 2003 में जारी आदेश में प्राकृतिक आपदा से सैनिक की मृत्यु पर भी उसे शहीद माना गया है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आर्मी द्वारा इनको शहीद की श्रेणी में माना गया है।

(2) जी हां। शहीद की पत्नी ने अक्टूबर, 2010 में 25 बीघा भूमि आबंटन हेतु जिला कलक्टर, सीकर के कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया परन्तु सीमा क्षेत्र में किसी आकस्मात दुर्घटना अथवा बीमारी से हुई म़त्यु एवं शहीद की स्थिति स्पष्ट करने में समय लगा है। अब दिनांक 11.3.2013 को आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर को उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

(3) भारतीय सेना की Appendix "A" to AO 01/2003/M के अनुसार प्राकृतिक आपदा से सैनिक की म़त्यु पर भी उसे शहीद माना है। (प्रति संलग्न है)

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

गोविन्दगढ़ (जयपुर) में मेट्रो डेयरी स्थापना हेतु भूमि

260. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार के समक्ष विधान सभा क्षेत्र चौमूं के

(श्री भगवान सहाय सैनी)

ग्राम गोविन्दगढ़ में मेट्रो डेयरी स्थापित करने की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है व इसमें कितनी राशि निवेश की जायेगी?

(2) क्या यह सही है कि मेट्रो डेयरी स्थापित होने पर स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे? यदि हां, तो किस-किस पद पर कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम गोविन्दगढ़ में बस डिपो, महिला कालेज व अन्य सार्वजनिक संस्थानों के लिए अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना अन्य ग्राम पंचायत में स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त योजनान्तर्गत 15 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का डेयरी प्लाण्ट एवं 30 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का दुग्ध पाउडर प्लाण्ट लगाये जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त इस प्लाण्ट में अन्य दुग्ध उत्पाद जैसे घी, मक्खन, पनीर, छाछ, लस्सी, दही, आईसक्रीम इत्यादि का उत्पादन करने की भी योजना है।

उक्त मेट्रो डेयरी योजना पर 250 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है।

(2) जी हां। मेट्रो डेयरी योजना के पूर्ण होने पर विभिन्न तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों पर आवश्यकतानुसार योग्यताधारी कार्मिकों की आवश्यकता होगी, जिनमें स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है।

(3) जी नहीं। जिला कलक्टर जयपुर से ली गई लिखित जानकारी के अनुसार भूमि उपलब्ध है।

(प्रति प्रदर्श "क" पर संलग्न है)

जी नहीं। मेट्रो डेयरी के लिए उपयुक्त स्थान है जहां आवागमन की भी सुचारु व्यवस्था है।

प्रदर्श-क

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

क्रमांक आर 4 (28) विसप्र/13/2078 दिनांक 8-3-13

प्रभारी विधान सभा प्रकोष्ठ एवं,
महाप्रबन्धक (एम एण्ड पी)
राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन,
सरस संकुल जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।

विषय :- विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 4121/डेयरी द्वारा श्री भगवान सहारा सैनी मा. सदस्य राजस्थान विधान सभा।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ.11(वि.स.)RCDF/M&P(35-167)/2012/47143 दिनांक 20-02-2013

संदर्भ :- शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग के पत्र क्रमांक प/1(59) राज-3/13 दिनांक 7-3-13

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के अन्तर्गत संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार प्राप्त विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 4121/डेयरी द्वारा श्री भगवान सहाय सैनी मा. सदस्य राजस्थान विधान सभा के प्रश्न के बिन्दु संख्या 3 का जवाब निम्नानुसार प्रेषित है :-

बिन्दु सं.	**प्रश्न**	**उत्तर**
3	क्या यह सही है कि ग्राम गोविन्दगढ़ में बस डिपो, महिला कालेज व अन्य सार्वजनिक संस्थनों के लिए अन्य को उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। यदि हां तो क्या सरकार उक्त योजना अन्य ग्राम पंचायत में स्थापित करने का विचार रखती है। यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?	यह सही नहीं है कि ग्राम गोविन्दगढ़ में बस डिपो, महिला कालेज व अन्य सार्वजनिक संस्थानों के लिए अन्य को उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध है। शेष प्रश्न का जवाब राज्य सरकार से सम्बन्धित है।

जिला कलक्टर
जयपुर

बस्सी में धर्मशाला/छात्रावास हेतु भूमि आबंटन के लम्बित प्रकरण

261. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में तहसील कार्यालय में अतिरिक्त जिला कलक्टर के स्तर पर वर्ष 2008 से जनवरी, 2013 तक धर्मशाला एवं छात्रावासों हेतु भूमि आबंटन के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने आबंटन कर दिये गये एवं कितने किस स्तर पर लम्बित हैं एवं कितने निरस्त किये गये? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकार से आबंटित की गई भूमि के आबंटियों में से कितनों को अभी तक कब्जा नहीं मिला? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में तहसील कार्यालय में अतिरिक्त जिला कलक्टर के स्तर पर वर्ष 2008 से जनवरी 2013 तक धर्मशाला हेतु भूमि आबंटन का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अवधि में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत जनजाति छात्राओं हेतु नवीन आश्रम छात्रावास निर्माण के लिए ग्राम बडवा, लालगढ़, गुडामीणा, अणतपुरा, हरडी, पाटन, खिजूरिया तिवाड़ियान, रूपपुरा, कानेटी एवं मूण्डली में भूमि आबंटन की मांग करने पर जिला कलक्टर कार्यालय से भूमि आबंटन की जा चुकी है।

उपरोक्त छात्रावासों को की गई भूमि आबंटन के अतिरिक्त ग्राम पंचायत बडवा द्वारा समाज कल्याण विभाग के छात्रावास हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षण की मांग की गई है। उक्त छात्रावास राज्य सरकार से स्वीकृत नहीं है। प्राप्त प्रस्ताव कमी-पूर्ति के कारण कार्यवाही जैरकार है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राज. जयपुर द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत जनजाति छात्राओं हेतु नवीन आश्रम छात्रावास निर्माण के लिए भूमि आबंटन का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। सभी प्रकरणों में आबंटन हो चुका है।

(राजस्व मंत्री)

(3) उक्त प्रकार से 10 ग्रामों में जनजाति छात्राओं हेतु नवीन आश्रम छात्रावास निर्माण के लिए आबंटित की गई भूमि का कब्जा ग्राम रूपपुरा व मूण्डली को छोड़कर सभी ग्रामों में विभागीय प्रतिनिधि को कब्जा सम्भला दिया गया है। परन्तु ग्राम रूपपुरा व मूण्डली में विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने के कारण कब्जा सम्भलाने की कार्यवाही जैरकार है।

अनुसूचित जनजाति के कृषकों को कृषि कनेक्शन हेतु देय अनुदान

262. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि अनुसूचित जनजाति के कृषकों को कृषि कनेक्शन हेतु सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के कितने कृषकों के आवेदन अनुदान हेतु प्राप्त हुए व सरकार द्वारा कितने कृषकों को अनुदान दिया गया? लाभान्वित कृषकों की जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

हां। यह सही है कि जनजाति क्षेत्र में जनजाति कृषकों को कुओं के ऊर्जीकरण हेतु लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रुपये 10,000 जो भी कम हो सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है । गत 5 वर्षो में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के कुओं के ऊर्जीकरण के लिये प्राप्त आवेदन तथा लाभान्वित कृषकों की संख्या विवरण निम्नानुसार है :-

जिला	5 वर्षों में प्राप्त आवेदन	गत 5 वर्षों मे लाभान्वित कृषकों की संख्या
बांसवाड़ा	831	831
डूंगरपुर	1977	1977
प्रतापगढ़	1817	1817
उदयपुर	2979	1659
आबूरोड	1085	480
योग	**8689**	**6764**

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

लाभान्वित कृषकों की जिलेवार सूचना परिशिष्ट अ अनुसार संलग्न है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय गौरी देवी महिला महाविद्यालय, अलवर में स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय की स्वीकृति

263. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के कितने जिला मुख्यालयों पर कौन-कौन से स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित हैं? क्या यह सही है कि राज्य के आधे से ज्यादा जिला मुख्यालयों पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय नहीं हैं?

(2) क्या यह सही है कि अलवर जिले के गौरी देवी महिला महाविद्यालय में वाणिज्य स्नात्तकोत्तर के अध्ययन की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अलवर जिले के राजकीय गौरी देवी महिला महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय के स्नात्तकोत्तर स्तर के अध्ययन की व्यवस्था कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर संचालित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। अलवर जिले के गौरी देवी महिला महाविद्यालय में वाणिज्य स्नातकोत्तर में अध्ययन की व्यवस्था नहीं है किन्तु राजऋषि राजकीय महाविद्यालय, अलवर में जहॉ सहशिक्षा की व्यवस्था है,वहां पर छात्रायें वाणिज्य स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन कर रहीं है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर में वाणिज्य संकाय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट-अ

जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों संचालित की सूची

क्र.सं.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम
1.	राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
2.	राजकीय महाविद्यालय, अलवर (आर.आर.)
	राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर
	राजकीय कन्या महाविद्यालय, अलवर
3.	राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा
4.	राजकीय महाविद्यालय, बारां
	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बारां
5.	राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर
6.	राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर (एम.एस.जे.)
	राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर
7.	राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा (एम.एल.वी.)
	राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा
8.	राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर
	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर
9.	राजकीय महाविद्यालय, बूंदी
10.	राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़
11.	राजकीय महाविद्यालय, चूरू
12.	राजकीय महाविद्यालय, दौसा
13.	राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर
14.	राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर
15.	राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर
16.	राजकीय महाविद्यालय, हनुमानगढ़
17.	राजकीय महाविद्यालय, जालौर
18.	राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़
	राजकीय कन्या महाविद्यालय, झालावाड़

क्र.सं.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम
19.	राजकीय महाविद्यालय, कोटा
	राजकीय महाविद्यालय, कोटा (वाणिज्य)
	राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा
20.	राजकीय महाविद्यालय, नागौर
21.	राजकीय महाविद्यालय, पाली
22.	राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़
23.	राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर
24.	राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
	राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
25.	राजकीय महाविद्यालय, सीकर
26.	राजकीय महाविद्यालय, सिरोही
27.	राजकीय महाविद्यालय, टोंक
28.	राजकीय महाविद्यालय, राजसमंद
29.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, उदयपुर
30.	राजकीय महाविद्यालय, करौली
31.	राजकीय महाविद्यालय, झुंझुनूं

बाड़मेर जिले की उम्मेदसागर परियोजना से लाभान्वित क्षेत्र/ग्राम

264. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाड़मेर जिले की उम्मेदसागर परियोजना से विधान सभा क्षेत्र बायतू एवं पचपदरा के कितने ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना से समदडी, बडनावा जागीर वृहद पेयजल होदी तक पानी की सप्लाई प्रारम्भ हो चुकी है? यदि हां, तो क्या सरकार विद्यमान पेयजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त परियोजना से डोली, कल्याणपुर, पचपदरा, सिमरखीया एवं बडनावाजागीर में हैडींग पोइंट स्वीकृत कर टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराने एवं बडनावा जागीर होदी से आसपास के क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले की उम्मेदसागर-धवा-समदड़ी-खण्डप क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना में विधान सभा क्षेत्र बायतू एवं पचपदरा के क्रमश: 39 ग्राम एवं 85 ग्राम सम्मिलित हैं। उक्त परियोजना अन्तर्गत स्वीकृत आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के पैकेज संख्या 3 के तहत उम्मेदसागर से समदड़ी वाया कोरना, नागाना, बरनावा जागीर, कलावतसर तक विभिन्न व्यास की पाइप लाइन बिछाई जाकर कोरना, बरनावा, कलावतसर, नागाना व समदड़ी में निर्मित 5 मास्टर बैलेन्सिंग रिजरवायर तक पानी पहुंचाया जाकर टेस्टिंग कर ली गई है। उक्त परियोजना के आधारभूत संरचना के कार्यों के तहत समदड़ी निर्मित जलाशय से कस्बा समदड़ी को तथा विधान सभा क्षेत्र, सिवाना एवं पचपदरा के मुख्य पाइप लाइन के रास्ते के गांवों क्रमश: समदड़ी स्टेशन, मौखण्डी, घडोई चारणान, घडोई सोढा, धर्मसर, बागलोप, राठौड़ों की ढाणी, देमों की ढाणी, कल्याणपुर, पिण्डारण, सुरपुरा, बागडों की ढाणी तथा सांखलों की ढाणी को पाइप लाइन बिछाकर वर्तमान संचालित विभागीय योजना से जोड़कर आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार। उक्त परियोजना से उपरोक्तानुसार रास्ते के उक्त वर्णित ग्रामों को विद्यमान विभागीय पेयजल योजनाओं से जोड़ा जाकर आंशिक पेयजल आपूर्ति की जा रही है। परियोजना के द्वितीय चरण के तहत मुख्य जलाशयों से विधान सभा क्षेत्र बायतू एवं पचपदरा के क्रमश: 39 एवं 85 ग्राम तथा विधान सभा क्षेत्र सिवाना के 56 ग्रामों सहित कुल 180 ग्रामों को पूर्ण रूपेण लाभान्वित करने हेतु राशि रुपये 175.35 करोड़ (पैकेज संख्या 4) का कार्यादेश दिनांक 23 अगस्त, 2012 को जारी कर दिया गया है। पैकेज संख्या 3 के तहत आधारभूत संरचनाओं के पूर्ण कराये गये कार्यों के अन्तर्गत निर्मित जलाशयों से ग्रामों को पूर्ण रूप से कार्यादेश तिथि से आगामी 36 माह में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

पैकेज संख्या 3 के अन्तर्गत आधारभूत संरचनाओं के कार्य पूर्ण कराये गये हैं एवं परियोजना में सम्मिलित उक्त ग्रामों को वितरण पाइप लाइन प्रणाली से पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य उपरोक्तानुसार पैकेज संख्या 4 के अन्तर्गत कराया जा रहा है। अत: वर्णित क्षेत्र के ग्रामों को विद्यमान विभागीय पेयजल योजनाओं से वर्तमान में जोड़ा जाना तार्किक नहीं है।

(3) जी नहीं। उपरोक्तानुसार। उक्त परियोजना की स्वीकृति में हाईड्रेन्ट बिन्दु उपलब्ध करवाने का प्रावधान सम्मिलित नहीं है।

बहरोड़ में स्टेट हाइवे निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

265. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्टेट हाइवे निर्माण हेतु हाइवे के दोनों तरफ की जमीन अवाप्त की जाती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ जिला अलवर में स्टेट हाइवे निर्माण हेतु जमीन अवाप्त की गई है? यदि हां, तो किस-किस किसान की कितनी-कितनी जमीन अवाप्त की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिन लोगों की जमीन अवाप्त की गई, उन्हें मुआवजा दे दिया गया? यदि हां, तो किस-किस को व कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में स्टेट हाइवे हेतु अवाप्त जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया? यदि हां, तो किन-किन को व अब सरकार उन्हें कब तक मुआवजा देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्टेट हाइवे निर्माण के समय निर्धारित मानदण्डों के अनुसार मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर खातेदारी की भूमि अवाप्त की जाती है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही राजस्व भू-अवाप्ति अधिनियम 1953 के अनुसार की जाती है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में से गुजर रही एस.एच.-14 अलवर-बहरोड़-नारनोल सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गयी थी। भूमि अवाप्ति का विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(3) जी हां। अवाप्त भूमि के मुआवजे का विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है।

(4) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में स्टेट हाइवे हेतु अवाप्त जमीन का राजस्थान बोर्डर से ग्राम भगवाड़ी कलां तक (2 कि.मी. लम्बाई में)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

अवाप्त जमीन का मुआवजा काश्तकारों द्वारा विभिन्न कारणों से मुआवजा राशि का वितरण नहीं हो पाया है। निराकरण पश्चात् भुगतान कर दिया जायेगा। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा में चिकित्सकों के रिक्त पद

266. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा में स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं, एवं उनमें से कुल कितने पद किस-किस श्रेणी के कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर चिकित्सक नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

(3) महात्मा गांधी चिकित्सालय में सभी तरह के रोगों की जांचों के लिए कौन-कौनसी मशीनें उपलब्ध हैं एवं इनमें से कितनी खराब पड़ी हैं एवं कौन-कौन सी संचालन में हैं? उक्त खराब मशीनें कब तक ठीक करा दी जायेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा में विभिन्न श्रेणी के चिकित्सकों के कुल 88 पद स्वीकृत हैं जिनमें से वर्तमान में 49 पद रिक्त हैं। चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ती दिनांक सहित श्रेणीवार/पदवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पदों को भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है, पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से लिखित परीक्षा उपरान्त उत्तीर्ण अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है जिसकी वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाकर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त सूची में से यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार रिक्त पदों को भरने के प्रयास किये जायेगें।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा में विभिन्न रोगों की जांच हेतु उपलब्ध जांच मशीनों के संचालन की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पम्प सेटों हेतु पंजीकृत फर्में

267. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पम्प सैट न्यूनतम राशि पर देने की कोई योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो कब एवं क्या?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले पम्प सैटों का क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया था? निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कितनी फर्मों का रजिस्ट्रेशन किया गया था?

(3) क्या पम्प सैट लेने वाले कृषकों को रजिस्टर्ड कम्पनियों के बारे में उनकी गुणवत्ता एवं अन्य जानकारी पूर्व में दी गई थी? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2011-12 व 2012-13 की सौर पम्प परियोजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित पम्प संयंत्र राज्य के कृषकों को प्रतिस्पर्धात्मक न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर निर्माता फर्म्स के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। इस क्रम में प्राप्त प्रस्तावों की न्यूनतम दर को ही आधार दर मानते हुए कार्यदायी निर्माता फर्म्स की सूचीबद्धता जारी की गई है।

(2) कृषक जोत के आधार पर 2200 व 3000 वाट पीक की क्षमता के सौर पम्प संयंत्र के मानदण्ड निर्धारित किये गये थे। निर्धारित मानदण्डों के अनुसार वर्ष 2012-13 के दौरान 12 फर्म्स की सूचीबद्धता जारी की गई थी।

(3) जी हां। सौर पम्प सेट लेने वाले कृषकों को सौर पम्प संयंत्र के सम्बन्ध में जानकारी दिशा-निर्देश दिनांक 27.06.2012 तथा फर्म्स की जानकारी सूचीबद्धता आदेश दिनांक 07.12.2012 के माध्यम से दी गई। परिपत्रों की प्रति परिशिष्ट-1 पर स्थित है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र जैसलमेर में बने भवनों की मरम्मत

268. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना अन्तर्गत कालोनियों में आवासीय व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बने हुए भवनों की स्थिति रहने लायक नहीं है? क्या सरकार उक्त मकानों का सर्वे करवा कर उनकी मरम्मत कराने अथवा नीलाम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जैसलमेर जिला क्षेत्र में मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के कार्यक्षेत्र के अधीन चारण वाला शाखा की बुर्जी 101 से आगे, नाचना वितरिका प्रणाली एवं नाचना स्थित कालोनी में आवासीय एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भवन बने हुए हैं, जिनमें कर्मचारी निवास कर रहे हैं तथा कार्यालय भवनों में कार्यालय चल रहे हैं। विभाग द्वारा उक्त भवनों का समय-समय पर सर्वे करवाकर मरम्मत इत्यादि का कार्य उपलब्ध बजट के अनुसार करवाया जाता रहा है। इन भवनों की नीलामी हेतु प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

जैसलमेर जिला क्षेत्र में मुख्य अभियन्ता, जैसलमेर के कार्यक्षेत्र के अधीन परियोजना के निर्माण काल के समय से विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु जैसलमेर, मोहनगढ़, रामगढ़, आसूतार, बाबारामदेव उपशाखा पर निर्मित आवासीय कालोनियों में 1537 आवासगृहों में 1223 विभाग के कर्मचारी/अधिकारी निवासरत हैं। शेष आवास परियोजना की गतिविधि सीमित/पूर्ण होने से अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की कटौती/स्थानान्तरण/सेवानिवृत व आवास क्षतिग्रस्त होने के कारण रिक्त है।

परियोजना के द्वितीय चरण की अनुपयोगी भूमि एवं भवन (आवासीय, गैर आवासीय, अस्थाई स्टोर एवं बैरेक्स) को नीलाम/निस्तारण करने हेतु इन्दिरा गांधी नहर मण्डल की दिनांक 26.07.2010 को आयोजित 187वीं बैठक में निर्णय लिया गया था। नीलामी/निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

आसीन्द में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं

269. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा कहां-कहां पर कौन-कौन से कार्य व योजना संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में ग्रामोद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (PMEGP) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (नोडल एजेन्सी) के माध्यम से वर्ष 2008-09 से लागू कर रखी है। उक्त योजना के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक विशेष अनुदान का प्रावधान है। उक्त योजना का क्रियान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग, आयुक्त, उद्योग विभाग तथा राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी आयोग सम्पूर्ण राजस्थान में केवल ग्रामीण क्षेत्र में तथा आयुक्त, उद्योग विभाग ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में उक्त योजनान्तर्गत उद्यम स्थापित कराने हेतु योजनानुसार अधिकृत है, जो कि विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में भी संचालित है। खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी योजना का ब्रोशर परिशिष्ट 1 संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में रूपाहेली खादी उत्पादक सह. स. लि., रूपाहेली, क्षेत्रीय रचनात्मक खादी ग्रामोद्योग समिति, गुलाबपुरा एवं ईरास खादी ग्रामोद्योग उत्पादक सह. स. लि., ईरास, रायला खादी ग्रामोद्योग से लाभान्वित है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजना मद अन्तर्गत लघु खादी परियोजना में खादी विकास फण्ड, खादी वर्कशैड निर्माण योजनायें संचालित की जा रही हैं। योजनानुसार आवेदन प्राप्त होने पर लाभान्वित कराया जा सकेगा।

(ब्रोशर पुस्तकालय में रखा गया)

सादुलपुर के सिद्धमुख नहर परियोजना से लाभान्वित ग्राम

270. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती कमसा कस्वां)

(1) क्या यह सही है कि सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र के 14 गांव सिद्धमुख नहर परियोजना से जुडे हुए हैं? क्या वर्तमान में उक्त गावों में नहर का पानी पहुंच रहा है? यदि हां, तो कितने दिन व कितने समय तक? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि नोहर में रेगूलेशन की मीटिंग में नहर के पानी के वितरण की सारणी तैयार की जाती है और उसी के अनुरूप पानी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होता है? यदि हां, तो क्या गत चार वर्षों से इसकी पालना हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें!

(3) क्या यह भी सही है कि वितरिका में सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र के गांवों को मिलने वाला पानी पीछे के गांवों द्वारा चोरी कर लिया जाता है जिससे अंतिम छोर के किसानों को अपने हिस्सा का सम्पूर्ण पानी नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में इन गांवों में नहर का पानी पहुंच रहा है। सिद्धमुख सिस्टम में अभी 564 क्यूसेक के विरुद्ध औसतन 280 क्यूसेक पानी राजस्थान को प्राप्त हो रहा है। पानी कम प्राप्त होने से सम्बन्धित प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। सिद्धमुख वितरिका से एक माह में 8 दिन के रेगूलेशन अनुसार पानी प्रवाहित किया जाता है, जिसमें खाले नहीं बनने के कारण गांवों की सहमति के आधार पर सिद्धमुख वितरिका को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम दो दिन में 18.300 कि.मी. से टेल तक, फिर दो दिन 9.300 कि.मी. से 18.300 कि.मी., फिर दो दिन 4.500 कि.मी. से 9.300 कि.मी. तक तथा फिर दो दिन 0.00 से 4.500 कि.मी. तक पानी प्रवाहित किया जाता है।

(2) जी हां। अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर की अध्यक्षता में प्रत्येक माह रेगूलेशन की बैठक में नहरों का वरियता क्रम निर्धारित किया जाकर नहर के पानी के वितरण की सारणी तैयार कर उसी अनुसार गत चार वर्षो में नहरों में पानी उपलब्ध करवाया जाता है।

(3) कुछ स्थानों पर अनाधिकृत रूप से पानी की चोरी की जा रही है। पानी चोरी रोकने के लिए निरन्तर गस्त की जाती है तथा समय-समय पर

(जल संसाधन मंत्री)

आर.ए.सी. एवं स्थानीय पुलिस की मदद ली जाती है एवं पानी चोरी करने वालों के खिलाफ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाती है। विभाग द्वारा वर्ष 2006 से 2013 तक कुल 97 एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी हैं तथा 110 प्रकरणों में विभाग द्वारा शास्ती व तवान आरोपित करने की कार्यवाही की तथा अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने के पूर्ण प्रयास किये गये हैं।

बामनवास में माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

271. श्री नवलकिशोर (बामनवास) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में माडा योजनान्तर्गत पिछले 4 वर्षों में किन-किन कार्यों के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

(2) उक्त कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई? तहसीलवार एवं ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त कार्यों में किन-किन कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं तथा शेष कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां कब तक जारी कर दी जावेंगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में माडा योजनान्तर्गत पिछले 4 वर्षों में 56 कार्यों के 314.57 लाख रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) उक्त निर्माण कार्यों में से 6 कार्यों की राशि 80.92 लाख की विभिन्न स्वीकृतियां जारी की गई।

एक कार्य राशि 15.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। (क्र.सं. 2 परिशिष्ट-ब) इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों की वित्तीय स्वीकृति भी जारी की गई है :-

क्र. सं.	स्वी.क्र.दि.	कार्य का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	तहसील	स्वीकृत राशि	कार्यकारी एजेन्सी
1	68/10-11/ 12.10.10	एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय बरनाला	बरनाला	बरनाला	बामनवास	1200 लाख	आरएस आरडीसी जयपुर

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्र. सं.	स्वी.क्र.दि.	कार्य का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	तहसील	स्वीकृत राशि	कार्यकारी एजेन्सी
2	74/10-11/ 22.11.10	नवीन बालिका आश्रम छात्रावास बौंली	बौंली	बौंली	बौंली	100.77	सा.नि.वि.
	योग					**1300.77**	

इस प्रकार कुल 8 निर्माण हेतु राशि 1381.69 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक एवं राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) सरकार द्वारा जिन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की उसका विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है। शेष कार्यों में से राशि की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय स्वीकृतियां प्रस्तावित की जावेंगी।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राजकीय कन्या महाविद्यालय, करौली का स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नयन

272. श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करौली जिला मुख्यालय पर वर्तमान में कोई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार बालिका शिक्षा को बढावा देने के उद्देश्य से जिले की छात्राओं के उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय को स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली में वर्तमान में केवल कला संकाय ही संचालित है, जिससे विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में रूचि रखने वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु अन्यत्र

(श्रीमती रोहिणी कुमारी)

स्थानों पर जाना पड़ता है? क्या सरकार राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली में ही विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय कन्या महाविद्यालय को स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी हां। राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली में केवल कला संकाय संचालित है लेकिन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, करौली में तीनों संकाय संचालित हैं, जिसमें विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में रूचि रखने वाली छात्रायें उच्च शिक्षा में अध्ययन कर रही हैं।

राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों के कारण राजकीय कन्या महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

बसेड़ी की स्वीकृत पेयजल योजनाएं

273. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में पेयजल की कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2012 तक कितनी राशि स्वीकृत हुई तथा कितनी-कितनी राशि के कार्य कहां-कहां करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी की तहसील बसेड़ी एवं बाड़ी में क्रमश: 190 एवं 30, कुल 220 आबाद राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं । इन 220 आबाद ग्रामों में से 5 ग्राम पाइप्ड जल योजना से, 12 ग्राम क्षेत्रीय जल योजना से, 15 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना (8 ग्राम जनता जल योजना पद्धति पर संधारित) से तथा 188 ग्राम हैण्डपम्प योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं। पेयजल योजनावार उक्त विधान सभा क्षेत्र के लाभान्वित ग्रामों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु एवं सामान्य बनाये रखने के लिये वर्णित अवधि में 268 हैण्डपम्प (स्वीकृत राशि रु. 215.07 लाख), 11 सिंगल फेस नलकूप मय पी.वी.सी. टैंक (स्वीकृत राशि रु. 31.90 लाख) तथा 10 संवर्धन/हैण्डपम्प से पम्प एवं टैंक परिवर्तित योजनाओं (स्वीकृत राशि रु. 385.45 लाख) की स्वीकृति आवश्यकतानुसार जारी की गई।

उक्त स्वीकृति के विरुद्ध 214 हैण्डपम्प एवं 11 सिंगल फेस नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष 54 हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य आगामी दो माह में पूर्ण करना लक्षित है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। हैण्डपम्प से पम्प एवं टैंक परिवर्तित 5 योजनाएं तथा एक संवर्धन योजना के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। हैण्डपम्प से पम्प एवं टैंक परिवर्तित 3 योजनाओं तथा एक संवर्धन योजना के प्रगतिरत कार्यों को संलग्न परिशिष्ट-स में उल्लेखित अवधि में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर की क्षतिग्रस्त सड़कें

274. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में गत चार वर्षों में कौन-कौनसी नई सड़क बनाई गई व कौन-कौनसी सड़कों की मरम्मत की गई तथा किन-किन राजकीय भवनों की मरम्मत की गई एवं इन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई व कार्य किन-किन एजेन्सियों द्वारा करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत चार वर्षों से पुरैनी व पथैना की सड़कें जर्जर अवस्था में हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या विधायक की अभिशंसा पर बनाई जाने वाली 16 किलोमीटर की मिसिंग लिंक सड़कों पर कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों का तथा कौन-कौनसी सड़कें वित्तीय वर्ष 2012-13 में पूर्ण की जायेंगी?

उत्तर

(1) धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

निर्मित एवं नवीनीकृत सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 तथा राजकीय भवनों की मरम्मत पर व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा संधारित पुरैनी-पथैना सड़क की लम्बाई 2.00 कि.मी. है, उक्त क्षतिग्रस्त सड़क पर इस वर्ष सांसद कोष से किया गया सी.सी. सड़क निर्माण कार्य संतोषजनक स्थिति में है। पथैना आबादी क्षेत्र की 400 मी. लम्बाई में स्टोन खरंजा ग्राम पंचायत द्वारा लगाया गया था तथा विधायक कोष से 3.50 लाख रुपये की स्वीकृत राशि से मरम्मत कार्य ग्राम पंचायत पुरैनी द्वारा शीघ्र ही करवाया जावेगा।

(3) जी नहीं। माननीय विधायक की अभिशंसा से स्वीकृत 9 मिसिंग लिंक में से 4 कार्य पूर्ण हो गये हैं, शेष कार्य दिनांक 30.04.2013 तक पूर्ण कराये जाने प्रस्तावित हैं। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय चिकित्सालय, नरायना (जयपुर) हेतु विधायक कोष से स्वीकृत एक्सरे मशीन

275. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरायना स्थित राजकीय चिकित्सालय हेतु विधायक कोष से एक्सरे मशीन हेतु राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कब व कितनी? स्वीकृति पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एक्सरे मशीन स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? किये गये पत्र व्यवहार की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त एक्सरे मशीन क्रय कर चिकित्सालय में स्थापित कर दी गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त एक्सरे मशीन को क्रय करने में हुई देरी की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय चिकित्सालय, नरायना में एक्सरे मशीन उपलब्ध कराने के लिए जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जयपुर के आदेश दिनांक 26.07.2010 के द्वारा विधायक कोटे से राशि रुपये 1.50 लाख एवं आदेश दिनांक 16.08.2011 के द्वारा राशि रुपये 1.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। पृथक-पृथक स्वीकृति होने के कारण आदेश दिनांक 22.03.2012 के द्वारा उक्त स्वीकृतियों को निरस्त कर पुन: दिनांक 22.03.2012 को पूर्ण राशि रुपये 2.50 लाख की एक ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। स्वीकृतियों की छाया प्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा की गई कार्यवाही परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। पत्र व्यवहार की छाया प्रतियां परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। एक्सरे मशीन खरीद की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) राजस्थान मेडिकल सर्विस कारपोरेशन लिमिटेड को स्वीकृति एवं राशि दिनांक 22.11.2012 को प्राप्त हुई है । निगम द्वारा दिनांक 16.11.2012 को रेट कान्ट्रेक्ट की निविदा सूचना जारी की गई है । निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया में लगभग 180 दिवस का समय लगता है तत्पश्चात् ही आर्डर दिये जा सकते हैं।

(प्रतियां व विवरण पुस्कालय में रखे गये)

उपखण्ड मुख्यालयों पर राजकीय गौशाला हेतु स्वीकृति

276. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में गाय को गौ माता के रूप में पूजा जाता है एवं हिन्दुस्तान में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गाय को पवित्र माना जाता है? यदि हां, तो वर्तमान समय में गायों की चारों तरफ हो रही दुर्दशा के लिये कौन जिम्मेदार है?

(2) क्या सरकार गायों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक उपखण्ड पर एक राजकीय गौशाला खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में गायों की हो रही दुर्दशा की पशुपालन विभाग को कोई सूचना नहीं है।

(पशुपालन मंत्री)

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा राजकीय गौशालाएं नहीं खोली जाती हैं।

भोपालगढ़ के बोरून्दा बांध की मरम्मत

277. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ के ग्राम घोडासर एरिया बोरून्दा बांध की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ जिला जोधपुर में स्थित क्षतिग्रस्त बोरून्दा बांध के पुनरूद्धार कार्य आगामी वर्ष 2013-14 में हाथ में लिये जाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण दिनांक 06.03.2013 में सम्मिलित है।

नदबई में 'मनरेगा' योजनान्तर्गत पोखर सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य

278. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' (नदबई) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) में मनरेगा के तहत पंचायत समिति सेवर, रूपवास व नदबई में वर्ष 2008 से वर्ष 2012 तक पोखर खुदाई एवं पोखर सुरक्षा दीवार निर्माण एवं ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य कराया गया है? यदि हां, तो ऐसे कितने गांव हैं? गांव के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) में मनरेगा के तहत पं.स. सेवर, रूपवास व नदबई में वर्ष 2008 से वर्ष 2012 तक पोखर खुदाई एवं पोखर सुरक्षा दीवार निर्माण एवं ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य कराया गया है। कराए गए कार्यों का गांव के नाम सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय महाविद्यालय, बीबीरानी (अलवर) के भवन निर्माण हेतु आबंटित भूमि

279. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय बीबीरानी (अलवर) का भवन जिस भूमि पर निर्मित है, उसका आबंटन महाविद्यालय को नहीं हुआ है? यदि हां, तो इस विलम्ब के लिये कौन दोषी है तथा सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि आबंटन हो चुका है, तो आबंटन पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा आज दिनांक तक कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई तथा उसका किस प्रकार उपयोग किया गया? वर्षवार आय व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। महाविद्यालय के मुख्य भवन का निर्माण जिस भूमि पर हुआ है, वह अभी तक आबंटित नहीं हुई है। यह भूमि पालपुर के खसरा नम्बर 962 का हिस्सा है जिसकी किस्म देवस्थान दर्ज है। देवस्थान विभाग से एन.ओ.सी. लेने एवं आबंटन की प्रक्रिया जिला कलक्टर कार्यालय में लम्बित है।

देवस्थान विभाग से एन.ओ.सी. लेने एवं आबंटन करने की प्रक्रिया लम्बी होने से समय लग रहा है। इसमें किसी का दोष नहीं है।

इसके अतिरिक्त महाविद्यालय को दिनांक 05.02.1998 को खसरा नम्बर 1297 में 4 बीघा 3 बीस्वा व खसरा नम्बर 1198 में 17 बीघा 12 बीस्वा भूमि का आबंटन 99 वर्ष की अवधि के लिए ग्राम पालपुर में आबंटित हो चुका है।

(2) उक्त महाविद्यालय को यू.जी.सी. से कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई है।

डी.पी.ई.पी. अलवर से 2,31,000/- रुपये गुरु गोवलकर जनभागीदारी विकास योजना के अर्न्तगत एक कमरे के निर्माण हेतु प्राप्त हुए। सांसद निधि में विभिन्न सांसदों के द्वारा कुल 28.50 लाख रुपये की राशि दी गई, जिससे एक हाल, चार कमरे एवं बरामदे तथा विभिन्न विधायकगणों द्वारा दी गई कुल दस लाख रुपये की राशि से तीन कमरे एवं बरामदों का निर्माण हुआ है।

राजसमन्द जिले के राजस्व ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य योजना

280. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजसमन्द जिले में तहसील अनुसार कितने राजस्व ग्रामों में विभाग द्वारा नियमित पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था है तथा कितने राजस्व ग्राम नियमित पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से वंचित हैं?

(2) जिले में वर्ष 2012-13 एवं पूर्ववर्ती 3 वर्षों में कितने राजस्व ग्रामों को नियमित पेयजल आपूर्ति संरचना से जोड़ा गया है? इसके लिए कितना परिव्यय किया गया?

(3) क्या सरकार सभी राजस्व ग्रामों में पाइप लाइन द्वारा नियमित पेयजल आपूर्ति की किसी योजना पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार राजसमन्द नगर परिषद क्षेत्र में 24 घंटे जलापूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले की 7 तहसीलों में कुल सम्मिलित 970 राजस्व ग्रामों में विभाग द्वारा विभिन्न पेयजल योजनाओं (यथा पाइप्ड, क्षेत्रीय, पम्प एवं टैंक तथा हैण्डपम्प जल योजना) से नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है तथा जिले का कोई राजस्व ग्राम पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से वर्तमान में वंचित नहीं है । तहसीलवार विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजसमन्द जिले के समस्त ग्राम विभिन्न पेयजल योजनाओं से उपरोक्तानुसार वर्तमान में लाभान्वित हैं। विगत तीन वित्तीय वर्षों यथा 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में जिला राजसमन्द के पेयजल की कमी वाले क्रमश: 119, 56 एवं 118 ग्राम, इस प्रकार कुल 293 ग्रामों हेतु तथा वित्तीय वर्ष 2012 -13 में अब तक 10 ग्रामों हेतु संवर्धन/पुनर्गठित जल योजनाएं स्वीकृत कर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से पूर्ण रूप से लाभान्वित किया गया। उक्त वित्तीय वर्षों में विभिन्न मदों में पेयजल आपूर्ति सम्बन्धी कार्यों पर किये गये व्यय बाबत वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। वर्ष 2001 की जनगणनानुसार ग्राम की जनसंख्या

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

4000 से अधिक होने पर, विभागीय नीति अनुसार पाइप्ड जल योजना लागू की जाकर उच्च जलाशयों के माध्यम से घरेलू जल सम्बन्धों द्वारा जलापूर्ति किये जाने का वर्तमान में प्रावधान है। राजसमन्द जिले में उक्त जनगणनानुसार 4000 से अधिक जनसंख्या वाले समस्त ग्राम पाइप्ड जल योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

(4) जी हां। राजसमन्द शहर में प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु (वर्ष 2041 की अभिकल्पित जनसंख्या हेतु) आर.यू.आई.डी.पी. स्वीकृत योजना (कार्यादेश राशि रुपये 28.63 करोड़) में मुख्यत: राजसमन्द झील में इंटेक वैल, साधना शिखर पर 17 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र, दो भू-तल जलाशय, दो उच्च जलाशय मय आवश्यक जल परिवहन पाइप लाइनें, जलकल गृह, वितरण पाइप लाइनों आदि सम्बन्धी कार्य आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे हैं। उक्त योजना अगस्त, 2013 तक पूर्ण की जानी प्रस्तावित है। नगरपालिका क्षेत्र राजसमन्द के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में प्रतिदिन 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने की योजना पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा प्रस्तावित है। वर्तमान में राजसमन्द के मुख्य पेयजल स्रोत पर इन्टेक वैल एवं जल शोधन संयंत्र के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने से यह व्यवस्था अभी आरम्भ नहीं हो सकी है। राजसमंद में प्रतिदिन 66 लाख लीटर पेयजल की आवश्यकता व उपलब्धता है परन्तु आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा उक्त प्रगतिरत योजना के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही शहर में प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित सम्भव हो सकेगी।

परिशिष्ट-अ

राजसमन्द जिले की सात तहसीलों में सम्मिलित विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों का विवरण

क्र.सं.	तहसील	विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ग्राम				
		पाइप्ड जल योजना	क्षेत्रीय जल योजना	पम्प एवं टैंक जल योजना	हैण्डपम्प योजना	योग
1	भीम	12	17	17	83	129
2	देवगढ़	8	0	7	116	131
3	आमेट	7	3	0	126	136
4	कुम्भलगढ़	6	5	3	150	164

क्र.सं.	तहसील	विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ग्राम				
		पाइप्ड जल योजना	क्षेत्रीय जल योजना	पम्प एवं टैंक जल योजना	हैण्डपम्प योजना	योग
5	राजसमन्द	16	32	0	84	132
6	रेलमगरा	30	31	2	28	91
7	नाथद्वारा	47	67	4	69	187
	योग	**126**	**155**	**33**	**656**	**970**

परिशिष्ट-ब

वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में राजसमन्द जिले के आंशिक रूप से लाभान्वित ग्रामों पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से पूर्ण रूप से लाभान्वित करने हेतु विभिन्न मदों में पेयजल आपूर्ति पर किये गये व्यय सम्बन्धी विवरण

वित्तीय	परिव्यय (रुपये लाख में)		
	राज्य मद (ग्रामीण)	केन्द्रीय मद	योग
2009-10	234.93	354.54	589.47
2010-11	30.07	297.12	327.19
2011-12	487.54	1336.08	1823.62
2012-13 (माह फरवरी, 2013 तक)	529.98	504.15	1034.13

राजगढ़-टहला क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

281. श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजगढ से टहला राज्य राजमार्ग संख्या 25 ए मार्ग का निर्माण कब तथा किस निर्माण कम्पनी अथवा ठेकेदार द्वारा कराया गया?

(2) क्या उक्त सड़क का निर्माण तकमीने के अनुसार किया गया था और इसकी गारंटी अवधि कितनी थी? क्या गारंटी अवधि के दौरान इसका मरम्मत कार्य करवाया गया? यदि हां, तो कब-कब?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त सड़क बेहद क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क का शीघ्र नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) टहला-राजगढ़ सड़क राज्य राजमार्ग संख्या 25ए के कि.मी. 0/0 से 13/0 तक 3.75 मीटर से 7.00 मीटर तक चौड़ाईकरण का कार्य सी.आर.एफ. योजनान्तर्गत मैसर्स एल.एन. अग्रवाल एए श्रेणी संवेदक जयपुर द्वारा अप्रैल, 2010 में किया गया तथा कि.मी. 13/500 से 25/0 तक चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य मैसर्स सुधीर दत्त शर्मा ए श्रेणी संवेदक द्वारा अप्रैल, 2009 में किया गया।

(2) राजगढ़ से टहला तक सड़क का भाग तहसील राजगढ़ के अन्तर्गत आता है। कि.मी. 0/0 से 13/0 तक सड़क की गारण्टी अवधि 3 वर्ष की दिनांक 14.04.2013 तक है। जिस पर संवेदक द्वारा मरम्मत कार्य किया जा रहा है।

कि.मी. 13/500 से 25/0 तक सड़क की गारण्टी अवधि 3 वर्ष की दिनांक 07.04.2012 तक थी, जिस पर गारण्टी अवधि के दौरान मरम्मत कार्य सम्बन्धित संवेदक द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसके हर्जे-खर्चे पर माह नवम्बर, 2010, मार्च, जुलाई, अक्टूबर एवं नवम्बर, 2011 तथा माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2012 में राशि रुपये 31.42 लाख व्यय कर मरम्मत कार्य करवाया गया था।

(3) जी हां। उक्त सड़क के क्षतिग्रस्त कि.मी. 13/500 से कि.मी. 23/0 (9.50 कि.मी.) के नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु योजना मद में निविदायें दिनांक 25.03.2013 को प्राप्त की जानी हैं।

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सुविधा

282. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर-उत्तर) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अजमेर के जवाहर लाल नेहरु चिकित्सालय में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी थियेटर उपलब्ध है? यदि हां, तो इसका निर्माण कब हुआ तथा इसको निर्मित करने व उपकरण स्थापित करने पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त थियेटर का विधिवत उद्घाटन कब हुआ तथा उद्घाटन के पश्चात् आज तक कितनी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी (आपरेशन) किस-किस चिकित्सक द्वारा उक्त थियेटर में की गयी? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी उक्त थियेटर में एक भी आपरेशन दूरबीन के माध्यम से बिना चीर फाड़ के नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा प्रारम्भ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी थियेटर न्यू ओ.टी. विंग में उपलब्ध है। इसका निर्माण दिसम्बर, 2007 में पूरा हुआ तथा इसकी निर्माण लागत 4.98 लाख रुपये थी। इस थियेटर में काम आने वाले लेप्रोस्कोपिक उपकरणों हेतु राशि रुपये 50 लाख (25.00 Lacs for Laproscopic Inst.+ 25.00 Lacs Harmonic Scalple) की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 28.08.2009 को जारी की गई तथा 35.70 लाख के उपकरण क्रय किये गये।

(2) न्यू ओ.टी. विंग में लेप्रोस्कोपिक थियेटर का विधिवत उद्‌घाटन दिनांक 26.01.2008 को किया गया। सारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी लेप्रोस्कोपिक थियेटर एवं न्यू ओ.टी. में की जाती है। लेप्रोस्कोपिक थियेटर तथा न्यू ओ.टी. में 408 लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की गई हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नियमित रूप से आपरेशन थियेटर में की जा रही है।

परिशिष्ट-1

जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर के चिकित्सालय में शल्य चिकित्सकों द्वारा वर्ष 2008 से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी संपादन की सूची निम्नानुसार है

क्र.सं.	चिकित्सक का नाम	सर्जरी की संख्या
1.	डा. टी.पी. देवपुरा	03
2.	डा. कुमकुम सिंह	89

क्र.सं.	चिकित्सक का नाम	सर्जरी की संख्या
3.	डा. ब्रिजेश माथुर	84
4.	डा. शरद जैन	17
5.	डा. रेखा पोरवाल	06
6.	डा. एम.एल. सोनी	16
7.	डा. यू.एस. परिहार	11
8.	डा. अशोक मेघवाल	03
9.	डा. एम.के. रोहिला	30
10.	डा. श्याम भूतरा	43
11.	डा. शिवकुमार बुनकर	98
12.	डा. अमित जैन	06
13.	डा. बी.एल. यादव	02
	योग	**408**

लेप्रोस्कोपिक कोलिसिसटेक्टोमी	लेप्रोस्कोपिक अपेन्डिसेक्टोमी	लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन सिस्ट	लेप्रोस्कोपिक हर्निया आपरेशन	डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी
361	16	17	01	13

प्रदेश से ग्वार के निर्यात हेतु स्वीकृति/छूट

283. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार ग्वार को कौन से जिन्स में मानती है? क्या यह सही है कि ग्वार किसानों के लिए सबसे कीमती एवं लाभदायक फसल मानी जाती है?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष ग्वार की कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी होने के कारण चालू वर्ष में किसानों द्वारा अधिकतर क्षेत्रफल में ग्वार की फसल बोई थी? यदि हां, तो प्रदेश में कुल कितने रकबे में ग्वार की फसल बोई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि किसानों के द्वारा फसल बोते समय ग्वार का बीज 30 से 40 हजार रुपये क्विंटल में खरीदा था? परन्तु वायदा एवं निर्यात बन्द करने के कारण किसानों को ग्वार के सही भाव नहीं मिल पा रहे हैं? क्या सरकार किसानों के हित में ग्वार के निर्यात एवं वायदा में शामिल करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्वार जिन्स को अखाद्य अन्न में माना जाता है। ग्वार फसल की बाजार में अच्छी कीमत होने के कारण किसानों के लिए लाभदायक है।

(2) ग्वार की बाजार कीमतों में गत वर्ष अत्यधिक बढ़ोतरी होने के कारण वर्ष 2012-13 में किसानों द्वारा लगभग 44.24 लाख हैक्टर क्षेत्रफल में ग्वार फसल की बुवाई की गई है।

(3) राजस्थान राज्य बीज निगम (RSSC) द्वारा खरीफ 2012 हेतु प्रमाणित बीज की विक्रय दर 3,900 रुपये प्रति क्विण्टल निर्धारित थी। इसमें संशोधन कर राजस्थान राज्य बीज निगम (RSSC) द्वारा 3,200 रुपये प्रति क्विण्टल की दर से प्रमाणित बीज किसानों को उपलब्ध करवाया गया।

वायदा एवं निर्यात बन्द करने का प्रकरण भारत सरकार से सम्बन्धित है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

देवली-उनियारा के ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य योजना

322. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में फ्लोराइड एवं खारे पानी युक्त ग्राम कौन-कौन से हैं? किस-किस ग्राम में पानी में फ्लोराइड की मात्रा कितनी-कितनी है तथा उक्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम डाण्डी तेलोलाई, ग्राम पंचायत दूनी, तहसील देवली, जिला टोंक में पेयजल फ्लोराइड युक्त एवं खारा है? यदि हां, तो फ्लोराइड की मात्रा कितनी है? क्या सरकार द्वारा उक्त ग्राम में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु कार्ययोजना बनाकर पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा की तहसील देवली एवं उनियारा के क्रमश: 52 एवं 78 ग्रामों (कुल 130 ग्राम) में उपलब्ध स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है तथा क्रमश: 11 एवं 23 ग्रामों (कुल 34 ग्राम) में उपलब्ध स्थानीय भू-जल में कुल घुलनशील लवणों (टी.डी.एस.) की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होने के कारण पानी खारा है।

फ्लोराइड प्रभावित कुल 130 ग्रामों में से 33 ग्रामों को पाइप्ड, पम्प एवं टैंक व क्षेत्रीय जल योजनाओं द्वारा लाभान्वित किया जाकर निर्धारित मानक गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित शेष 97 ग्रामों में विभाग द्वारा पेयजल गुणवत्ता मानकों में दी गई छूट के अनुसार पर्याप्त रूप से स्थापित एवं क्रियाशील हैण्डपम्पों से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

खारे पानी की समस्या से प्रभावित कुल 34 ग्रामों में से 9 ग्रामों को पाइप्ड, पम्प एवं टैंक व क्षेत्रीय जल योजनाओं द्वारा लाभान्वित किया जाकर निर्धारित मानक गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित शेष 25 ग्रामों में विभाग द्वारा पेयजल गुणवत्ता मानकों में दी गई छूट के अनुसार पर्याप्त रूप से स्थापित एवं क्रियाशील हैण्डपम्पों से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वांछित विवरण क्रमशः परिशिष्ट-अ व ब पर संलग्न है।

उक्त क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल समस्या के दीर्घकालिक समाधान हेतु माह फरवरी, 2007 में स्वीकृत बीसलपुर-टौंक-उनियारा वृहद् पेयजल परियोजना के कार्यों को तीन पैकेजों में विभक्त किया जाकर प्रथम पैकेज के अन्तर्गत तीन कस्बों (टौंक, देवली एवं उनियारा) को पेयजल उपलब्ध कराने का तंत्र मय पूर्ण क्षमता के फिल्टर प्लांट (मुख्य पाइप लाइन एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य) लगाने का कार्य मैसर्स एल एण्ड टी, चेन्नई को माह अगस्त, 2012 में राशि रुपये 198.41 करोड़ का जारी किया जा चुका है तथा अनुबन्ध अनुसार उक्त कार्य तीन वर्ष में पूर्ण करना लक्षित है । टौंक जिले के 436 ग्रामों को उक्त परियोजना से लाभन्वित करने हेतु आमंत्रित की गई निविदा दिनांक 21 मार्च, 2013 को प्राप्त की जानी है । निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर कार्यादेश सम्बन्धी कार्यवाही की जाकर परियोजना क्रियान्वयन प्रारम्भ करने का कार्य हाथ में लिया जावेगा।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत, दूनी (तहसील देवली, जिला टौंक) के ग्राम दूनी की हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित ढाणी तेलोलाई में स्थापित एवं क्रियाशील दो स्थानीय हैण्डपम्पों में उपलब्ध जल में फ्लोराइड की मात्रा क्रमशः 4.5 एवं 2.2 मिली ग्राम प्रति लीटर है परन्तु कुल घुलनशील लवण (टी.डी.एस.) की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा (2000 मिलीग्राम/लीटर) की सीमा में है। उक्त ढाणी सहित 4 ढाणियों एवं ग्राम दूनी तथा आवां में निर्धारित मानक मात्रा एवं गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पुनर्गठित पाइप्ड जल योजना दूनी एवं आवां के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। सक्षम स्तर पर योजना के प्राप्त होने एवं तकनीकी जांच में सही पाये जाने के उपरांत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार योजना की स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर जिले के नहरी जल स्रोतों से पेयजल आपूर्ति

323. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला श्रीगंगानगर में नहरी जल स्रोतों पर आधारित कितनी पेयजल योजनाएं कहां-कहां संचालित हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सभी पेयजल योजनाओं में प्रयोग में लिये जाने वाले फिल्टरों में से अधिकांश फिल्टर खराब हैं? यदि हां, तो ऐसे नकारा फिल्टरों की कुल संख्या कितनी है तथा शुद्ध जल मुहैया कराने के लिये सरकार की क्या कार्ययोजना है?

(3) उक्त खराब फिल्टरों हेतु जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा कब-कब कितने प्रस्ताव भेजे गये तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में गंगनहर, भाखड़ा नहर एवं इंदिरा गांधी नहर प्रणाली को मुख्य पेयजल स्रोत लेकर जिले की विभिन्न विभागीय शहरी एवं ग्रामीण जल योजनाओं से विभिन्न शहरों एवं ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। जिले में उक्त तीन नहर प्रणालियों पर आधारित शहरी एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में वांछित विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। शहरी जल योजना, अनूपगढ़ की एक शहरी जल योजना, अनूपगढ अन्तर्गत निर्मित दो रेपिड ग्रेविटी फिल्टर संयंत्रों में से एक रेपिड ग्रेविटी फिल्टर (जल छनन क्षमता 4.46 एम.एल.डी.) द्वारा शहर की वर्तमान पेयजल मांग अनुरूप पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। अन्य रेपिड ग्रेविट फिल्टर संयंत्र (जल छनन क्षमता 0.3 एम.एल.डी.) लगभग एक वर्ष से बंद है तथा इस संयंत्र का सुधार कार्य वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्ण कर चालू करना प्रस्तावित है। शेष शहरी जल योजनाओं पर स्थापित फिल्टर संयंत्र वर्तमान में पेयजल मांग अनुरूप सही क्षमता से कार्य कर रहे हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

जिले की विभिन्न ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर कुल स्थापित 1657 फिल्टर संयंत्रों में से 118 फिल्टर संयंत्र पूर्ण क्षमता अनुरूप वर्तमान में कार्य नहीं कर रहे हैं। इन फिल्टर संयंत्रों को पूर्ण क्षमता से उपयोग में लाने हेतु इनका जीर्णोद्धार कार्य आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) वित्तीय वर्ष 2012-13 में श्रीगंगानगर जिले की 30 ग्रामीण जल योजनाओं पर स्थापित फिल्टर संयंत्रों के सुधार कार्य हेतु सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राशि रुपये 85.30 लाख की जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के माध्यम से तथा 60 ग्रामीण जल योजनाओं पर विभागीय स्तर से रुपये 184.47 लाख की आवश्यकतानुसार स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। इन स्वीकृतियों के विरुद्ध अब तक 13 योजनाओं पर स्थापित फिल्टर संयंत्रों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष योजनाओं पर फिल्टर संयंत्रों का जीर्णोद्धार कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। प्रगतिरत उक्त कार्यों को माह अगस्त, 2013 तक पूर्ण करवा लिया जावेगा। योजनावार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजगढ़ तहसील (अलवर) के पेयजल व्यवस्था रहित ग्राम/ढाणियां

324. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि घुशींगा का बास, टोल्या की ढाणी, परबैणी तहसील राजगढ़, जिला अलवर में वर्तमान में पेयजल आपूर्ति हेतु कोई भी व्यवस्था नहीं है? क्या सरकार उक्त ढाणी में सिंगल फेज प्वाइंट स्वीकृत कर पेयजल आपूर्ति करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

(2) क्या तहसील राजगढ़ एवं रेणी के किस-किस राजस्व ग्राम, ग्राम पंचायत, ढाणियों में वर्तमान में किसी भी प्रकार की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों? ढाणी/राजस्व ग्राम/ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील रैणी के हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित ग्राम परबैणी में वर्तमान में 12 क्रियाशील हैण्डपम्पों एवं 3 सिंगल फेस नलकूपों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। ग्राम परबैणी की चिन्हित कुल 11 ढाणियों में से 10 ढाणियों में प्रत्येक में स्थापित एवं क्रियाशील एक-एक हैण्डपम्प से तथा एक ढाणी में एक सिंगल फेस नलकूप से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। उक्त ग्राम की नवविकसित टोल्या की ढाणी वर्तमान में विभागीय पेयजल व्यवस्था से लाभान्वित नहीं है। इस ढाणी में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था लागू करने हेतु एक हैण्डपम्प निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा ढाणी को माह अप्रैल, 2013 में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। तहसील राजगढ़ एवं रैणी में क्रमश: 140 एवं 102, कुल 242 ग्राम तथा वर्ष 2003 के सर्वेक्षण के अनुसार क्रमश: 442 एवं 385, कुल 827 चिन्हित ढाणियां हैं। कुल 242 आबाद ग्रामों में से तहसील राजगढ़ की ग्राम पंचायत राजोरगढ़ के एक ग्राम रूंध हरिपुरा (आबादी विस्थापित होने के कारण वर्तमान में गैर-आबाद) के अतिरिक्त शेष समस्त ग्राम एवं चिन्हित समस्त ढाणियां विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से वर्तमान में लाभन्वित हैं। वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नादौती तहसील (करौली) में पंजीकृत दस्तावेजों की तस्दीक

325. श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2011 एवं 2012 में जिला करौली की नादौती तहसील में किस-किस महीने में कितने-कितने दस्तावेज दाखिल किये गये एवं कितनी तस्दीक की गई?

(2) उक्त दाखिल की गई रजिस्ट्री के दस्तावेजों में से वर्ष 2012 के दौरान कितने दस्तावेजों की तस्दीक करने में 15 दिन से अधिक समय लगा?

(3) जून, 2012 में करौली जिले की नादौती तहसील में किन-किन व्यक्तियों के दस्तावेज तस्दीक किये गये?

उत्तर

(1) वर्ष 2011-12 में जिला करौली की नादौती तहसील में माहवार निम्नानुसार दस्तावेज दाखिल व तस्दीक किये गये :-

वर्ष 2011		वर्ष 2012	
माह	**दस्तावेजों की संख्या**	**माह**	**दस्तावेजों की संख्या**
जनवरी	209	जनवरी	228
फरवरी	300	फरवरी	256
मार्च	143	मार्च	181
अप्रैल	82	अप्रैल	179
मई	424	मई	574
जून	274	जून	148
जुलाई	231	जुलाई	443
अगस्त	191	अगस्त	263
सितम्बर	134	सितम्बर	227
अक्टूबर	103	अक्टूबर	284
नवम्बर	180	नवम्बर	191
दिसम्बर	141	दिसम्बर	352

(2) वर्ष 2012 में प्रस्तुत दस्तावेजों को तस्दीक करने में एक भी दस्तावेज में 15 दिन से अधिक का समय नहीं लगा है।

(3) जून, 2012 में करौली जिले की नादौती तहसील में 148 दस्तावेज तस्दीक किये गये हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

काया ग्राम पंचायत (उदयपुर) में राजकीय भू-आबंटन में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

326. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर जिले की काया पंचायत में वर्ष 1997 से जनवरी, 2013 तक वर्षवार कितनी राजकीय भूमि का आबंटन अथवा कब्जों का नियमन

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

किया गया है तथा किन व्यक्तियों के पक्ष में कितनी भूमि का आबंटन किया गया है?

(2) क्या उक्त प्रकरणों में आबंटन सलाहकार समिति की बैठकों में विहित प्रक्रिया की पूरी तरह से पालना की गई है?

(3) नियम विरुद्ध आबंटन को निरस्त करवाने हेतु क्या कार्यवाही की गई?

(4) आबंटित भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य क्या है?

(5) क्या यह सही है कि वर्ष 2002 में उक्त पंचायत में 479 बीघा भूमि का नियम विरुद्ध आबंटन कर 89 व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले की काया पंचायत में 1997 से आज दिनांक तक भूमि आबंटन सलाहकार समिति की दो बैठकों का आयोजन किया गया। जिसमें आबंटन सलाहकार समिति द्वारा विभिन्न काश्तकारों को भूमि आबंटन की सिफारिश की गई। परन्तु उक्त बैठक के पश्चात नियम के अनुसार आबंटन आदेश (पट्टे) जारी नहीं किये गये एवं न ही इन्हें कब्जा सुपुर्द किया गया। इस प्रकार आबंटन प्रक्रिया पूर्ण न होने से किसी प्रकार का आबंटन/नियमन नहीं हुआ है।

(2) आबंटन सलाहकार समिति की बैठक विहित प्रक्रियानुसार आयोजित की गई परन्तु इसके पश्चात जारी होने वाले आबंटन आदेश जारी नहीं हुए।

(3) नियम विरुद्ध किसी प्रकार का आबंटन नहीं होने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। तथापि आबंटन सलाहकार समिति की बैठक में की गई सिफारिश के पश्चात आबंटन आदेश जारी नहीं होने से इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर द्वारा मार्गदर्शन मांगा जाने पर पत्र क्रमांक 9 (104)राज-6/2010 जयपुर दिनांक 9.01.2013 के द्वारा आबंटन आदेश जारी नहीं होने से आबंटन को पूर्ण नहीं मानते हुए पुन: नये सिरे से विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आबंटन करने के आदेश प्रदान किये। चूंकि अब काया को नगरीय विकास विभाग, उदयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 10(18)न.वि.वि./3/2012 दिनांक

(राजस्व मंत्री)

29.10.2012 से ग्राम काया को नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है, अत: वहां नियमानुसार आबंटन की कार्यवाही इस विभाग द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) भूमि का आबंटन नहीं होने से इसकी सूचना शून्य है। तथापि ग्राम काया की भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य (प्रति बीघा) निम्नानुसार है:--

सिंचित :-

सडक के पास 4,18,000/-

आबादी के पास 3,48,000/-

सडक से दूर 2,80,000/-

असिंचित :-

सडक के पास 3,48,000/-

आबादी के पास 2,85,000/-

सडक से दूर 2,20,000/-

राष्ट्रीय राजमार्ग:-

सिंचित 12,54,000/-

असिंचित 8,36,000/-

(5) जी नहीं। वर्ष 2002 में आबंटन आदेश (पट्टा) जारी नहीं होने एवं कब्जा सुपुर्दगी नहीं होने से आबंटन नहीं माना जा सकता।

लोसल (सीकर) को उप तहसील का दर्जा

327. श्री पेमाराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार सीकर जिले के लोसल कस्बे में लोसल को उप तहसील बनाने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसके सम्बन्ध में कोई निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार लोसल को उप तहसील घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के वित्तीय बजट वर्ष 2013-14 में सीकर जिले में लोसल को उप तहसील बनाये जाने की घोषणा मा. मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गयी है।

(2) वादी श्री रमेश कुमार शर्मा द्वारा मा. उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9112/2012 श्री रमेश कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3.10.2012 के द्वारा निर्देश दिये गये कि लोसल में उप तहसील बनाये जाने के क्रम में वादी एक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करे तथा प्रकरण में जिला कलक्टर से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण का राज्य स्तर पर परीक्षण कर वादी के प्रतिवेदन का निस्तारण करें।

(3) राज्य के वित्तीय बजट वर्ष 2013-14 में सीकर जिले में लोसल को उप तहसील बनाये जाने की घोषणा मा. मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गयी है।

नैनवां (बूंदी) के खाद एवं बीज विक्रेताओं के निरस्त/बहाल लाइसेंस

328. श्री सी.एल. प्रेमी (केशोरायपाटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मित्तल कृषि सेवा केन्द्र नैनवां, जिला बूंदी का लाइसेन्स 2008 से 2012 तक कितनी बार निरस्त हुआ और लाइसेन्स कब-कब बहाल हुआ? वर्ष 2008 से 2012 तक बूंदी जिले में कितनी दुकानों के लाइसेन्स निरस्त किये गये व कब-कब बहाल किये गये?

(2) बूंदी जिले में वर्ष 2008 से 2012 तक कितने खाद एवं बीज, दवा व्यापारियों से कितने सैम्पल जांच हेतु लिये गये व इन सैम्पलों की जांच रिपोर्ट कब व क्या आयी तथा इन सैम्पलों का भुगतान कब-कब किया गया?

उत्तर

(1) 1-मित्तल कृषि सेवा केन्द्र नैनवां, जिला बूंदी का कीटनाशक लाइसेन्स क्रमांक 129/2001 दि. 20.01.2001 वैधता तिथि 31.12.2010 डीलर द्वारा नवीनीकरण नहीं कराने के कारण स्वतः ही निरस्त हो गया।

श्री मित्तल कृषि सेवा केन्द्र नैनवां के आवेदन पत्र पर नया कीटनाशक

(कृषि मंत्री)

लाइसेन्स डी/59/2012 दि. 31.01.2012 को जारी किया गया जो 31.12.2013 तक वैध है तथा बीज अनुज्ञापत्र संख्या 2/BND/01 दिनांक 28-05-2001 को जारी किया गया जो 27.05.2013 तक वैध है।

2- बूंदी जिले में वर्ष 2008 से 2012 तक की अवधि में मै. महेश खाद भण्ड़ार, बूंदी का एक उर्वरक लाइसेन्स निरस्त किया गया है जो अभी बहाल नहीं किया गया है।

3- चेता ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., चेता को उर्वरक अनुज्ञापत्र संख्या 118/2007 मु. अलोद के लिए जारी किया गया था। उक्त अनुज्ञापत्र को ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., चेता के अध्यक्ष की सिफारिश के आधार पर निरस्त किया जाकर मु. चेता हेतु नया अनुज्ञापत्र संख्या डी/61/2013 जारी किया गया जो दिनांक 06.01.2016 तक वैध है। इसके अतिरिक्त कोई अनुज्ञापत्र निरस्त नहीं किया गया है।

(2) बूंदी जिले में वर्ष 2008 से वर्ष 2012 तक लिये गये बीज, उर्वरक, कीटनाशी नमूनों का विवरण परिशिष्ट-1 (पृष्ठ सं.-1) पर संलग्न है। इन सैम्पलों की जांच रिपोर्ट की दिनांक, मानक/अमानक एवं भुगतान का विवरण उर्वरकों के लिये परिशिष्ट-2-अ (पृष्ठ सं.-2 से 14 तक), बीजों के लिये परिशिष्ट-2-ब (पृष्ठ सं.-15 से 47 तक) एवं कीटनाशी नमूनों के लिये परिशिष्ट-2- स (पृष्ठ सं0-48 से 70) तक) पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर का बोनमैरो ट्रांसप्लांट सेंटर

329. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर एस.एम.एस. अस्पताल में बोनमैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया गया है? यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सेंटर की स्थापना से लेकर अब तक कितने बोनमैरो ट्रांसप्लांट किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिन उद्देश्यों को लेकर बोनमैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया गया है, उनकी प्राप्ति नहीं हुई है? यदि हां, तो इसके

(श्री कालीचरण सराफ)

क्या कारण हैं? क्या सरकार इसमें सुधार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर एस.एम.एस. अस्पताल स्थित बिरला कैंसर सेंटर के प्रथम तल पर बोनमैरो ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित की गई है। केन्द्र सरकार के नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इस हेतु राशि रुपये 2 करोड़ प्राप्त हुयी थी। इस राशि से बोनमैरो ट्रांसप्लांट इकाई की स्थापना एवं इससे सम्बन्धित उपकरणों को स्थापित किया गया।

(2) इस केन्द्र पर एक बोनमैरो ट्रांसप्लांट अक्टूबर 2009 में किया गया।

(3) बोनमैरो ट्रांसप्लांट प्रक्रिया को नियमित रूप से कार्यशील करने हेतु सहायक आचार्य मेडिकल आन्कोलोजी को नियुक्त कर दिया गया है।

अन्य प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति के प्रयास जारी हैं। दक्ष स्टाफ उपलब्ध होते ही बोनमैरो ट्रांसप्लांट का नियमित संचालन शुरू किया जा सकेगा।

पाली जिले के राजकीय चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पद

330. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले के किस-किस राजकीय चिकित्सालय में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं?

(2) गत चार वर्षों में कौन-कौन से पद कितनी-कितनी अवधि तक रिक्त रहे?

(3) उक्त में से किन-किन चिकित्सकों ने स्थानान्तरण आदेश के कारण पद ग्रहण तो कर लिया, परन्तु अधिकांश समय तक अवकाश पर रहे? अवकाश की अवधि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला पाली में संचालित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का रिक्ती अवधि सहित श्रेणीवार एवं संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जिला पाली में संचालित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के गत 4 वर्षों के दौरान रिक्त रहे पदों की अवधि का श्रेणीवार एवं संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(3) जिला पाली में संचालित चिकित्सा संस्थानों में स्थानान्तरण पर कार्यग्रहण उपरांत अवकाश पर रहे चिकित्सकों का मय अवकाश की अवधि के विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद

331. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में लम्बे समय से चिकित्सकों, ए.एन.एम. आदि के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रवार रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला नागौर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रिक्त पदों का रिक्ती अवधि सहित चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी प्रथम, रेडियोग्राफर, महिला स्वास्थ्य दर्शिका एवं वरिष्ठ लिपिक के पदों को भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है, पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चिकित्सा अधिकारी तथा चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से लिखित परीक्षा उपरान्त उत्तीर्ण अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है जिसकी वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाकर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त सूची में से यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यक्तानुसार रिक्त पदों को भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

नर्स श्रेणी द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर, लैब टैक्नीशियन, फार्मासिस्ट, दंत टैक्नीशियन एवं नेत्र सहायक के रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन कर दिनांक 01.03.2013 से आनलाइन आवेदन चाहे गये हैं ।

कनिष्ठ लिपिक, वाहन चालक, वार्डबाय एवं सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद

332. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सिरोही में राजकीय चिकित्सालयों में कितने व कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं, उनमें कितने पद भरे हुए हैं और कितने कब से किस कारण से रिक्त हैं? विधान सभा क्षेत्रवार एवं चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब और क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में जनवरी, 2009 से फरवरी, 2013 तक राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में क्या किसी सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पत्राचार/ज्ञापन के जरिये सरकार से मांग की गई? यदि हां, तो मांग पत्रों की प्रति सहित उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सिरोही जिला मुख्यालय एवं शिवगंज तहसील मुख्यालय के चिकित्सालय सहित राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिरोही जिले के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का रिक्ती अवधि/दिनांक सहित विधान सभा क्षेत्रवार एवं चिकित्सालयवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उपरोक्त रिक्त पद स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यग्रहण नहीं करने/अनुपस्थिति/सेवानिवृति तथा पदों का नवसृजन आदि कारणों से रिक्त है।

(2) जी हां। सिरोही जिले में वर्ष 2009 से आज दिनांक तक नवपदस्थापित एवं स्थानान्तरण किये गये चिकित्सकों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

नर्सिंग अधीक्षक प्रथम/द्वितीय, नर्स श्रेणी प्रथम, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, रेडियोग्राफर, टीबीएचवी, वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन, वरिष्ठ लिपिक आदि पदोन्नति वाले पदों को भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नर्स श्रेणी द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टैक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट एवं दंत टैक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन कर दिनांक 1.3.2013 से आनलाइन आवेदन चाहे गये हैं।

फिजियोथेरेपिस्ट के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

कनिष्ठ लिपिक, वार्डबाय, केयर टेकर, बीसीजी टैक्नीशियन एवं सफाई कर्मचारी आदि के रिक्त पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) जी हां। सिरोही विधान सभा क्षेत्र में संचालित राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं अराजपत्रित संवर्ग के रिक्त पदों को भरने हेतु जन प्रतिनिधियों एवं जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मांग की गई, जिनकी प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

उक्त मांग पत्रों एवं रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता के मध्यनजर सिरोही जिले में वर्ष 2009 से आज दिनांक तक नवपदस्थापित एवं स्थानान्तरण किये गये चिकित्सकों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त आवश्यक अस्थाई आधार पर 12 तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 04 चिकित्सकों को लगाया गया।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वर्ष 2009 से फरवरी 2013 के मध्य अराजपत्रित संवर्ग में नर्स श्रेणी द्वितीय के 36, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 60, नर्सिंग ट्यूटर के 1, फार्मासिस्ट के 16, लैब टैक्नीशियन 11, नेत्र सहायक के 1, सहायक रेडियोग्राफर के 1, कनिष्ठ लिपिक के 2, वार्डबाय के 2 एवं सफाई कर्मचारी के 1 पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है तथा पदोन्नति वाले पदों में वरिष्ठ लिपिक के 4 पदों पर पदस्थापन किया गया है।

(4) जी हां। चिकित्सा अधिकारी तथा चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से लिखित परीक्षा उपरान्त उत्तीर्ण अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है जिसकी वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाकर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त सूची में से यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार रिक्त पदों को भरने के प्रयास किये जायेंगे।

वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर डीपीसी आयोजित की जा चुकी है तथा शीध्र पदस्थापन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण, सूची व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोलाना (गढ़ी) हेतु आबंटित राशि

333. श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जोलाना के लिये राशि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो कब एवं कितनी?

(2) उक्त कार्य कब प्रारम्भ हुआ तथा वर्तमान में इसकी क्या प्रगति है?

उत्तर

(1) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जोलाना के लिए आदेश दिनांक 20.12.2011 के द्वारा रुपये 60.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई है।

(2) उक्त कार्य दिनांक 13.03.2012 को शुरू हुआ था। नींव तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

कोटा सम्भाग के चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पद

334. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा सम्भाग में कितने जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सैटेलाइट चिकित्सालय हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं? चिकित्सालय एवं विशेषज्ञ चिकित्सकवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में सरकार की क्या कार्य योजना है तथा उन्हें कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग में 3 जिला चिकित्सालय एवं 43 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं, जिनके नाम परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

कोटा सम्भाग में सैटेलाइट चिकित्सालय संचालित नहीं है।

(2) उक्त चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत पदों का चिकित्सा संस्थानवार एवं विशेषज्ञवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) वरिष्ठ विशेषज्ञ तथा कनिष्ठ विशेषज्ञों के पदोन्नति के पदों को भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है, पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर के चिकित्सालयों/औषधालयों में निर्माण कार्य हेतु जारी कार्यादेश

335. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के अधीन संचालित सभी चिकित्सालयों और औषधालयों में दिसम्बर, 2008 से 31 जनवरी, 2013 तक किस-किस मद में किस-किस कार्य हेतु कितनी राशि की

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा प्रकाशन एवं कार्यादेश कब-कब जारी किये गये? कार्यवार कार्यादेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) प्रशासनिक स्वीकृति से कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया में चरणवार कितने-कितने समय में प्रक्रिया पूर्ण होने का प्रावधान है और उक्त कार्यों में प्रावधान अवधि के विरुद्ध कितनी अवधि में प्रक्रिया के चरण सम्पादित किये गये? इसके क्या कारण रहे और इस प्रक्रिया सम्पादन में विलम्ब के लिए किसका उत्तरदायित्व निर्धारित कर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के अधीन संचालित चिकित्सालयों और औषधालयों में दिसम्बर, 2008 से 31 जनवरी, 2013 तक प्राप्त स्वीकृतियों का विवरण मय ए.एस., एफ.एस., टी.एस., एन.आई.टी., एवं कार्यादेश की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) प्रशासनिक स्वीकृति से कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया में चरणवार कोई निश्चित समय सीमा का प्रावधान नहीं है। स्वीकृतियों का सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। परन्तु विभिन्न स्तरों पर निविदाओं के अन्तिम निस्तारण के लिये समय सीमा निर्धारित है जो परिशिष्ट-2 एवं 3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी में घटिया सड़क निर्माण कार्यों की जांच

336. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनवरी, 2008 से 2013 तक सड़क ठेकेदारों द्वारा डामर एवं इम्लसन निर्धारित मात्रा से कम प्रयोग कर घटिया सामग्री का उपयोग कर सड़कों का निर्माण किया गया है एवं वर्तमान में किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार गुणवत्ता की जांच करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में डामर उपयोग की मात्रा रिफायनरी से प्राप्त मात्रा से अधिक पाये जाने पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्रीमती अंजु खन्गवाल)

(3) उक्त वर्षों में सरकार द्वारा उपयोग एवं रिफायनरी से प्राप्त विभिन्न तरह के डामर का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या वितीय वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक उक्त योजनान्तर्गत प्रत्येक कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा अंकेक्षण रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो उक्त रिपोर्टों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष जनवरी, 2008 से जनवरी, 2013 तक सड़क निर्माण कार्यों में संवेदकों द्वारा डामर व इम्लसन की निर्धारित मात्रा का उपयोग गुणवत्ता की जांच के उपरान्त किया गया है।

(2) जी नहीं। सड़क के कार्य में डामर उपयोग की मात्रा रिफायनरी से प्राप्त डामर की मात्रा से अधिक पाये जाने का कोई प्रकरण विधान सभा क्षेत्र बस्सी में नहीं पाया गया। अत: कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) उक्त वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बस्सी में रिफायनरी से प्राप्त विभिन्न तरह के डामर एवं उपयोग की गई मात्रा का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(4) केन्द्रीय सड़क निधि एवं तेरहवें वित्त आयोग बजट मद में स्वीकृत कार्यों का ही विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जाता है। नाबार्ड पोषित योजना कार्यों के पुनर्भरण दावे प्रस्तुत होते हैं। आबंटित राशि के उपयोग के लेखे अधिशासी अभियन्ता द्वारा विभाग तथा महालेखाकार, भारत सरकार को प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक महालेखाकार निरीक्षण दल द्वारा किये गये कार्यों का अंकेक्षण रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

करड़-राजपुर (दांतारामगढ़) का अपूर्ण सड़क निर्माण कार्य

337. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के करड़ से

(श्री निर्मल कुमावत)

राजपुरा वाया लक्ष्मीपुरा तक कुल 3.00 किमी. लम्बाई की सड़क का पुन: डामरीकरण की स्वीकृति तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी की गई थी? यदि हां, तो कब व कितनी राशि? स्वीकृति की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य की निविदा कब खोली गई और किस एजेंसी को कार्यादेश दिया गया? कार्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्य कितने समय में पूर्ण करना था और कितने समय में पूर्ण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त डामरीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों तथा सरकार अब कब तक उक्त कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त सड़क पर पुन: डामरीकरण की स्वीकृति दिनांक 26.05.2011 को राशि रुपये 18.00 लाख की जारी की गयी थी। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त कार्य की निविदा दिनांक 27.04.2012 को खोली गई तथा कार्यादेश संवेदक श्री भगवानाराम मु.पो. ठेहट (सीकर) को जारी किया गया। कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त कार्य को पांच माह में दिनांक 02.11.2012 तक पूर्ण करना था, जो कि प्रगतिरत है।

(4) जी नहीं। संवेदक की शिथिलता के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है। डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष कार्य दिनांक 31.03.2013 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बगरू नगरपालिका व ग्राम झाग के बीच सड़क की चौड़ाई हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

338. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका बगरू एवं ग्राम झाग के बीच

(श्री केसाराम चौधरी)

की सड़क को चौड़ा करने एवं पुनर्निर्माण करने का कार्य किया गया है? यदि हां, तो कब एवं कितनी किलोमीटर लम्बी सड़क को कहां से कहां के बीच चौड़ा किया गया एवं कहां से कहां तक नवीन निर्माण किया गया है?

(2) उक्त सड़क मार्ग पूर्व में कितना चौड़ा था एवं अब कितनी चौड़ाई है? क्या उक्त सड़क मार्ग में ग्राम राताखेड़ा तहसील फागी जिला जयपुर के खातेदारों की भूमि भी काम में ली गई है? यदि हां, तो किस-किस खातेदार की कितनी-कितनी भूमि?

(3) क्या उक्त सड़क निर्माण कार्य में ग्राम राताखेड़ा के खसरा नम्बर 242 एवं 246 की भूमि भी काम में ली गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी? भूमि की किस्म एवं खातेदार के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त खातेदार की काम में ली गई भूमि का सर्वे करवाकर मुआवजा दे दिया गया है? यदि हां, तो कब एवं किस दर से व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि का मुआवजा तय करने के बाद भी अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी तक भी मुआवजा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर, अब कब तक मुआवजे की राशि का भुगतान करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगरपालिका बगरू एवं झाग के बीच टोंक जिला सीमा से रसीली-मोजमाबाद-झाग-बगरू-बंगस-लालपुरा-हिंगोनिया-बागावास-लूनियावास रोड (एम.डी.आर.-81) की 14.00 कि.मी. लम्बाई में सड़क की चौड़ाई 3.00 मीटर व दोनों तरफ 2.00 मीटर चौड़ी पटरी है जिसके कि.मी. 28/0 पर झाग एवं कि.मी. 42/0 पर बगरू नगरपालिका सीमा स्थित है। इस सड़क के कि.मी. 28/0 से 38/0 तक वर्ष 1986 में निर्मित 3.00 मीटर डामर सड़क को महानरेगा की हरित सड़क योजना के अन्तर्गत 7.00 मीटर तक चौड़ा करने हेतु दोनों ओर 2.00 मीटर चौड़ाई में डब्ल्यू.बी.एम. (मेटल) स्तर तक का कार्य किया गया है।

(2) उक्त सड़क मार्ग की चौड़ाई पूर्व में 3.00 मीटर चौड़ाई की डामर सड़क सहित 7 मीटर थी, जिसकी चौड़ाई बढ़ाकर पटरी सहित 12 मीटर किया जा रहा है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जी हां। उक्त चौड़ाईकरण हेतु खातेदारों की आ रही भूमि का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। उक्त चौड़ाईकरण में खसरा नं. 242 एवं 246 की भूमि का हिस्सा भी उपरोक्त विवरण अनुसार आ रहा है।

(4) जी नहीं। महानरेगा योजना के तहत भूमि का मुआवजा देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(5) जी नहीं। महानरेगा योजनान्तर्गत भूमि के मुआवजा का प्रावधान न होने से काश्तकारों की सहमति से कार्य करवाया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाइवे पर डीडवाना क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण

339. श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना से किशनगढ़, हनुमानगढ़ मेगा हाइवे से होकर गुजरने वाले अनवरत हल्के, भारी वाहनों एवं आपातकालीन वाहनों को रेलवे क्रोसिंग के कारण कई घंटों तक रूकना पड़ता है, जिससे आये दिन जाम की स्थिति पैदा होती है?

(2) क्या सरकार उक्त रेलवे क्रोसिंग पर ओवरब्रिज बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। डीडवाना से होकर गुजरने वाले अनवरत हल्के, भारी वाहनों एवं आपातकालीन वाहनों को किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाइवे पर स्थित रेलवे क्रोसिंग सी-64 से गुजरता पड़ता है जो कि रेल यातायात के समय बन्द कर दिया जाता है एवं इस क्रोसिंग पर कुल 47474 टी.वी.यू. है जो कि 1 लाख टी.वी.यू. से कम है।

(2) उक्त रेलवे क्रोसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

बयाना के बंध बारेठा बांध में नौकायन सुविधा हेतु कार्ययोजना

340. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील बयाना में स्थित बंध बारेठा बांध में प्रचुर मात्रा में पानी की आवक होती है एवं पूरे वर्ष पर्याप्त जलस्तर रहता है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस बांध पर विभिन्न प्रजाति के पक्षियों का प्रवास भी रहता है और यहां पर्यटक भी आते हैं?

(3) क्या सरकार उक्त बांध में नौकायन प्रारम्भ कर पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील बयाना में स्थित बंध बारेठा बांध पिछले 20 वर्षो में सिर्फ 3 बार पूर्ण रूप से भरा है। उक्त बांध के पानी का उपयोग सिंचाई के साथ-साथ भरतपुर शहर की पेयजल योजना में भी किया जाता है जिससे इसका जल स्तर धीरे-धीरे कम हो जाता है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। इस बांध का पानी भरतपुर के लिए पेयजल के लिए उपयोग होता है तथा नौकायन से इस बांध का पानी प्रदूषित होने की सम्भावना रहेगी। इसके साथ-साथ पेयजल व सिंचाई हेतु जल दिये जाने के कारण नौकायान हेतु पर्याप्त जल स्तर उपलब्ध नहीं होता है।

लघु औद्योगिक इकाइयों को बिजली कनेक्शन हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र की बाध्यता पर छूट

341. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा विद्युत कनेक्शन लेने हेतु सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र लाने की शर्तें लागू कर दी गई हैं? यदि हां, तो आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त आदेश से राज्य में लघु इकाई के उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा? यदि हां, तो क्या सरकार इनको बढ़ावा देने के लिए किसी प्रकार की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। बिजली कनेक्शन देने हेतु सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा एनओसी अथवा एक्नोलेजमेंट जारी करने के सम्बन्ध में आदेश क्रमांक जेपीआर 5-655 एवं जेपीआर 5-687 के तहत प्रावधान निर्धारित किये गये हैं। आदेशों की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नही। छोटे से छोटे उद्योग जिनसे किसी प्रकार के प्रदुषण के फैलने की सम्भावना नही है, उनको भी एन.ओ.सी. लेना अनिवार्य किया गया है किन्तु विद्युत कनेक्शन लेने के लिये लघु इकाई के उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा सी.टी.ई. लेने की शर्त का सरलीकरण किया गया है।

प्रपत्र-अ

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER (COMMERCIAL)

No. JPD/SE(C)/XEN(C-I)F.1(13)Pt.-IV/D. 1309 Dt. 24.08.2012

ORDER

Sub : Regarding release of Industrial connections.

In view of the decision taken in the meeting held on 18.05.2012 under the chairmanship of Chief Secretary, Govt. of Rajasthan and the instructions/ clarifications issued by the Energy Deptt., GOR, vied letter No. F. 17(25)/ Energy/2011 jaipur dated 31.05.2012 and letter No. F.17(25)/Energy/2011 jaipur dated 07.08.2012, the following instructions are hereby issued.

1. Henceforth no new electric connections are to be released to the Kapra Rangai Chapai units situated in Sanganer (Revenue & Municipal limits of Sanganer):
2. No new electric connections is to be released to any industry established in the area of all Discoms without obtaining CTE (Consent to Establish) from Rajasthan State Pollution Control Board (RSPCB).

All concerned are directed to comply with the above instructions strictly.

By Order,
S.C. Sharma
Superintending Engineer (Comml.)

प्रपत्र-अ

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER (COMMERCIAL)

No. JPD/SE(C)/XEN(C-I)F.1(13)Pt.-IV/D. 182	Dt. 29.01.2013

ORDER

Sub : Regarding release of Industrial connections.

In pursuance of the decision taken in the meeting held on 18.5.2012 under the Chairmanship of Chief Secretary, Govt. of Rajasthan, Instructions were issued for not to release new electric connections to any industry established in the area of Discoms without obtaining CTE (consent to Establish) from Rajasthan State Pollution Control Board vide order No. 1309 dated 24.8.2012 (JPR-655).

In view of the notification issued by Department of Environment on dated 3.1.2013 and further direction issued by Energy Deptt. Govt. Rajasthan vide letter No. F.17(25)/Energy/2012 dated 21.01.2013 acknowledgement in prescribed format issued by RSPCB of the consent to operate application will serve the purpose of consent of RSPCB, and in such case separate CTE (consent of Establish) is not required.

The above directions are issued in continuation to the order No. 1309 dated 24.8.2012 (JPR-655) in respect of requirement of CTE only. All concerned are directed to comply with the above instructions strictly.

By Order,
R.P. Agarwal
Superintending Engineer (Comml.)

पीपल्दा में बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन

342. श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला कोटा में वर्ष 2009 से जनवरी, 2013 तक कितने बी.पी.एल. परिवारों को बिजली का कनेक्शन दिया गया? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में वर्ष 2009 से जनवरी, 2013 तक कितने बी.पी.एल. परिवारों ने विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया? उनमें से कितने आवेदकों के विद्युत कनेक्शन स्वीकृत/निरस्त किये गये? निरस्त करने के क्या कारण रहे? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला कोटा में वर्ष 2009 से जनवरी, 2013 तक के 10वें प्लान

(ऊर्जा मंत्री)

के शेष रहे सर्विस लाइन से साध्य 951 कनेक्शन जारी किये गये, जिनकी विधान सभा क्षेत्रवार संख्या निम्न है:-

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	उपखण्ड कार्यालय	कनेक्शन
1	पीपल्दा	स.अ. इटावा	300
2	लाडपुरा	स.अ. ग्रामीण कोटा	67
3	सांगोद	स.अ. सुल्तानपुर	87
4	सांगोद	स.अ. कनवास	67
5	सांगोद	स.अ. सांगोद	191
6	रामगंजमण्डी	स.अ.रा. मण्डी	25
7	चेचट	स.अ. चेचट	214

(2) बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन नहीं करना पड़ता है अपितु सेन्सस 2002 के अन्तर्गत शामिल बीपीएल परिवारों की सूची के आधार पर साध्य कनेक्शन जारी किये गये हैं। अत: आवेदन निरस्त होने का कोई प्रश्न नहीं होता है। पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2009 से जनवरी, 2013 तक 10वें प्लान के बचे हुये साध्य 300 बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं जिनका पंचायतवार विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

प्रपत्र-अ

क्र.सं.	पंचायत का नाम	जारी किये गये बीपीएल कनेक्शन की संख्या
1	जटवाडी	6
2	बिनायका	7
3	अयाना	4
4	खातोली	7
5	बड़ौद	5
6	रजोपा	29
7	बलोपा	6
8	रामपुरा	2
9	गणेशगंज	1

क्र.सं.	पंचायत का नाम	जारी किये गये बीपीएल कनेक्शन की संख्या
10	अयानी	1
11	लक्ष्मीपुरा	38
12	जोरावरपुरा	13
13	बम्बुलिया कलां	19
14	ख्यावदा	4
15	करवाड	42
16	दुर्जनपुरा	8
17	गेता	15
18	इटावा	41
19	जलोदा खातियान	6
20	वलाद	12
21	नोनेरा	1
22	चम्बल ढिबरी	2
23	ककरावदा	24
24	रनोदिया	7
	कुल	300

बाली के अविद्युतीकृत बी.पी.एल. परिवार

343. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली का अविद्युतिकृत बी.पी.एल. बाहुल्य पंचायत मुख्यालय पीपला, पंचायत गौरिया का ग्राम कोरबा, पंचायत बेडा का गांव रोनवाडा, पंचायत नाणा का गांव गोरधनपुरा, पंचायत काकराडी का कोरबा गांव सांभरवाडा, पंचायत कूरण का गांव खेतरली, पंचायत भन्दर का गांव भारला के बी.पी.एल. परिवार राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से वंचित हैं? यदि हां, तो पंचायतवार गांववार ऐसे परिवारों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांव, ढाणियों, पंचायतों में रहने वाले बी.पी.एल. परिवारों को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में विद्युत कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बाली के बीपीएल बाहुल्य पंचायत मुख्यालय पीपला एवं पंचायत गौरीया का ग्राम कोरबा वन क्षेत्र में होने के कारण विद्युतीकृत नहीं किये जा सके हैं। पंचायत काकराडी का गांव सांभरवाड़ा, पंचायत कूरण का गांव खेतरली, पंचायत भन्दर का गांव भारला वर्तमान में विद्युतीकृत है एवं इनमें बीपीएल परिवार को प्रदान किये गये विद्युत सम्बन्धों का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है। पंचायत बेडा का गांव रोनवाडा, पंचायत नाणा का गांव गोरधनपुरा को 12वीं पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकृत किया जाना प्रस्तावित है। पंचायत काकराडी में कोई कोरबा गांव नहीं है।

(2) जी हां। वन क्षेत्र में आने वाले गांवों के अलावा, आगामी 12वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये मैसर्स आरईसी पीडीसीएल द्वारा वास्तविक सर्वे कार्य किया जा रहा है। सर्वे कार्य पूर्ण होने एवं स्वीकृति के पश्चात योजनानुसार कार्यों को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। वन क्षेत्र में आने वाले गांवों के विद्युतीकरण हेतु अक्षय ऊर्जा के तहत प्रस्ताव बनाकर भेजना प्रस्तावित है।

प्रपत्र-अ

पंचायतवार गांववार विद्युत कनेक्शन से वंचित बीपीएल परिवारों की संख्या सूची प्रपत्र 'अ' अनुसार है

क्र.सं.	पंचायत का नाम	गांव का नाम जनगणना 2001 के अनुसार	जारी बीपीएल संख्या	विद्युतीकृत	विशेष विवरण
1	पीपला	पीपला	0	अविद्युतीकृत	वन क्षेत्र में आने वाला गांव
2	गोरिया	कोरवा	0	अविद्युतीकृत	वन क्षेत्र में आने वाला गांव
3	बेडा	रानवाडा	0	अविद्युतीकृत	जनगणना 2001 के पश्चात नवसृजित राजस्व गांव

क्र.सं.	पंचायत का नाम	गांव का नाम जनगणना 2001 के अनुसार	जारी बीपीएल संख्या	विद्युतीकृत	विशेष विवरण
4	नाना	गोरधनपुरा	0	अविद्युतीकृत	जनगणना 2001 के पश्चात नवसृजित राजस्व गांव
5	काकराडी	साम्भरवाड़ा	25	विद्युतीकृत	
6	कुरण	खेतरली	168	विद्युतीकृत	
7	भन्दर	भारला	13	विद्युतीकृत	

बामनवास के अविद्युतीकृत ग्राम

344. श्री नवलकिशोर (बामनवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कितने गांव व ढाणियां विद्युतीकरण से वंचित हैं?

(2) क्या सरकार उक्त वंचित ग्राम का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कोई भी गांव विद्युतीकरण से वंचित नहीं है एवं 5 ढाणियां विद्युतीकरण से वंचित हैं उनके नाम 1. कुआ गांव की भंवरकी ढाणी, 2. बिचपुरी की ओजक्या ढाणी, 3. बामनवास पट्टी कलां का ढाब का पुरा, 4. रियाली राठौडन की ढाणी एवं 5. भाव बडीयाला की ढाणी।

(2) कोई भी ग्राम विद्युतीकरण से वंचित नहीं है।

बायतू पशु चिकित्सालय का क्रमोन्नयन

345. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में पशुधन बहुतायत में पाया जाता है और लोगों का जीवनोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन है?

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पशुओं के स्वास्थ्य हेतु जिले में पशु चिकित्सालयों का संचालन किया जा रहा है? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिले में पोली क्लीनिक की सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो पशुओं के अधिक बीमारी होने पर उनको कहां रेफर किया जाता है?

(4) क्या सरकार पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बायतू के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को पोली क्लीनिक में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जिला बाड़मेर के पशु चिकित्सालयों की पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। प्रदेश में वर्तमान में 16 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय संचालित है। जिन जिलों में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय संचालित नही हैं वहां प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय संचालित हैं। बाड़मेर जिले से जटिल चिकित्सा के लिए पशुओं को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, जोधपुर को रेफर किया जाता है।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट-अ

बाड़मेर जिले की पंचायत समितिवार चिकित्सालयों की सूची

पंचायत समिति	संस्था का नाम	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी		पशु चिकित्सा अधिकारी		पशु चिकित्सा सहायक		पशुधन सहायक		पशुधन परिचर		जलधारी		स.कर्ता		गडरिया	
		स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त
बाड़मेर	प्र.श्रे.प.चि. बाड़मेर	1	1	1	1	1	1	4	0	3	0			1	0	1	0
	प्र.श्रे.प.चि. रामसर	1	0			1	1	1	1	2	0			1	1		
	प.चि. सनावडा			1	0			1	1	1	0	0	1	1	0		
	प.चि. विशाला			1	0			1	1	1	0	0	1	1	0		
	प.चि. मीठडा			1	1			2	1	0	0	1	0	1	0		
	प.चि. ईशरोल			1	1			2	2	0	0	1	0	1	0		
	प.चि. लीलसर			1	1			1	0	2	2						
	प.चि. गंगाला			1	1			1		1	1	1	1				
	प.चि. सज्जनकापार			1	0			1	1	1	1	1	1				
बायतू	प्र.श्रे.प.चि. बायतू	1	0			1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0
	प्र.चि. कवास			1	0	1	1	1	0	1	0			1	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
बायतू	प.चि. बाटाडू			1	1			1	0	1	0	0	1	1	0		
	प.चि. हीरा की ढाणी			1	1			2	0	0	0	1	0	1	0		
	प.चि. गिडा	1	1					2	1	1	0			1	1		
	प.चि. बायतू भीमजी			1	0			1	0	2	2						
	प.चि.स.प. सिंह			1	1			2	0	1	0			1	1		
	प.चि. भीमरलाई ग्राम			1	0			1	1	1	1						
बालोतरा	प्र.श्रे.प.चि. बालोतरा	1	1			1	1	1	1	1	0			1	0	1	0
	प्र.श्रे.प.चि. पचदपरा	1	0			1	1	1	0	1	0			1	0	1	1
	प.चि. पाटोदी			1	0			2	0	1	0			1	0		
	प.चि. जसोल	1	1					1	0	1	0	1	1				
	प.चि. कल्याणपुर			1	0	1	1	1	0	1	1			1	1		
	प.चि. तिलवाडा			1	1			2	1	1	1			1	0		
	प.चि. किटनोद			1	0	1	1	1	1	1	0			1	0		
	प.चि. कनाना			1	0			2	1	0		1	0	1	0		
	प.चि. मूल की ढाणी			1	0			1	1	1	1	1		1	1		
	प.चि. टापरा			1	0			1	1	1	1	1	1				
	पशु चिकि. दूदवा			1	1			1	1	1		1	0				
	प.चि. बिठूजा			1	0			1	0	1	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
बालोतरा	पशु चिकि. नवोडाबेरा			1	0			1	1	1	1	1	1				
	प.चि. नवातला			1	1			1	0	1	1	1	1				
	प.चि. अराबाउडो			1	1			1	0	2	2						
सिवाना	प्र.श्रे.प.चि. सिवाना	1	1			1	1	1	0	1	0			1	0	1	0
	प.चि. समदडी			1	1	1	0	1	0	1	1			1	0		
	प.चि. मोकलसर			1				1	1	1	1			1	0		
	प.चि. पादरू			1				2	0	1	1	1	1				
	प.चि. इन्द्राणा			1	1			2	0	0	0	1	0	1	0		
	पशु चिकि. राखी			1	1			1		1	1	1	1				
सिणधरी	प्र.श्रे.प.चि. सिणधरी	1	1			1	1	1	0	1	0	1	0			1	0
	प.चि. चवा			1	1			1	0	1	1	1	1				
	प.चि. शिवकर			1	0			1	0	2	1						
	पशु चिकि. सणपा			1	0			1	1	1	1	1	1				
	प.चि. नौखड़ा			1	0			2	0	1	0	1	1				
	प.चि. पायलकला			1				2	1	0	0	1	0	1	0		
	प.चि. गोलियाजेतमाल			1	1			1	1	2	2						
	प.चि. होड़ू			1	1			1	1	1	1	1	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
सिणधरी	प.चि. मेहलू			1	1			1	0	2	2	1	1				
	प.चि. नेहरों की ढाणी			1	1			1	0	1	1	1	1				
	प.चि. आडेल			1	1			1	0	1	1	1	1				
धोरीमना	प्र.श्रे.प.चि. धोरीमना	1	0			1	0	1	0	1	1			1	0	1	1
	प्र.श्रे.प.चि. गुडामालानी	1	0			1	1	1	1	2	2			1	0		
	प.चि. ओगाला			1	0			1	1	1	0			1	1		
	प.चि. सोनडी			1	0			2	2	1	0			1	1		
	प.चि. भैडाना			1	0			1	1	1	0			1	0		
	प.चि. अरिणयाली			1	0			2	1	0	0	1	1	1	1		
	प.चि. दूधू			1	1			1	0	2	2						
	प.चि. मांगता			1	1			1	0	2	2						
	प.चि. भाखरपुरा			1	0			1	1	1	1						
चौहटन	प्र.श्रे.प.चि. चौहटन	1	0	0		1	1	1	1	1	0			1	1	1	0
	प.चि. सेडवा	1	0					1	1	1	1	1	1				
	प.चि. बाखासर			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	प.चि. नैतराड			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1				
	प.चि. बींजासर			1	1			2	1	1	0			1	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
चौहटन	प.चि. आलमसर			1	0			2	0	1	0	1	0	1	0		
	प.चि. सारला			1	1			2	2	1	1			1	1		
	प.चि. नवातला जे.			1	0			2	1	1	0			1	1		
	प.चि. बीजराड			1	0			1	1	1		1	1				
	प.चि. बुरहानकातला			1	0			1	1	1	1	1	1				
	प.चि. फागलिया			1	1			1	0	1	1	1	0				
शिव	प्र.श्रे.प.चि. शिव	1	1			1	1	1	0	1	0			1	0	1	1
	प.चि. भियाड़			1	0			2	0	0	0	1	1	1	1		
	प.चि. जयसिन्धर			1	0			1	1	0	0	1	1	1	1		
	प.चि. उण्डू			1	1			1	0	1	0	1	1				
	प.चि. हरसाणी			1	1			2	1	0	0	1	1	1	1		
	प.चि. राणासर			1	0			2	2	0	0	1	0	1	1		
	प.चि. गडरारोड	1	0					1	1	1		1	0				
	प.चि. बन्धडा			1	0			1	1	2	2						
	प.चि. खानियानी			1	1			1	0	1	1	1	1				

सादुलपुर के पशु चिकित्सालय रहित ग्राम पंचायत मुख्यालय

346. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में पालतू पशुओं की संख्या कितनी है? ग्रामवार व पशुवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पशु उप केन्द्र एवं पशु चिकित्सालय खोलने के कोई मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के ग्राम घणाऊ, हमीरवास, राघा बडी, कालरी इत्यादि जो पंचायत मुख्यालय भी हैं तथा पशु उप केन्द्र खोले जाने के मानदण्ड पूरे करते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पंचायत मुख्यालयों पर पशु उप केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पशुगणना विधान सभा क्षेत्रवार नहीं की जाती है। पशुगणना 2007 के अनुसार तहसील सादुलपुर (राजगढ़) जिला चूरू की पशुओं की संख्या 29.18 लाख है। ग्रामवार व पशुवार संख्या परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। नवीन पशुचिकित्सा संस्था खोलने के मापदण्ड परिशिष्ट ब पर उपलब्ध है|

(3) जी हां। नवीन पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं उपलब्धतानुसार खोली जाती हैं|

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-347

(स्थगित)

भीलवाड़ा डेयरी के विकास हेतु कार्ययोजना

348. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा जिले में संचालित भीलवाड़ा डेयरी का दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से 31 जनवरी, 2013 की अवधि में लाभांश क्या रहा? वर्षवार आय व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामलाल गुर्जर)

(2) सरकार द्वारा उक्त डेयरी के विकास हेतु क्या-क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में संचालित भीलवाड़ा डेयरी का 01-04-2010 से 31-01-2013 की अवधि में वर्षवार लाभांश निम्नानुसार है :-

राशि रुपये में

वर्ष	लाभांश (लाभ/हानि)
2010-11	127,26,695.61
2011-12	143,20,065.60
2012-13 (जनवरी, 2013 तक) एवं 2012-13 (फरवरी, 2013 तक)	(-) 124,21,686.84 45,30,223.76

वर्षवार आय-व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

राशि रुपये में

वर्ष	आय	व्यय
2010-11	177,48,53,461.60	176,21,26,765.99
2011-12	207,23,12,653.32	205,79,92,587.72
2012-13 जनवरी, 2013 तक (अनुमानित) एवं 2012-13 फरवरी, 2013 तक (अनुमानित)	212,62,68,396.64 232,28,63,063.07	213,86,90,083.48 231,83,32,839.31

(2) भीलवाड़ा डेयरी के विकास हेतु संचालित योजनाओं का विवरण प्रदर्श "क" पर संलग्न है ।

प्रदर्श-क

राज्य सरकार द्वारा डेयरी विकास हेतु संचालित योजनाओं का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि		राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि			अन्य एजेन्सीयों से प्राप्त राशि			
		अनुदान के रूप में	ऋण के रूप में	अनुदान के रूप में	ऋण के रूप में		अनुदान के रूप में	ऋण के रूप में		
2010-11	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)	800000.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	दुग्ध समितियों पर बी.एम.सी. की स्थापना एवं पशु क्रय
2011-12	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)	50499250.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	
2012-13	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)	0.00								
	TOTAL	**51299250.00**								
2010-11	समग्र सहकारी विकास कार्यक्रम (ICDP)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	3860000.00	16485000.00		दुग्ध समितियों पर बी.एम.सी. एवं एमएमसीयू की स्थापना
2011-12	समग्र सहकारी विकास कार्यक्रम (ICDP)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	3252000.00	13008000.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2012-13	समग्र सहकारी विकास कार्यक्रम (ICDP)						0.00	0.00	
	TOTAL							**29493000.00**	
2010-11	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) AMCS Grant/ Training	0	0.00	1839960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	एमएमसीयू अनुदान व प्रशिक्षण
2010-11	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) AMCS Grant/ Training	0	0.00	72753.00					प्रशिक्षण कार्यक्रम
	TOTAL			**1912713.00**					
2010-11	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) अकाल राहत पशु आहार	0	0.00	155504576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	अकाल राहत पशु आहार
2011-12	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) अकाल राहत पशु आहार	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2012-13	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) अकाल राहत पशु आहार	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL			**155504576.00**					
2010-11	जिला आबकारी विभाग (नवजीवन योजना)	0	0.00	267138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011-12	जिला आबकारी विभाग (नवजीवन योजना)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012-13	जिला आबकारी विभाग (नवजीवन योजना)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL			**267138.00**					
	स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना प्रोजेक्ट (SGSY) एवं प्रशिक्षण	0	0.00	12875000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	बीएम.सी. क्रय, पशु चिकित्सा कैम्प, टीकाकरण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना प्रोजेक्ट (SGSY) एवं प्रशिक्षण	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	बीएम.सी. क्रय, पशु चिकित्सा कैम्प, टीकाकरण
	स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना प्रोजेक्ट (SGSY) एवं प्रशिक्षण	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL			12875000.00					
2011-12	विधायक कोष	0	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	समिति भवन निर्माण
	TOTAL			**10000.00**					

सहाड़ा की पुनर्गठन योग्य पंचायतें

349. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में मंगरा क्षेत्र एवं भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्र की बड़ी ग्राम पंचायतें बनी हुई हैं? क्या सरकार ऐसे मंगरा क्षेत्र में दूरदराज में बसे हुए गांवों की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जहां भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी एवं मंगरा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जा सकता है? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101 में वर्णित प्रावधानों के तहत किसी भी पंचायती राज संस्था का पुनर्गठन करने के बाद पुनर्गठित पंचायती राज संस्था भंग हो जाती है तथा पुनर्गठित एवं नवसृजित पंचायती राज संस्था के चुनाव 6 माह में करवाया जाना आवश्यक हो जाता है । पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी-फरवरी, 2010 में ही सम्पन्न करवाये गये है। पुनर्गठन का कार्य पूरे राज्य के लिये समान है। अतः अभी ऐसी पंचायतों का पुनर्गठन करना व्यवहारिक रूप से उचित नही है ।

(2) वर्तमान में पंचायतों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के बारे वर्तमान में अवगत कराया जाना सम्भव नहीं है ।

भरतपुर के पाला/ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को मुआवजा

350. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में वर्ष 2012-13 में पाला पड़ने से किसानों को कहां-कहां कितना नुकसान हुआ? क्या सरकार खराबे की गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री विजय बंसल)

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में खराबे का सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किसानों की फसल को बचाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण देकर उचित उपाय करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तत्समय कराये गये प्रारम्भिग सर्वे अनुसार विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में पाला पड़ने से नुकसान 50 प्रतिशत से कम हुआ है, जो परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। वास्तविक क्षति के सम्बन्ध में 01 फरवरी से 05 मार्च, 2013 तक गिरदावरी करवाई गई है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है। वास्तविक क्षति के सम्बन्ध में जानकारी गिरदावरी रिपोर्ट आने पर ही ज्ञात हो सकेगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानदण्डानुसार प्रभावित पात्र कृषकों को फसल खराबे पर सहायता देय है।

(2) रबी फसल 2013 की 01 फरवरी से 05 मार्च, 2013 तक गिरदावरी करवाई गई है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

(3) जी हां, फसलों को पाले से बचाने के लिए कृषकों को प्रत्येक कृषक प्रशिक्षण, ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित रबी अभियान एवं किसान गोष्ठी, किसान मेले, कृषि सम्बन्धित साहित्य खेती री बांता व समाचार पत्रों किसान काल सेन्टर आदि के माध्यम से तकनीकी जानकारी दी जाती है।

परिशिष्ट-अ

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर (राजस्थान)

क्रमांक : एफ 40 (1)सहा/2011/497 दिनांक 12 मार्च, 2013

संयुक्त शासन सचिव,

आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग,

राज. जयपुर

विषय :- विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3031/आपदा प्रबंधन एवं सहायता द्वारा माननीय विधयक श्री विजय बंसल (169) के क्रम में।

प्रसंग :- आपके पत्र क्रमांक एफ.11(51)आ.प्र. एवं सहा/वि.स./2013/3359 दिनांक 04.03.2013

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3031/आपदा प्रबंधन एवं सहायता द्वारा माननीय विधायक श्री विजय बंसल (169) के प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में निवेदन है कि तत्समय कराए गये प्रारम्भिक सर्वे अनुसार विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में पाला पड़ने से नुकसान 50 प्रतिशत से कम हुआ है। वास्तविक नुकसान के सम्बन्ध में 1 फरवरी से 5 मार्च तक गिरदावरी कराई गई है। जिसकी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। वास्तविक नुकसान के सम्बन्ध में जानकारी गिरदावरी की रिपोर्ट आने पर ही ज्ञात हो सकेगी। नुकसान का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम तहसील	फसल का नाम/फसल में हुई क्षति का प्रतिशत				
		सरसों	तारामीरा	आलू	मटर	सब्जी
1.	भरतपुर	15-20	-	25-30	-	-

प्रभारी अधिकारी,
आपदा प्रबंधन एवं सहायता,
कलक्ट्रेट, भरतपुर

गढ़ी में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा

351. श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 2011-12 में अतिवृष्टि में कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए? इनमें से कितनों को सहायता देने के प्रस्ताव सरकार को भेजे गये?

(2) उक्त प्रेषित प्रस्तावों में से कितनों को कितनी-कितनी सहायता कब-कब स्वीकार की गयी? अस्वीकृत प्रस्तावों का कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सहायता देने सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 2011-12 में अतिवृष्टि से 369 मकान क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई, इनमें से 42 प्रकरणों में सहायता प्रस्तावित की गई।

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री)

(2) प्रेषित प्रस्तावों में से 21 प्रकरणों में सहायता स्वीकृत की गयी, जिसका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है एवं 21 प्रकरणों में सहायता देने हेतु 0.77 लाख का बजट आबंटन कर दिया गया है। शेष 327 प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानदण्डानुसार सहायता देय नहीं है।

(3) भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास हेतु संचालित योजनाएं

352. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का एक भी बड़ा अनुसंधान एवं निर्माण केन्द्र नहीं है? यदि हां, तो क्यों एवं क्या सरकार प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं शिक्षण हेतु केन्द्र स्थापित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? उक्त योजनाओं में कितना बजट प्रत्येक वर्ष किन-किन योजनान्तर्गत आबंटित किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में अन्य राज्यों की तरह प्रौद्योगिकी के विकास एवं संवर्द्धन हेतु संस्थान नहीं है? क्या सरकार के पास वर्तमान में या आगामी वर्षों में प्रौद्योगिकी केन्द्र बनाये जाने हेतु कोई कार्ययोजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2011-12 में विभाग द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के ''सेन्टर फार कन्वरजिंग टेक्नोलोजी'' में "सेन्टर आफ एक्सीलेंस फॉर नेनो टेक्नोलोजी'' स्थापित किया गया है।

(2) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत इस विभाग, द्वारा जिन कार्य एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, उनमें वर्ष 2012-13 में आबंटित बजट का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अन्तर्गत राज्य में निम्न मुख्य संस्थान प्रौद्योगिकी के विकास एवं संवर्द्धन हेतु कार्यरत है।

सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक एण्ड इन्जीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पिलानी।

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र एवं अनुसंधान केन्द्र, जोधपुर।

शुष्क वन अनुसंधान केन्द्र, जोधपुर।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान के अन्तर्गत राज्य में प्रौद्योगिकी के विकास एवं संवर्द्धन हेतु कोई संस्थान वर्तमान में कार्यरत नहीं है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान के समक्ष वर्तमान में राज्य को प्रौद्योगिकी का केन्द्र बनाये जाने हेतु कोई योजना प्रभावी नहीं है। राजस्थान को प्रौद्योगिकी का केन्द्र बनाये जाने की संभावना तलाश की जा रही है एवं उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत संचालित कार्य, योजना एवं आबंटित बजट का विवरण

क्र.सं.	संचालित कार्य एवं योजनाओं का नाम	आबंटित बजट 2012-13 (राशि लाखों में)
1.	राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र	347.00
2.	विज्ञान एवं समाज	608.50
3.	विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण	228.98
4.	जैव प्रौद्योगिकी	16.71
5.	उद्यमिता विकास	16.45
6.	पेटेन्ट सूचना केन्द्र	8.00
7.	प्रबंधन सूचना तंत्र	7.04

क्र.सं.	संचालित कार्य एवं योजनाओं का नाम	आबंटित बजट 2012-13 (राशि लाखों में)
8.	अनुसंधान एवं विकास	201.50
9.	निर्माण कार्य	272.01

Director
Department of Science &
Technology, Govt. of Rajasthan
JAIPUR (Raj.)

चूरू जिले में रेलवे अण्डरब्रिज निर्माण हेतु जारी स्वीकृति

353. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले में रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन के कारण गांवों के आवागमन के रास्ते बन्द हो रहे हैं और ग्रामीणों द्वारा आन्दोलन चलाये जाकर अण्डरब्रिजों की मांग की जा रही है? यदि हां, तो चूरू जिले में किस-किस स्थानों पर अण्डरब्रिजों की आवश्यकता है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत रेलवे अण्डर ब्रिजों की स्वीकृतियां जारी की गई थीं, परन्तु बाद में रोक लगा दी गई?

(3) क्या सरकार मनरेगा योजना में ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अण्डरब्रिजों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि चूरू जिले में रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन के कारण गांवों के आवागमन के रास्ते बन्द हो रहे हैं और ग्रामीणों द्वारा आन्दोलन चलाये जाकर अण्डरब्रिजों की मांग की जा रही है। ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा 56 स्थानों पर अण्डरब्रिज की आवश्यकता बताई है, परन्तु रेलवे विभाग द्वारा 39 स्थानों पर अण्डरब्रिज निर्माण सम्भव बताया है। रेलवे अण्डरब्रिज के प्राप्त 56 प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिन रेलवे अण्डर-ब्रिज की स्वीकृति जारी की गई है उन पर बाद में कोई रोक नही लगाई गई है।

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

(3) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराए जाने वाले कार्यों का वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित होना आवश्यक है एवं कार्य योजना में सम्मिलित कार्यों को रोजगार की मांग के आधार पर तथा योजना के प्रावधानानुसार कराये जाने वाले कार्यों की लागत में सामग्री मद ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर तथा लाइन विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में पंचायत समिति स्तर पर, 40 प्रतिशत की सीमा तक के आधार पर कार्य कराए जा सकते हैं।

परिशिष्ट-1

चूरू जिले में रेलवे अण्डरब्रिज निर्माण की मांग के स्थानों की सूची

क्र.सं.	स्थान	लोकेशन
1.	पायली	332.186
2.	मोलीसर बड़ा	300.95
3.	देपालसर	288.315
4.	डोकवा	231.56
5.	हडियाल	246/345
6.	शेर-रामपुरा बैरी	192/9-190/0
7.	गुगलावा-रामपुरा बैरी	196/7-8
8.	रडवा-कांधरान	215/0-1
9.	धांगडा-सिद्घमुख	143/13-14
10.	चुवकियाताल-ढिगारला	151/1-2
11.	पहाडसर-गुलपुरा	167/3-4
12.	आनन्दवासी-रूपलीसर	24/0-1
13.	रतनगढ़-भानूद	5/1-2
14.	रतनगढ़-सिकराली	3/8-9
15.	एन.एच. 65-लूटाणा पूरन	62/7-8
16.	देपालसर-श्योपुरा	287/9-288/0
17.	हुडेरा-नोसरिया डी-5, कैटल क्रासिंग के पास	5/100
18.	पाबुसर-मैलूसर-गोगासर किमी. 17	16/9-10
19.	दुलरासर-आसलसर	27/4-5

क्र.सं.	स्थान	लोकेशन
20.	सातड़ा-जुहारपुरा	298/7-8
21.	साजनसर-देराजसर	37/3-4
22.	उदासर-देराजसर	34/1-2
23.	रूपलीसर-मांगासर	24/9-25/0
24.	खिलेरिया-रूपलीसर	22/4-5
25.	पाबुसर-मालासर	19/2-3
26.	मैलूसर-गोगासर	16/8-9
27.	छोटड़िया-गोगासर	14/7-8
28.	हंसासर-गोगासर	12/6-7
29.	गोलसर-गोगासर	11/1-2
30.	नोसरिया-कांगड	7/3-4
31.	नोसरिया-लधासर	6/8-9
32.	हुडेरा-राजलदेसर	3/5-6
33.	कल्याणपुरा-सरदारशहर	38/4-5
34.	श्योपुरा-बीनासर	289/5-6
35.	खुडेरा बड़ा-खारिया गारिसर	311.150
36.	दुधवाखारा-आसलू	257/0-1
37.	आसलू-चूरू	275/0-1
38.	रतनगढ़-राजलदेसर	340.250
39.	खारिया-चौकी संख्या	312/0-1
40.	ढिगारला-घणाउ	153/6-7
41.	चैनपुरा छोटा-हांसियाबास	156/7-8
42.	ख्याली-भगेला	
43.	पहाडसर-नरवासी	165/7-8
44.	भगेला-चैनपुरा	
45.	गुलपुरा-लुटाणा	169/7-8
46.	गुलपुरा-लुदी	169/1-2
47.	गुलपुरा-लुटाणा सदासुख	169/13
48.	हुडेरा-चम्पावासी	3/5-6
49.	एन.एच. 65-लूटाणा पूरन	58/7-8
50.	एन.एच. 65-लूटाणा अमीचन्द	60/2-3

क्र.सं.	स्थान	लोकेशन
51.	लसेड़ी मिट्ठी-रेड्डवान	56/5-6
52.	खारिया-खुडेरा चारणान	311/7-8
53.	रतनसरा-खुडेरा बीकान	309/0-1
54.	कालरी-बेवड	
55.	भोजाण-बेवड	
56.	गुगलवा-किरतान, बेवड भेसली	

बहरोड़ के राजकीय धर्मचन्द गांधी जैन महाविद्यालय का स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नयन

354. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय धर्मचन्द गांधी जैन महाविद्यालय बहरोड़ में वर्तमान में कौन-कौन से संकाय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार छात्रों की बढ़ती संख्या एवं मांग को देखते हुये राजकीय धर्मचन्द गांधी जैन महाविद्यालय बहरोड़ में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजकीय धर्मचन्द गांधी जैन महाविद्यालय, बहरोड़ में वर्तमान में स्नातक स्तर पर कला एवं वाणिज्य संकाय संचालित है तथा विज्ञान संकाय स्ववित्तपोषी योजना में संचालित है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए स्नातकोत्तर स्तर प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

स्ववित्तपोषी योजना में एम.ए. हिन्दी साहित्य एवं राजनीति विज्ञान संचालित है।

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर द्वारा आधुनिकीकरण पर व्यय राशि

355. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री वासुदेव देवनानी)

(1) राजकीय महाविद्यालय अजमेर में वर्ष 2010-11 से जनवरी, 2013 तक भवन मरम्मत रंग-रोगन एवं कितने फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फोटो स्टेट मशीन आदि क्रय करने के लिए कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? वर्षवार, कार्यवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) महाविद्यालय में उक्त कार्य कराये जाने व उपकरण क्रय किये जाने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया? क्या उक्त कार्यों हेतु कोई प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया था? यदि हां, तो उक्त कार्यों हेतु कितना बजट आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) महाविद्यालय छात्र निधि राशि से उक्त कार्यों पर अत्यधिक राशि व्यय करने एवं बड़ी संख्या में उपकरण क्रय करने के पीछे महाविद्यालय प्रशासन की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2010-11 से वर्तमान तक भवन मरम्मत, रंग-रोगन एवं कितने फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फोटो स्टेट मशीन आदि क्रय करने के लिए कितनी राशि किस-किस मद से व्यय की गयी वर्षवार, कार्यवार व मदवार सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई राशि का प्रस्ताव 11वीं योजना के अन्तर्गत प्राचार्य द्वारा भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई।

राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया।

छात्रनिधि मद से निर्धारित सीमा तक प्राचार्य द्वारा अत्यन्त आवश्यक होने पर राशि का उपयोग किया जा सकता है। उसके सम्बन्ध में नियम परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। विकास समिति की अनुशंसा के अनुरूप विकास समिति की राशि का उपयोग किया गया।

(3) महाविद्यालय द्वारा सत्र 2010-11 में रंग-रोगन एवं भवन पर एक लम्बे समय के बाद महाविद्यालय के 175वां वर्ष पूर्ण होने पर राशि व्यय की गई एवं सत्र 2012-13 में विद्यार्थियों की संख्या एवं परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण इस मद में से फर्नीचर क्रय किया गया।

परिशिष्ट-अ

राजकीय मद (युवा विकास केन्द्र योजनान्तर्गत)

सत्र	भवन/ मरम्मत/रंग रोगन	फर्नीचर	प्रिन्टर	फोटो स्टेट मशीन	कम्प्यूटर
2010-11		96560/-			
2012-13					29978/-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त राशि

सत्र	भवन/ मरम्मत/रंग रोगन	फर्नीचर	प्रिन्टर	फोटो स्टेट मशीन	कम्प्यूटर
2010-11					493163/-
2011-12		376983/-	348645/-	181511/-	1999000/-
2012-13		862373/-	133427/-	1558864/-	1190700/-

विकास समिति

सत्र	भवन/ मरम्मत/रंग रोगन	फर्नीचर	प्रिन्टर	फोटो स्टेट मशीन	कम्प्यूटर
2010-11		116833/-			20350/-
2011-12	67108/-	1010590/-			49500/-
2012-13		803199/-			

छात्र निधि मद

सत्र	भवन/ मरम्मत/रंग रोगन	फर्नीचर	प्रिन्टर	फोटो स्टेट मशीन	कम्प्यूटर
2010-11	782600/-	109310/-			
2011-12	44035/-	26506/-			
2012-13	86477/-	472442/-			

एफ.आई.एस.टी. (केन्द्र सरकार द्वारा)

सत्र	भवन/ मरम्मत/रंग रोगन	फर्नीचर	प्रिन्टर	फोटो स्टेट मशीन	कम्प्यूटर
2010-11					364000/-
2012-13			66150/-		

परिशिष्ट—ब

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर

क्रमांक : प.7 शिक्षा-3/2004   दिनांक 16.12.04

आदेश

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 7(5) शिक्षा-3/2004 दिनांक 3.9.2004 द्वारा राजस्थान राज्य छात्रनिधि नियम 1970 (राजकीय कालेज) के नियम 4(33)(एच) में प्राचार्य/ आयुक्त कालेज शिक्षा को कोष की राशि को व्यय करने हेतु निम्नानुसार शक्तियां प्रदत्त की गई थी :-

1. प्राचार्य, राजकीय स्नातक कालेज   1.00 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष
2. प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर कालेज 1.50 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष
3. आयुक्त, कालेज शिक्षा   3.00 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष
4. राज्य सरकार   3.00 लाख रुपये से अधिक

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि अनेक राजकीय महाविद्यालयों में छात्रनिधि में बड़ी मात्रा में राशि एकत्रित हो गई है जिसका प्रचलित नियमों में किये गये संशोधन दिनांक 3.9.2004 के द्वारा व्यय करने की शक्तियों में वृद्धि के पश्चात भी समुचित उपयोग होना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर यह निर्णय लिया गया है कि संशोधन की तिथि दिनांक 3.9.2004 से पूर्व समस्त राजकीय महाविद्यालयों के छात्रकोष में उपलब्ध राशि को व्यय करने हेतु राजस्थान राज्य छात्रनिधि नियम 1970 (राजकीय कालेज के नियम 4(3)(एवं) के वर्तमान प्रावधान में व्यय करने का सम्बन्धित अधिकारियों की शक्तियों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

प्रत्येक महाविद्यालय के लिए

1. प्राचार्य, राजकीय स्नातक 5.00 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष

2. प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर कालेज 8.00 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष

3. आयुक्त, कालेज शिक्षा 15.00 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष

राज्य सरकार 15.00 लाख रुपये से अधिक

छात्र निधि कोष से व्यय वित्तीय नियमों को ध्यान में रखकर ही किया जावे और जमा राशि का समुचित उपयोग शीघ्र करने की कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त संशोधन पूर्व में जमा राशि के उपयोग हेतु ही लागू रहेगा। आगामी वर्षों के लिए उपलब्ध राशि को व्यय करने की शक्तियां अधिसूचना दिनांक 3.9.2004 में अंकित अनुसार ही लागू होगी।

उप शासन सचिव उच्च शिक्षा

जयपुर

राजकीय विभागों को वस्त्र आपूर्ति हेतु निर्धारित दरें

356. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आयुक्त उद्योग के आदेश क्रमांक एफ.13 (आ.उ./हा.क./सी.एस.पी.ओ08) दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 द्वारा खादी संस्थाओं/भण्डारों से बिना निविदा के राजकीय विभागों में वस्त्र आपूर्ति हेतु दरों का निर्धारण किया गया था? यदि हां, तो उक्त आदेश की पालना में आदेश की शर्त सं. 08 की पालना में दिनांक 01 अप्रैल, 2011 को जारी मान्यता प्राप्त खादी भण्डारों/संस्थाओं की सूची मय वर्णित प्रमाण पत्रों के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थाओं का गत दस वर्षों का उत्पादन एवं बिक्री तथा रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) आयुक्त, उद्योग के आदेश क्रमांक एफ.13. उ./हा.क./ सी.एस.पी.ओ./08 दिनांक 07.12.2010 के द्वारा संलग्न संशोधित दरों एवं

(खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री)

विशिष्टियों की स्वीकृति जारी की गई है। खादी व पोली वस्त्र के राज्य में उत्पादन व बिक्री की दरों का निर्धारण खादी संस्थाओं के द्वारा उनकी शीर्ष संस्था राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ, जयपुर के तत्वाधान में, किया जाकर उसका अनुमोदन खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ द्वारा प्रदत्त खादी व पोली वस्त्र की दरों को राजस्थान खादी बोर्ड द्वारा आयुक्त, उद्योग को प्रेषित किया गया एवं ततपश्चात आयुक्त, उद्योग के उक्त आदेश दिनांक 07.12.2010 से संशोधित दरों एवं विशिष्टियों को स्वीकृत किया गया है। उक्त आदेश की शर्त संख्या 8 की पालना में एक अप्रैल, 2011 को मान्यता प्राप्त खादी भण्डारों/संस्थाओं की सूची मय वर्णित प्रमाण पत्रों के जारी नहीं की गई। उक्त आदेश दिनांक 07.12.2010 के बिन्दु संख्या 8 के क्रम में परिपत्र क्रमांक 101 दिनांक 19.05.2011 एवं परिपत्र-ii क्रमांक 956 दिनांक 20.12.2011 राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर द्वारा जारी किये गये, जिनकी प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) प्रतिवर्ष राज्य में कार्यरत सभी खादी संस्था/समितियों के उत्पादन, बिक्री एवं रोजगार संख्या के अंकों के साथ-साथ अन्य सूचनाओं का भी संकलन किया जाता है। यह संकलन बोर्ड द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं का बोर्ड द्वारा तथा खादी आयोग के जयपुर एवं बीकानेर कार्यालयों द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं का उनके द्वारा पृथक्-पृथक् किया जाता है। अत: गत 10 वर्षों की सभी संस्थाओं की संस्थावार वर्षवार संकलित रिपोर्ट परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को पेंशन राशि प्राप्त करने हेतु बायोमैट्रिक्स प्रणाली

357. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रतिवर्ष जीवित रहने का प्रमाण पत्र पेश करना होता है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नियम व प्रक्रिया की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओम बिरला)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त हेतु स्वयं को उपस्थित होकर प्रमाणित करना होता है तथा लिखकर देना होता है कि वो जीवित है? क्या सरकार उक्त व्यवस्था में परिवर्तन करके बायोमैट्रिक्स प्रणाली या अन्य सम्मानजनक व्यवस्था बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व किस प्रकार से व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि सेवानिवृत्त पेंशनधारी विधवा महिलाओं से पुनर्विवाह नहीं करने का पृथक् से प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष मांगा जाता है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? तत्सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्तमान में ऐसे राज्य कितने प्रकरण हैं जिनमें सेवानिवृत्त विधवा महिला पेशनधारियों से पुनर्विवाह नहीं करने का प्रमाण पत्र मांगा गया है? जिलेवार एक वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निदेशक कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर दिनाकं 31-3-2012 तक पेंशनरों की कुल संख्या 330624 है।

(2) जी हां। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियमों के अनुसार पेंशनरों द्वारा जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये निम्न प्रावधान किये गये हैं:-

नियम 136 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्ति दी हुई है।

(क) उन पेंशनरों के जिन्हें सरकार या सम्बन्धित जिले के कलक्टर द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त होने की मंजूरी दे दी गई है।

(ख) उन महिला पेंशनरों के जिनके सार्वजनिक रूप से उपस्थिति देने का रिवाज नहीं है।

(ग) उन पेंशनरों के जो शारीरिक बीमारी या कमजोरी के कारण उक्त प्रकार उपस्थित रहने से मुक्त किये गये हैं।

नियम 134 के प्रावधानों के अनुसार कोष कार्यालय/उपकोष कार्यालय/पेंशन भुगतान अधिकारी से पेंशन प्राप्त करने के मामलों में इस नियम के अन्तर्गत अधिकृत किसी एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्ति का प्रावधान है।

(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि राज्य मंत्री)

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट VI के पैरा संख्या 10(1) के प्रावधानानुसार अधिकृत बैंकों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के लिये जीवन प्रमाण पत्र रिजर्व बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने का प्रावधान है।

सम्बन्धित नियमों की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां।

1. जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नियमों के प्रावधान क्रम संख्या 2 के उत्तर के अनुसार है।
2. जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सरलीकरण हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

(4) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट VI के पैरा 10 (2) में प्रावधानों के अनुसार यदि कोई विधवा परिवार पेंशन प्राप्त कर रही है तो उसके द्वारा इस स्कीम के अधीन पुनर्विवाह नहीं करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। पेंशन प्राप्तकर्ता विधवा परिवार पेंशनर से एक वचन पत्र भुगतानकर्ता शाखा द्वारा ऐसी घटना के घटित होने पर उसकी सूचना तुरन्त पेंशन वितरणकर्ता कार्यालय को देने के लिए दिए जाने का प्रावधान है। अन्य मामलों में (जैसे परिवार पेंशन प्राप्तकर्ता अविवाहित पुत्री या विधुर आदि) विवाह न करने/पुनर्विवाह न करने का प्रमाण पत्र हर छह माह (मई एवं नवम्बर माह) में प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। (नियमों की प्रति संलग्न है)

(5) उक्त सूचना पेंशन भुगतान हेतु सभी अधिकृत बैंकों से प्राप्त की जानी है जिसे कोषाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। उक्त सूचना संकलित करने में समय लगने की सम्भावना है।

संलग्नक

134. जीव प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी

(1) किसी भी प्रकार का कोई भी पेंशनर, जो नीचे विनिर्दिष्ट किसी एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है, व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त है :-

(i) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति;

(ii) भारतीय पंजीयन अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार;

(iii) राजपत्रित अधिकारी;

(iv) किसी पुलिस थाने का प्रभारी जो सब-इन्सपेक्टर की रैंक से निम्न स्तर का पुलिस अधिकारी न हो;

(v) पोस्टर मास्टर, विभागीय सब-पोस्टमास्टर या डाक घर का निरीक्षक;

(vi) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का प्रथम श्रेणी का अधिकारी या स्टेट बैंक आफ इण्डिया का अधिकारी या एजेण्ट के रूप में नियुक्त सब-एकाउण्टेंट या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट, 1954 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक शाखा कार्यालय पर सब-एकाउण्टेंट;

(vii) विकास अधिकारी या नायब तहसीलदार;

(viii) सांसद या विधायक या ग्राम पंचायत का सरपंच; या

(ix) पेंशन प्राप्तकर्ता अधिकारी जिसने सेवानिवृत्ति के पूर्व मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग किया था।

(2) पेंशनर जो भारत में निवासी नहीं हो, जिसके सम्बन्ध में उसका विविधत प्राधिकृत एजेण्ट किसी मजिस्ट्रेट, नोटरी, वैंकर या भारत के किसी राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है, व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त है।

136. वर्ष में एक बार पेंशनर के सतत अस्तित्व में होने का सत्यापन

(1) नियम 134 में वर्णित सभी मामलों में वितरण अधिकारी को इम्पोजिसन्स को रोकने के लिए ऐहतियात बरतनी चाहिए तथा वर्ष में कम से कम एक बार, पेंशनर को सतत अस्तित्व का जीवन-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र से अलग होगा।

(2) (i) इस प्रयोजन के लिए उसे सभी पेंशनरों को व्यक्तिगत उपस्थिति एवं पहचान कराने हेतु कहना चाहिए सिवाय :

(क) उन पेंशनरों के जिन्हें सरकार या सम्बन्धित जिले के कलेक्टर द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त होने की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) उन महिला पेंशनरों के जिनके सार्वजनिक रूप से उपस्थिति देने का रिवाज नहीं है;

(ग) उन पेंशनरों के जो शारीरिक बीमारी या कमजोरी के कारण उक्त प्रकार उपस्थित रहने से मुक्त किए गए हैं।

(ii) उक्त खण्ड (i) में वर्णित अपवादों के अन्तर्गत आने वाले पेंशनरों के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में, वितरण अधिकारी कोषागार नियमावली में दिए गए प्रावधानों का अनुसरण करेंगे।

(3) यदि सामान्य जीवन प्रमाण-पत्र, जो 1 अप्रैल को या उसके बाद प्रस्तुत किए गए प्रथम बिल के साथ संलग्न किया जाता है, किसी द्वितीय उतरदायी राजपत्रित अधिकारी द्वारा या नियम 134 के अधीन प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है, तो पेंशनर को पहिचान के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने की जरूरत नहीं है। तथापि, सन्देह वाले मामलों में, वितरण अधिकारी प्रस्तुत किए गए जीवन प्रमाण-पत्र के अलावा अलग से पेंशनर के अस्तित्व का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए सक्षम होगा तथा पेंशनर को उचित पहिचान के लिए व्यक्तिश: उपस्थिति देने के लिए कह सकेगा।

पेंशनर द्वारा सावधि प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना

10. पेंशनरों को इस योजना के अधीन वर्ष में नवम्बर माह में एक जीवन-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। पेंशनर/परिवार पेंशनर को भी वर्ष में नवम्बर माह में एक बार नियोजित नहीं होने का या नियोजन/पुनर्नियोजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि ये प्रमाण-पत्र यह निर्दिष्ट करते हैं कि पेंशनर/परिवार पेंशनर किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग में स्थायी या अस्थायी रूप से पुनर्नियोजित/नियोजित है या किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार की कम्पनी, निगम, उपक्रम या स्वशासी निकाय, कानूनी निकाय, स्थानीय निकाय, सहकारी समिति, संस्था आदि में जो कि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया या सारपूर्ण रूप से स्वामित्व-प्राप्त या नियंत्रित है या जिनमें सरकार का सारपूर्ण हित है या जो अपने प्रशासनिक व्यय को वहन करने के लिए सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही हैं, या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी/जीवन बीमा निगम आदि में उस वर्ष के अक्टूबर में समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान नियोजित/पुनर्नियोजित/स्थायी रूप से एब्जार्ब किया गया है, तो पैरा 13.5 के प्रावधानों को प्रवृत्त किया जाएगा।

10.1 इस स्कीम के अधीन जीवन-प्रमाण पत्र पर प्राधिकृत सार्वजनिक

क्षेत्र के बैंकों एवं रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे।

10.2 यदि कोई विधवा परिवार पेंशन प्राप्त करने वाली है, इस स्कीम के अधीन प्राप्तकर्ता द्वारा पुनर्विवाह/विवाह नहीं करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। प्राप्तकर्ता से एक वचन-पत्र भुगतानकर्ता शाखा द्वारा ऐसी घटना के घटित होने पर उसकी तुरन्त सूचना पेंशन वितरणकर्ता कार्यालय को देने के लिए लिया जाएगा। अन्य मामलों में (जैसे परिवार पेंशन प्राप्तकर्ता अविवाहित पुत्री या विधुर) विवाह न करने/पुनर्विवाह करने का प्रमाण-पत्र हर छह माहों में मई व नवम्बर माह में प्रस्तुत किया जाएगा।

घड़साना सिंचित क्षेत्र में बसी आवासीय कालोनियों के पट्टे

358. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार कमाण्ड एरिया में बसी अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र की घडसाना की आदर्श कालोनी, अमर कालोनी, ज्वाला कालोनी, मेहताब कालोनी, गुरदयाल कालोनी, सुन्दर कालोनी के निवासियों को पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त कालोनियों में निवास करने वाले लोगों की संख्या आज दिनांक तक कितनी है एवं कितने लम्बे समय से उक्त कालोनियों में निवास कर रहे हैं? कालोनीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कमाण्ड एरिया में बसी अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र घड़साना की आदर्श कालोनी, मेहताब कालोनी, (2 एसटीआर के मु.नं. 064/51, 64/59, 64/49, 63/56, 64/50) की भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड में खातेदार/गैर खातेदार दर्ज हैं। उक्त भूमि का आबादी भूमि में आरक्षण नहीं होने के कारण इसमें निवास कर रहे लोगों को पट्टे जारी नहीं किए जा सकते हैं।

अमर कालोनी आंशिक रूप से जो चक 3 एसटीआर के मु.नं. 64/29 में बसी हुई है जो खातेदारी भूमि है, सुन्दर कालोनी जो आंशिक रूप से चक 3 एसटीआर का मु.नं. 64/36, 64/20 में बसी हुई है जो खातेदारी भूमि पर बसी हुई है एवं गुरदयाल कालोनी जो चक 3 एसटीआर का मु.नं. 84/19 में

(उपनिवेशन मंत्री)

आंशिक रूप से बसी हुई है, की भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार/गैर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि का आबादी भूमि में आरक्षण नहीं होने के कारण अमर कालोनी, सुन्दर कालोनी, व गुरदयाल कालोनी के इन आशिंक भागों में निवास कर रहे लोगों को पट्टे जारी नही किए जा सकते।

घड़साना की गुरदयाल कालोनी जो मु.नं. 64/35 एवं 64/27 चक 3 एसटीआर में आंशिक रूप से बसी हुई है उक्त मु.नं. में आबादी स्वीकृत हो चुकी है। अमर कालोनी का मु.नं. 64/37 चक 3 एसटीआर में आबादी भूमि में पूर्णरूप से स्वीकृत हो चुकी है जहां अमर कालोनी आंशिक रूप से बसी हुई है एवं ज्वाला कालोनी (मु.नं. 64/38 चक 3 एसटीआर) भी आबादी भूमि हेतु स्वीकृत हो चुकी है। इन मुरब्बा नम्बर में निवास कर रहे परिवारों को आबादी भूमि स्वीकृत हो जाने से ग्राम पंचायत स्तर पर पट्टे जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

(2) उक्त कालोनियों में निवास करने वाले परिवारों एवं लोगों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	**कालोनी का नाम**	**परिवार (लगभग)**	**जनसंख्या (लगभग)**
1	आदर्श कालोनी (महताब कालोनी)	523	2642
2	अमर कालोनी	797	3341
3	ज्वाला कालोनी	243	955
4	गुरदयाल कालोनी	392	1711
5	सुन्दर कालोनी	290	1172
	योग	**2245**	**9821**

उक्त कालोनियों में निवास करने वाले लोगों की संख्या आदिनांक तक लगभग 9821 है एवं इनमें से कुछ परिवार लगभग 20-25 वर्षो से निवास कर रहे हैं।

बारां जिले में "मनरेगा" योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

359. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) व **श्री प्रमोद जैन ''भाया''** (अन्ता-बारां) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री पानाचन्द)

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक मनरेगा योजना में ग्रेवल एवं अन्य सड़क, पुलिया सी.सी. एवं खरंजे के कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस दिनांक को कितने-कितने किलोमीटर लम्बाई के स्वीकृत हुए? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य किस-किस दिनांक को पूर्ण हो चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य किस-किस स्तर पर निर्माणाधीन हैं एवं इन पर कितनी-कितनी राशि अब तक व्यय हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य अब तक किन किन कारणों से प्रारम्भ नहीं हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बारां जिले में दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना में ग्रेवल एवं अन्य सड़क, पुलिया सीसी एवं खरंजे के स्वीकृत कार्यो का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	कुल स्वीकृत कार्य	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
1	अन्ता	783	939.70	7402.82
2	अटरू-बारां	390	395.93	3415.89
3	छबडा	624	931.42	6812.46
4	किशनगंज	580	825.93	5642.06
	योग	**2377**	**3092.98**	**23273.23**

कार्यवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से 1096 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। कार्य पूर्णता का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न सूची में अंकित है।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से 796 कार्य निर्माणाधीन हैं एवं इन पर 3696.39 लाख रु. का व्यय किया जा चुका है। शेष विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न सूची में अंकित है।

(4) उक्त स्वीकृत कार्यों में से 485 कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं। प्रारम्भ नहीं होने का कार्यवार कारण परिशिष्ट-1 पर संलग्न सूची में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये :-

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में उपखण्ड मुख्यालय बालेसर एवं शेरगढ़ पर राजकीय महाविद्यालय एवं निजी सहभागिता से महाविद्यालय स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, शेरगढ़ को शास्त्री महाविद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. उपखण्ड क्षेत्र शेरगढ़ में अनार्थिक व एकीकरण के तहत बन्द किये गये विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरकर विद्यालय को पुन: प्रारम्भ करवाकर आस-पास के शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं को शिक्षा का लाभ दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक एवं संस्कृत विद्यालयों में व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व अन्य वर्ग के रिक्त पदों को भरने एवं नव क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवीन पद सृजित कर पदस्थापन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. उपखण्ड क्षेत्र शेरगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रत्येक राजस्व गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं क्षेत्र में एक किलोमीटर से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

6. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के बांशा के ग्राम कुशलपुरा एवं गोविन्दगढ़ में महिला राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

7. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में अधिकांश विद्यालयों में शौचालय एवं

पेशाब घर की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में अधिकांश राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में सम्बन्धित विषयों के अध्यापक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के चिड़ावा कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के गांव हमीनपुर में खेल स्टेडियम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

11. राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने हेतु आठवीं अनूसूची में सम्मिलित करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा नाकाफी प्रयासों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा/खारियामीठापुर/फिटकासनी/खेजड़ला/बुचकला/बिसलपुर के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी अध्यापकों, विषय अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों, वरिष्ठ शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों जालेली फौजदारान, राजकीय माध्यमिक विद्यालय हरियाढाणा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बोयल को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में ग्राम पंचायत मुख्यालयों खातियासनी, जांलेली दईकड़ा, जोसपाली, बीरडावास, हुणगांव खुर्द स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

16. जिला सीकर में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

17. विधान सभा क्षेत्र बायतू में पाटोदी, हीरे मीठाणी, सवाऊ पदम सिंह, गिडा एवं बाटाड में बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. बाड़मेर जिले के माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं विषय अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र बायतू के कालेवा, बोडबा, कानोड़, पुनियों का तला के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र बायतू में प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में 47 प्रतिशत रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र बायतू में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों बाराडू, सवाऊ पदमसिंह, हीरा की ढाणी में विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग के नये संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

22. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के ग्राम बाखासर, फागलिया, गरातरामठ, मिठडाऊ पनोणियों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में अनुसूचित जाति बाहुल्य एवं सीमावर्ती माध्यमिक विद्यालयों में द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों गुले की बेरी, शोभाला दर्शान को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में तहसील सडेवा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

26. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ग्राम पंचायत मुख्यालय भूरटिया,

उण्डरवा, मारूडी, आटी, हाथीतला, गरत, आदर्श चवा में माध्यमिक विद्यालय खोलने एवं बालिका माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. राजकीय पालेटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर में लम्बे समय से चल रहे अधिकांश रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिये।

28. राजकीय पी.जी. महाविद्यालय बाड़मेर में पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में 15 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं 15 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में 10 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

31. नगरपालिका देवगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

32. विधान सभा क्षेत्र नोहर के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र नोहर के राजकीय विद्यालयों में रिक्त पड़े प्राधानाचार्य के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र नोहर के राजकीय विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

35. प्रदेश में ''शिक्षा के अधिकार'' के तहत आठवीं कक्षा तक फेल नहीं करने के नियम में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

36. प्रदेश में सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक विकास एवं शैक्षणिक स्तर की जांच हेतु विशिष्ट मापदण्ड निर्धारित कर पर्यवेक्षण की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. प्रदेश में वृद्ध एवं रूग्ण कलाकारों को पेंशन देने एवं सरकारी स्तर पर लोक कला प्रदर्शन के अवसरों में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप नगर में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में विभागीय उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में सम्बलन अभियान से प्राप्त सुझावों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

41. विधान सभा क्षेत्र सोजत में संस्कृत विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. सोजत सिटी में महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. सोजत सिटी, रायपुर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में रंगमंच बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र सोजत में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सीनियर सैकेण्ड्री विद्यालयों में अध्यापक, प्राचार्य, व्याख्याताओं के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) :

45. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

46. सीकर जिले के विद्यालयों में विषय अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र धोद में एक सीनियर सैकेण्डरी स्कूल चित्रकला विषय की खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. सीकर जिले में सभी उच्च प्राथमिक राजकीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए सुविधा घरों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. सीकर जिले की सीनियर सैकेण्डरी स्कूल सागलियां में फोन पर अश्लील बातें करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. सीकर जिले की तमाम सरकारी शिक्षण संस्थाओं की भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा हटवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

51. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के तहसील घड़साना में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के दूरदराज गांवों के विद्यालयों में अध्यापकों के निवास क्वाटर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में सैकेण्डरी, उच्च माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) :

56. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों व व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय व खैरथल में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में राजकीय विद्यालयों व महाविद्यालयों में चल रहे स्वपोषित संकायों को स्थाई रूप से राजकीय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी राजकीय विद्यालयों व खेल मैदानों की चारदीवारी निर्माण करवाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

60. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में पाटन उप तहसील में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

61. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

62. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में शिक्षा के अधिकार के तहत प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

63. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में लोक कलाकारों के लिए बालोतरा में कला केन्द्र एवं रेस्ट हाउस के निर्माण कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. मारवाड़ के प्रमुख लोक नृत्य ''गैर'' के कलाकारों को मानदेय देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (वैर) :

65. विधान सभा क्षेत्र वैर की वैर तहसील में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र वैर के वैर शहर का प्राचीन किला एवं उसके चारों ओर बनी नहर का जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र वैर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय खोहरा तहसील बयाना को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र वैर के बल्लभगढ़ किले की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

69. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के खानपुर तहसील में राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के प्राइमरी स्कूलों में कक्षा कक्ष व बाउण्ड्रीवाल निर्माण कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के विद्यालयों में कल्प योजना से स्थापित कम्प्यूटरों को संचालित कराने एवं कम्प्यूटर टीचर की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र खानपुर, खानपुर में स्थापित विद्यालयों में तृतीय ग्रेड

व विषय अध्यापकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के झालावाड़ में विधि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशोरायपाटन) :

74. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में उर्दू विषय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल) :

75. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

78. शिक्षा पद्धति में प्राचीन कवियों की रचनायें पुन: पाठ्यक्रम में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. शिक्षा पद्धति में नैतिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक फेल-पास पद्धति पुन: लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

81. राज्य में विद्यार्थी मित्र मिड-डे-मील बनाने वाली महिलाओं का मानदेय बढ़ाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. राज्य में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. निजी विश्वविद्यालयों एवं निजी विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों एवं अभिभावकों की लूट को समाप्त करने हेतु निजी शिक्षण संस्थाओं को रेगुलेट करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के भवन रहित एवं भवन की कमी के विद्यालयों में भवन बनाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. दांतारामगढ़ में महाविद्यालय खोलने एवं उपखण्ड मुख्यालय दांतारामगढ़ बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

86. राज्य की वैविध्यपूर्ण, गौरवमयी लोक संस्कृति को बचाने के लिए लोक कलाकारों को संरक्षण देने, लोक भाषा की उन्नति के प्रयास करने व लोक संस्कृति को नई पीढ़ी से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्र यथा हाड़ौती, मेवाड़ी, मारवाड़ी शेखावाटी, ढुंढारी, बृज संस्कृति के सांस्कृतिक क्लस्टर का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुनर व कौशल विकास करने वाले शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को चलाने व उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके निपुणता प्रदान करने के उद्देश्य से शैक्षणिक प्रबन्ध किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. कोटा के जानकी देवी महिला महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, मनोविज्ञान, भूगोल के विषय सम्मिलित करने तथा राजकीय महाविद्यालय कोटा व जे.डी.बी. कालेज में मारदनों बायोलोजी, बायोटेक्नोलोजी, वाइल्डलाइफ, बी.बी.ए., बी.सी.ए., एम.सी.ए. आदि प्रोफेशनल व नवाचार के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. कोटा शहर के राजकीय महाविद्यालय, वाणिज्यिक महाविद्यालय व जे.डी.बी. महिला महाविद्यालय को कोटा विश्वविद्यालय के (संघटक) महाविद्यालय बनाये जाने तथा उक्त महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की क्षमता (सीटें) बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. कोटा में छात्राओं की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नए कोटा क्षेत्र में पृथक से कन्या महाविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजय सिंह (डेगाना) :

91. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, केरिया रावा, रामसरी, नरसिंह बासनी को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय

थावला, हरसौर, चान्दारूण को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बुटाटी, डोडियाना एवं सिरासना को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्राओं के लिए पृथक शौचालय के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

96. विधान सभा क्षेत्र नगर के कस्बे में राजकीय महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र नगर के कस्बे में स्थित अनार देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

98. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में उप खण्ड मुख्यालय सिवाना पर महाविद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, विषयाध्यापक व तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में लोक कला व संस्कृति को जीवित रखने के लिए जिन ग्राम पंचायतों में गेर मेलों का आयोजन किया गया, के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 5 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने व 10 प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

103. करौली शहर में लकड़ी एवं लाख से खिलौने एवं सामान बनाने वाले कारीगरों को आर्थिक सम्बल प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. जिला मुख्यालय करौली पर सांस्कृतिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के आयोजन हेतु कलेक्ट्रेट परिसर स्थित टाऊन हॉल को सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र करौली के राजकीय महाविद्यालयों में भवन का अभाव होने के कारण भवन निर्माण कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र करौली के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र करौली के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदनलाल वर्मा (डग) :

108. भवानी मण्डी जिला झालावाड़ में ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) :

109. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने एवं विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

110. सिरोही विधि महाविद्यालय में आवश्यक संसाधनों की पूर्ति करने एवं सिरोही मुख्यालय पर महिला महाविद्यालय को पी.जी. में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

111. जिला करौली की टोडाभीम तहसील के राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोरडा के लिए निर्धारित/आबंटित स्थान पर 6 कमरे तथा 2 हाल का निर्माण करने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. राजकीय माध्यमिक विद्यालय ग्राम शहराकर, तहसील टोडाभीम, जिला करौली को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. राजकीय माध्यमिक विद्यालय ग्राम सोप तहसील नादौती जिला करौली

के जीर्ण-शीर्ण विद्यालय भवन की मरम्मत कराने एवं पेयजल हेतु एक टंकी का निर्माण एवं विद्यार्थियों हेतु शौचालयों का निर्माण कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

114. राजसमन्द जिला मुख्यालय पर पर्यटन केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम कूरज, गिलोण्ड, कुवरियां, पीपली आर्चायन, बढाढरड़ा विद्यालयों में विषय संकाय के शिक्षकों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. राजसमन्द जिले की रेलमगरा पंचायत समिति में विद्यालयों में खेल मैदानों का चयन करने तथा चयनित खेल मैदानों पर हो रहे अतिक्रमण की रोकथाम हेतु बाउण्ड्रीवाल बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

117. राजसमन्द जिले के राजनगर एवं कांकरोली में संचालित विद्यालयों के भवनों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

118. राजसमन्द जिले की रेलमगरा पंचायत समिति में संचालित विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

119. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

120. प्रदेश में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण को ब्लाक लेवल पर कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र बाली की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आमलिया व लालराई को माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय प्राथमिक स्कूलों में भवन सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पड़े द्वितीय श्रेणी अध्यापक, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य के पदों को नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

124. बाली मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

125. प्रदेश में प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा अधिनियम की पूर्ण पालना नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी कोटा में पदस्थापित अध्यापकों की बोर्ड परीक्षा के नाम से कोटा शहर में प्रतिनियुक्ति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के निमाणा गांव में 40 वर्ष पुराने उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में राजकीय सीनियर, मिडिल, प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. राजकीय महाविद्यालय रामगंजमण्डी, कोटा में व्याख्याताओं के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

130. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में सैकेण्डरी स्कूल को सीनियर सैकेण्डरी न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में बालिका विद्यालय को सैकेण्डरी से सीनियर सैकेण्डरी, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. कालेज निदेशालय (आयुक्तालय) में कार्यरत प्राचार्यों, उपाचार्यों, व्याख्याता से कम वेतनमान एवं कम शैक्षणिक योग्यता के व्यक्ति को अतिरिक्त निदेशक बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में जनसंख्या एवं अन्तिम कक्षा की छात्र संख्या के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के नगरपालिका मुख्यालय के बालिका सीनियर विद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य विषय न खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

135. विधान सभा क्षेत्र रेवदर मुख्यालय व आबूरोड में बालिका महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अध्यापकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

137. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जावली जिला अलवर में विज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. पंचायत समिति कठूमर (अलवर) के ग्राम सांवतपुरा का वास (बहतूकलां), जाटव नगला (खेटलारेल), बैरवा कालोनी (नाटोज) एवं जाटव कालोनी सहजपुरा में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. पंचायत समिति कठूमर (अलवर) के प्राथमिक विद्यालय बलदेवपुरा (बडोदाकाम), खेड़ा (खोह) एवं चांदपुर (बहतूकलां) को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम इमलाड़ी, इरनिया, कांटवाड़ी, डन्योठाना एवं घोसराना में माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

142. विधान सभा क्षेत्र नावां में रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र नावां में राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र नावां में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

145. जयपुर में महिला विश्वविद्यालय खोले जाने एवं एक और महिला कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

146. जयपुर शहर के विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. जयपुर में महिला संस्कृत महाविद्यालय एवं बालिका संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

148. राज्य में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए अन्य राज्यों की भांति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशानुसार सेवानिवृति आयु 60 वर्ष से 65 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

149. राज्य में खेलों को बढ़ावा दिये जाने हेतु खिलाड़ियों को और सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

150. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में धनला बालिका माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पुनाडिया, खारडा, विगरला, डुठारिया को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

152. चड्ढा समिति की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवानिवृति की आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर के पपरेरा, बदनगढ़, सोनगांव उवार, सोगर एवं बोरई सैकेण्डरी स्कूल को सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. उच्च प्राथमिक विद्यालय इकलेरा (डीग) को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

155. राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में कार्यरत प्राचार्य, उपाचार्य, व्याख्याताओं एवं अन्य स्टाफ के लिए यू.जी.सी. के अनुसार वेतनमान नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

156. राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में आवश्यक सुविधाऐं केन्टीन, भवन (कक्षा कक्ष), खेल आदि सुविधाओं के लिए बजट आबंटित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

157. राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में स्नातकोत्तर कक्षाओं में अतिरिक्त

विषय – हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास एवं भूगोल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में प्राचार्य, उपाचार्य, व्याख्याताओं एवं अन्य रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. ग्राम पंचायत खरौली/सरमथुरा के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

160. मकराना में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. प्रदेश के विद्यालयों में अध्यापकों एवं छात्रों में मधुर सम्बन्ध स्थापित करने के लिये कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र मकराना के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र मकराना में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र मकराना में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी) :

165. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के विद्यालयों में शिक्षकों को छात्रों के अनुपात में पदस्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के सभी विद्यालयों में विषयवार अध्यापक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) :

167. राजकीय महाविद्यालय सरदारशहर को स्नातकोतर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

168. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुधालेश्वर (ददलिया), गोविन्दपुरा, देवरखेड़ा, शाहपुरा, ठिकराना मेन्द्रा मालपुरा, मालीपुरा, बालिका कांवीजर, कानाखेजरी, बा. 0बराखन, बगालिया, हाऊसिंग बोर्ड, गणेशपुरा, बालिका नू. केन्द्राताक को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय किशनपुरा, अनाकर, सरबीना, पालडी, जवाजा, जालिया एवं टाटगढ़ को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

170. प्रदेश में आर.टी.ई. को पूरी तरह लागू करने हेतु शिक्षकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में तकनीकी नया विश्वविद्यालय अजमेर में बनाने व अजमेर एम.डी.एस. विश्वविद्यालय में घट रही छात्रों की संख्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा में प्राध्यापकों की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

173. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में फैल रहे भ्रष्टाचार की जांच व पुस्तकों को एन;सी.आर.ई.टी. अनुरूप लिखाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. प्रदेश में निजी स्कूलों को गरीब छात्रों को दिये प्रवेश के एवज में पुर्नभरण व मान्यता सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

175. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

176. प्रदेश में अनुदानित शिक्षकों को तृतीय श्रेणी अध्यापकों के समान समस्त सुविधायें उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

177. प्रदेश में अनुदानित शिक्षकों को समायोजन पश्चात् तृतीय श्रेणी अध्यापकों के समान वरीयता सूची में रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के विभिन्न विद्यालयों में मिड-डे मील की स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

179. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ में राजकीय सैकेण्डरी विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों पर अध्यापकों को लगाने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षकों/अध्यापकों को लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयों में रिक्त पदों पर अध्यापकों को लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

184. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में तहसील मुख्यालय सेडवा में आई.टी.आई. (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

185. प्रदेश में कक्षा आठवी एवं कक्षा पांचवी में बोर्ड परीक्षा प्रणाली समाप्त कर अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण किये जाने से शिक्षा के गिरते स्तर के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में स्वीकृत पदों के रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के पुराने उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल भवनों की जर्जर अवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

188. डीडवाना उच्च प्राथमिक विद्यालय नम्बर एक के भवन को निजी संस्था से खाली नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के सभी स्तर के सरकारी स्कूलों में भवन, बिजली पेयजल, टायलेट आदि सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

190. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के गांव एवं ढाणियों में प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. राजकीय धरमचन्द गांधी महाविद्यालय बहरोड़ को स्नातकोत्तर करने एवं विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिजौरावास को राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डाबडवास को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. राजकीय माध्यमिक विद्यालय गूती एवं हमीदपुर बहरोड़ को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. बहरोड़ में महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

195. विधान सभा क्षेत्र पोकरण के राजस्व गांव व बड़ी ढाणियों में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. जैसलमेर जिले के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

197. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की ढाणी अहीएन ग्राम पंचायत आभावास (पंचायत समिति श्रीमाधोपुर) में प्राथमिक/संस्कृत विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

198. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के ग्राम बाधोली, नीकच, खूंटेटा कला एवं नगली मेघा, सैदमपुर, चिड़वई एवं सिरमों के मिडिल स्कूल को सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

199. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के ग्राम बहाला, गढ़ी, रसगण, नसवारी एवं खिलौरा के सैकेण्डरी स्कूल को सीनियर सैकेण्डरी स्कूल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

200. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में विज्ञान और वाणिज्य विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

202. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के प्राथमिक विद्यालय देवा की झोंपड़िया (टीटोड़ा) एवं देवपुरा (रावतखेड़ा) को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय रोपां एवं पारोली को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय चावण्डिया, सगतपुरिया एवं लुहारीखुर्द को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की माध्यमिक विद्यालय धोड़, बनकाखेड़ा, बांकरा को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. उपखण्ड मुख्यालय जहाजपुर पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

207. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के पंचायत मुख्यालय सुनारी के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के पंचायत मुख्यालय बिलौठी के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

209. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के विद्यालयों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

210. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

211. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

212. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

214. कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा भरतपुर सम्भाग भरतपुर में स्वीकृति के अनुसार मन्त्रालयिक कर्मचारियों के पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

215. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भदीरा तहसील नंदबई जिला भरतपुर को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल भदीरा तहसील नंदबई जिला भरतपुर में कला वर्ग में राजनीति शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी आदि ऐच्छिक विषय शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल भदीरा तहसील नंदबई, जिला भरतपुर में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. कार्यालय ब्लाक शिक्षा अधिकारी, सेवर जिला भरतपुर में वर्षों से रिक्त चले आ रहे ए.बी.ई.ओ. कनिष्ठ लेखाकार एवं कनिष्ठ लिपिक के पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

219. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय डागरों की ढाणी (ग्राम पंचायत बासड़ी) एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय अगतपुरा के विद्यालयों की चारदीवारी बनाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

220. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

221. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

222. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

223. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, विद्युत की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

224. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर के जयनारायण विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती में हुये फर्जीवाड़े की जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

225. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में दूधोड़ के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

226. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम कराड़ी की स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर (बामनवास) :

227. विधान सभा क्षेत्र बामनवास स्थित चारदीवारी विहीन विद्यालयों की चारदीवारी बनाने एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में बामनवास मुख्यालय में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

229. विधान सभा क्षेत्र बामनवास स्थित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

230. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

231. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के बालिका प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में महिला अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

232. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में एकल अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर अध्यापकों को लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के सीनियर माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने एवं विज्ञान के वरिष्ठ अध्यापकों के पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

234. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में मिश्रीलाल सांवल कन्या महाविद्यालय में व्याख्याताओं की कमी एवं पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

235. जैसलमेर में कोठारी महाविद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) :

236. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के उपखण्ड मुख्यालय राजाखेड़ा में कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिये नया भवन, सुरक्षित स्थान पर निर्मित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

237. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के मनियां ग्राम में एक महाविद्यालय स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

238. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के गांव मरैना में उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय एवं आवासीय होस्टल स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

239. धौलपुर जिला मुख्यालय के गांव छावनी में पुराने महलों को जीर्ण-शीर्ण होने से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. धौलपुर जिले की पुरानी धरोहर शेरगढ़ का किला, देवहसगढ़ का किला तालावेशारी आदि को संरक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट–2

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री) का अनुदान की मांग संख्या 24 - (शिक्षा, कला एवं संस्कृति) के सम्बन्ध में सदन पटल पर रखा गया शेष उत्तर

कुल 33,116 पद भरे जा सके हैं। शेष पद न्यायालय प्रक्रिया के अधीन होने के कारण नहीं भरे जा सके।

विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही वर्षो से रूकी हुई थी परन्तु अब वरिष्ठ अध्यापकों, व्याख्याताओं, प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों आदि पदों हेतु विभिन्न वर्षो की डी.पी.सी. की जा चुकी है। शेष वर्षों की डीपीसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिला शिक्षा अधिकारी, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक के पदों की वर्ष 2012-13 तक की डीपीसी कर अधिकारियों का पदस्थापन किया जा चुका है। अभी तक कुल 1321 डी.पी.सी. की जा चुकी है जिससे 32,881 अधिकारी/शिक्षक कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

सरकार द्वारा वर्ष 2009 से अब तक मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों में से 790 कनिष्ठ लिपिक, 105 अध्यापक, 12 शारीरिक शिक्षक (तृतीय श्रेणी), 1 पुस्तकालयाध्यक्ष एवं 726 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अर्थात कुल 1,634 व्यक्तियों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गई है।

नये पदों का सृजन

अध्यक्ष महोदय हमने वर्ष 2002 से 2011 तक नवक्रमोन्नत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कनिष्ठ लिपिकों के 7,134 पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 7,134 पद स्वीकृत करवाये जिससे इन श्रेणी के कार्मिकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा।

आगामी सत्र में नये खुलने वाले विद्यालयों एवं छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार की दृष्टि से 20 हजार तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती का काम शुरू किया जावेगा। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 20 हजार पद, द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के 10 हजार पद एवं शारीरिक शिक्षकों के 5 हजार पद सृजित किये जावेंगे।

सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अंग्रेजी

विषय के 1 हजार 200 व्याख्याताओं एवं हिन्दी विषय के 1 हजार 500 व्याख्याताओं के एवं अन्य विषयों के 2 हजार व्याख्याताओं के पद सृजित किये जायेंगे।

उर्दू विषय के व्याख्याताओं के 1 हजार पद तथा उर्दू विषय के वरिष्ठ अध्यापकों के 1 हजार पद सृजित किये जायेंगे तथा चयनित विद्यालयों में तृतीय भाषा के रूप में उर्दू के अध्ययन का विकल्प उपलब्ध करवाया जायेगा।

ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों हेतु 150 कनिष्ठ लिपिक, 351 वरिष्ठ लिपिक एवं 437 एसडीआई के पदों का सृजन किया जावेगा।

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत शैक्षिक गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 40 हजार शैक्षिक सहायकों के पद सृजित किये जायेंगे। शैक्षिक सहायकों द्वारा मुख्यत: स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का सर्वे कर उन्हें स्कूल में प्रवेश लेने हेतु प्रेरित करने, ड्रापआउट्स की ट्रेकिंग करने एवं मिड-डे-मिल व्यवस्था सम्भालने के साथ-साथ अनुशासन, स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, बच्चों की देखभाल आदि कार्यों में सहयोग प्रदान किया जावेगा जिससे विद्यालयों में आनन्ददायी और मधुर वातावरण का निर्माण हो सकेगा। इसके अतिरिक्त 10 हजार प्रबोधकों के भी पद सृजित कर नियमित नियुक्तियां की जावेगी।

अध्यक्ष महोदय हमने जितने भी नवीन पद सृजित किये हैं, उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में भरने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जावेगी, जिससे कि वृहद स्तर पर शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार मुहैया हो सकेगा तथा विद्यालयों में शिक्षा की गुणात्मकता में भी वृद्धि हो सकेगी।

मानदेय में वृद्धि

राज्य में कार्यरत शिक्षाकर्मी, विद्यार्थी मित्र, पैराटीचर्स एवं लोकजुम्बिश के अधीन आने वाले शिक्षकों तथा विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के मानदेय में 1 जुलाई, 2012 से वृद्धि की गई थी। फिर भी 1 जुलाई 2013 से लोकजुम्बिश के अधीन आने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि तथा वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी एवं विद्यार्थी मित्र व्याख्याता के मानदेय में 900 रुपये, पैराटीचर्स के मानदेय में 800 रुपये, सामान्य शिक्षाकर्मी एवं विद्यार्थी मित्र ग्रेड-II के मानदेय में 700 रुपये और विद्यार्थी मित्र ग्रेड-III के मानदेय में 600 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की जावेगी।

विद्यालय भवनों की स्थिति

राजकीय विद्यालयों के सुचारु संचालन हेतु यह आवश्यक है कि विद्यालय का स्वयं का पर्याप्त भवन होने के साथ-साथ आधारभूत सुविधायुक्त हो। माननीय सदस्यों द्वारा विद्यालय भवनों की स्थिति सुदृढ़ करने के साथ-साथ स्वयं के भवन होने के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 1,769 और माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 49 राजकीय विद्यालयों के पास स्वयं के भवन नहीं है। ये विद्यालय सामान्यत: किराये के भवन में संचालित हैं। इन विद्यालयों में स्वयं का भवन नहीं होने का मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में भूमि की अनुपलब्धता है। ऐसे भवनविहीन विद्यालयों के लिए भूमि आबंटन के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष 104 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माणधीन हैं तथा 252 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए "प्रशासन गांवों के संग" में भूमि चिन्हित की जा चुकी है।

बालिका शिक्षा

अध्यक्ष महोदय हमने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किये हैं। इस हेतु बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव की सुनिश्चितता करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं :

सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य के 186 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स एवं 14 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में 200 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है जिसमें 17,822 बालिकायें लाभान्वित हो रही हैं। साथ ही मेवात बोर्ड द्वारा निर्मित 10 मेवात आवासीय बालिका विद्यालयों का संचालन भी शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिनमें 459 बालिकाएं अध्ययनरत हैं।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लाक्स में 68 बालिका छात्रावासों का निर्माण कर छात्राओं को प्रवेश देकर प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इसकी राशि 1500/- रुपये से बढ़ाकर 2000/- रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है।

प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इसकी राशि 3000/- रुपये से बढ़ाकर 5000/- रूपये प्रतिवर्ष कर दी गई है।

इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं नि:शक्तजन वर्ग की बालिकाओं को प्रदान किया जा रहा था। अब यह पुरस्कार सामान्य बालिकाओं को भी दिया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र की कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को साइकिल वितरण पहले 300 रुपये के अंशदान पर वितरित की जा रही थी, जिसे घटाकर 100 रुपये कर दिया तथा इस सत्र में कुल 86,893 बालिकाओं को साइकिल वितरित की जा चुकी है। इस सत्र में शहरी बालिकाओं को भी साइकिल वितरण करने का निर्णय लिया जा चुका है। अत: इन्हें सम्मिलित करते हुए अगले सत्र में लगभग 5 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया जायेगा।

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की छात्राओं को कक्षा 10 उत्तीर्ण कर कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर 2000 रुपये एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण कर स्नातक में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये की एफ.डी.आर. उपलब्ध करवाई जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्र की कक्षा 9 से 12 तक की 29,521 बालिकाओं को विद्यालय जाने-आने हेतु 5 रुपये प्रति विद्यालय दिवस का ट्रांसपोर्ट वाउचर भी दिया गया है। आगामी सत्र से 5 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस की दर को बढ़ाकर 20 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस अथवा विद्यालय जाने-आने का वास्तविक किराया, जो भी कम हो, की सुविधा बालिकाओं को दी जावेगी।

कक्षा 10 की मैरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान से 10 लाख रुपये की सीमा तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस हेतु तीन बालिकाओं का चयन किया जा चुका है।

वंचित वर्ग की शिक्षा

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवार, शहीद और भूतपूर्व सैनिकों के छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हैं जिससे कि इन श्रेणी के

छात्र-छात्राओं की पढ़ाई निर्बाध रूप से चलती रहे। गत बजट में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति की दरें बढ़ाने की घोषणा की गई थी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दरें कम होने के कारण आगामी वर्ष से दरें और बढ़ाते हुए कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 50 रुपये के स्थान पर 75 रुपये प्रतिमाह एवं छात्राओं को 100 रुपये के स्थान पर 125 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृति का भुगतान किया जायेगा। साथ ही कक्षा 9 एवं 10 के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की दर 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रतिमाह एवं छात्राओं के लिए 120 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये प्रतिमाह की जायेगी। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लगभग 9 लाख छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे। इसके अलावा विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अभिभावक की निर्धारित वार्षिक आय सीमा 144 लाख रुपये से बढ़ाकर 200 लाख रुपये कर दी गई जिससे अधिक छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ मिल सकेगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के चयनित छात्र-छात्राओं को उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों की कक्षा 6 से 12 तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करवाई जा रही है। इसी तर्ज पर आगामी सत्र से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के 990 छात्र-छात्राओं, जिनके अभिभावकों की आय 2 लाख रुपये से कम है, को भी उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों की कक्षा 9 में प्रवेश दिलवाकर कक्षा 12 तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जावेगी।

अध्यक्ष महोदय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दया नहीं बल्कि सम्बल चाहिए। इनको सुविधा देने के साथ-साथ उनके प्रति संवेदनशील भी होना बहुत जरूरी है, ताकि ये बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड सकें। इन बच्चों को विद्यालय तक जाने हेतु 300/- रुपये प्रतिमाह तक का परिवहन भत्ता एवं उन्हें विद्यालय ले जाने वाले एस्कोर्ट को भी 300- रुपये प्रतिमाह तक का भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा पोलियोग्रस्त 223 बच्चों को करेक्टिव सर्जरी और दृष्टिदोष ग्रसित 84 बच्चों की साइट रेस्टोरेशन सर्जरी भी करवायी गयी। दृष्टि बाधित बालक-बालिकाओं को ब्रेल पुस्तकें एवं ब्रेल किट नि:शुल्क उपलब्ध करवाये गये हैं। इसके अलावा कक्षा 9 से 12 तक के नि:शक्त बच्चों के लिए सामान्य विद्यालयों में समावेशी शिक्षा योजना

भी संचालित की जा रही है, जिसके तहत 3000/- रुपये प्रति नि:शक्त विद्यार्थी व्यय किये जाने का प्रावधान है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

आप सभी जानते हैं कि आज का युग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का युग है। अत: छात्र-छात्राओं का कम्प्यूटर संचालन में दक्ष होना अत्यावश्यक है ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में टिके रह सकें। इसके लिए प्रदेश में भी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं :

8310 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। इसके तहत विद्यार्थियों को अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान के कठिन पाठांशों पर आधारित मल्टीमिडिया ई-कन्टेंट के माध्यम से शिक्षण दिया जाता है।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (Centerally Sponsored Scheme) के तहत 4,500 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों कें आई.सी.टी. (Information and Communication Technology) योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जाती है। आगामी सत्र में इस योजना का विस्तार करने के लिए 2,000 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है।

राजीव गांधी डिजीटल विद्यार्थी योजना, जो कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की फ्लेगशिप योजनाओं में से एक है, के तहत गत वर्ष कक्षा 8 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 35,819 विद्यार्थियों, कक्षा 10 के 10,127 विद्यार्थियों एवं कक्षा 12 के 10,313 विद्यार्थियों को लैपटाप वितरित किये जायेंगे। यह योजना आगामी वर्ष भी जारी रखी जायेगी। आगामी वर्ष इस योजना का और विस्तार करते हुए प्रत्येक राजकीय विद्यालय की कक्षा 8 में दूसरे से ग्यारहवां स्थान प्राप्त करने वाले बालक/बालिकाओं को लगभग 6 हजार रुपये मूल्य के 'टेबलेट- पीसी' उपलब्ध करवाये जायेंगे। इसके फलस्वरूप आगामी वर्ष में प्रदेश के लगभग 55 हजार बालक/बालिकाओं को 'लैपटाप' एवं लगभग 3 लाख 50 हजार बालक/बालिकाओं को 'टेबलेट-पीसी' उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे उनको कम्प्यूटर व इंटरनेट के उपयोग हेतु प्रेरित किया जा सकेगा। इस योजना के क्रियान्वयन पर लगभग 350 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी तथा विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्द्धा की भावना जाग्रत हो सकेगी।

पाठ्यक्रम/मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार

राज्य में कक्षा 1 से 5 तक एस.आई.ई.आर.टी. (State Institute of Educational Research and Training) द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकें लागू की गई हैं। कक्षा 6 से 8 तक अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान को छोड़कर तथा कक्षा 9 से 12 तक एन.सी.ई.आर.टी. (National Institute of Educational Research and Training) की पाठ्यपुस्तकें लागू हैं।

माध्यमिक स्तर पर प्रश्न पत्रों की समयावधि 2 घन्टे 30 मिनट से बढ़ाकर 3 घन्टे 15 मिनट कर दी गई है, जिससे छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने का अतिरिक्त समय मिल जाता है।

3,072 विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति पायलेट रूप में लागू की जा चुकी है। इसके अलावा अन्य विद्यालयों में मूल्यांकन हेतु ग्रेडिंग सिस्टम भी लागू किया जा चुका है।

कक्षा 12 के विद्यार्थियों को समाज सेवा योजना के तहत सत्र 2013-14 से प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में प्रत्येक जिले में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा क्रमश: 2,000 रुपये, 1,500 रुपये और 1,000 रुपये का पुरस्कार मय प्रमाण-पत्र और इनके प्रभारी शिक्षकों को प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किया जावेगा।

शिक्षक प्रशिक्षण

अध्यक्ष महोदय शिक्षकों के लिए सीखना-सिखाना एक सतत् प्रक्रिया है। अत: शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षकों को समय-समय पर प्रशिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक समझा गया। इसके लिए हमने उदयपुर की एस.आई.ई.आर.टी. (State Institute of Educational Research and Training) को सुदृढ़ किया है एवं गोनेर में सीमेट (State Institute of Educational Management, Administration and Training) को प्रारम्भ किया जा चुका है। शिक्षकों में अंग्रेजी का कौशल विकसित करने हेतु बीकानेर में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन्स्टीट्यूट की स्थापना की जा चुकी है। इतना ही नहीं अजमेर में राजकीय अल्पभाषा शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय पुन: खोला गया और माध्यमिक शिक्षा

बोर्ड, राजस्थान परिसर में एकेडेमिक स्टाफ ट्रेनिंग कालेज की स्थापना की गई। प्रतापगढ़ में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोलने की भारत सरकार से स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है।

पुस्तकालयों की स्थापना

राज्य के समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना की जा चुकी है। आगामी सत्र में 10 हजार राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में भी पुस्तकालयों की स्थापना की जायेगी।

वर्तमान में 116 पंचायत समिति मुख्यालयों पर सार्वजनिक पुस्तकालय भवनों का निर्माण हो चुका है। शेष पंचायत समिति मुख्यालयों पर आगामी दो वर्षों में पुस्तकालय भवनों का निर्माण कर इन्हें कार्यशील बनाने की योजना है। आगामी वर्ष में 70 पुस्तकालय भवनों का निर्माण कार्य हाथ में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त भरतपुर के हिन्दी साहित्य समिति पुस्तकालय को आगामी वर्ष 50 लाख रुपये का विशेष अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

निजी विद्यालय

निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षा में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से सम्बन्धित बच्चों को 25 प्रतिशत नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान के तहत 1,15,009 बच्चों को प्रवेश दिलवाया गया। इन बच्चों की शिक्षा पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण निर्धारित प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

'राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013' का निर्माण किया जा चुका है, जो राजपत्र में अधिसूचित होने की तारीख से प्रवृत्त होगा। इसके लागू होने के बाद कोई भी विद्यालय सरकार द्वारा नियत फीस से अधिक फीस संग्रहीत नहीं कर सकेगा।

साक्षर भारत कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय राज्य में साक्षरता दर को ऊंचा उठाने के लिए साक्षर भारत कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके तहत 15 वर्ष तथा इससे अधिक आयु वर्ग के व्यस्कों के लिए कई प्रकार की गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता

दिवस, 2012 के अवसर पर अजमेर जिले को "साक्षर भारत पुरस्कार" से नवाजा गया है।

राज्य के 31 जिलों (कोटा एवं प्रतापगढ़ को छोड़कर) की 8,843 ग्राम पंचायतों में साक्षरता कक्षाओं का संचालन कर असाक्षरों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे 12 लाख असाक्षर साक्षर हो रहे हैं। इन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान द्वारा साक्षर होने का प्रमाण-पत्र दिया जावेगा।

आगामी वर्ष में प्रदेश के सतत् शिक्षा केन्द्रों पर महात्मा गांधी वाचनालयों में पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं की व्यवस्था हेतु 10 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की जायेगी। इसके अतिरिक्त, सतत् शिक्षा के प्रेरकों को इन वाचनालयों की व्यवस्था सम्भालने हेतु 500 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा।

स्टेट ओपन स्कूल

औपचारिक शिक्षा से वंचित वर्ग को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बालक-बालिकाओं, युवक-युवतियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना स्ववित्तपोषित संस्था के रूप में की गई। इसके लचीले कार्यक्रमों के अन्तर्गत विद्यार्थियों को अपनी रूचि, समय और जरूरत के मुताबिक विषयों के चयन करने की छूट है। इसमें वर्ष 2005-06 से लेकर 2011-12 तक 2,56,390 विद्यार्थियों का पंजीकरण हो चुका है।

स्काउट एवं गाइड

राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स संगठन भी अपने क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हाल ही में श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया एवं कोरिया में आयोजित 9 शिविरों में राज्य के 35 स्काउट-गाइड, रोवर-रेंजर एवं यूनिट लीडर्स ने प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा स्टेट स्काउट-गाइड जम्बूरेट 14 से 19 नवम्बर, 2011 तक जयपुर में आयोजित की गई, जिसमें 1,007 विद्यालयों के 10,877 स्काउट-गाइड ने भाग लिया।

अध्यक्ष महोदय कुल मिलाकर, सरकार द्वारा 'शिक्षा का सार्वजनीकरण' के लिए कई अथक प्रयास किये गये हैं। शिक्षा का विस्तार कर नये संकाय एवं विषय खोले गये हैं, जिससे प्रदेश के हर कोने में बालक-बालिकाओं को शिक्षा सर्वसुलभ हो सके। शिक्षकों की व्यवस्था के लिए नई भर्तियों के साथ-साथ वर्षों

से लम्बित पदोन्नतियां भी की गई हैं, ताकि कोई विद्यालय शिक्षक विहिन नहीं रहे। इससे विद्यालयों में बालक-बालिकाओं के नामांकन और ठहराव की सुनिश्चित्ता होगी। शिक्षा की गुणवत्ता हेतु शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण भी प्रदान किये गये हैं और विभिन्न प्रकार की शैक्षिक योजनाएं भी संचालित की गई हैं। इस प्रकार से सरकार प्रदेश में 'सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्णतया सजग है और आगे भी इसी सजगता के साथ निरन्तर प्रयत्नशील रहेगी।

अध्यक्ष महोदय भौगोलिक विविधताओं,विभिन्न बोलियों, रीति-रिवाजों, परम्पराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों वाला प्रदेश राजस्थान अब शिक्षा के प्रगतिशील पद पर अग्रसर है। गुणात्मक प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राज्य के सभी वर्गों, जातियों, सभी सम्प्रदायों के विद्यार्थियों के जीवन में ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश फैला रही हैं। आपसी प्रेम, सद्भावना, कला और संस्कृति का प्रसार करने के साथ-साथ व्यवसायोन्मुखी और रोजगार परक बनती जा रही है।

अन्त में मैं अज्ञात कवि की दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा ।

शिक्षा जनगणमन की आशा, बिन शिक्षा सूनी अभिलाषा ।
यह आशा का दीप जलाती, भटकों को मंजिल दिखलाती ॥

अत: प्रस्तावित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मांग संख्या 24 के अन्तर्गत आपके समक्ष वर्ष 2013-14 में कुल 1,45,32,45,51,000 रुपये (अक्षरे एक खरब पैंतालीस अरब बत्तीस करोड़ पैंतालीस लाख इक्यावन हजार रुपये) के बजट अनुमान अनुमोदन हेतु रख रहा हूं।

परिशिष्ट-3

(डा. दयाराम परमार, (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) का मांग संख्या 24 (शिक्षा) के सम्बन्ध में सदन पटल पर रखा गया उत्तर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा विभाग की मांग संख्या 24 पर सदन में विभिन्न विषयों पर अत्यन्त गम्भीर एवं सार्थक चर्चा हुई एवं प्रदेश में शिक्षा जगत में उत्थान की दृष्टि से माननीय विधायकगण के अमूल्य सुझाव प्राप्त हुए जिनके लिए मैं उनका आभारी हूं।

उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान में सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का प्रबंधन करता है। आजादी के समय राज्य में मात्र 7 सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय थे। आज प्रदेश में सामान्य शिक्षा के कुल 1527 महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें 144 महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में हैं। इन महाविद्यालयों के अतिरिक्त राजकीय क्षेत्र में 22 विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 33 विश्वविद्यालय तथा 8 विश्वविद्यालयवत संस्थाएं राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन शिक्षण संस्थाओं में 12 लाख से अधिक नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थी नामांकित हैं।

पिछले चार वर्षों में 636 नये महाविद्यालय खोले गए हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्र में कुल 1500 विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। इस दृष्टि से राज्य सरकार के द्वारा पिछले चार वर्षों में राजकीय क्षेत्र में 8 राज्य वित्त पोषित एवं 20 नये निजी विश्वविद्यालय प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार द्वारा सात नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इन विश्वविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे।

राज्य के महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में नवीन उपकरण व रसायन क्रय करने हेतु 4 करोड़ की राशि आबंटित की गई। प्रत्येक वर्ष में राजकीय महाविद्यालयों में नवीन विषय खोले गये व महाविद्यालय क्रमोन्नत किये गये। इसी कड़ी में इस बजट में आगामी वर्ष में स्ववित्तपोषित आधार पर रावतभाटा एवं छीपाबड़ौद में संचालित महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालयों का दर्जा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10 स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 10 स्नातक महाविद्यालयों एवं 5 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में नये विषय प्रारम्भ किये जाएंगे।

राजकीय महाविद्यालयों की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं रखरखाव हेतु 6 करोड़ रुपये खर्च किये जाने की बजट घोषणा की गई जिससे 40 महाविद्यालय लाभान्वित हुए हैं। साहित्यकारों एवं लेखकों की पुस्तकें छपवाने के लिए राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी में राज्य सरकार द्वारा रुपये 1 करोड़ के रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना की गई। स्नातक एवं स्नातकोत्तर में टापर रहने वाले एक हजार विद्यार्थियों को लैपटाप उपलब्ध करवाए जाने के क्रम में रुपये 216.06 लाख अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किया गया है। राजकीय महाविद्यालयों में 383 व्याख्याताओं के नियुक्ति आदेश जारी किए गए।

गत 3 वर्षों में छात्राओं का अनुपात प्रति 100 छात्रों के अनुपात में बढ़कर 68 से 82 हो गया है एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं का इन्डेक्स भी 45 से बढ़कर 62 हो गया एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 42 से बढ़कर 67 हो गया है जो सामाजिक समरसता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।

देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना एवं प्रोत्साहन राशि योजना सत्र 2011-12 से प्रारम्भ की गई है जो आगे भी चालू रखी गई है।

उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए एक लाख मेधावी छात्रों के लिए 500 रुपये प्रतिमाह पांच वर्ष तक के लिए छात्रवृत्ति योजना चल रही है।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन की सहायता से वर्तमान में 10 महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल सम्बन्धी पाठयक्रम संचालित कर रहे हैं।

ऐसी तहसीलों एवं दूरदराज के क्षेत्रों जहां शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा आवश्यकता बहुत अधिक है, में राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता से उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक योजना 2010-11 में प्रारम्भ की गई। 49 महाविद्यालय विहिन तहसीलों में कालेज खोलने पर दो करोड़ रुपये का अनुदान देने के लिए चिह्नित किया है एवं 56 मांग के आधार पर अतिरिक्त कालेज खोलने के लिए एक करोड़ रुपये अनुदान देने के लिए चिह्नित की गई है।

गत बजट में महाविद्यालयविहीन तहसील मुख्यालयों पर निजी सहभागिता से महाविद्यालय खोलने की योजना का विस्तार करते हुए आवश्यकता के अनुसार अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत निजी सहभागिता से महाविद्यालय खोलने के साथ-साथ विद्यार्थियों की संख्या तथा छात्राओं के अनुपात को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष 15 राजकीय महाविद्यालय खोलना

प्रस्तावित है। नये महाविद्यालय खोलते समय कन्या महाविद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

मानिनीय अध्यक्ष महोदय, गणमान्य सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से जिन समस्याओं से मुझे अवगत कराया है इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव के जवाब शीघ्र ही प्रेषित कर दिये जाएंगे।